खण्ड-237, अंक-2
गुरूवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(6 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४५–१४९
प्रश्नोत्तर	१४९–२३२
सरकारी कर्मचारियों की अवकाश-प्राप्ति की आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ वर्ष करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२३२
श्री श्यामलाल द्वारा प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति	२३२–२३३
देवरिया जिले के फतेह मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, तमकुही के बन्द होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	२३३–२३६
'नेशनल हेरल्ड' में श्री रामलखन शुक्ल के भाषण को गलत ढंग से छापने पर आपत्ति	२३६
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए समय निर्धारण की सूचना ..	२३६
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ को वापस लेने की मांग (जारी)	२३६–२३८
१३ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	२३८–२४०
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ को वापस लेने की मांग	२४०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है (खण्डशः विचार–जारी)	२४०–२४८
लिफ्ट के लिए दो घंटी होने के विषय में व्यवस्था का प्रश्न	२४९–२५०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है (पारित) ..	२५०–२८८
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित) ..	२८८–३००
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय––विचार जारी) ..	३०१–३०४
नत्थियां	३०५–३०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष. श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य— -३७९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री

मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विजयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री

श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगौनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप मन्त्री, श्री शिव-प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ६ दिसम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गूजरपार घाट पर नाव-दुर्घटना

*१—**श्री सुरजनराम विशारद** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला के गूजरपार नामक घाट पर ८-१०-६२ को एक नाव डूबने की घटना हो गयी जिसमें दर्जनों व्यक्ति डूब कर मर गये किन्तु अभी तक केवल आधे दर्जन व्यक्तियों की लाश का पता चल सका है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त घटना का पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—गूजरपार घाट पर दिनांक ९ अक्तूबर, १९६२ को शाम के करीब ५ बजे एक नाव जिसमें ५०-६० आदमी थे, नदी के किनारे डूब गयी। इस दुर्घटना में ६ व्यक्ति डूब गये।

*२—**श्री सुरजनराम विशारद** तथा **श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस दिन उपरोक्त घटना हुई है उस दिन घाट पर किसी पुलिस की नियुक्ति थी? यदि हां, तो कौन था और नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पाण्डेय---जिस दिन उपरोक्त घटना हुई उस घाट पर किसी पुलिस की नियुक्ति नहीं थी, क्योंकि यह कोई महत्वपूर्ण घाट नहीं है।

श्री सुरजनराम विशारद---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने आदमियों की लाशें बरामद हुईं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---इसमें ५ महिलायें और एक लड़का डूब गये थे। दो की लाशें नहीं मिलीं और चार की लाशें मिल गयी हैं।

श्री सुरजनराम विशारद---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नाव घाट पर डूबी है या घाट से दूर डूबी है और उसके डूबने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---दरअसल में ९ अक्तूबर को एक ड्रामा होने वाला था बरम घाट पर और काफी तादाद में लोग उसको देखने जाने वाले थे। इसलिये लोग कैपेसिटी से ज्यादा नाव में बैठ गये। जब नाव बरम घाट के किनारे पर पहुंचने ही वाली थी कि उस समय नाव का बैलेंस गड़बड़ हो गया और नाव किनारे पर पहुंचते-पहुंचते डूब गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि बरम घाट पर जो ड्रामा होने की बात कही गई है, वहां ड्रामा होने वाला नहीं था बल्कि वहां पर विजयादशमी का मेला हर साल लगता है, उस दिन भी वही मेला था और वहां पर काफी भीड़ उसको देखने गयी थी लेकिन वहां पर हर साल की तरह से इस साल पुलिस का प्रबंध नहीं था ? जब भीड़ काफी हुई तो एक प्रतिष्ठित आदमी थाने गया और उसने कहा कि भीड़ बहुत अधिक है इसलिये पुलिस का कंट्रोल होना चाहिये नहीं तो डूबी हो जायगी। स्थानीय थाने में सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे। उस व्यक्ति को उन्होंने वहां से हटा दिया और कोई प्रबंध नहीं किया। इसी कारण से नाव डूबी, क्या यह सही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---जितनी बातें माननीय सदस्य ने कही हैं वे सही नहीं हैं। बात यह थी, मैं नहीं जानता कि विजयादशमी का मेला था लेकिन मेरे पास सूचना है कि लोग ड्रामा देखने जा रहे थे और यह भी मैं आप को बता दूं कि वह घाट जिला परिषद् का नहीं है, उसका झगड़ा चल रहा है। प्राइवेट मल्लाह अपनी नाव चलाते हैं और वह कोई खास महत्व-पूर्ण घाट नहीं था और दुर्घटना किनारे पर जाकर हुई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---इस बात को देखते हुये कि ५/७ आदमी मर गये और २ लाशें नहीं मिलीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि नाव की क्षमता कितनी थी और जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से लोगों की जानें गयीं, सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---यह तो जाहिर है कि लोग कैपेसिटी से ज्यादा बैठे थे और कुछ मल्लाहों के खिलाफ ३०४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और कार्यवाही हो रही है।

श्री सुरजनराम विशारद---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि घटनास्थल से थाना कितनी दूर है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---थाने की दूरी की श्रीमन्, सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---मंत्री जी ने बताया कि झगड़ा चल रहा है तो ये नाविक रजिस्टर्ड थे या नहीं ? क्या वे अपने मन से नाव चला रहे थे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---जो घाट जिला परिषद् का होता है तो फेरीज ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही होती है किन्तु इन नाविकों ने एक केस सिविल कोर्ट में किया था और उनका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वह भी जिला परिषद् को हाई कोर्ट ने एक आर्डर दे रखा है स्टे आर्डर के तौर पर, कि अभी वह उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निजी तौर से मल्लाह घाट को चला रहे हैं। जिला परिषद् का कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडय (जिला जौनपुर)--माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ऐसी घटनायें जो इस प्रकार की घाटों पर हो जाया करती हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, वहां पर पुलिस रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--जहां तक सम्भव होता है सरकार अधिक से अधिक व्यवस्था करने की कोशिश करती है।

आगरा में मद्य निषेध सत्याग्रह

*३--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया), **श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) तथा **श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि आगरा शहर में मद्य-निषेध की मांग को लेकर सर्वोदय मंडल के कार्यकर्त्ता सत्याग्रह कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और कितने लोग अब तक गिरफ्तार किये गये हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--जी नहीं। यह सत्याग्रह २५ अक्तूबर, १९६२ को समाप्त हो गया। सत्याग्रह ११ सितम्बर, १९६२ से आरंभ हुआ था और उसकी समाप्ति तक कुल २८ व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे।

*४--**श्री गेंदासिंह, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री कल्पनार्थसिंह**--गिरफ्तार लोगों के ऊपर मुकदमा कहां चल रहा है और अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--सभी व्यक्ति रिहा किये जा चुके हैं। जिसको सजायें हो गई थीं वह माफ कर दी गईं एवं अन्य मुकदमे नहीं चलाये गये।

*५--**श्री गेंदासिंह, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री कल्पनार्थसिंह**--क्या यह सही है कि इन सत्याग्रहियों को कचेहरी लाते ले जाते अथवा गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी पहनाई जाती है तथा इन सत्याग्रहियों के साथ जेल में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--हथकड़ी का प्रयोग सामान्य प्रकार से नहीं हुआ। केवल तीन गिरफ्तार व्यक्तियों एवं अभियुक्तों को जेल और कचहरी लाते ले जाते हथकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जिसके लिये सम्बन्धित कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई। जेल में गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ उपयुक्त व्यवहार किया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सत्याग्रह की सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई और उन सत्याग्रहियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय इसका निर्देश सरकार ने जिला अधिकारियों को कब भेजा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कब सूचना मिली। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन सत्याग्रहियों की क्या मांगें थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मांगें तो साफ ही हैं। जो दूकानें थीं उन पर सत्याग्रह कर रहे थे।

श्री कल्पनार्थसिंह--श्रीमन्, मैंने यह जानना चाहा था कि सूचना कब मिली और दूसरी बात यह कि सवाल होने के पहले इस बात की हिदायत जिला अधिकारियों को चली गयी थी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय, या बाद में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने आप से कहा कि यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है कि कब यहां सूचना आयी थी। अगर आप कहेंगे तो मंगा कर सूचना आप को दे दूंगा। लेकिन जिस वक्त पता चला, उनको सूचना दे दी गयी कि ऐसा व्यवहार न किया जाय, हथकड़ी पहनाने का।

श्री गेंदासिंह—क्या यह जानकारी है कि हथकड़ी लगाने की प्रथा कितने दिन तक जारी रही?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने यह कहा था कि जिस वक्त यह लाये गये मुकदमे के लिए जेल में, उस वक्त हथकड़ी लगायी गयी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो चाहे वह सत्याग्रही ही क्यों न हो, उसके हाथ में हथकड़ी लगायी जाती है, सामान्य रूप से और पुलिस लगाती है, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा ज्ञात होता है कि उनको चेतावनी दे दी गई है, तो क्या भविष्य में अब हथकड़ी न लगा करेगी, इसकी भी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह कोई जनरल रूल नहीं है। साधारणतया तो हथकड़ी लगाई जाती है। लेकिन क्योंकि यह सर्वोदय के लोग थे और एक खास किस्म के लोग थे इसलिये यह आदेश दे दिया गया कि उनके साथ शिष्टता का बर्ताव किया जाय।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने बताया कि जो सजा हो गई थी वह माफ कर दी गई और जो मुकदमात कायम थे उन्हें न चलाने का निश्चय किया गया है, तो क्या सरकार का आन्दोलनकारियों से कोई समझौता हो गया है? यदि हां, तो क्या?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उन्होंने यह निश्चय किया कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में सत्याग्रह को वापस ले लिया जाय और उसी तरह से गवर्नमेंट ने किया कि उन लोगों को छोड़ दिया और आगे केस न चलाने का निश्चय किया।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिन तक यह सत्याग्रह चलता रहा और कितने दिन तक यह सत्याग्रही लाये जाते रहे?

श्री अध्यक्ष—कितने दिन तक चलता रहा यह बता सकें तो बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो मैंने उत्तर दे दिया कि २५ अक्टूबर तक चलता रहा और ११ सितम्बर से चल रहा था।

बिजली कर्मचारी यूनियन, आगरा का नोटिस

*६—**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा की बिजली कर्मचारी यूनियन ने घोषणा की है कि यदि बिजली कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व वेतन नहीं मिलेगा तो वे दीपावली पर हड़ताल कर देंगे? यदि हां, तो सरकार वेतन दीपावली से पूर्व मिल जाय, इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी नहीं। हां, यूनियन द्वारा इस कम्पनी के रेजीडेंट इंजीनियर को दी गई एक नोटिस की प्रति सरकार को भी भेजी गई थी जिसमें यूनियन ने दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान की मांग की थी। यह मांग सेवायोजकों ने स्वीकार कर ली।

जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का अलगाव

*७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार का ध्यान न्याय मंत्री श्री अली जहीर के दिनांक ३० सितम्बर, १९६२ के उस भाषण की ओर गया है जो उन्होंने जौनपुर कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन के सामने दिया था और जिसमें उन्होंने यह घोषित किया था कि यद्यपि सिद्धांत रूप में यह बात ठीक हो सकती है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव हो, लेकिन हमारे प्रदेश की अपराध-स्थिति को देखते हुये उसे यहां लागू करना ठीक न होगा। उन्होंने आगे कहा कि मजिस्ट्रेटों को फैसला करते समय सिर्फ रिकार्ड को ही नहीं देखना चाहिये बल्कि उन्हें बाहर की अपराध-स्थिति (क्राइम सिचुएशन) को भी नजर में रखना चाहिये। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस बराबर मांग करती थी कि जूडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये लेकिन अब जब कि शासन का बोझ हमारे कंधों पर आया तो हम यह महसूस करते हैं कि आज की हालत में उसे लागू नहीं किया जा सकता। देश के कई राज्यों में जैसे मद्रास और महाराष्ट्र में इस प्रकार अलगाव किया गया है लेकिन प्रदेशीय सरकार अभी ऐसा करने को तैयार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि न्याय मंत्री ने इस प्रकार का भाषण क्यों दिया जिससे जूडिशियरी पर प्रत्यक्षतः यह प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक्जिक्यूटिव की राय से मुकदमों का फैसला यथासंभव करना चाहिये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—न्याय मंत्री के भाषण की मंशा सिर्फ इतनी थी कि जहां विधान के अनुसार जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेपरेशन करना है उसी के साथ-साथ इस बात का भी खयाल रखना है कि प्रदेश में अपराध कम हों और उनको बढ़ने न दिया जाय, इस बात को अखबार ने किस तरह से लिखा इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, यह घटना ३० सितम्बर की है और उसके बाद जवाब आज यह मिला है, तो उस बीच में क्या सरकार ने इस समाचार का खंडन अखबारों में प्रकाशित कराया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अखबारों में जो समाचार छपे और जितने वकीलों के बीच में माननीय न्याय मंत्री का भाषण हुआ है, उसका प्रभाव क्या वहां के मैजिस्ट्रेटों और वकीलों पर वह नहीं पड़ा जो सवाल में किया गया है? और यदि पड़ा है तो उसका खंडन करने के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष—अब उन्होंने बता दिया कि आवश्यकता नहीं समझी।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस बात का पूरे प्रदेश की जूडिशियरी पर बुरा असर पड़ रहा है और प्रदेश की जनता में इस बात से क्षोभ है, ऐसा आश्वासन देंगे कि सरकार की ओर से एक सामान्य विज्ञप्ति इस तरह की प्रकाशित की जायगी कि जुडिशियरी का किसी भी तरह हनन नहीं होगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो मैं जवाब दे ही चुका हूं और मैं नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर रूप में जुडिशियरी को अलग हम एग्जीक्यूटिव से कर चुके हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नर्सिंग स्टाफ

*१--**श्री बृजेश्वरसहाय** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के हास्पिटल में कुल कितना नर्सिंग स्टाफ है और उसमें कितना स्थायी कार्य कर रहा है और कितना स्टाफ अस्थायी कार्य कर रहा है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल नर्सिंग स्टाफ १,२३८ है और इसमें से ५३५ नर्सें स्थायी हैं तथा ७०३ नर्सें अस्थायी हैं।

श्री बृजेश्वरसहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ७०३ नर्सेज अस्थायी हैं उनकी सर्विसेज कितने दिनों की हैं और उनको अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, स्थायी करने के कुछ नियम हैं। अब इन ७०३ को, जो सूची में दी गई हैं, क्यों नहीं किया गया, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बृजेश्वर सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ नर्सेज ऐसी भी हैं जिनके रिटायर होने में ३,४ और ५ वर्ष रह गये हैं और उनको आज तक स्थायी नहीं किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। अगर किसी खास के लिये रिफरेंस देंगे तो मैं देख लूंगा।

श्री बृजेश्वर सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नर्सेज अस्थायी हैं उनको सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--वह जब स्थायी हो जाती हैं तभी उस पर विचार होता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज सभी को विदित है कि नर्स जितनी चाहिये हमारे राज्य के अस्पतालों में उतनी नहीं मिल पाती हैं। इसमें जो विभाग ने जो कार्यवाही की है वह भी स्वयं एक कारण है, तो क्या सरकार इनके स्थायी करने के नियम और पुरस्कार इत्यादि तमाम बातों पर गौर करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जो उनके स्थायी करने का प्रश्न है या उनकी सर्विस का संबंध है, वह ऐक्ट के द्वारा या विभाग की ओर से जो नोटिस निकलते रहते हैं उनसे निर्धारित होते हैं। उसके लिये कुछ कंडीशंस होती हैं, जो नर्स उनको पूरा कर लेती हैं तो उन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री रामायणराय--मुझे जहां तक जानकारी है आजकल की परिस्थिति में उस मांग को पूरा करने के लिये....

श्री अध्यक्ष--जो भी कंडीशंस हैं, क्या उन पर विचार किया जायगा इसलिये कि हमारे यहां नर्सों की कमी है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--उस पर हमेशा विचार होता रहता है।

श्री रामायणराय---मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे हलके से जवाब की तरह इसका जवाब न दें। आज हमको जानकारी है कि बावजूद तमाम कोशिशों के जितनी नर्सों की आवश्यकता है उतनी नहीं मिल पाती हैं। इसका कारण उनकी कंडीशंस आफ सर्विस है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या सक्रिय कदम उठा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---परमानेंट पोस्ट उनकी कर दी गई है। पहले वह बिलकुल टेम्पोरेरी थीं। यह सब स्टेप लिये जा रहे हैं। यह गम्भीर स्टेप है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्थायी करने के क्या नियम हैं?

श्री अध्यक्ष---यह इतना आवश्यक नहीं है।

श्री ऊदल---इस बात को देखते हुए क्या यह नियम है कि तीन साल की जिनकी सर्विस हो जाय उनको स्थायी कर दिया जाय? यदि हां, तो सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिनकी सर्विस तीन वर्ष की हो गई उनको स्थायी कर दिया जाय?

श्री धर्मसिंह---मान्यवर, गलतफहमी यह है कि जहां तक सरकार का संबंध है या विभाग का संबंध है वहां पर गड़बड़ समझी जाती है। कारण यह है कि नर्सों का दो तरह का कोर्स है। एक तीन साल का कोर्स होता है और एक मिडवाइफरी का ९ महीने का कोर्स होता है। जब नर्स दोनों कोर्स को पास कर लेती हैं उसके बाद परमानेंट की कार्यवाही की जाती है।

सैदपुर तहसील में अस्पताल

*२---श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कितने अस्पताल हैं? उनके प्रकार क्या हैं?

श्री धर्मसिंह---जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कुल ७ अस्पताल हैं। वे निम्नलिखित प्रकार के हैं:

१---एलोपैथिक पुरुष अस्पताल	२, सादात और नन्दगंज में।
२---एलोपैथिक महिला अस्पताल	१, सैदपुर में।
३---प्राइमरी हेल्थ यूनिट	१, सैदपुर में
४---यूनानी अस्पताल	३, बहरियाबाद, जलालाबाद और भीमापार में।

*३---श्री राजनाथसिंह---उपर्युक्त अस्पतालों में किनके निजी भवन हैं? यदि नहीं हैं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह---सैदपुर तहसील के सभी एलोपैथिक अस्पतालों के निजी भवन हैं। यूनानी अस्पतालों में किसी के निजी भवन नहीं हैं। यूनानी अस्पताल भीमापार के भवन निर्माण के लिये धन स्वीकृत किया जा चुका है। बाकी दो यूनानी अस्पतालों के भवन निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४---श्री राजनाथसिंह---उसमें कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

श्री धर्मसिंह---एलोपैथिक महिला अस्पताल सैदपुर के लिये जो भवन बना है उसकी केवल चहारदीवारी बनना बाकी है जिसके बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से निवेदन किया गया है। भीमापार यूनानी अस्पताल के भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भवन कब तक बन जावेगा।

श्री राजनार्थसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भीमापार यूनानी अस्पताल के लिये कितनी धनराशि और कब स्वीकृत हुई थी और उसका उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह--यह धनराशि १९५९ में स्वीकृत हुई थी । कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनार्थसिंह--जब यह १९५९ में स्वीकृत हुई थी तो इसका उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह--मैं देखूंगा इस बात को कि देरी क्यों हुई, लेकिन कुछ जमीन इत्यादि मिलने में दिक्कत होती है या और कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं । फिलहाल इसकी मेरे पास डिटेल्ड सूचना नहीं है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दो यूनानी अस्पतालों की बिल्डिंग्स अब तक नहीं बनीं और आपने फरमाया कि यह सरकार के सामने विचाराधीन भी नहीं है, तो इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह--जिन दो यूनानी अस्पतालों के बारे में जिक्र किया गया है, उनके बारे में जहां तक धन उपलब्ध होने का संबंध है वह धीरे-धीरे होता है । फिलहाल इस तरह का कोई प्राविजन नहीं है और न कहीं से धन आने वाला है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--इस बात को देखते हुये कि सैदपुर तहसील का वह भूभाग जिसका जिक्र प्रश्नकर्ता महोदय ने किया, ऐसा है कि जहां सड़कें नहीं हैं और उस एरिया के लोगों को समुचित रूप से दवा आदि नहीं मिल पाती, क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां यूनानी नहीं वरन् एलोपैथिक अस्पताल खोला जाय ?

श्री धर्मसिंह--वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि इस तरह के अस्पताल वहां हैं ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को यह पता है कि सरकार ने इस अस्पताल का निर्माण गाजीपुर के पी० डब्लू० डी० को दे दिया है और उसके केवल दो ठेकेदार हैं जो खाली नहीं हैं और किसी दूसरे ठेकेदार को वह ठेका देना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में वह अपने विभाग द्वारा ही क्या उस अस्पताल का निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन दोनों से ज्यादा ईमानदार ठेकेदार अगर मिल जायगा तो उसको ठेका दे दिया जायगा ।

अमौली विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*५--**श्री रामकिशोर वर्मा** (जिला फतेहपुर)--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र विकास अधिकारी अमौली, जिला फतेहपुर के विरुद्ध क्षेत्र के समस्त ग्राम सेवकों, व पंचायत मंत्रियों ने प्रदेशीय विकास आयुक्त व जिला नियोजन अधिकारी के पास जुलाई, १९६२ के प्रथम सप्ताह में शिकायती रजिस्टर्ड पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो क्या उन शिकायती पत्रों की जांच कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो शिकायतें किस बात की तथा क्या हैं और जांच का परिणाम क्या निकला ? और यदि जांच नहीं हुई तो अब तक जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव(श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---जी हां। क्षेत्र विकास अधिकारी, अमोली (फतेहपुर) के विरुद्ध कुछ ग्राम सेवकों एवं पंचायत मंत्रियों ने उनके वेतन से २-१ रु० काटने, क्षेत्र में दौरा न करने, सरकारी वस्तुओं को निजी कार्य में उपयोग करने एवं पार्टीबन्दी के संबंध में शिकायत की थी। शिकायतों की जांच जिला कृषि अधिकारी एवं जिला नियोजन अधिकारी फतेहपुर द्वारा की गई। क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध केवल एक आरोप कि ग्रामसेवकों एवं पंचायत मंत्रियों ने क्रमशः २ तथा १ रु० वसूल किया सही पाया गया तथा अन्य निराधार पाये गये। जिसके फलस्वरूप विकास क्षेत्र अधिकारी को पंचायत राज विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

*६---श्री रामकिशोर वर्मा---क्या नियोजन मंत्री उक्त स्थिति को देखते हुए कि क्षेत्र विकास अधिकारी और ग्राम सेवकों व पंचायत मंत्रियों के मध्य संबंध अच्छे न होने से वे विकास कार्य प्रायः ठप हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करने का आश्वासन प्रदान करेंगे जिससे रुके हुये विकास कार्यों को पूरा किया जा सके ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जी हां, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल को उक्त विकास क्षेत्र में नये क्षेत्र विकास अधिकारी की नियुक्ति हेतु लिख दिया गया है और आशा है कि नये क्षेत्र विकास अधिकारी के आने पर विकास कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा।

श्रीमन्, थोड़ी-सी आपसे आज्ञा लेनी है और मुझे यह कहना है कि यह प्रत्यावर्तित नहीं हुए बल्कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री रामकिशोर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बी०डी०ओ० के खिलाफ कार्यवाही हुई और वे प्रत्यावर्तित कर दिये गये, तो उसकी सूचना जिला अधिकारियों के पास जब पहुंची तो उन्होंने पुनः उनको बी०डी०ओ० बनाकर दूसरी जगह भेज दिया, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---श्रीमन्, उन बी०डी०ओ० को रिवर्ट कर दिया गया है और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो उनके खिलाफ शिकायतें थीं, उनको निराधार बताया गया है। उसमें यह है कि कुछ दूसरे सबार्डिनेट्स से १-१ या २-२ रुपया उन्होंने लिया और वह भी अपने आफिसर्स का इंटरटेनमेंट क्लब वगैरह चलाने के लिये और दूसरे सोशल फंक्शन्स के लिये वह पैसा लिया गया। इसलिये यह समझकर कि वह पैसा किसी बेईमानी के काम के लिये नहीं लिया गया बल्कि एक इररेग्यूलेरिटी थी। उस हालत में वह सजा ज्यादा समझी गई इसलिये उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके कैरेक्टर रोल में इंट्री वगैरह की जा सकती है। वह सजा चूंकि ज्यादा थी इसलिये ऐसा परिवर्तन किया गया।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच कराई गई वह किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और जांच करने की जो रिपोर्ट दी गई उसमें मुख्य-मुख्य क्या बातें थीं ?

श्री अध्यक्ष---उसमें लिखा हुआ है कि वह कृषि अधिकारी के द्वारा कराई गई।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---श्रीमन्, एक दूसरा प्रश्न कर लूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो शिकायती-पत्र दिया गया जिसके ऊपर कार्यवाही की गई, तो उस शिकायत के अलावा और क्या-क्या मुख्य २ शिकायतें थीं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जो शिकायत थी उसमें यह था कि क्षेत्र में दौरा न करना तथा सरकारी जीप आदि का निजी कामों में इस्तेमाल करना आदि है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---इस बात को देखते हुए कि इस तरह के आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिससे विकास के कार्यों में क्षति पहुंच रही है, तो क्या यह उचित नहीं है कि उस अधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाय जिससे और लोग सीख सकें और विकास कार्य में लग सकें ?

श्री अध्यक्ष---जवाब में लिखा है कि अन्य दोष निराधार पाये गये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कितने दिनों तक पैसा लेते रहे और जो पैसा लिया गया वह किस मद में जमा किया गया?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---२०-९-६२ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी रिपोर्ट आयी थी।

श्री मैनेजरसिंह---जो यह सब पैसा लिया गया उसको देखते हुये क्या सरकार किसी दूसरे अधिकारी से इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---चूंकि इतने मेम्बरान इसको कह रहे हैं, मैं जरूर इसकी जांच और करा लूंगी।

श्री रामकिशोर वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्लब का निर्माण कब हुआ था और क्या उसमें ग्राम सेवक, सेक्रेटरी, बी० डी० ओ० आदि के भी उस कमेटी में शामिल होने का जिक्र है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---इसके लिये सूचना चाहिये।

नान फैरेस मेटल प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद

*७---**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार नान-टैक्सटाइल ने दिनांक २२ मई, १९६१ को कोई मुआइना बिरासवियर सोसायटी, मुरादाबाद का किया था ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---जी हां, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (नान-टेक्सटाइल्स) ने २२-५-६१ को ब्रास वैयर मैन्यूफैक्चर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि०, सम्भली गेट, मुरादाबाद का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में कोई विशेष अनियमितता नहीं पाई गई थी, इसलिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं थी।

*८---**श्री रियासत हुसैन**---क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में कितने नान फैरेस मेटल स्कीम के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और अब तक उन केन्द्रों से कितने लड़के ट्रेन्ड होकर निकले ?

श्री वीरसेन---जिला मुरादाबाद में नानफोरेस मेटल स्कीम का एक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है, और अब तक इस केन्द्र में २३४ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा चुके हैं।

*९---**श्री रियासत हुसैन**---क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उन लड़कों की ट्रेनिंग पर कुल कितना खर्चा आया है और ट्रेनिंग पाकर वे लड़के कहां-कहां क्या-क्या काम कर रहे हैं ?

श्री वीरसेन---इन प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण में अब तक कुल ३,१६,३८९ रु० व्यय हुआ है। प्रशिक्षण पाकर अधिकांश स्थानीय प्रशिक्षार्थी मुरादाबाद के ही निजी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। कुछ ने प्रशिक्षण पाकर निजी उद्योग प्रारम्भ कर दिये हैं। कुछ प्रशिक्षार्थी जो अन्य राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये थे, प्रशिक्षण पाकर वापस चले गये।

श्री रियासत हुसैन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मुआयना किया गया था वह कुछ लोगों की शिकायती दरख्वास्त पर किया गया था और यदि हां, तो क्या मुआयने के वक्त उन लोगों को बुलाया भी गया था ?

श्री वीरसेन--सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २३४ आदमी वहां से ट्रेनिंग पाकर निकले और फी लड़के पर १४,७४६ रुपया ट्रेनिंग पर खर्च हुआ । तो क्या ऐसी फेहरिस्त है जिससे यह मालूम हो सके कि उनको कहां कहां किस जगह पर लगाया गया है और वह कहां काम कर रहे हैं ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)--माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि मैं पिछले हफ्ते मुरादाबाद गया था और इस केन्द्र को मैंने खुद जाकर देखा । जिस बात को आप जानना चाहते हैं वह रजिस्टर में लिखी रहती है मगर उसके लिये भी यह है कि वह जांचने वाली है ।

श्री रामायणराय--क्या यह सही है कि माननीय उद्योग मंत्री जी जब तशरीफ ले गये थे तो उन्हें यह बतलाया गया कि इस प्रशिक्षण केन्द्र से निकले विद्यार्थियों में से कुछ तो रिक्शा खींच रहे हैं और एक, एक के प्रशिक्षण पर १३,७४६ रुपया खर्च हुआ और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी रजिस्टर में दर्ज थे जो कि कारखानों में काम करते थे और उनके नाम फर्जी तौर पर प्रशिक्षण केन्द्र के रजिस्टर में दर्ज किये गये थे । तो क्या इस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने की बात उद्योग मंत्री जी सोच रहे हैं ?

श्री फूलसिंह--जिन शिकायतों को जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वे वहां साबित हो नहीं सकीं लेकिन इस केन्द्र के काम को फिर से जांच की जा रही है और ऐसी कार्यवाही की जायगी जिससे, मैं समझता हूं, माननीय मेम्बरान को सन्तोष होगा ।

विलीन काशी राज्य के कर्मचारी

*१०--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य के पुराने कर्मचारी जो अब उत्तर प्रदेशीय सरकार की सेवा कर रहे हैं और जिनकी संख्या ८२७ है उनमें से कितने स्थायी हो चुके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--८०३ ।

*११--श्री गयाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य के बाकी अस्थायी कर्मचारी कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर ही दिये जायेंगे या कब तक स्थायी हो जायेंगे क्योंकि स्थायीकरण के हर मामले में उसके गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

*१२--श्री गयाप्रसाद--विलीन काशी राज्य के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी सेवायें समाप्त करके अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और स्थायी नहीं किये गये ? अवकाश प्राप्त करने के बाद उनके जीवन-स्तर का सरकार की ओर से क्या प्रबंध किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--केवल ऐसे एक कर्मचारी की सूचना प्राप्त हुई है जिसने अस्थायी रहते हुये अवकाश ग्रहण किया । इस कर्मचारी को नियमानुसार पेंशन तथा ग्रेच्यूटी मंजूर की गई ।

श्री गयाप्रसाद--८३० की फीगर को जरा स्पष्ट करें कि ८२७ में से कितने हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यही तो मैंने कहा कि ८०३ ।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनमें यदि कोई दोष नहीं है तो स्थायी करने के फैसले में क्यों देर हो रही है ? यदि दोष हैं तो न स्थायी हों ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अगर पद ही स्थायी नहीं है तो उस पर स्थायी नहीं किया जा सकता कार्य सन्तोषजनक नहीं है तो भी स्थायी नहीं किया जा सकता । कुछ मामलों में सीनियारिटी का सवाल होता है । फिर कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी मामले भेजे जाते हैं । अगर वे मंजूर नहीं करें तो नहीं हो सकता ।

श्री रघुनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी राज्य के विलीनीकरण के समय यह तय हुआ था कि जो कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा हो वह उसी पर लिया जायगा ? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जिनको जहां एकाम्मोडेट कर सकेंगे वहां करेंगे, यह कहा गया था । यही कारण है कि बहुत से लोग तो कर दिये गये हैं । जो नियम के अनुसार नहीं हो सकते वे स्थायी नहीं होंगे । लेकिन राज्य की पेंशन देने की और दूसरी शर्तें उन पर लागू हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विलीनीकरण के समय कोई ऐसा समझौता हुआ था कि स्थायी कर्मचारियों को, जिनकी संख्या बाकी है, स्थायी जगह दी जावेंगी जहां वे काम करते थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जितनी कार्यवाही हो रही है सब समझौते के अनुसार ही हो रही है ।

श्री गयाप्रसाद---एक कर्मचारी जो कि स्थायी होने से पहले अवकाश प्राप्त कर चुका और आप कहते हैं कि उसे पेंशन दी गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह अधिकारी कौन है और उसका क्या नाम है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है । लेकिन यह बात है कि बनारस राज्य के नियम के अनुसार उन्हें पेंशन मिलनी चाहिये । इसलिये उसे दी गयी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि काशी राज्य जब था तो उस समय नौकरों के लिये नियम भिन्न थे उनसे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के थे ? तो उत्तर प्रदेश सरकार का या पब्लिक सर्विस कमीशन का नियम आप लागू करेंगे तो मजदूरों का बहुत अहित हो सकता है । तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि काशी राज्य के जो मजदूर थे उनके ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन का नियम न लगाकर जिस सिलसिले से उनकी सीनियारिटी और स्थायीकरण के मामले चल रहे थे उसे कायम रखा जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---उन नियमों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं । जहां हमारे नियम कुछ अलग होते हैं तो उन नियमों के अनुसार भी कार्य करते हैं ।

बहजोई थाने में रूपराम की मृत्यु की जांच

*१३---**श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि व्यक्ति रूपराम, आत्मज डालचन्द, गांव ईसमपुर, थाना बहजोई (जिला मुरादाबाद) का कत्ल किस प्रकार हुआ है और उसमें पुलिस क्या कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---दिनांक १८-८-६२ को पाठकपुर तथा बोनेटी के बीच रेलवे लाइन के निकट एक कटी पिटी लाश पाई गई जिसका कोई वारिस नहीं था । अतः पोस्टमार्टम परीक्षा के बाद दिनांक १९-८-६२ को मुरादाबाद में लाश की अन्तिम क्रिया

कर दी गई। श्री डालचन्द ने दिनांक २६-८-६२ को थाना बहजोई में यह संदेह प्रकट किया कि उपरोक्त लाश उनके पुत्र श्री रूपराम की थी। उन्होंने व रूपराम की पत्नी ने मृतक के कपड़े देखकर पहचाने। पोस्टमार्टम परीक्षा से यह ज्ञात हुआ था कि मृत्यु गाड़ी से कुचल जाने के कारण हुई थी। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जिससे यह पता चलता हो कि मृतक की हत्या हुई थी। पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है।

*१४--श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित) तथा श्री जुगलकिशोर (अनुपस्थित)---क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र वहां पर जुर्मों की रोक-थाम के लिये कोई प्रयत्न करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अपराधों की रोक थाम करने के लिये पुलिस क्रियाशील और सतर्क है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

रायबरेली जिले के विकास क्षेत्रों में कार्य

*१५---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत किन-किन गांवों में खड़ंजे लगवाये गये और पक्की नालियां बनवाई गई हैं तथा किन-किन गांवों में रोशनी का प्रबंध विकास विभाग द्वारा किया गया है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---रायबरेली जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत जिन जिन गांवों में खड़ंजा लगवाये गये हैं और नालियां बनवाई गई हैं, उनका विवरण क्रमशः संलग्न तालिका (क) और (ख) में दिया गया है।

रायबरेली जिले के विकास खंडों के किसी भी गांव में रोशनी का प्रबंध विकास विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५-३०६ पर)

श्री रतीपाल---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस अधिकारी द्वारा लालटेन लगाने का प्रबंध हुआ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---कुछ लोगों ने प्राइवेट तरीके से इंतजाम किया। आफीशियल कोई जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---रायबरेली के विकास खंडों में लालटेन का इंतजाम किया गया उसमें कुल कितना खर्च हुआ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में कितने गांवों में खड़ंजे और नालियां लग चुकी हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---खड़ंजों का पूरा फेहरिस्त दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बिनती करना चाहती हूं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें ४०,४० सफे का डिटेल हमें देना पड़ता है। अगर प्रिसाइज इनफार्मेशन पूछी जाय तो प्रिसाइज जवाब दिया जा सकता है। खड़ंजों का डिटेल दिया हुआ है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि राय बरेली जिले की गांव सभाओं के खड़ंजों में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई थीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कोई शिकायत आयेगी तो देखा जायगा।

प्राइमरी हेल्थ सेंटर, औरैया

*१६--श्री सुखलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा विकास खंड औरैया में सन् १९६१-६२ तथा सन् १९६२-६३ में कितने डिस्पेंसरी अस्पताल खोले जा रहे हैं, किस स्थान पर और कहां-कहां ?

श्री धर्मसिंह---विकास खंड औरैया, जिला इटावा में न तो १९६१-६२ में कोई नया चिकित्सालय खोला गया है और न १९६२-६३ में खोले जाने की योजना है ।

*१७--श्री सुखलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, तहसील औरैया, ग्राम अयाना प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शुरू से अगस्त, १९६२ तक कितना किराया दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भवन का ३,६७५ रुपये किराया दिया गया है ।

*१८--श्री सुखलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक उसका विचार अस्पताल का भवन बनाने का है ?

श्री धर्मसिंह---अभी नया भवन बनवाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री सुखलाल---क्या सरकार बतायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह कोई अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही अस्पताल मौजूद है । ६१-६२, ६२-६३ में नहीं खोले गये हैं, पहले से चले आते हैं ।

श्री सुखलाल---वहां पर इस समय जो डिस्पेंसरी है वह किराये पर चल रही है, जब अक्तूबर में माननीय मंत्री जी वहां गये तो उन्होंने क्या यह आश्वासन दिया था कि उसको खरीद लेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी उसके खरीदने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---उसको लेने या न लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सच है कि जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह---मान्यवर इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

"ताखा" विकास खंड पर व्यय

*१९--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत "ताखा" विकास खंड में कितना धन प्रशासन (स्टाफ आदि के वेतन, भत्ते, मोटर, पैट्रोल तथा दफ्तर और स्टेशनरी आदि) पर सन् १९६१-६२ में व्यय हुआ तथा कितना धन कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा जन कल्याणकारी कार्यों में व्यय हुआ ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---१९६१-६२ में जिला इटावा के "ताखा विकास खंड" में रु० ४६,०५३.९४ न० पै० प्रशासन पर तथा रु० ९१,८३७.५६ न० पै० कृषि उत्पादन की वृद्धि एवं जन कल्याण के कार्यों पर व्यय किया गया ।

श्री सहदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ४६ हजार से ऊपर जो यह प्रशासन पर व्यय हुआ है, उसमें से वेतन और भत्ते पर कितना-कितना खर्च हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कि स्टाफ आदि के वेतन, भत्ते, मोटर पेट्रोल तथा दफ्तर और स्टेशनरी आदि पर कितना धन व्यय हुआ । ये आपने इतना लम्बा प्रश्न पूछा और आपको सूचना मिल गयी । फिर भी अगर आप कोई स्पेसीफिक सवाल करना चाहते हैं तो अलहदा से कर लीजिये ।

मोती तेल फर्म, ऐशबाग, लखनऊ

*२०--श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५८ सन् में मोती तेल फर्म, ऐशबाग, लखनऊ के नाम से कितना रुपया उद्योग हेतु कर्जे में दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस मोती तेल फर्म की कोई ब्रांच आर्यनगर, सीतापुर में भी है ?

श्री वीरसेन--कोई कर्ज नहीं दिया गया ।

*२१--श्री अवधेशकुमार सिनहा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोती तेल सरकार द्वारा पेटेंट तथा रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो इसकी प्रयोगशाला कहां है तथा किस डाक्टर की देख-रेख में यह तेल बनता है और कब से ?

श्री वीरसेन--जी नहीं ।

*२२--श्री अवधेशकुमार सिनहा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मोती तेल हेतु जो कर्जा दिया गया वह वसूल हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक आस्थान

*२३--श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में किन-किन स्थानों में औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं तथा उनमें कौन-कौन उद्योग अभी तक चालू हुये हैं ? जिलेवार औद्योगिक बस्तियों में कुल कितने औद्योगिक स्थान (हाल) बनाये गये ? उनमें कितने उपयोग हो रहे हैं, कितने खाली पड़े हैं ?

श्री वीरसेन--इस प्रदेश में कानपुर, आगरा, लोनी (मेरठ), देवबन्द (सहारनपुर), काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये हैं तथा उपरोक्त औद्योगिक आस्थानों में अभी तक चालू हुये उद्योगों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं ?

जिलेवार औद्योगिक आस्थानों में निर्मित इकाइयों की संख्या, उनमें उपयोग में लाये जाने वाली तथा न लायी जाने वाली इकाइयों की संख्या संलग्न सूची नं० २ में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०७-३१० पर)

श्री शिवसम्पति शर्मा--माननीय मंत्रीजी अपनी सूची नम्बर २ को देखें जिसमें दिया हुआ है कि कितने खोले गये और कितने इस्तेमाल हुये । अध्यक्ष महोदय जो जवाब दिया है उसको भी देखें, उसमें यह दिया हुआ है कि कानपुर में ९७ खोले गये, ८६ इस्तेमाल हुये लेकिन काम शुरू होने की जो लिस्ट दी गयी है उसमें ४७ दिया हुआ है । इसी तरह से आगरा में १२९ खोले गये, ७९ इस्तेमाल हुये और २२ में काम शुरू हुआ । देवबन्द में ३० खोले गये, १९ इस्तेमाल हुये लेकिन काम शुरू हुआ केवल ५ में ?

श्री अध्यक्ष--श्री शिवसम्पत्ति शर्मा जी, जैसा कि मैंने अभी एक दूसरे प्रश्न के संबंध में बतलाया--आपका सवाल यह है कि "क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में किन-किन स्थानों में औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं तथा उनमें कौन-कौन उद्योग अभी तक चालू हुये हैं ?" आपने सारे प्रदेश के बारे में पूछा है और आपको सूचना मिल गयी और इस सूचना के बाद भी आप कोई विशेष निश्चित प्रश्न करना चाहते हैं तो अलग से आप कर लीजियेगा, वरना पचासों बस्तियों के बारे में ये क्या बता सकते हैं ?

श्री शिवसम्पति शर्मा--श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो जवाब दिया गया है उनमें दो अलग-अलग बातें कही गयी हैं । एक जगह तो कहा गया है कि ८६ इस्तेमाल हुई लेकिन जो सूची दी गयी है उद्योग लगने की उसमें वह संख्या ४७ दी गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में सही क्या है ?

श्री वीरसेन---जो यूनिट्स तैयार हो गयी हैं उनमें से कुछ एलाट कर दी गयी हैं लेकिन कुछ एलाट नहीं की गयी हैं और उनमें अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, उनमें काम चालू करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री ऊदल---इस बात को देखते हुये कि काशीविद्यापीठ-वाराणसी, नैनीताल, इलाहाबाद और देवबन्द में जो औद्योगिक आस्थान हैं वहां बहुत दिनों से इमारतें बनी हुई तैयार हैं लेकिन बहुत से उद्योग खुल गये हैं परन्तु कई इमारतों का एलाटमेंट हो जाने के बावजूद भी वहां अभी तक किसी उद्योग-धंधे की स्थापना नहीं की जा सकी है, तो क्या सरकार ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार कर रही है और उनके लाइसेंस छीन लेने के प्रश्न पर भी वह विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह---इस संबंध में यह निश्चित किया गया था कि जो लोग इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जाकर काम करेंगे उनको ८ घंटे काम करने के लिये रा-मेटिरियल निश्चित रूप से दिया जायगा और इसके फलस्वरूप जितनी यूनिट्स हैं वे आकुपाई हो जायेंगी । जो यूनिट्स आकुपाई नहीं की गयी हैं, उनको नोटिस दे दिया गया है कि वे अपने उद्योग को लगावें वरना उनको एजेक्ट करके दूसरे आदमियों को दे दिया जायगा ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक बस्तियां बनाने से पूर्व क्या सरकार के सामने यह निश्चित रहता है कि कौन-कौन से उद्योग निश्चित औद्योगिक बस्तियों में चलाये जायेंगे ?

श्री फूलसिंह---उद्योग तो उद्योगपतियों को ही छांटना पड़ता है । बहुत लम्बी सूची होती है और बहुत सारी बातों पर यह निर्भर करता है कि कहां पर कौन सी रा-मेटिरियल ऐवेलेबुल है, किस माल की यहां पर खपत है। इसके लिये सरकार कोई लिमिटेशन नहीं कर सकती है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---जहां तक मेरी जानकारी है एक औद्योगिक बस्ती श्रीनगर, गढ़वाल में भी बनायी गयी है, तो मैं जानना चहता हूं कि उसकी इमारत कब तैयार हुई और उसमें कोई उद्योग अभी तक शुरू हुआ या नहीं और यदि नहीं शुरू हुआ तो कब तक शुरू होगा ?

श्री फूलसिंह---यह जो प्रश्न है यह तो उसके संबंध में जवाब दिया गया है जो बन गई हैं इसके अलावा ५१ और बन रही है, गालिबन सब जिलों में एक-एक औद्योगिक स्थान बन जायगा, कुछ आकुपाई हुये हैं, कुछ कम्पलीट हो गये हैं और कुछ कम्पलीशन के स्टेज पर हैं । श्रीनगर, गढ़वाल हिल इंडस्ट्रियल स्टेट का प्रयास तो औरों से आगे है वह जल्द पूरा होने वाला होगा ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले के लिये औद्योगिक बस्ती का कार्यक्रम स्वीकार हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हुआ था लेकिन अभी तक वह तीसरी योजना में भी नहीं बन पाई है, इस का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---ठीक तो इस का जवाब नहीं दिया जा सकता लेकिन जहां तक मुझे याद है, जिस जगह वह बनना तय हुई थी वहां से शिकायत हुई कि यह जगह मुनासिब नहीं है, इसी अदलाबदली में यह देर लग रही है ।

श्री शिवसम्पति शर्मा---इन औद्योगिक बस्तियों के बनाने में अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ है और कितना रुपया लोन दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शिवसम्पति शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

श्री वीरसेन---इसकी भी सूचना की आवश्यकता है।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)---मंत्री जी ने अभी बताया कि ५१ उद्योग स्थापित किये गये हैं और हर जिले में किये गये हैं तो गोंडा जिले में कौन-सा उद्योग स्थापित किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह---मैंने कहा कि गालिबन हर जिले में होगा, मुमकिन है कि वहां न हो लेकिन आम तौर से खयाल है कि हर जिले में एक यूनिट हो जायगा।

शन्तिया कांड, कानपुर

*२४---**श्री शिवनाथसिंह** (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि शहर कानपुर के अन्तर्गत विगत शन्तिया कांड में कितने लोगों पर किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये और उनमें कितने मुकदमे कामयाब हुये तथा सरकार का कितना रुपया उक्त मुकदमों में व्यय हुआ और कितने मुकदमे अभी अदालत में विचाराधीन हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---विगत शन्तिया कांड के संबंध में १५ मुकदमे २४० व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत चले। जिन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये वे धारायें १४७, १४८, ३०७, ३५३, ३३२, ३२६, ४३६, ३२३, ४२७, ४३५, ४५७, १४६, ३२५, ३६५, ४२६, ४४८, ३६३, ३७६ तथा १८८ हैं। एक मुकदमा कामयाब हुआ। कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

उक्त मुकदमों के संबंध में विभिन्न मदों तथा अनेक विभागों से व्यय होने के कारण व्यय के आंकड़े एकत्रित करना संभव नहीं है।

*२५---**श्री शिवनाथसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शन्तिया कांड से संबंधित श्री सिद्दीकी हसन जांच कमीशन में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ था ? कमीशन ने किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---श्री सिद्दीक हसन जांच कमीशन के संबंध में कुल रु० ३६,१८१.६५ नये पैसे व्यय हुआ।

उक्त कमीशन ने थानाध्यक्ष, थाना क्लक्टरगंज, कानपुर के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। इस संबंध में वैभागिक कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

श्री शिवनाथसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १५ मुकदमों में से कितने मुकदमों में न्यायाधीश ने लिखा है कि मुलजिमों को झूठा फंसाया गया है, कितनों में उन को सन्देह का लाभ दिया गया है और कितनों में न्यायाधीशों की ओर से स्ट्रक्चर पास किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---किसी विशेष मुकदमे का प्रश्न तो हो सकता है लेकिन बीसों मुकदमे चल, उनमें क्या न्यायाधीशों ने लिखा है यह कैसे बताया जा सकता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जजमेंट पब्लिक डाकूमेंट है, पढ़कर मालूम हो सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जब कलक्टरगंज थाने के सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज के खलाफ सिद्दीक हसन इन्क्वायरी कमेटी ने स्ट्रिक्चर पास किया है तो अभी तक वैभागिक कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वैभागिक कार्यवाही हो रही है, उसके कुछ नियम हैं। जजमेंट मंगाना पड़ता है, उसके बाद उसको नोटिस दिया जाता है, जो नियम हैं उनका पालन करना पड़ता है। तो नियमों के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—अभी मंत्री जी ने कहा वैभागिक कार्यवाही हो रही है, मेरा खयाल है उनका सिर्फ ट्रान्सफर हो गया है। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही पनिशमेंट के लिये की जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पनिशमेंट के लिये नियम हैं। जो स्ट्रक्टर पास हुआ था वह आई० जी० को भेज दिया गया है और कहा गया है पुलिस ऐक्ट के नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

कानपुर जिले में औद्योगिक समितियों को ऋण

*२६—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने टीन, लोहा और चादरों की कितनी दरख्वास्तें शहर में और कितनी दरख्वास्तें जिले में औद्योगिक कार्यों के हेतु स्वीकृत कीं और कितनी अस्वीकृत कीं और इस प्रकार कितनी मात्रा में शहर एवं देहात को अलग-अलग वस्तुयें प्राप्त हुईं?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*२७—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किन-किन उद्योगों के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया स्वीकृत किया गया और उनमें से किन-किन व्यक्तियों ने उक्त धन को निश्चित अवधि के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य के लिये प्रयोग किया?

श्री फूलसिंह—इस अवधि में ८ सहकारी समितियों को कुल २७,७०० रु० ऋण और ५,९०० रु० अनुदान स्वीकृत किया गया। इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

ऋण तथा अनुदान के नियमों के अनुसार ऋण या अनुदान एक वर्ष की अवधि के अन्दर निर्दिष्ट कार्य के लिये प्रयोग कर लेना चाहिये। उपरोक्त सहकारी समितियों को १५-२-६२ के पहले ऋण या अनुदान नहीं दिया गया था। अतः निश्चित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३११ पर)

नवाबगंज अस्पताल में डाक्टरनी न होना

*२८—**श्री नौरंगलाल तथा श्री मुहम्मद हुसैन** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवाबगंज बरेली के जनाने शफाखाने में कोई लेडी डाक्टर नहीं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। वहां इस समय लेडी डाक्टर नहीं है।

*२९—**श्री नौरंगलाल तथा श्री मुहम्मद हुसैन**—यदि हां, तो सरकार उसका कब तक प्रबन्ध कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां एक लेडी डाक्टर को भेजे जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फैजाबाद जिले में होजरी प्रशिक्षण केन्द्र

*३०—**श्री हरिनाथ तिवारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के एक उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में जिसमें होजरी की शिक्षा होती है जनवरी से मशीनों के अभाव से केवल मौखिक ही शिक्षा दी जाती है ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३१—**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)—[५ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

गोरखपुर जिले में घाटों का ठेका

*३२—**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ में इस प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा कितने घाटों के ठेके ऐसी नाविक जल मजदूर सहकारी समितियों को दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल गोरखपुर अन्तरिम जिला परिषद् ने १९६१-६२ में गोला तथा ३ अन्य घाटों का ठेका नाविक जल मजदूर समिति को १२,३३५ रु० में दिया था ।

फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरियों के पदार्थों का मूल्य

*३३—**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या कभी उसने शिकायत पंजिका जो विधान भवन में स्थित फलों के रस के सरकारी स्टाल पर रखी है देखने का कष्ट किया और अगर किया तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की, और अगर नहीं की तो क्यों ?

*३३—**श्री फूलसिंह**—जो शिकायत पंजिका विधान भवन में स्थित फलों के रस के स्टाल पर स्टाल चलाने वाले ने स्वयं रक्खी है वह इस विभाग के अधिकारियों द्वारा देखी जाती है और उसमें उल्लिखित शिकायतों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया व किया जाता है । यह स्टाल सरकारी नहीं है बल्कि निजी तौर पर एक व्यक्ति इसको चला रहा है ।

*३४—**श्री रामचरण शाह**—क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी डालीगंज, लखनऊ में सन् १९६२ में होली की छुट्टियों के दिनों में आग लग गई थी और वहां के सारे कागजात जल गये, सिर्फ कैश बुक व कैश बाक्स ही बच गया ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और आग लगने का क्या कारण था व उसके लिये कौन जिम्मेदार था तथा उनको क्या दंड दिया गया ?

श्री फूलसिंह—हां । यह सत्य है कि होली की छुट्टियों में उक्त फैक्ट्री के दफ्तर के एक कमरे में थोड़ी सी आग लग गई थी, परन्तु सारे कागजात नहीं जले । केवल कुछ कागजात जो एक मेज पर आग लगने के स्थान पर रखे थे जल गये । इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर आवश्यक रिपोर्ट पुलिस को उचित छानबीन के लिये तुरन्त भेज दी गई । पुलिस इस विषय में अपराधी का पता तथा आग लगने का कारण ज्ञात नहीं कर सकी और इस विषय में आवश्यक जांच के पश्चात् फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, ऐसी स्थिति में किसी को अभी कोई दंड न दिया जा सका । पुलिस तथा वैभागिक जांच के हेतु दो चौकीदारों को अवश्य मोअत्तिल कर दिया गया है ।

*३५—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगढ़ (जिला नैनीताल), डालीगंज (जिला लखनऊ) तथा फूलबाग (जिला नैनीताल) में स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरियों में तैयार किये गये सभी पदार्थ बाजार में बिक्री के लिये भेजे जाते हैं ? क्या उनके रेट की सूची सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---जी हां । उक्त फैक्टरियों में तैयार होने वाले सभी फल पदार्थों की रेट की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१२ पर)

मैनपुरी सदर हास्पिटल का टी० बी० वार्ड

*३६---श्री बृजेश्वरसहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी सदर हास्पिटल में टी० बी० वार्ड क्या गन्दे नाले के पास बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन मरीजों की जो उस वार्ड में भरती हैं, के स्वास्थ्य पर क्या विचार कर रही है ? क्या सरकार उस टी० बी० वार्ड को वहां से हटाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैनपुरी सदर अस्पताल में कोई नया टी० बी० वार्ड गन्दे नाले क पास नहीं बनाया गया है । एक पुराना टी० बी० वार्ड अवश्य है, उस वार्ड के मरीजों के स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध किया जाता है । उस वार्ड के हटाने का कोई बिचार नहीं है ।

डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज आफिसर

*३७---श्री श्यामलाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगभग ४० डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर हैं और उन्हें गत ८ महीनों से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार उनको वेतन न देने का मुख्य कारण बतायेगी और तुरन्त उपरोक्त सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश जारी करेगी ?

श्री फूलसिंह---प्रदेश में ५३ जिला उद्योग अधिकारी हैं । यह सत्य नहीं है कि इन अधिकारियों को ८ माह से वेतन नहीं मिला है । कुछ पदों के स्थायीकरण तथा शेष पदों के अस्थायी रूप से चालू रहने के संबंध में आज्ञाओं के कारण तथा कुछ जिला उद्योग अधिकारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कुछ विलम्ब अवश्य हुआ, परन्तु सभी आज्ञायें जारी हो चुकी हैं और किसी जिला उद्योग अधिकारी का वेतन नहीं रुका है ।

कुरावली थाना में कत्ल सहित डकैती

*३८---श्री बृजेश्वरसहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में थाना कुरावली के अन्दर ग्राम नगला मोहन मजरा मनौना में श्री रामदयाल गड़रिया के मकान पर माह अगस्त, १९६२ में डकैती पड़ी है जिसमें वह स्वयं मारा गया है और उसका लड़का जख्मी हुआ है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । इस संबंध में धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना कुरावली में मामला दर्ज होकर जांच हुई । अभी तक पांच व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं । मामले में जांच जारी है ।

लायल इण्डस्ट्रीज, वाराणसी को ऋण

*३९---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लायल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया कर्ज या ऋण कब दिया है और किस कारण दिया है ?

श्री फूलसिंह---लायल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी को १०,००० रुपया ऋण १९६१-६२ में कन्ड्यूट पाइप तथा बिजली के सामान के उद्योग हेतु वितरित किया गया था ।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ संबंधी जमीन

*४०—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—(क) क्या सरकार यह बतायगी कि नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के लिये कानून होसले आराजी के मातहत जो जमीन मौजा दुगांवां, लखनऊ में हासिल की गई है, उस पर सरकारी कब्जा हो गया है ? अगर हां, तो कब ?

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त कालेज के लिये अब कोई दूसरी जगह तजवीज कर ली है और दुगांवां वाली जमीन को रिलीज करने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) उक्त जमीन पर सरकारी कब्जा नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं । परन्तु यह विचाराधीन है ।

*४१—श्री हलीमुद्दीन—क्या यह सच है कि सचिवालय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने और उपरोक्त जमीन के मालिक अदना (under proprietor) ने सरकार को दरख्वास्तें दी हैं कि उस जमीन को सेक्रेटेरियेट के मुलाजिमान के मकान बनाने के लिये रिलीज कर दिया जाये ? अगर हां, तो ये दरख्वास्तें कब दी गई थीं, और सरकार ने उन पर क्या फैसला किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । क्रमशः उन्होंने २२ तथा २८ दिसम्बर, १९६१ को दरख्वास्तें दी थीं । सरकार ने इन दरख्वास्तों पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं समझा ।

*४२—श्री हलीमुद्दीन—क्या यह सच है कि मालिक अदना मजकूर को कानन होसले आराजी के मातहत मुआवजे का नोटिस जारी हुआ था जिसके सिलसिले में उसने मुआवजे के दर की बाबत कोई दरख्वास्त दी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उस नोटिस व दरख्वास्त की एक-एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । दोनों नकलें सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१३–३१५ पर)

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ की बैठक

*४३—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ को अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ की बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् ने २७ मई, १९६२ की कार्यवाही की परिपुष्टि सदस्यों की बिला राय लिये हुये कर दिया और इस प्रकार नियम का उल्लंघन किया जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, १५ सितम्बर, १९६२ की अंतरिम जिला परिषद् का बैठक में २७ जुलाई, १९६२ की परिषद् की बैठक की कार्यवाही की परिपुष्टि सदस्यों की राय से की गई थी । कार्यवाही की परिपुष्टि हो जाने के कुछ देर बाद परिषद् के १५ सदस्य बैठक छोड़ कर बाहर चले गये । २७ मई, १९६२ को परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई थी ।

*४४—श्री इन्द्रासनसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि अध्यक्ष के इस अनियमित कार्यवाही के विरुद्ध कई सदस्य बैठक से उठकर चले आये (वाक आउट) कर दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परिषद् की दिनांक २७ जुलाई, १९६२ की कार्यवाही की परिपुष्टि हो जाने के कुछ देर बाद १५ सदस्य बैठक से उठकर बाहर चले गये ।

*४५—श्री इन्द्रासनसिंह—क्या यह सही है कि अध्यक्ष के इस कार्यवाही के विरुद्ध मुख्य मंत्री आदि के पास तार तथा परिपत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, २७ जुलाई, १९६२ की परिषद् की बैठक में श्री उमराव सिंह, उपाध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ।

न्याय पंचायत, मेथरा के सरपंच का चुनाव

*४६—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली), श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया), श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी), श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा), श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी) तथा श्री उग्रसेन—क्या विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि न्याय पंचायत मेथरा माधों (ब्लाक पहला तहसील सिधौली, जिला सीतापुर) का सरपंचों का चुनाव १२ सितम्बर, १९६२ को बहुमत सदस्यों के चुनाव में भाग न लेने के फलस्वरूप कोरम के अभाव में न हो सका ? यदि हां, तो सदस्यों के चुनाव में भाग न लेने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । गांव पंचायत, फीरोजपुर के एक सदस्य, श्री सुन्दर पाल सिंह के पंच पद पर नामजद न किये जाने के कारण पंचों ने सरपंच के चुनाव में भाग नहीं लिया ।

*४७—श्री भगवानदीन, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री नत्थाराम रावत, श्री गिरजाप्रसाद, श्री रामआसरे तथा श्री उग्रसेन—क्या विकास मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त न्याय पंचायत के बहुमत सदस्यों ने चुनाव में भाग न लेने के लिखित कारण जिलाधीश एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिये हैं ? यदि हां, तो इस पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । पंचों के प्रार्थना पत्र पर जिलाधीश ने उचित कार्यवाही की और ३० सितम्बर, १९६२ को सरपंच का चुनाव समस्त पंचों की उपस्थिति में सम्पादित हुआ ।

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह—[हटा दिया गया ।]

[६ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नवीन आयुर्वेदिक एवम् एलोपैथिक औषधालय

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन स्थानों पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निर्णय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पष्ठ ३१६ पर)

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्थानों पर वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में निम्नलिखित स्थानों पर राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोला जाना निश्चय पाया है—

१—लोहाघाट, अल्मोड़ा (महिला)
२—कादीपुर, सुल्तानपुर (महिला)
३—नौगढ़, बस्ती (महिला)
४—सोरों, एटा (महिला)
५—पपोली पट्टी मकोरी, अल्मोड़ा (पुरुष) ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा संचालित एलोपैथिक अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६२-६३ में निम्नलिखित स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा संचालित एलोपैथिक अस्पतालों का प्रान्तीयकरण होना निश्चय पाया है :—

१—पुरुष चिकित्सालय, लोहाघाट (अल्मोड़ा)
२—पुरुष चिकित्सालय, शाहगंज (जौनपुर)
३—पुरुष चिकित्सालय, प्रयागपुर (बहराइच)
४—पुरुष चिकित्सालय, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)
५—पुरुष चिकित्सालय, कसिया (देवरिया)
६—टी० बी० अस्पताल (बस्ती)
७—पुरुष चिकित्सालय (संडीला)
८—महिला चिकित्सालय, टांडा (फैजाबाद)
९—पुरुष चिकित्सालय, मौरानीपुर (झांसी)
१०—पुरुष चिकित्सालय, मेहदावल (बस्ती)
११—पुरुष चिकित्सालय, हसनपुर (मुरादाबाद)।

आई० जी० पुलिस के विचाराधीन अपीलें

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वक्त आई० जी० पुलिस के पास विभाग संबंधी अपीलें फैसले के लिये कितनी तथा कितने-कितने दिनों से पेंडिंग हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१५-१०-६२ तक आई० जी० पुलिस के पास ८१ अपीलें तथा रिवीजन संबंधी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि सर्किल इंस-पेक्टर तथा उससे नीचे के पुलिस कर्मचारियों का चरित्र लेख (इंट्रीगेटी) खराब एस० पी० द्वारा लिख देने के बाद उसकी अपील के लिये गवर्नर तक जाने की सुविधा दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

टी० बी० अस्पताल

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन जिलों में टी० बी० अस्पताल कितने-कितने Bed के खोले जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश में शासन की ओर से कोई टी० बी० अस्पताल नहीं खोला गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में भी कोई टी०बी० अस्पताल खोलने का विचार नहीं है। योजना के शेष तीन वर्षों में खुलने वाले टी०बी० अस्पतालों के स्थान उसी वर्ष निश्चित किये जायेंगे जिस वर्ष अस्पताल खोलने का विचार होगा।

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में T.B के मरीजों की संख्या देखते हुये प्रदेश में जो अस्पताल T.B. के हैं या जो Sanitorium हैं उनकी Bed तथा Sanitorium संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो किन-किन अस्पतालों की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९६१-६२ में न तो टा०बी० के रोगियों के लिये प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में शैय्याएं बढ़ायी गईं और न उनके लिये कोई टी०बी० वार्ड ही बनाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कम्बाइन्ड हास्पिटल, रायबरेली में २८ शैय्याओं के टी०बी० वार्ड तथा भुवाली सैनेटोरियम में पुलिस वर्ग के लिये २० शैय्याओं के टी०बी० वार्ड को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश जुलाई, १९६२ में भेजे जा चुके हैं। योजना के शेष तीन वर्षों में किन-किन अस्पतालों में टी०बी० के मरीजों को भर्ती करने के लिये कितनी शैय्याएं बढ़ाई जायेगी अथवा टी०बी० के अस्पतालों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी यह उसी वर्ष निश्चित किया जायगा, जिस वर्ष उसे करना होगा।

***८--श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के T.B. Hospital में मरीजों की संख्या देखते हुये वहां out-door मरीजों की दवा बढ़ाने का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी कोई ऐसी प्रार्थना शासन के विचारार्थ नहीं आई है। परन्तु यदि प्राप्त हुई तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

सिकन्दरा में बिजली उद्योग

***९--श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जिले के सिकन्दरा में बिजली के सामान तैयार करने का भारी उद्योग खोलने के सम्बन्ध में कोई सर्वे हो रहा है ? यदि हां, तो वह कारखाना कब तक खुल जायेगा और इस उद्योग पर कितने की पूंजी लगेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है।

चिकित्सा विभाग से कथित प्रार्थना

***१०--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा विभाग (ग) के अधिकारियों ने सन् १९६० ई० व सन् १९६१ ई० में ऐसी लिखित प्रार्थना सरकार से की है, कि आफिस में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, वह बढ़ा दी जावे ताकि गरीब टी० बी० से पीड़ित लोगों का कार्य समय से हो सका करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

***११--श्री गणेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर जिले के समाचार-पत्र

***१२--श्री हिम्मतसिंह**--क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कितने साप्ताहिक समाचार-पत्र निकलते हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं, उनमें से कितनों को जिलाधीश द्वारा विज्ञापन दिया जाता है, और विज्ञापन देने का आधार क्या है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--चार--(१) चेतावनी, (२) संजय, (३) सत्यवचन और (४) महारथी। इनमें से तीन को विज्ञापन (अदालती नोटिस व सम्मन) दिये जाते हैं। विज्ञापन उन्हीं दैनिक, साप्ताहिक व अर्ध-साप्ताहिक समाचार-पत्रों को दिये जाते हैं, जिनका प्रकाशन कम से कम छः माह से हो रहा हो और जिनका प्रकाशन नियमित हो तथा जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम १,००० प्रति प्रकाशित अंक हो।

बुलन्दशहर जिले में कुटीर उद्योगों को अनुदान

***१३--श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९६०-६१ तक कौन-कौन से कुटीर उद्योग चल रहे थे और उनको कितना-कितना उक्त समय में अनुदान दिया गया ?

श्री फूलसिंह--१९६०-६१ में जो कुटीर उद्योग बुलन्दशहर में चल रहे थे उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" में दी गई है तथा जिन उद्योगों को इस अवधि में अनुदान मिला, उसकी सूचना परिशिष्ट "ब" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३१८-३१९ पर)

बलरामपुर के निकट व्यापारी की संदिग्ध हत्या

***१४--श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलरामपुर के निकटवर्ती जंगल में २० मई, १९६१ को किसी व्यापारी की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो उस बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दिनांक २० मई, १९६२ को बलरामपुर के निकटवर्ती जंगल में किसी व्यापारी की हत्या की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। १७ मई, १९६२ को देवरिया जिले के एक व्यापारी के गायब होने की रिपोर्ट थाना बलरामपुर में अवश्य दर्ज कराई गई थी और १८-५-६२ को खून से सने कुछ कपड़े आदि थाना बलरामपुर के क्षेत्र में एक झाड़ी में मिले थे। मामले की पूर्णरूप से जांच की गई, पर व्यापारी की हत्या का कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

***१५-१६--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर) **तथा श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)--[हटा दिये गये।]

योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ केन्द्रीय सहायता

***१७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र से उत्तर प्रदेश को कितना धन अलग-अलग योजनाओं के कार्यान्वय हेतु प्राप्त हुआ ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय हेतु केन्द्र से लगभग २७.१० करोड़ रुपये और १२२.४६ करोड़ रुपये क्रमशः आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र ने लगभग ३५० करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया था, परन्तु वर्तमान संकट के कारण उक्त सहायता में, योजना के अगले वर्षों में, भारी कटौती की संभावना है।

***१८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस धन के देने हेतु क्या आधार केन्द्र की सरकार ने बनाया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--मुख्यतः केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय साधनों तथा राज्यों की आवश्यकताओं और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया जाता है।

***१९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय**--[हटा दिया गया।]

भदोही सहकारी समितियों का स्मृतिपत्र

***२०--श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १३ अप्रैल को भदोही (वाराणसी) की बुनकर सहकारी समितियों की ओर से एक शिष्ट मंडल उद्योग उप मंत्री से मिला था तथा उसने कालीन उद्योग के विकास हेतु कोई स्मृति-पत्र दिया था ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं। परन्तु एक स्मृतिपत्र दिनांक १३ अप्रैल, १९६२ ई० को सरकार को प्राप्त हुआ।

*२१—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो उस स्मृति-पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री फूलसिंह—सरकार ने उक्त स्मृति-पत्र को अस्वीकृत कर दिया ।

डी० आई० जी० पुलिस क्षेत्र

*२२—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रत्येक डी०आई०जी०पुलिस क्षेत्र में एक सलाहकार समिति का निर्माण करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इसका निर्माण किस प्रकार किया जायगा और इसकी कार्य सीमा क्या होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*२३-२४—**श्री भीखालाल**—[हटा दिये गये ।]

कानपुर श्रमिक बस्ती, बाबूपुरवा के हैण्ड-पम्प

*२५—**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर श्रमिक बस्ती, बाबूपुरवा में जो वहां के निवासी श्रमिकों की पानी की सुविधा के लिये हैन्ड पम्प सरकार की ओर से लगवाये गये हैं, वह सब इस समय बेकार क्यों पड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्योंकि नगर महापालिका ने पानी की व्यवस्था सुधार दी है, इसलिये उक्त कालोनी में हैन्ड पम्पों के प्रयोग की अब आवश्यकता नहीं है ।

*२६—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—उन्हें ठीक कराने की सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक प्रमुखों को भत्ता

*२७—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नव-निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों को उनके नियुक्त कार्य-संचालन हेतु किसी प्रकार का मासिक वेतन, भत्ता अथवा साइकिल भत्ता आदि देने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रमुखों को क्षेत्र समिति के कार्यवश जो दौरा आदि करना पड़ेगा, उसके सम्बन्ध में उनको यात्रा भत्ता देने के लिये आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं। किन्तु उन्हें किसी प्रकार का मासिक वेतन अथवा साइकिल भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ को अनुदान

*२८—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष लखनऊ नेशनल होम्योपैथिक कालेज को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान के रूप में कितना धन प्रदेशीय सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुल १,७१,००० रु० ।

भगवन्तनगर को बिजली देने की प्रार्थना

*२९—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्री तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र के टाउन एरिया भगवन्तनगर में, जो जिले का एक प्रमुख औद्योगिक कस्बा है, बिजली लाने की कोई योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय भगवन्तनगर के विद्युतीकरण के लिये कोई योजना नहीं है क्योंकि इस नगर के निकट कोई भी ट्रान्समिशन लाइन नहीं है और सब से निकट ११ के० वी० लाइन १६ मील की दूरी पर है ।

*३०--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या सरकार केसा अथवा रिहन्द की बिजली से भगवन्त-नगर निर्वाचन क्षेत्र को प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रिहन्द को कानपुर तथा लखनऊ से मिलाने के पश्चात् उक्त नगर के विद्युतीकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

हैदरगढ़ औषधालय के विरुद्ध शिकायत

*३१--**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**--क्या यह सही है कि हैदरगढ़, जिला बाराबंकी औषधालय में जो इंजेक्शन जनता को मुफ्त में लगाने को सरकार से मिलते हैं उन पर २ रु० फी इंजेक्शन वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं । यह सत्य नहीं है कि हैदरगढ़ औषधालय, जिला बारा-बंकी में जो इंजेक्शन जनता को मुफ्त लगाने को मिलते हैं उन पर दो रुपया फी इंजेक्शन वसूल किया जाता है ।

*३२--**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**---क्या यह सही है कि उक्त औषधालय में दवाओं और इंजेक्शनों की बिक्री एजेन्टों द्वारा कराई जाती है, जो मरीजों को सरकार से मुफ्त बांटने हेतु मिलती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, यह भी सत्य नहीं है कि उक्त औषधालय में दवाओं और इन्जेक्शनों की बिक्री एजेन्टों द्वारा कराई जाती है जो मरीजों को सरकार से मुफ्त बांटने हेतु मिलती है ।

*३३--**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के पास अब तक उक्त औषधालय के मेडिकल अफसर के विरुद्ध उनके कार्यालय की क्या शिकायतें आईं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हैदरगढ़ औषधालय, जिला बाराबंकी के मेडिकल अफसर के विरुद्ध कई शिकायतें आईं जैसे जनता से रूखेपन का व्यवहार, मरीजों को भर्ती करने के लिये रुपया मांगना, डाक्टर की योग्यता में सन्देह इत्यादि, इन आरोपों की जांच की गई और कोई भी आरोप पूर्णरूप से सिद्ध न हो सका ।

ज्ञानपुर तहसील में सरपंचों एवं सभापतियों पर बकाया

*३४--**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तहसील के सभी ब्लाकों के सभापतियों एवं सरपंचों के पास काफी सरकारी रुपये पड़े हैं और नियमानुसार २५ रु० छोड़कर बाकी रुपया पोस्ट आफिस में जमा नहीं किया गया है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तहसील के २५ सरपंच एवं ६८ गांव सभापतियों के पास २५ रुपया से ऊपर की धनराशि पड़ी है । इन रुपयों को डाकखाने में जमा करवाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत अधिकारी द्वारा स्वयं ही आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चौकी खंडेहा में वृजजीवनसिंह की हत्या

*३५--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार को पता है कि ग्राम खंडेहा, थाना मऊ, जिला बांदा में अभी हाल में ही वृजजीवन सिंह की हत्या सोते समय चौकी खंडेहा में गोली (बन्दूक) द्वारा की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। किन्तु श्री वृजजीवन सिंह की हत्या तमंचे से की गई थी।

मानिकपुर-राजापुर, मानिकपुर-करुई सड़कें

*३६---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार को पता है कि मानिकपुर, जिला बांदा से एक सड़क कच्ची जो राजापुर को जाती है उसे पक्की कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह सड़क अंतरिम जिला परिषद्, बांदा की है, जिसकी मरम्मत की व्यवस्था परिषद् समय-समय पर करती रहती है। सरकार द्वारा इसको पक्की कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*३७---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार मानिकपुर से जो पक्की सड़क करुई को जाती है उसे पी० डब्ल्यू० डी० को देने को सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं, क्योंकि इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव अंतरिम जिला परिषद् से प्राप्त नहीं हुआ है।

कालीपार पट्टी में पेय जल कष्ट

*३८---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)---क्या सरकार को जानकारी है कि पट्टी कालीपार, उत्तराखंड, जिला चमोली के सुगना, डडोली, डांगी, सिनगटा, कोटी आदि गांवों में पीने के पानी का कष्ट है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

*३९---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि इन गांवों के लिये सन् १९६१-६२ में पीने के पानी की योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो यह स्कीम अभी तक क्यों नहीं बनाई गयी और कब तक इन गांवों में पानी की सुविधा हो सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन गांवों को पानी देने के लिये जो योजना बनी है उसमें पानी का स्रोत ग्राम खटाली, जिला टेहरी-गढ़वाल में पड़ता है। इस ग्राम के निवासी इस स्रोत से सुगना, डांगी, डडोली, सिसगता, कोटी आदि गांवों को पानी देने के लिये तैयार नहीं हैं। उन्हें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछड़ी जातियों को शिक्षा सुविधायें देने का सुझाव

*४०---श्री रघुनाथसिंह---क्या सरकार समाजवादी समाज बनाने की शिक्षा में पिछड़ी हिन्दू, मुसलमान जातियों और स्त्रियों के लिये विशेष सुविधा दिये जाने के औचित्य को मान्य समझती है ? यदि हां, तो सरकारी नौकरियों में यथासम्भव समानता लाने के लिये इनकी नियुक्ति का कोई विशेष प्रतिशत निर्धारित हुआ है या होगा ? यदि नहीं, तो सरकार को ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुसूचित जातियों के अलावा किसी और पिछड़ी जाति को विशेष सुविधा देना सम्भव नहीं है । अनुसूचित जातियों के अलावा किसी जाति के लिये कोई विशेष प्रतिशत निर्धारित नहीं है और न ऐसा करना उचित समझा जाता है । अनुसूचित जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों की कोई सूची तैयार नहीं की जा सकी है । यदि आर्थिक पिछड़ेपन पर यह सूची बनाई जाय तो लम्बी हो जायगी ऐसी सूची जाति आदि के अनुसार बनाना भी असम्भव है । भारत सरकार ने भी इस प्रकार की सूची नहीं बनाई है, न कोई संरक्षण पिछड़ी जातियों के लिये दिया है ऐसा संरक्षण देने में अनेक कठिनाइयां उठ सकती हैं और सरकारी सेवाओं की दक्षता में अन्तर आ सकता है ।

*४१—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत अल्पसंख्यक होने और इस लिये प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण लोहार, कुम्भकार, कहार, नाई, बढ़ई, गड़री, मल्लाई, भर आदि कुल पिछड़ी जातियों की सर्वत्र हर प्रकार की उपेक्षा होती है ? क्या सरकार इनके उत्थान के लिये विशेष संरक्षण देना चाहेगी ? यदि हां, तो कब और किस रूप में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिविल अस्पताल, लखनऊ का स्टाफ

*४२—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ के सिविल अस्पताल में जून, १९६२ में कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर व नर्स नियुक्त थे व जून, १९६२ के बाद १० सितम्बर, १९६२ तक कितने डाक्टर व कम्पाउन्डर व नर्स थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लखनऊ में सिविल अस्पताल में जून, १९६२ में १३ डाक्टर (जिसमें ८ डाक्टर रिजर्व ड्यूटी के भी सम्मिलित हैं) ८ कम्पाउन्डर तथा ७ नर्स नियुक्त थे। जून, १९६२ के बाद १० सितम्बर, १९६२ को वहां पर ९ डाक्टर (जिसमें ४ डाक्टर रिजर्व ड्यूटी के सम्मिलित हैं ।) ८ कम्पाउन्डर तथा ७ नर्स थीं ।

*४३—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या मुख्य मंत्री के जानकारी में यह भी है कि सिविल अस्पताल में डाक्टर, कम्पाउन्डर व नर्सों की कमी की गई है ? यदि हां, तो कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर व नर्सों की संख्या कम की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिविल अस्पताल, लखनऊ में डाक्टर, कम्पाउन्डर व नर्सों की स्वीकृत संख्या में कोई कमी नहीं की गई । केवल ८ रिजर्व ड्यूटी के डाक्टरों में से ४ डाक्टरों की नियुक्ति, अन्य स्थानों में जहां उनकी अति आवश्यकता थी, की गई ।

*४४—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या यह सत्य है कि डाक्टरों, कम्पाउन्डरों व नर्सों की कमी के कारण सैकड़ों रोगियों की लाइन अस्पताल में लगने लगी है ? यदि यह सत्य है तो डाक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकार ने अभी तक क्या किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य नहीं है ।

विकास खण्ड एट व नदी गांव में कार्य

*४५—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन में विकास खंड एट व नदी गांव में दूसरी पंचवर्षीयय योजना में किन-किन गांवों में विकास कार्य हुआ और प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित† सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

---

†छापी नहीं गई ।

*४६--श्री विजयसिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नदी गांव ब्लाक में १९६०-६१ में कहां-कहां पर कपास की खेती के सम्बन्ध में प्रचार किया गया, कितने-कितने एकड़ में कपास की खेती कराई और उसमें कितनी कपास पैदा हुई, इसकी ग्रामवार लिस्ट क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---नदी गांव विकास खंड में, १९६०-६१ में, बंगरा ग्राम में, केवल एक काश्तकार के यहां कपास की खेती का आयोजन किया गया था । किन्तु अत्यधिक वर्षा तथा कीड़ों के प्रकोप के कारण आयोजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी ।

*४७-४९--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११३--११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सीतापुर जिले में प्रधानाचार्य की कथित भूख हड़ताल

*५०--श्री रक्षपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के थाना सदरपुर के इन्चार्ज के कथित दुर्व्यवहार के विरुद्ध एक आधारित विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य ने गत १२ सितम्बर, १९६२ से भूख हड़ताल कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्होंने भूख हड़ताल क्यों कर रखी है और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं । किन्तु इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर जांच कराई गई । जांच में यह निष्कर्ष निकला कि किसी व्यक्ति ने ऐसी भूख हड़ताल नहीं की है ।

मथुरा में जमुना में डूबते व्यक्ति की रक्षा

*५१--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी दो दिन पहले किसी आदमी ने भूख तथा दुख से पीड़ित होकर मथुरा में जमुना पुल से जमुना में कूद कर आत्महत्या की है ? यदि हां, तो वह कौन आदमी था उसका क्या स्थान था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दिनांक १६-९-६२ को मवासी पुत्र दुर्गा जाटव नामक व्यक्ति जमुना पुल के पास डूबता हुआ पाया गया था । वह ग्राम बलदेव, थाना बलदेव, जिला मथुरा का रहने वाला था । उसने बयान दिया था कि उसकी आंखें खराब होने के कारण वह नदी में गिर पड़ा था ।

*५२---श्री लखीसिंह---क्या यह सत्य है कि उक्त आदमी को जमुना में कूद कर निकाला गया, तो वह कौन-कौन आदमी हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई ? क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति मथुरा अस्पताल में दाखिल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । उसे मल्लाह तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने निकाला था । वह २०---९---६२ तक सिविल अस्पताल मथुरा में रहा था । अब वह वहां नहीं है ।

अहरा गांव के हरिजनों की सुरक्षा

*५३---श्री श्यामलाल---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में थाना मुंडेरवा के अन्तर्गत अहरा गांव के ८० हरिजन परिवारों के ऊपर बराबर थाने की देख-रेख में आये दिन जुल्म ढाये जा रहे हैं ? इस बारे में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अहरा गांव के हरिजन परिवारों के ऊपर जुल्म नहीं ढाये जा रहे हैं । उक्त ग्राम के हरिजनों तथा भूतपूर्व जमींदारों में कुछ तनातनी अवश्य है । अतः शान्ति भंग की आशंका के कारण दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई है ।

*५४---श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---[हटा दिया गया ।]

बदौसा थाने के अन्तर्गत 'सती' काण्ड

"५५--श्री मतोलासिंह--क्या सरकार को यह जानकारी है कि अभी चन्द दिन हुये ग्राम मऊ, थाना बदौसा, जिला बांदा में यादवों की एक स्त्री स्वयं मना करने के बावजूद भी आग लगा कर अपने पति के साथ सती हो गई? क्या उसके देवर व जेठ का चालान किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

इस संबंध में उक्त महिला के देवर, भाई तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा ३०६ के अन्तर्गत थाना बदौसा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच हो रही है । सती महिला के जेठ इस मामले से संबंधित नहीं पाये गये ।

*५६-५७--श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--[हटा दिये गये ।]

रायबरेली जिले में अपराध

*५८--श्री पितईराम (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में थाना सलोन और थाना मुस्तफाबाद के अन्तर्गत अलग-अलग १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक तथा १ जनवरी, १९६२ से १५ अगस्त, १९६२ तक कितनी डकैतियां, चोरी, राहजनी और कत्ल हुये ? इनमें से कितने मामलों में सजा हुई, कितने रिहा किये गये और कितनों में कोई चालान नहीं हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३२० पर)

गुण्डा ऐक्ट लागू करने का सुझाव

*५९--श्री मतोलासिंह--क्या सरकार विचार रखती है कि फरसा, लाठी तथा बल्लम गैर-कानूनी घोषित किये जायं तथा गुंडा ऐक्ट लागू किया जाय ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर थाने में कत्ल

*६०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के अन्तर्गत रामपुर थाने के ग्राम कसेरू में १९६० लगायत १९६२ जुलाई तक कितने कत्ल और डाके पड़े और उस पर क्या व्यवस्था जनता की रक्षा के लिये की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अवधि में ग्राम कसेरू में कोई डकैती नहीं हुई । केवल एक कत्ल फरवरी, १९६२ में हुआ । पुलिस कर्मचारी ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिये सदा की भांति तत्पर है ।

*६१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगातार कत्ल और डाके पड़ने के कारण कसेरू ग्राम तथा बाजार की जनता घर छोड़कर भागने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उचित जांच कराने की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--संबंधित ग्राम में न तो लगातार डाके ही पड़े, न कत्ल हुये और न जनता में आतंक है । अतः किसी विशेष व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

वजीर हसन रोड, लखनऊ की कथित घटना

*६२--श्री विजयसिंह--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ अगस्त, १९६२ को भावन हाउस के मकान नं० ८, वजीर हसन रोड, लखनऊ से पुलिस ने किन्हीं गजटेड अधिकारियों का सामान सड़क पर फेंक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

*६३--श्री विजयसिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त सामान को पुलिस ने बारिस होने पर भी चार-पांच दिन नहीं उठाने दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता ।

*६४--श्री विजयसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि सामान जो फेंका गया है उसमें से करीब ३१ तोला सोना गायब हुआ है जिसकी रिपोर्ट मालिक सामान ने थाने में लिखाई है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में थाना इन्चार्ज ने कौन-सी दफा लगाई और उसकी क्या इंक्वायरी की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--थाने पर ७-८-६२ को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई ।

फर्रुखाबाद जिले में मोटर साइकिल की कथित दुर्घटनायें

*६५--श्री दयाराम शाक्य--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में गत जून तथा जूलाई माह कितनी घटनायें मोटर साईकिलों मे हुईं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गईं तथा कितनी घटनाओं के बारे में कोई मुकद्दमा नहीं चला और क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--फर्रुखाबाद व फतेहगढ़ में गत जून तथा जुलाई में कोई मोटर साइकिल दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

बेला थाने में रामअौतार की हत्या

*६६--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में ग्राम डमरपुर, थाना बेला के अन्तर्गत श्री रामअौतार पुत्र बेचेलाल का कत्ल कब, कहां और किस जगह हुआ और किन-किन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--श्री रामअौतार का कत्ल ९/१० सितम्बर, १९६२ की रात्रि में हुआ । उसकी लाश ग्राम याकूबपर, थाना बेला के एक खेत में पाई गयी । पास के खेत में खून के धब्बे भी पाये गये । इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति पीताम्बर तथा नन्हें गिरफ्तार हुये हैं । जांच जारी है ।

*६७--श्री रामसिंह--उपरोक्त व्यक्ति के कत्ल का खास कारण क्या था ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चूंकि इस संबंध में अभी जांच जारी है अतः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि हत्या का कारण क्या था ।

आगरा में सर्वोदय सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार

*६८--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ११ सितम्बर, १९६२ को आगरा नगर में शांतिप्रिय सर्वोदय सत्याग्रहियों को पुलिस द्वारा सड़क पर घसीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया ? यदि हां, तो सरकार ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर के एक डाक्टर के घर तलाशी

*६९—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, सन् १९६२ में ललितपुर, जिला झांसी में किसी डाक्टर के यहां कई ड्राम शराब, शराब बनाने की भट्टी तथा कई पेटी नकली इंजेक्शन पकड़े गये? यदि यह सत्य है, तो कितनी शराब व कितने इंजेक्शन बरामद हुये और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२० अगस्त, १९६२ को पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने पर ललितपुर के एक डाक्टर के यहां एक शराब बनाने की भट्टी, अवैध शराब की १७ बोतलें, २२५५ इंजेक्शन की शीशियां और दो पैकेट इंजेक्शन बरामद हुये। इस सम्बन्ध में धारा ६०, आबकारी ऐक्ट का मुकदमा कायम किया गया। इंजेक्शनों के सम्बन्ध में मामला ड्रग्स इंस्पेक्टर, झांसी व सेन्ट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ललितपुर को ड्रग्स ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही करने के लिये दे दिया गया है।

सोरों थाना इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत

*७०—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोरों, जिला एटा के थाना इन्चार्ज के खिलाफ उसे माह मई तथा जून, १९६२ में जनता के भेजे गये शिकायती-पत्र मिले? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मई व जून, १९६२ में उक्त थाना इन्चार्ज के विरुद्ध तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से एक शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच नहीं हो सकी क्योंकि उन से सम्बन्धित प्रार्थियों के विरुद्ध मुकदमें अदालत में विचाराधीन थे। शेष दो शिकायती-पत्रों में अंकित आरोप जांच के फलस्वरूप सही नहीं पाये गये।

ऐभा ग्राम में श्री सुरेन्द्रसिंह का कत्ल

*७१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में थाना ठठिया के अन्तर्गत मौजा जनखत, ग्राम ऐभा में ११ अगस्त, १९६२ को कोई कत्ल हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ११-८-६२ को नहीं बल्कि दिनांक १०-८-६२ को सम्बन्धित ग्राम में श्री सुरेन्द्रसिंह का कत्ल हुआ था।

अभियुक्त के विरुद्ध जा० फौ० की धारा ८७/८८ की कार्यवाही करने के बाद उसके विरुद्ध चार्जशीट, मफरूरी में, दिनांक २४-८-६२ को दे दी गई है। अभियुक्त अभी फरार उसकी खोज हो रही है।

रुद्रपुर के निकट विद्युत् सर्वेक्षण

*७२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि लस्तर नदी, जिला टेहरी-गढ़वाल पर रुद्रप्रयाग के निकट बिजली उत्पादन की कोई स्कीम बनाई गई है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और कितनी किलोवाट बिजली इस में तैयार होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस स्कीम का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके समाप्त होने पर ही यह कहा जा सकेगा कि कितना रुपया व्यय होगा तथा कितनी किलोवाट बिजली तैयार होगी।

*७३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह स्कीम कब तक चालू होगी और अभी तक इसमें कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सर्वेक्षण हो रहा है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि इस स्कीम पर कब से कार्य चालू कर दिया जायेगा ।

कानपुर जिले में अपराध

*७४—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में विगत १ जनवरी, १९६० से लेकर १५ अगस्त, १९६२ तक उन थानों की कत्ल, डकैती और दंगों के अपराधों की प्रतिवर्ष संख्या क्या है जिनमें विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष उपरोक्त जुर्म बढ़े हैं ? उन थानों के इंचार्जों के नाम क्या हैं और किन जिलों के रहने वाले हैं और वह कितने वर्षों से कानपुर जिले में नियुक्त हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३२१–३२२ पर)

फर्रुखाबाद कोतवाली

*७५—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद कोतवाली को स्थानान्तरित करने का सरकार का कोई विचार चल रहा है ? यदि हां, तो किस स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फर्रुखाबाद कोतवाली के लिये नये भवन निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है । उसके निर्माण के लिये स्थान का निर्णय नहीं हुआ है ।

सिकन्दरा थाने के विरुद्ध शिकायतें

*७६—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास कितनी दरख्वास्तें थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर की पुलिस द्वारा ग्राम नेनापुर में लूट कराने के सम्बन्ध में आयी हैं तथा इस सम्बन्ध में विधायकों के पत्र भी प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध इस गम्भीर आरोप के फलस्वरूप सी० आई० डी० की जांच बैठाई थी ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पांच दरख्वास्तें विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं । इन्हीं व्यक्तियों में से एक का एक प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के द्वारा भी प्राप्त हुआ था । इसके अतिरिक्त एक पत्र कानपुर के श्री रामस्वरूप वर्मा से भी प्राप्त हुआ । जांच से प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोप गलत पाये गये । सी० आई० डी० की जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

काश्तकारों के लिए पक्के कुयें

*७७—**श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५२ ई० के पहले पक्के कुयें के योजना के अन्तर्गत मंजूर हुये कुयें जो काश्तकार नहीं बना सके थे उन पर चीफ इंजीनियर, नहर विभाग ने बनाने की अवधि दिसम्बर, सन् १९५९ तक बढ़ा दी थी और जिलाधीशों को आदेश दिया गया था कि वह सब काश्तकारों को इसकी सूचना दे दें ताकि उनकी दरख्वास्तें छूट के लिये निर्धारित तिथि यानी ३१ दिसम्बर, १९५९ के अन्दर पहुंच सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, कुआं बनाने की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी बल्कि जिलाधीशों को लिखा गया था कि वे उन काश्तकारों को, जिन्हें छूट न मिली हो, सूचित कर दें कि वे छूट हेतु अपने अभ्यावेदन ३१–१२–५९ के अन्दर भेज दें ।

*७८—**श्री बंशीलाल**—क्या सरकार बतायेगी कि कितने ऐसे केस हैं कि जो नोटिस में आये हैं कि जिसमें उपरोक्त सूचना जिलाधीशों द्वारा नहीं पहुंची ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सात काश्तकारों ने सूचित किया है कि उनको जिलाधीशों द्वारा सूचना नहीं मिली ।

*७९--श्री बंशीलाल--क्या सरकार इन मामलों की जांच करा रही है ? यदि बात सही है, तो उनके छूट देने की उचित कार्यवाही की जा रही है ? यदि ऐसा नहीं है, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इन सातों मामलों की जांच हो रही है ? जांच पूरी होने के पश्चात् यह ज्ञात होगा कि इनमें से कितने व्यक्ति छूट के हकदार हैं ।

शान्ति शुगर मिल, अनूपशहर

*८०--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग से १९६० ई० में शान्ति शुगर मिल, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के खोलने के लिये ८ हजार रुपया लिया गया ? यदि हां, तो क्या शुगर मिल अभी तक नहीं खुला उसके न खुलने के क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं ।

वाराणसी में बिजली की अव्यवस्था

*८१--श्री गिरधारीलाल--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की बिजली १ जुलाई, १९६२ से १५ सितम्बर, १९६२ के बीच कितनी बार गुल हुई जिससे शहर का कारोबार ठप हो गया और शहर पूर्ण अन्धकार हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वाराणसी शहर के कुछ क्षेत्रों में १ जुलाई, १९६२ से १५ सितम्बर, १९६२ के बीच में ८ बार बिजली फेल हुई ।

*८२--श्री गिरधारीलाल--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्टिन बिजली कम्पनी की उक्त अनियमितता के खिलाफ नागरिकों ने सैकड़ों प्रार्थना-पत्र सरकार एवं संबंधित अधिकारियों के पास उस समय के अन्दर भेजे ? यदि हां, तो बिजली कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बिजली फेल होने के संबंध में १ जुलाई, १९६२ से १५ सितम्बर, १९६२ के बीच में १ शिकायती-पत्र सरकार को और २, इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर को प्राप्त हुये । इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जहां तक उनके संस्थापनों में त्रुटियों का संबंध है उसे दूर करें ।

*८३--श्री गिरधारीलाल--क्या नागरिकों ने बिजली कम्पनी से हर्जाना क्लेम किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बिजली सप्लाई कम्पनी, वाराणसी के कथनानुसार उपभोक्ताओं ने उससे कोई हर्जाना नहीं मांगा है ।

चरखारी राज्य की इमारतें

*८४--श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में भूतपूर्व चरखारी रियासत के शासक द्वारा कौन-कौन-सी इमारतें उत्तर प्रदेश सरकार को विलीनीकरण के समय हस्तान्तरित की गई थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन इमारतों की सूची सदन के मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३२३-३२४ पर)

*८५--श्री मोहर्मसिंह अहिरवार--क्या यह बात सच है कि इन इमारतों में से कुछ इमारतों पर स्थानीय लोगों ने अपना कब्जा कर रक्खा है ? यदि हां, तो वह इमारतें और व्यक्ति कौन-कौन हैं और सरकार इन इमारतों को वापिस लेने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केवल इसलिये आखेट भवन को छोड़ कर सभी इमारतों पर सरकार का कब्जा है। उक्त इमारत पर सीनियर महारानी, श्रीमती अम्बा कुमारी का कब्जा है। उनको बेदखल करने के लिये सरकार ने दीवानी हमीरपुर अदालत में मुकदमा चलाया है, जो अभी विचाराधीन है ।

*८६-८८--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३३-३५ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*८९--श्री हरिनाथ तिवारी--[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*९०--श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)--[हटा दिया गया ।]

*९१-९३--श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३७-३९ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

सेण्टमेरी कान्वेन्ट स्कूल, गोरखपुर की मांग

*९४--श्री कल्पनार्थसिंह--क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर के सेन्टमेरी कान्वेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल के प्रबन्धकों द्वारा कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्मृति-पत्र की मुख्य मांग क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । उनकी मांग यह है कि उनके स्कूल के पास सिनेमा गृह बनाने की स्वीकृति न दी जाये ।

*९५--श्री कल्पनार्थसिंह--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उक्त स्कूल के पक्ष में और सिनेमा घर न बनाने के पक्ष में गोरखपुर के भूतपूर्व कई जिलाधीशों ने सरकार को लिखा था और तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि वहां सिनेमा नहीं बनेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केवल एक जिलाधीश ने सन् १९६० में इस प्रस्ताव का विरोध किया था । आश्वासन के विषय पर कोई सूचना नहीं है ।

*९६--श्री कल्पनार्थसिंह--क्या सरकार के ऊपर कोई दावा इस संबंध में दाखिल है क्या यह सही है कि सरकार उस मुकदमें को नहीं लड़ना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । एक Writ Petition इस विषय पर दायर है । सरकार मुकदमा लड़ेगी ।

*९७--श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)--[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

मेडिकल कालेज, कानपुर से डाक्टरों का तबादला

*९८--श्री शशिभूषणसिंह (जिला कानपुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, १९६२ से अब तक मेडिकल कालेज, कानपुर के किन-किन डाक्टरों का तबादला किन-किन कारणों से, कहां-कहां के लिये किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेडिकल कालेज, कानपुर में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये वहां के निम्नलिखित प्राध्यापकों का तबादला पहली अप्रैल, १९६२ से अब तक उनके सामने दिये गये स्थानों पर किया गया---

१---एनाटमी के प्रोफेसर	..	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।
२---फिजियालोजी के प्रोफेसर	..	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
३---एनाटमी के एक लेक्चरर	..	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

उपरोक्त प्राध्यापकों में से फिजियालोजी के प्रोफेसर को, जिनका तबादला मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये किया था, पुनः कानपुर मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित कर दिया गया ।

धारा १०९ में सजायाफ्ता सरकारी मुलाजिम

*९९---**श्री शशिभूषणसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धारा १०९ जाब्ता फौजदारी में सजा पाये हुये व्यक्ति क्या सरकारी नौकरी में रक्खे जा सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकारी नौकरी में रखे जाने के लिये अभ्यर्थी का चरित्र सरकारी सेवा के लिये हर तरह से उपयुक्त होना चाहिये । धारा १०९ जाब्ता फौजदारी में किन परिस्थितियों में अभ्यर्थी को बाध्य किया गया था, उसे देखकर ही तै किया जा सकता है कि अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में रखा जा सकता है या नहीं ।

गलत सीमा वाले नक्शे

*१००---**श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि इस समय बाजार में बहुत-सी पुस्तकें ऐसी छप रही हैं व बिक रही हैं जिनमें उत्तर प्रदेश व भारत के ऐसे नक्शे छपे हुये हैं जिनमें सीमायें गलत दिखाई गई हैं और वह सीमायें (नक्शे) सर्वे आफ इन्डिया, देहरादून संस्था द्वारा स्वीकृत नहीं हैं जोकि भारत सरकार के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अनुसार अनिवार्य हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार की जानकारी में इस प्रकार की पुस्तकें, जिनमें उत्तर प्रदेश व भारत के ऐसे नक्शे छपे हुये हैं, जिनकी सीमायें गलत दिखाई गई हैं और वह सीमायें सर्वे आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, समय-समय पर आई हैं, और सरकार ने इस विषय में उचित कार्यवाही की है ।

टी० बी० सैनीटोरियम, वृन्दावन

*१०१---**श्री कन्हैयालाल**---क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टी० बी० सैनीटोरियम, वृन्दावन को पिछले ३ वर्षों में कितना आवर्तक व अनावर्तक अनुदान दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०२---**श्री कन्हैयालाल**---क्या उपर्युक्त सैनीटोरियम में कुछ निःशुल्क चारपाइयां सरकार द्वारा भेजी गई मरीजों के लिये सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकार के मरीजों की भर्ती किस प्रकार की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूचना एकत्र की जा रही है ।

बभनान विद्युत् योजना का स्थगन

*१०३—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के केन यूनियन, बभनान के पावर हाउस से बभनान कस्बे को बिजली दी जाने वाली थी ? यदि हां, तो उसके खंभे किस चीज के हैं, वे कहां से आये और तार खंभा लगाने में कितना धन लगा ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी हां, कुछ खम्भे लकड़ी के और कुछ लोहे के हैं। इन खम्भों में से कुछ पश्चिमी बंगाल से आये और कुछ मसकनवां, जिला गोंडा से खरीदे गये। तार खम्भा लगवाने में कुल २१,४७१ रुपया व्यय हुआ।

*१०४—श्री रामलखनसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह योजना क्यों बन्द कर दी गयी जब कि तार व खम्भा लगने के बाद बिजली देने के लिये वहां के निवासियों से दरख्वास्त भी ली गयी थीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यूनियन की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण तथा कस्बे को बिजली देने की योजना चलाने पर भी आर्थिक लाभ की आशा क्षीण होने के कारण योजना स्थगित कर दी गई।

*१०५—श्री रामलखनसिंह—क्या सरकार कृपया यह बताने की कृपा करेगी कि बभनान कस्बे के लोगों को जल्दी से जल्दी कब तक बिजली देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय बभनान नगर के विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत् परिषद् की कोई योजना नहीं है। जांच-पड़ताल के लिये आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हुआ तो इस नगर का विद्युतन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर दिया जायेगा।

कानपुर जिलान्तर्गत विकास क्षेत्रों में कार्य

*१०६—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत डेरापुर, रसूलाबाद, झींझक, विकास क्षेत्रों में जनवरी, सन् १९५७ से लेकर जून, १९६२, तक किन-किन व्यक्तियों और किस-किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया है, और उसमें कितना कार्य अब तक हो चुका है और कितना बाकी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है।

चूंकि उत्तर की अनेक प्रतियां तैयार करने में अत्यधिक समय तथा श्रम लगेगा इसलिये अध्यक्ष महोदय और सदस्य महोदय की मेज पर विवरण की केवल एक एक †प्रति रख दी गई है।

*१०७—श्री नित्यानन्द पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५७ से लेकर जून, १९६२ तक, कानपुर जिले के अन्तर्गत रसूलाबाद झींझक-डेरापुर विकास क्षेत्र में कितना-कितना ऋण और किस कार्य हेतु किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना †संलग्न है।

चूंकि उत्तर की अनेक प्रतियां तैयार करने में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता इसलिये अध्यक्ष महोदय और सदस्य महोदय की मेज पर विवरण की केवल एक एक †प्रति रख दी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

औरंगाबाद अस्पताल

*१०८--श्री रामभजन (जिला खीरी)--क्या मुख्य मंन्त्री जिला खीरी के अन्तर्गत औरंगाबाद में स्थित जिला परिषद् के अस्पताल को राजकीय अस्पताल के रूप में स्थापित करके जनता को अधिक सुख-सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

पी० सी० एस० में हरिजन

*१०९--**श्री रामअधार कनौजिया** (जिला बहराइच) तथा **श्री मंगलप्रसाद आर्य** (जिला बहराइच)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१ में Provincial Civil Services (Judicial) की १६ स्थानों के लिये जिसमें ४ स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित थे केवल एक हरिजन व्यक्ति लिया गया था और शेष ३ स्थान की पूर्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो उक्त ३ स्थान क्यो नहीं भरे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१९६१ में हुई संयुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षा से अभी उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (जुडिशल ब्रान्च) में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में केवल एक ही हरिजन अभ्यार्थी को संस्तुत किया है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि बाकी सुरक्षित स्थानों में सामान्य अभ्यर्थी नियुक्त किये जायं और यह सुरक्षित स्थान अगली परीक्षा से भरे जायं।

*११०--**श्री शांतिचन्द्र शुक्ल** (जिला गोंडा)--[५ दिसम्बर, १९६२ के प्रश्न ४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

डाक्टरों की कमी

*१११--**श्री शांतिचन्द्र शुक्ल**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में इस समय जो डाक्टरों की कमी चल रही है उसको दूर करने के लिये कोई कमेटी बनाने की योजना पर वह विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी के कारणों की जांच करने तथा इस कमी को पूरा करने के लिये उपाय निश्चित करने के हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) नियुक्त की गई है।

झांसी जिले में विकास कार्य

*११२--**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव नहोना, नगदा मबई, झंडा, ननौरा, कलां, ननौर खुर्द कसोधन, उदेतपुरा, (नया खोर) ललोज, डुबकी, फुटेरा, रातौली, टूंका, भड़रा कलां, भड़रा खुर्द, चिरौली रायपुर छमकन, रसोई, हीरापुर, बबोना, जिला झांसी में कब ग्राम सभायें स्थापित की गईं और इन गांवों में क्या-क्या विकास के कार्य गांव सभाओं तथा सरकार की तरफ से किये गये ?

*११३--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५५ से पंचायतें समाप्त कर दी गईं और विकास का सारा कार्य समाप्त कर दिया गया, यदि हां, तो क्यों और इसके पहले जो विकास कार्यों पर खर्च हुआ था उसकी रकम क्या थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जिला पंचायत अधिकारी, झांसी से जो सूचना प्राप्त हुई है वह अपूर्ण एवं अस्पष्ट पाई गई है। उनसे पूर्ण स्थिति पुनः स्पष्ट कराई जा रही है।

गोपामऊ का विद्युतीकरण

*११४—**श्री परमाईलाल** (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब हरदोई जिले के कस्बे गोपामऊ में बिजली की लाइन पहुंच गई है तो क्या कारण है कि बस्ती में अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोपामऊ नगर का विद्युतीकरण फरवरी में हो चुका है। अब तक रोशनी और पंखों के कनेक्शन के लिये केवल ३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, इनकी स्वीकृति हो चुकी है और उनको कनेक्शन तभी दिया जायेगा जबकि उपयुक्त उपभोक्ताओं (Prospective consumers) कनेक्शन लेने के लिये विभागीय शर्तों को पूरा कर देंगे।

*११५—**श्री परमाईलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोपामऊ में पावर कनेक्शन कब देना प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पावर कनेक्शन स्वीकृत होने तथा उपयुक्त उपभोक्ताओं (Prospective consumers) द्वारा विभागीय शर्तों के पूर्ण होने पर दिये जायेंगे।

मुरादाबाद की बिजली व्यवस्था

*११६—**श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय जनसंघ, मुरादाबाद के द्वारा मुरादाबाद में बिजली विभाग की दुर्व्यवस्था के बारे में कोई पत्र मुख्य मंत्री को अगस्त, १९६२ के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

खीरी जिले में न्याय पंचायतों का चुनाव

*११७—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी में कुछ न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष चुनाव कब तक हो जावेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—खीरी जिले में सभी न्याय पंचायतों का गठन हो गया है। केवल तीन न्याय पंचायतों के सरपंच तथा सहायक सरपंचों का चुनाव नहीं हो पाया है। इन तीनों न्याय पंचायतों के सरपंच तथा सहायक सरपंचों के निर्वाचन की तिथि १५ नवम्बर, १९६२ निर्धारित की गयी थी लेकिन कुछ वैधानिक आपत्तियों के कारण चुनाव नहीं हो सका। शीघ्र ही निर्वाचन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

*११८-१२०—**श्री जगदीश** (जिला बस्ती)—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४१-४४ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*१२१—**श्री रतीपाल**—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

बस्ती जिले की ग्राम सभायें

*१२२—**श्री श्यामलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में में इन दिनों कुल कितनी ग्राम सभायें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बस्ती जिले में इस समय कुल ३७६० ग्राम सभायें हैं।

*१२३—**श्री श्यामलाल**—क्या सरकार उन प्रधानों की एक लिस्ट सदन की मेज पर कृपा कर रखेगी, जिनके खिलाफ गांवों में शक्ति के विकेन्द्रीयकरण हो जाने के बाद भ्रष्टाचार की शिकायतें की गयी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शक्ति के विकेन्द्रीयकरण के उपरान्त विहित अधिकारियों (परगनाधीशों) को अब तक कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनके बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

राही विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*१२४—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के राही विकास क्षेत्र के विकास अधिकारी राजकीय चपरासियों से अपने घरेलू काम लेते हैं? एक चपरासी को उन्होंने मौखिक आदेश देकर केवल इसलिये निकाल दिया कि वह ५ बजे सुबह से ११।। बजे रात्रि तक उनका घरेलू काम करने के कारण बीमार पड़ गया था? यदि यह सच है, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार करती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्षेत्र विकास अधिकारी, राही राजकीय चपरासियों से घरेलू काम नहीं लेते हैं। उक्त विकास क्षेत्र में न कोई चपरासी बीमार पड़ा और न किसी चपरासी को, बीमार हो जाने के कारण, मौखिक आदेश द्वारा निकाला गया है।

*१२५—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के राही विकास क्षेत्र के विकास अधिकारी ने क्लर्क (टाइप) के क्वार्टर को किसी स्वीपर के नाम करने के बाद उसमें अपनी गाय, भैंस आदि बांधना शुरू कर दिया है? क्या यह भी सच है कि इस क्वार्टर का किराया किसी क्लर्क के वेतन में से कटता है? सरकार ऐसी अनियमितता पर क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास क्षेत्र, राही में कोई भी क्लर्क क्वार्टर किसी भी स्वीपर के नाम नहीं किया गया और किसी क्लर्क क्वार्टर में गाय भैंस नहीं बांधी जाती है। सभी क्वार्टर संबंधित क्लर्कों के नाम एलाट हैं। ब्लाक के जमादार चौकीदार ने अपनी शादी के सिलसिले में श्री रमेश चन्द्र क्लर्क से उनका क्वार्टर मांग कर प्रयोग किया है इसमें संबंधित क्लर्क की अनुमति है। क्षेत्र विकास अधिकारी राही का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

आयुर्वेदिक शिक्षा सम्बन्धी जोशी कमेटी रिपोर्ट

*१२६—**श्री अवधेशकुमार सिनहा**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों का निरीक्षण गत वर्ष जिस जोशी कमेटी ने किया था उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। संस्तुतियों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

*१२७—**श्री अवधेशकुमार सिनहा**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में पिछले पांच वर्षों के अन्दर आयुर्वेदाचार्य कोर्स लागू करने के कारण छात्रों की संख्या बहुत अधिक कम हो गई है? यदि हां, तो इस कमी से कालेजों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? और यदि पड़ा है, तो सरकार कालेजों को इस क्षति को कैसे पूरा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह ठीक है कि जब से नया आयुर्वेदाचार्य कोर्स लागू हुआ है प्रथम वर्ष में नये प्रविष्ट छात्रों की संख्या घट गई थी। प्रथम वर्ष के बाद से नये प्रविष्ट होने वाले छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही है। वर्तमान शैक्षिक वर्ष १९६२-६३ में १९५७-५८ की अपेक्षा, जब आयुर्वेदाचार्य कोर्स लागू नहीं था, केवल एक ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार को छोड़कर अधिक संख्या में छात्र भर्ती हुये हैं। आर्थिक स्थिति में प्रभाव यह पड़ा कि गत वर्षों में छात्रों से शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली संभावित आय में कुछ कमी आ गई थी, किन्तु अब स्थिति सुधर रही है। कालेजों को रख-रखाव के लिये, धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान गत वर्षों में दिये हैं।

सूचना विभाग के अनअप्रूव्ड अधिकारी

*१२८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सूचना मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि १५ सितम्बर, १९६२ को सूचना विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी क्रमशः दो तीन तथा पांच वर्षों से कार्य कर रहे थे जिन्हें लोक सेवा आयोग यू० पी० ने approve नहीं किया है ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—१५ सितम्बर, १९६२ को लोक-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से unapproved कुल २७ राजपत्रित अधिकारी सूचना विभाग में कार्य कर रहे थे। इनमें से एक अधिकारी दो वर्ष से, एक अधिकारी तीन वर्ष से तथा २५ अधिकारी पांच वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे थे।

*१२९—श्री चन्द्रबलीसिंह—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न सं० ४५ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

सैदपुर–सादात सड़क

*१३०—श्री राजनाथसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि सैदपुर तहसील (जिला गाजीपुर की कौन–कौन सी सड़कें Man Power utilization Scheme के अन्तर्गत ली गई है और उन पर कब से कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सैदपुर तहसील (जिला गाजीपुर) में ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना (Rural Man Power utilization Scheme) के दूसरे चरण में सैदपुर ब्लाक के अन्तर्गत सैदपुर–सादात सड़क को बनाने की योजना ली गई है। आशा है इस पर निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

*१३१—श्री राजनाथ सिंह[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रुद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग

*१३२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन रुद्र प्रयाग पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिये दो वर्ष पूर्व बजट स्वीकृत हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सड़क पर अभी तक कितना काम हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। रुद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिये अभी तक कभी भी बजट स्वीकार नहीं हुआ। इस मार्ग का सर्वेक्षण हो चुका है, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुये इस पर कार्य होने की संभावना नहीं है।

फतेहपुर जिले में कारखाने

*१३३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में गत योजना वर्षों के अन्दर कौन–कौन से पब्लिक सेक्टरों व प्राइवेट सेक्टरों में कारखाने खोले गये ? क्या सरकार ने स्वयं या उसकी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने इनके सम्बन्ध में धन की सहायता ऋण आदि में दी है ? यदि हां, तो किन्हें व कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फतेहपुर जिले में पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टरों में कोई भी वृहद कारखाना नहीं खोला गया और न केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कोई लाइसेंस प्रदान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*१३४—श्री दीपनारायणसिंह—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगों के कितने-कितने लोगों को काम मिल सका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के विकास खण्डों में कार्य

*१३५—श्री रघुनाथसिंह—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चोलापुर चिरई गांव और हरहुआ विकास खंडों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विकास कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की संख्या गत स्थिति क्या थी ?

(क) पंचायत घरों का निर्माण,

(ख) स्कूल भवनों का निर्माण,

(ग) पेय-जल के कुओं का निर्माण

*१३६—उपरोक्त विकास खडों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्नलिखित विकास कार्यों की क्या प्रगति थी :

(क) श्रमदान द्वारा निर्मित पक्की सड़कें (मील में)

(ख) श्रमदान द्वारा निर्मित कच्ची सड़कें (मील में)

(ग) गांवों की गलियों का पक्का किया जाना (मीलों में)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

*१३७—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—[५ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१३८-१४०—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न सं० ४६-४८ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*१४१-१४३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—[५ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ३४-३६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी

*१४४—श्री गिरधारीलाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेन्टल अस्पताल, वाराणसी के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध वहां के कर्मचारियों की कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें कौन-कौन सी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध वहां के कर्मचारियों की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

*१४५—श्री गिरधारीलाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल में जुलाई, १९६० से अगस्त, १९६२ के बीच कितने रुपये की unused दवा खराब घोषित की गई और उन दवाओं के खराब होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त चिकित्सालय में जुलाई, १९६० से अगस्त, १९६२ के बीच कोई दवा खराब घोषित नहीं की गई ।

हाथ-कागज रिसर्च केन्द्र, पूना के लिए प्रशिक्षार्थी

*१४६--श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून सन् १९५८ में राज्य की Tuitional classes scheme के अन्तर्गत हैन्डमेड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिये कितने लोगों का चयन किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया ?

श्री फूलसिंह--राज्य में Tuitional classes scheme के अन्तर्गत हैंडमेड पेपर की कोई योजना नहीं है बल्कि हैन्डमेड पेपर योजना स्वतंत्र योजना के रूप में अपने कालपी स्थित केन्द्र द्वारा कार्य कर रही है । उक्त अवधि में कुल ४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये हाथ-कागज रिसर्च केन्द्र, पूना, भेजे गये ।

*१४७--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हाथ से कागज बनाने के लिये कुल कितने केन्द्र राज्य सरकार द्वारा कायम हुये और उनमें मैनेजर और टेक्निकल एडवाइजर्स जो नियुक्त किये गये उनमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कितने व्यक्ति हैं ?

श्री फूलसिंह--राजकीय सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैन्डमेड पेपर उद्योग के लिये कोई केन्द्र नहीं खोला गया । हैन्डमेड पेपर प्रोडक्शन कम रिसर्च सेंटर (Handmade Paper Production-cum-Research Centre) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल १९५६--५७ में स्थापित किया गया । इसके अन्तर्गत मैनेजर तथा ऐडवाइजर के पद स्वीकृत नहीं हैं, अतः इन पदों पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४८--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न दो में कथित केन्द्रों के लिये खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किसी प्रकार की मैनेजमेंट ग्रान्ट स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो क्या उन केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री फूलसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले में उद्योग के लिए ऋण

*१४९--श्री चन्द्रबलीसिंह--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में सन् १९५७ से लेकर मार्च, १९६२ तक किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया अनुदान या ऋण उद्योग के लिये दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उद्योगों के लिये अनुदान लेने वाले लोगों में से कितने लोगों ने निश्चित उद्योग किया और जिन लोगों ने नहीं किया उनके खिलाफ क्या वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में दिया हुआ रुपया कितने दिनों में वसूल किया जावेगा ?

श्री फूलसिंह--२३६ इकाइयों को कुल रुपया ६,९१, २११.८१ ऋण तथा रुपया ३९,४५०.१६ अनुदान दिया गया, जिसकी विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने में काफी धन, श्रम तथा समय लगेगा । अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे मेरे कार्यालय से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अनुदान प्राप्त करने वालों में से २७ इकाइयों ने निश्चित उद्योग किया और शेष ४ इकाइयों को अनुदान प्राप्त किये अभी पूरा एक वर्ष न होने के कारण उपयोग का समय बाकी है, अतः उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने या रुपया वापस कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, फैजाबाद की मशीनें

*१५०—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा) तथा **श्री बेदराम** (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में हौजरी का कार्य सिखाने के लिये जनवरी से १३ प्रशिक्षार्थी भरती किये गये लेकिन प्रशिक्षण केवल जबानी होता है और मशीनें सब खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सचिवालय में अबर वर्ग के अस्थायी सहायक

*१५१—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में तीन वर्ष या इससे अधिक समय से सेवा कार्य करने वाले कितने अस्थायी कर्मचारी अपर वर्ग के तथा टंकन सहायक हैं और इनके स्थायीकरण के लिये सरकार क्या कर रही है तथा कब तक इनका नाम स्थायीकरण अनुसूची के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तीन वर्ष से अधिक के अस्थायी अवर वर्ग सहायकों की कुल संख्या ७८५ है । इनमें से ६०३ आयोग द्वारा स्थायीकरण के लिये अनुमोदित हैं और १८२ नहीं हैं । हर साल कुछ अस्थायी जगहें स्थायी की जाती हैं और आयोग द्वारा अनुमोदित लोग धीमे-धीमे इन जगहों पर अपनी-अपनी ज्येष्ठता के अनुसार स्थायी होते जायेंगे । जो लोग आयोग से अनुमोदित नहीं हैं, उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता । तीन वर्ष से अधिक के टंकक के पद पर कार्य करने वाले कोई नहीं हैं ।

*१५२—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (जिला फतेहपुर)—[हटा दिया गया ।]

कानपुर में कारखानों को लाइसेंस

*१५३—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में कानपुर में कितने कारखानों को लाइसेंस दिया गया है ? उनमें कितनों में उत्पादन हो रहा है ? उत्पादन न करने वालों में कितने कारखाने निश्चित अवधि के बीत जाने पर भी उत्पादन करने में असमर्थ हैं ? उनके लाइसेन्स रद्द न होने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कानपुर में कुल ३६ लाइसेन्स इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एन्ड रेगूलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत दिये गये थे । इनमें से किसी में भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है । भारत सरकार ने ५ लाइसेन्स रद्द कर दिये हैं और १४ लाइसेन्स ऐसे हैं जिनकी निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी है फिर भी उन्हें रद्द नहीं किया गया है क्योंकि लाइसेन्स होल्डरों ने उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर ली है । शेष १७ लाइसेन्सों की निश्चित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।

मिश्रिख में विधायक पर आक्रमण

*१५४—**श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि तारीख २१ अक्तूबर, १९६२ को मिश्रिख, जिला सीतापुर, में इस सदन के किसी माननीय सदस्य पर गुन्डों द्वारा कोई हमला हुआ ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इस प्रकार की घटना की सूचना प्राप्त हुई है मामले में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

*१५५---**श्री मुहम्मद रफी खां**---क्या उपरोक्त विधायक ने उसी क्षेत्र के हाकिम तहसील के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस अधिकारी को जांच के दौरान मुअत्तल करने की कृपा करेगी ताकि जांच शीघ्र रूप से हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। परन्तु सरकार अभी हाकिम तहसील को मुअत्तल करना आवश्यक नहीं समझती।

मसकिनवां बाजार का प्रबन्ध

*१५६---**श्री ईश्वरशरण** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में मसकिनवां बाजार के करीब रेलवे स्टेशन की जमीन तथा पी० डब्ल्यू० डी० रोड पर बैलों का बाजार लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन बैलों के बाजार की आमदनी कौन लेता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मसकिनवां में जानवरों का बाजार विशेषकर राजा मनकापुर की जमीन पर लगता है। इस बाजार का प्रबन्ध राजा मनकापुर की ओर से होता है और आमदनी भी उन्हीं की ओर से वसूल की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

सदर राजकीय अस्पताल, आजमगढ़

१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर राजकीय अस्पताल, आजमगढ़ जिसके भवन का निर्माण १६ लाख रुपये से होने वाला था उसके निर्माण न होने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अस्पताल भवन का निर्माण ७·८० लाख रुपये की लागत पर होना है। कुछ प्रशासनीय कठिनाइयों के कारण वार्ड का तखमीना अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है जिसके फलस्वरूप निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं किया जा सका है।

औद्योगिक आस्थान

२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या ग्राम लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्थानों पर औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं और किस आधार पर ?

श्री फूलसिंह---उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक आस्थानों की सूची संलग्न है। ये औद्योगिक आस्थान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के आधार पर तथा नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर स्थापित किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३२६-३२८ पर)

३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या ग्राम लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक औद्योगिक आस्थान पर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है और कौन-कौन उद्योग सिखलाये जायेंगे ?

श्री फूलसिंह---उपरोक्त सूची में प्रत्येक औद्योगिक आस्थानों पर व्यय होने वाली धनराशि अंकित है। इन औद्योगिक आस्थानों के अन्तर्गत कोई शिक्षण केन्द्र नहीं है।

टी० बी० चिकित्सा केन्द्र

४--श्री बलवानसिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रदेश में कितने टी० बी० चिकित्सा केन्द्र हैं तथा उनमें कितने डाक्टर, नर्स व कम्पाउन्डर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तर प्रदेश में इस समय ७५ टी० बी० चिकित्सा केन्द्र हैं जिनमें डाक्टरों एवं नर्सेज के विभिन्न श्रेणियों के क्रमशः ९३ तथा ४६६ पद स्वीकृत हैं। कम्पाउन्डरों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

गिलोला विकास खण्ड के लिए जीप

५--श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच) श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री जगदीशप्रसाद--क्या सरकार कृपाकर बतलायेगी कि जिला बहराइच के विकास खंड गिलोला के लिये नई जीप गाड़ी अभी हाल ही में लखनऊ से दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, अगस्त २७, १९६२ को एलाट हुई थी।

६--श्री दलजीतसिंह, श्री बसन्तलाल शर्मा तथा श्री जगदीशप्रसाद--क्या यह सही है कि उक्त जीप गाड़ी अभी तक विकास खंड गिलोला में नहीं पहुंच पाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--गिलोला ब्लाक में जो ड्राइवर नियुक्त हुआ था उसने २७ सितम्बर, १९६२ को कार्यभार संभाला; तभी वह गाड़ी ब्लाक को दी गई थी।

७--श्री दलजीतसिंह, श्री बसन्तलाल शर्मा तथा श्री जगदीशप्रसाद--क्या कृपा कर सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त जीप लखनऊ से बहराइच पहुंचने की तिथि से आज तक किस अधिकारी के पास रही और किस आदेश के आधार पर रही ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--बीच की अवधि में विकास खंड की जीप का प्रयोग जिला स्तर पर निम्न अधिकारियों द्वारा खरीफ अभियान व उद्योग अभियान के संबंध में, संबंधित जिला नियोजन अधिकारी की अनुमति से, किया गया है

(१) जिला नियोजन अधिकारी ।
(२) जिला कृषि अधिकारी ।
(३) खंड विकास अधिकारी, गिलोला ।
(४) जिला उद्योग अधिकारी ।

सिधौली विकास खण्ड के कर्मचारियों को आदेश

८--श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलेपमेंट सिधौली के कार्यालय से दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ ई० को "स्टाफ मेम्बरों" के नाम कोई ऐसा आदेश ब्लाक अधिकारिणी की ओर से प्रसारित किया गया है जिसके अनुसार दिनांक ७ अगस्त, १९६२ ई० के जारी हुये आदेश को कैंसिल किया गया है ? यदि हां, तो दिनांक ७ अगस्त, १९६२ ई० का आदेश क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, दिनांक ७ अगस्त, १९६२ के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३२९ पर)

९--श्री बैजूराम--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक अधिकारिणी द्वारा दिनांक ७ अगस्त, १९६२ ई० को जो आदेश निकाला गया था उसके निकाले जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास प्रमुख के आदेशों का विकास क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा ठीक प्रकार पालन हो, कर्मचारी अनुशासन में रहें, एवं राजकीय कार्य सुचारु रूप से सम्पादित होता रहे; इस अभिप्राय से ७ अगस्त, १९६२ का आदेश निकाला गया था।

१०—**श्री बैजूराम**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक कार्यालय सिधौली से ब्लाक अधिकारिणी ने दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ ई० को एक मेमो जिला नियोजन अधिकारी सीतापुर को इस आशय का लिखा है कि "ब्लाक अधिकारी का कमरा" "ब्लाक प्रमुख के बैठने के लिये दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र की अन्तिम दो लाइनों को लिखे जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, दिनांक २१ सितम्बर, १९६२ को विकास प्रमुख को बैठने के लिये विकास क्षेत्र कार्यालय भवन का गेस्ट रूम दिया गया था, किन्तु उसमें उन्हें असुविधा हुई, अतः उन्हें क्षेत्र विकास अधिकारी वाला कमरा दे दिया गया, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके लिये कोई अन्य उपयुक्त कमरा उपलब्ध नहीं है।

११—**श्री बैजूराम**—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि ब्लाक प्रमुख सिधौली द्वारा दिनांक ६ सितम्बर, १९६२ ई० को क्षेत्रीय समिति सिधौली (सीतापुर) के ४० सदस्यों के हस्ताक्षरों का कोई पत्र क्षेत्रीय समिति की असाधारण मीटिंग बुलाये जाने हेतु जिला नियोजन अधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मीटिंग के बुलाये जाने की व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो मीटिंग के दिनांक को सूचित करने की कृपा करें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—४ सितम्बर, १९६२ के विकास अधिकारिणी द्वारा जिला नियोजन अधिकारी को सम्बोधित किये गये तथाकथित "मेमो" की अंतिम दो पंक्तियों में यही कहा गया है कि उल्लेखगत व्यवस्था के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई अन्य व्यवस्था सम्भव नहीं है, जब तक कि प्रमुख के लिये एक नये कमरे का निर्माण न हो।

जी हां, किन्तु प्रमुख ने प्रस्तावित असाधारण बैठक का आवाहन उचित नहीं समझा। किन्तु जिस उद्देश्य से उक्त असाधारण बैठक के बुलाने का प्रस्ताव था उसे १-१०-१९६२ को होने वाली बैठक के ऐजन्डे में सम्मिलित कर लिया गया।

उन्नाव जिला परिषद् के मुअत्तल अध्यक्ष

१२—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के सरकार द्वारा मुअत्तल किये गये अध्यक्ष अब भी अध्याक्षासन पर आसीन हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के बाद प्राप्त जिलाधीश की रिपोर्ट पर सरकार आगे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के फलस्वरूप अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष अब भी अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर जिलाधीश की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

१३—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या यह सच है कि सरकार के मुअत्तली के हुक्म के विरुद्ध अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष हाई कोर्ट से कोई आदेश लाये हैं ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है और सरकार उस सम्बन्ध में अब क्या करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिये हैं कि अग्रिम आदेशों तक प्रार्थी को अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव, के पद पर कार्य करने में कोई रुकावट न डाली जाय। हाई कोर्ट के आदेशों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर सरकार विचार कर रही है।

पुलिस विभाग में आशुलिपिक

१४--**श्री चैतन्यराजसिंह** (जिला अलीगढ़)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कितने आशुलिपिक हैं और उपर्युक्त लिपिक किस-किस राजकीय विभाग में (on loan) कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पुलिस विभाग में १५७ आशुलिपिक हैं जिनमें से ७ विभिन्न राजकीय विभागों में (on loan) कार्य कर रहे हैं । इनका ब्योरा निम्नलिखित है ।

१२ वीं बटालियन सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस	१
भारत सरकार में	१
सब्सीडियरी इन्टेलिजेंस ब्यूरो, लखनऊ	१
प्लानिंग रिसर्च व ऐक्शन इन्स्टीट्यूट	१
हाई कोर्ट, इलाहाबाद	१
उत्तर प्रदेश सचिवालय	२
योग ..	७

१५--**श्री चैतन्यराजसिंह**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या इनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है जो इस प्रकार दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आशुलिपिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं है ।

कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के लिए उद्योग ऋण

१६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर-लखनऊ वाराणसी जिले में १९५९-६०, १९६०-६१, तथा १९६१-६२ में कितना-कितना धन लघु उद्योग तथा बड़े-बड़े कारखाने चलाने हेतु प्रदेशीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया गया तथा उसमें कितने कारखाने जिस उद्योग को चलाने हेतु ऋण लिया गया था चालू हैं और कितने कारखाने चालू नहीं हैं ?

श्री फूलसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सहायक जिला पंचायत अधिकारी

१७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ५१ जगहें सहायक जिला पंचायत अधिकारी की स्थायी घोषित हैं ? यदि हां, तो किसी सहायक जिला पंचायत अधिकारी की नौकरी स्थायी घोषित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां । सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के स्थायी पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

१८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २२ सितम्बर, १९६० की पंचायत विभाग की राजाज्ञा के अनुसार ४६ पंचायतराज निरीक्षकों की पदोन्नति करके सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (निर्वाचन) के पद पर नियुक्त किया गया था और उनमें से बहुतेरे कनिष्ठ थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---निदेशक, पंचायत राज, ने अपने आदेश दिनांक २२/२३ नवम्बर, १६६० के अन्तर्गत ४६ पंचायतराज निरीक्षकों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा सहायक जिला पंचायत अधिकारी (निर्वाचन) के अस्थायी पदों पर, जो पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में अल्पकाल के लिये स्वीकृत किये गये थे, की थी और कुछ ज्येष्ठ पंचायत निरीक्षकों को उन के अनुपयुक्त होने के कारण अवक्रमित किया था ।

१६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ और २६ फरवरी, सन् १६६२ के आदेशानुसार कितने पंचायतराज निरीक्षक लोक सेवा आयोग के सम्मुख सरकार द्वारा भेजे गये और शेष के न भेजने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---फरवरी, मार्च, १६६२ में सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियां करने के लिये पंचायतराज निरीक्षकों का एक चुनाव समिति द्वारा किया गया था जिसके अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के एक सदस्य थे। इस चुनाव में २२४ पंचायतराज निरीक्षक साक्षात्कार के लिये बुलाये गये। शेष पंचायतराज निरीक्षकों के कैरेक्टर रोल्स बहुत खराब थे इसलिये उन्हें साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया गया था ।

झांसी जिला उद्योग समिति

२०---**श्री विजयपालसिंह** तथा **श्री ऊदल**---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में उद्योग विभाग की जो कमेटी है जो जनता को सरकारी लोन इत्यादि दिलाने पर अपनी सिफारिश सरकार से करती है उसमें जिलाधीश झांसी के अतिरिक्त जो सदस्य हैं वे दिनांक ८ सितम्बर, १६६२ को जो जिलाधीश के कक्ष में मीटिंग हुई उसमें कितने उपस्थित थे और जो सदस्य उस कमेटी में जिलाधीश के अतिरिक्त हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री फूलसिंह---(क) १३ ।

(ख) वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३३० पर)

२१---**श्री विजयपालसिंह** तथा **श्री ऊदल**---क्या उद्योग मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कमेटी में माह जुलाई व १५ अगस्त, १६६२ तक व्यापारीवर्ग के दो तीन प्रतिनिधि सदस्य थे ? यदि यह सत्य है, तो उन्हें हटाकर उनके स्थानों पर नये सदस्यों को रखने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---जिला उद्योग समितियों में व्यापारी के प्रतिनिधि नहीं रक्खे जाते। उसमें तीन गैरसरकारी सदस्य ऐसे होते हैं जो लघु एवं ग्राम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन्हें सरकार हर साल मनोनीत करती है। तदनुसार उपरोक्त कमेटी में लघु एवं ग्राम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य पिछले वर्ष थे, उनके स्थान पर अब दूसरे सदस्य मनोनीत कर दिये गये हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, में अनियमित खरीद

२२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री दिनांक ६ अगस्त, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिपोर्ट का निर्णय हो गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की वे कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । रिपोर्ट गोपनीय है, अतएव उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खा जाना संभव नहीं है ।

गांव पंचायत बरमिहतैन का गांधी चबूतरा

२३--श्री रामकिशोर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत, गांव पंचायत, बरमिहतैन, में पंचायत कोष से सन् १९५१ में गांधी चबूतरा का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय हुआ तथा उसका निर्माण गांव के किस स्थान पर हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां। पंचायत कोष से केवल ७६ रुपये व्यय किये गये। गांधी चबूतरा गांव के उत्तर में श्री शंकर जी के मंदिर के पास स्थित है।

२४--श्री रामकिशोर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत कोष से तथाकथित गांधी चबूतरा की पुताई आदि में दिनांक १ सितम्बर, १९५१ व ७ अक्तूबर, १९५२ को धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--दिनांक सितम्बर १, १९५१ को कोई धन व्यय नहीं किया गया। दिनांक अक्तूबर ७, १९५२ को गांधी चबूतरे की मरम्मत के लिये केवल १० रुपये व्यय किये गये।

२५--श्री रामकिशोर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के उक्त ग्राम के श्री गुलाब सिंह आदि ने गांधी चबूतरे का निर्माण न होने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायत सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कानपुर से क्रमश दिनांक २२ सितम्बर, १९५९ व २० अक्तूबर, १९६० को कीं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य क्या बातें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोली चलाने की जांच

२६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में गोली चलाने की जांच इस समय सरकार द्वारा हो रही है और जांच करने वाले अधिकारियों को कितना-कितना समय जांच समाप्ति हेतु दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गोली चलाने के संबंध में इस समय जिला बस्ती, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में जांच की जा रही है। केवल गोरखपुर में चलाई गई गोली के संबंध में ४ माह का समय जांच समाप्ति के लिये निर्धारित किया गया है।

२७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में १९६०-६१, १९६१-६२ में किन-किन जिलों में पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई और उसके फलस्वरूप कितने आदमी मरे तथा घायल हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--संबंधित अवधि में पुलिस द्वारा पुलिस रेगूलेशन के पैरा ७० के अन्तर्गत १९६०-६१ में जिला मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, बुलन्दशहर तथा देवरिया में, तथा १९६१-६२ में इलाहाबाद, मेरठ, खीरी, अलीगढ़ तथा हरदोई में गोली चलाई गई, जिसके फलस्वरूप १९६०-६१ में ८ व्यक्ति मरे तथा ३० घायल हुये और १९६१-६२ में ३ व्यक्ति मरे और १५ व्यक्ति घायल हुये।

सचिवालय में तीन साल से पुराने सचिव

२८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सचिवालय में कितने उप सचिव, संयुक्त सचिव तीन साल से ऊपर से विभिन्न विभागों में पड़े कार्य कर रहें हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इनकी संख्या १८ है ।

तहसील कार्यालय कीछा में कथित कुर्कशुदा हथियार

२९—श्री मैनेजर सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत चार वर्ष से प्रति नगर सोसाइटी कीछा, नैनीताल के सदस्यों की बन्दूक (राइफलें) कुर्क कर तहसील कार्यालय कीछा में पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई कुर्क की हुई बन्दूक या राइफल तहसील कार्यालय कीछा में नहीं है ।

ओवरसियर परीक्षाफल में भूल

३०—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट बोर्ड आफ टैक्निकल एजूकेशन ऐण्ड, ट्रेनिंग यू० पी० से १९६० में ऐसे कितने लड़के थे जो ओवरसियर फाइनल कोर्स में ९०३ से कम नम्बर होते हुये पास हुये ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनको पास करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल एक । नाम—रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव । कारण—उत्तीर्ण होने के लिये निम्नतम समस्त योग ९६० अंक आवश्यक हैं परन्तु वस्तुतः भूल से उल्लिखित अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हो गया । विधिक परामर्श समाधान में बाधक होता है ।

पिसावां थाने में हेम की हत्या

३१—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ अगस्त, १९६२ से १० अगस्त, १९६२ के बीच हेम, पुत्र कल्लू ग्राम हल्यानपुर थाना पिसांवा जिला सीतापुर की हत्या के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । उसकी जांच कराई गई ।

३२—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त हत्या के संबंध में ६ आदमियों की नामजद रिपोर्ट की गई थी परन्तु उसमें से कुछ लोग अभी घूम रहें हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, हेम पुत्र कल्लू की हत्या के संबंध में ६ व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई थी परन्तु अनुसंधान से केवल ३ अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पाया गया शेष ३ अभियुक्तों की नामजदगी गलत और दुश्मनी रंजिश के कारण से पाई गई । अतः उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया ।

वाराणसी जिले में ग्रामोद्योग प्रशिक्षण

३३—श्री रघुनाथसिंह—क्या लघु और कुटीर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चोलापुर, चिरई गांव और हरहुआ विकास खंडों में उपयोगी ग्राम उद्योगों के लिये कितने ग्रामीण स्त्री, पुरुषों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कुटीर उद्योग संबंधी ५६ शिल्पों में से किन-किन शिल्पों में कितने-कितने लोग प्रशिक्षित हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—(क) १८

(ख) ९० व्यक्ति सिलाईगीरी में तथा १ बढ़ईगीरी में प्रशिक्षित किये गये हैं ।

३४—श्री रघुनाथसिंह—क्या इन विकास खंडों में अपने परम्परागत व्यवसाय में लगे हुये कुम्हार, बढ़ई और लोहारों को अपनी पुरानी चाल की कारीगरी में सुधार करने के लिये सचल प्रशिक्षण दल द्वारा नवीन प्रकार के यन्त्रों के प्रयोग की शिक्षा दी जा रही है ? यदि हां, तो उनके प्रशिक्षित हो जाने पर इनको अपने व्यवसाय के विकास के लिये आर्थिक सहायता ऋण के रूप में मिलेगी या अनुदान के रूप में ?

श्री फूलसिंह (क) चिरई गांव में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है ।

(ख) नियमानुसार ऋण तथा अनुदान दोनों ही मिल सकता है ।

मैनपुरी जिले के विकास खण्डों में अस्पताल

३५—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के विकास खंडों में सरकारी अस्पताल किन-किन में नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल करहल विकास खंड में राजकीय चिकित्सालय नहीं है ।

३६—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के विकास खंडों के अस्पतालों में डाक्टर किन-किन में नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैनपुरी जिले के विकास खंडों के निम्नलिखित अस्पतालों में डाक्टर नहीं है :

१—सुल्तानगंज
२—खैरगढ़
३—इक्का
४—मदनपुर
५—कुरौली
६—कछैला

जौनपुर जिले को रिहन्द बिजली व मड़ियाहूं तहसील में चिकित्सा सुविधायें

३७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के ग्रामों, कस्बों तथा शहर में मिर्जापुर रिहन्द की बिजली जल्द से जल्द पहुंचाने के लिये सरकार ने किसी प्रकार की योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने दिनों के अन्दर और कहां-कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६४ में जौनपुर जिले में स्थाई रूप से रिहन्द की बिजली सप्लाई करने की एक योजना है । यह बिजली जौनपुर जिले के किन-किन ग्रामों, कस्बों तथा शहर में दिया जाना संभव होगा, इसकी जांच भी उसी समय की जायेगी ।

३८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा संबंधी क्या-क्या कार्य होने थे और उनमें से उस योजना काल तक कौन-कौन पूरे हुये, कौन-कौन अधूरे हुये और कौन-कौन बिल्कुल नहीं हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तराखण्ड में संस्कृत विद्यालय

३९---श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में कितने सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं और वहां किस जिले में कितने संस्कृत विद्यालय राजकीय हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना निम्नलिखित है :--

जिला	सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों की संख्या	राजकीय संस्कृत पाठशालाओं की संख्या
पिथौरागढ़	२	..
चमोली	१४	..
उत्तरकाशी	१	१

ग्रामीण डिस्पेन्सरीज

४०--श्री विजयसिंह--क्या सरकार ग्रामीण डिस्पेन्सरीज के साथ-साथ मेडिकल आफीसर क्वार्टर भी बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ग्रामीण डिस्पेन्सरीज के भवन निर्माण के साथ-साथ मेडिकल आफिसर तथा अन्य कर्मचारियों के भवन भी बनते हैं ।

जिला पंचायत कार्यालय, बदायूं की मिसिल

४१--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--१३ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित मिसिल १९५९ से अब तक क्यों पड़ी रही और उस पर विचार नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पंचायत राज अधिनियम, १९४७ तथा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम दोनों में ही ठेका तुलाई के विषय में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है । इस कारण पत्रावली में जिला स्तर पर राजस्व एवं नियोजन विभागों के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श होता रहा ।

४२--श्री उल्फतसिंह--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के बाद उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ठेका तुलाई का कार्य सार्वजनिक भूमि पर होता है अथवा किसी व्यक्ति विशेष की निजी भूमि पर । यदि ठेका तुलाई का कार्य सार्वजनिक स्थान पर होना सिद्ध हुआ तो गांव सभा द्वारा इस कार्य के संपन्न किये जाने के प्रश्न पर समुचित विचार किया जायगा ।

बड़ागांव विकास क्षेत्र के लिए सहायता

४३--श्री ऊदल--क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ तारीख १३ सितम्बर, १९६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगी कि 'अन्न उपजाओ योजना' के अन्तर्गत जिन लोगों ने रुपये का इस्तेमाल समय से नहीं किया उनसे रुपया वसूलने, मय ब्याज के तथा नियमों को तोड़ने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई तथा करने जा रही है ? क्या सरकार को पता है कि उसमें कुछ व्यक्तियों ने दो-दो बार एक ही कार्य के लिये रुपया लिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जिन ऋण ग्रहीताओं ने समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं किया उनसे ऋण की राशि की ब्याज सहित वापसी के संबंध में क्षेत्र विकास अधिकारी, बड़ागांव, वाराणसी, को नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र वसूली के आदेश दिये गये हैं। श्री राजनेतसिंह, ग्राम पूरे रघुनाथपुर, को १७-३-१९६२ को पंपिंग प्लान्ट के लिये २,५०० रुपये कर्ज दिये गये तथा ३०-३-१९६२ को एक दूसरे पंपिंग प्लान्ट के लिये कर्ज दिया गया। इनमें से पहला पंपिंग प्लान्ट लगाया जा चुका है।

४४--**श्री ऊदल**---क्या सरकार ब्लाकों में विकास-कार्यों के लिये प्रति वर्ष १/५ गांव सभाओं को लेने की नीति पर विचार कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हाइडिल यूनियन, मुरादाबाद के कर्मचारियों की मांगें

४५---**श्री हिम्मतसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाइडिल यूनियन मुरादाबाद के कर्मचारियों ने १५ जुलाई, १९६२ से २४ जुलाई, १९६२ तक अधिशासी अभियंता, मुरादाबाद, के कार्यालय पर धरना दिया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उस पर क्या समझौता हुआ तथा उस समझौते को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। उनकी मांगों की सूची तथा यूनियन के कर्मचारियों और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न है।

अधिकतर मांगों पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है। शेष पर कार्यवाही हो रही है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३३१--३३२ पर)

इलाहाबाद नगरमहापालिका का मार्टिन कम्पनी से झगड़ा

४६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद नगरमहापालिका को नगर की Martin Company से जिसके द्वारा बिजली supply नगर में होती थी, लगभग तीन वर्ष तक कोई नया कनेक्शन रोड के लिये नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। इलाहाबाद नगरमहापालिका और यू०पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद के बीच सड़कों पर रोशनी दिये जाने के संबंध में जो इकरारनामा हुआ था वह १० सितम्बर, १९५८ को समाप्त हो गया तब से अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और इस कारण सड़कों की बस्तियों के लिये उस समय से नये कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

४७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या यह सही है कि इलाहाबाद महापालिका तथा Martin Company में जो झगड़ा था, सरकार की मध्यस्थता में छोड़ दिया गया था? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने इस झगड़े के निपटारे के लिये कानून के अनुसार श्री के० जी० नटराज, एक्जीक्यूटिव आफीसर, केसा, कानपुर, को आर्बीट्रेटर (arbitrator) नियुक्त किया था। उन्होंने अपना निर्णय award दे दिया है और सिविल जज, इलाहाबाद के न्यायालय में फाइल कर दिया है। न्यायालय ने अभी निर्णय का अनुमोदन नहीं किया है।

लखनऊ में नर्सिंग स्टाफ की भोजन व्यवस्था

४८--श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के बलरामपुर हास्पिटल एवं अन्य सरकारी शफाखानों की नर्सिंग स्टाफ जो होस्टल में रहती हैं उनकी संख्या कितनी है और उनको सरकार से भोजन के लिये (messing charges) कितना रुपया प्रति नर्स के हिसाब से दिया जाता है और इस रुपये के अतिरिक्त जो सरकार देती है प्रति नर्स से कितना रुपया अतिरिक्त भोजन का काटा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ जो होस्टल (नरसेज होम) में रहता है उसकी संख्या ९३ है।

२--सरकार हर नर्स को भोजन भत्ता ३० रुपया प्रति माह के हिसाब से देती है। इस ३० रुपये के अतिरिक्त हर नर्स से जो नरसेज होम के मेस में भोजन करती है ११ रुपया प्रति माह और लिया जाता है।

४९--श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नर्सिंग स्टाफ से भोजन का रुपया लिया जाता है उस रुपये में से ५ वर्ष के अन्दर कुल कितना रुपया भोजन में व्यय हुआ और कितना रुपया कुल ५ वर्ष में बचा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नर्सिंग स्टाफ से भोजन के लिये जो रुपया लिया जाता है वह सब का सब भोजन पर ही व्यय हो जाता है। गत ५ वर्षों में इस मद में कोई रुपया बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ और डफरिन अस्पताल, लखनऊ से संबंधित नर्सेज होस्टलों में नहीं बचा है। गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ, से संबंधित नरसेज होम में अवश्य पहले के १,४१९ रुपये ६३ नये पैसे बचे हुये हैं।

५०--श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया नर्सिंग स्टाफ से भोजन का लिया गया है उसमें जो रुपया बचा है वह किसके नाम से और किस बैंक में जमा किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न ४९ के उत्तर में सूचित १,४१९ रुपये ६३ नये पैसे की बची हुई धनराशि गांधी मेमोरियल तथा संबंधित अस्पताल, लखनऊ, की सीनियर मेट्रन ने इलाहाबाद बैंक लिमिटेड की चौक, लखनऊ, शाखा में मेस एकाउन्ट के नाम से सेविंग्स बैंक एकाउन्ट में जमा कर रक्खी है।

५१--श्री रतीपाल--[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला नियोजन कार्यालय, शाहजहांपुर, के लिपिक

५२--श्री राममूर्ति 'अंचल'--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन विभाग, शाहजहांपुर, में कितने पद लिपिकों के सरकार द्वारा स्थायी घोषित किये जा चुके हैं तथा इन पदों पर कितने लिपिकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जिला नियोजन कार्यालय, शाहजहांपुर में लिपिकों के १२ पद स्थायी हैं और उन पदों पर सभी कर्मचारी स्थायी हैं।

५३--श्री राममूर्ति 'अंचल'--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में नियोजन विभाग में लिपिकों के रिक्त पदों पर सरकार द्वारा किन-किन तारीखों में स्थायी करने की घोषणा की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह प्रश्न अभी विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, के विचाराधीन है। शीघ्र ही आदेश प्रसारित होने वाले हैं।

५४--श्री राममूर्ति 'अंचल'--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर, नियोजन विभाग के लिपिकों का कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को किस कारण अब तक स्थायी घोषित नहीं किया जा सका ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जिला नियोजन कार्यालयों के लिपिकों की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। इस संबंध में अंतिम आदेश २४ नवम्बर, १९६२ को जारी किये जा चुके हैं। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही अति शीघ्र की जायेगी।

उद्योग विभाग, मुरादाबाद

५५--श्री रियासत हुसैन--क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग मुरादाबाद में किन लोगों के ४ साल से ज्यादा के क्लेम वेतन सस्पेंशन एलाउन्स टी०ए० बिल्स अभी अदा नहीं हुये है और देर होने के कारण क्या हैं ?

श्री फूलसिंह--बांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

५६--श्री रियासत हुसैन--क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग मुरादाबाद में चतुर्थ ग्रेड के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो १० साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं हुए, उसका क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह--उद्योग विभाग के अन्तर्गत मुरादाबाद में चतुर्थ ग्रेड का केवल एक ही कर्मचारी ऐसा है जो कि दस साल से कार्य कर रहा है परन्तु अस्थायी योजना के अन्तर्गत कार्य करने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका।

लखनऊ में अश्लील साहित्य व अफीम की बरामदगी, कानपुर के अशोक होटल को विद्यार्थियों द्वारा क्षति

५७--श्री झारखंण्डेराय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखनऊ पुलिस ने गत २१ सितम्बर, १९६२ को शहर के अनेक स्थानों पर छापा मार कर बड़ी मात्रा में अश्लील साहित्य व अवैध अफीम बरामद की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

५८--श्री झारखंण्डेराय--क्या सरकार इसके पूरे विस्तार से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

५९--श्री झारखंण्डेराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २० सितम्बर, १९६२ की रात में गणेशशंकर मेडिकल कालेज कानपुर के १५० छात्रों की भीड़ ने कालेज के निकट अशोक होटल पर आक्रमण करके उसके कर्मचारियों को बुरी तरह मारा-पीटा तथा सारा होटल लूट लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गत २० सितम्बर, १९६२ की रात को गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के सौ सवा सौ छात्रों ने आनन्दबाजार स्थित अशोक होटल के सामान को क्षति पहुंचाई तथा होटल के एक कर्मचारी को कुछ पीटा।

६०--श्री झारखंण्डेराय--क्या सरकार को पता है कि उसके विरोध स्वरूप गत २१ तारीख को सारे बाजार में हड़ताल रही ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––केवल आनन्दबाजार में ८-१० दूकानें २१ सितम्बर, १९६२ को बन्द रहीं।

६१––**श्री झारखंण्डेराय**––सरकार की ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––होटल मालिक के रिपोर्ट करने पर एक केस भा० द० वि० की धारा १४७-४२७-३२३ के अन्तर्गत २१ सितम्बर, १९६२ को दर्ज किया गया। कोई केस नहीं चलाया जा रहा है। रिपोर्ट में लिखाये गये ५ छात्रों के नाम मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को भेज दिये गये हैं जो इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

दादों अस्पताल में डाक्टर न होना

६२––**श्री बाबूसिंह** (जिला अलीगढ़)––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल दादों, जिला अलीगढ़ में डाक्टर कितने समय से नहीं है और उसको कब तक भेजने की व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जिला अलीगढ़ के दादों अस्पताल में १७–७–१९६१ से डाक्टर नहीं है। वहां पर एक डाक्टर को भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।

दादों थाने में १०७/११७ के मामले

६३––**श्री बाबूसिंह**––क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना दादों, जिला अलीगढ़ में कितने १०७-११७ चल रही हैं और उनका आधार क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––थाना दादों, जिला अलीगढ़, में धारा १०७-११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कुल १० मामले दि० २२–१०–१९६२ को न्यायालय के विचाराधीन थे।

इन मामलों में शांति भंग होने का आधार निम्नलिखित है:––

१ में पार्टीबन्दी व दुश्मनी के कारण झगड़ा
२ में मकान की नालियों से संबंधित झगड़ा
२ में मकान के हाते के सिलसिले में झगड़ा
१ में ट्यूबवेल आपरेटर व अन्य का पानी की सप्लाई के कारण झगड़ा
४ में जमीन पर कब्जे के सिलसिले में झगड़ा।

गुप्तचर विभाग के अपराध अनुसंधान साधन

६४––**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू०पी० पुलिस के पास कौन से Scientific equipment for crime investigation काम करने के लिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन गुप्तचर विभाग में एक वैज्ञानिक शाखा है जिसमें मुख्यतया विवादग्रस्त अंगुलि चिन्ह, हस्तलेख, आग्नेय शस्त्र, तांबे के तारों की परीक्षा, धातुओं पर के बिगड़े हुए नम्बरों का स्पष्टीकरण, वालों की परीक्षा तथा अन्य वैज्ञानिक परीक्षायें, जो अपराधों से संबंधित होती हैं, की जाती है।

वैज्ञानिक शाखा के विशेषज्ञ संगीन अपराधों के घटना स्थल पर भी भेजे जाते हैं जो स्थानीय पुलिस को वैज्ञानिक विधि से अपराध अन्वेषण करने में मदद करते हैं।

प्रदेश के २० जिलों में प्रशिक्षित फोटोग्राफर्स एवं उनके काम करने के लिये कैमरा तथा अन्य फोटोग्राफी के उपकरण उपलब्ध हैं।

अक्टूबर सन् १९६२ ई० से लखनऊ में एक फील्ड यूनिट (Field Unit) स्थापित किया गया है जो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली तथा बाराबंकी जिलों में घटनास्थल पर तुरन्त मोटर से पहुंच कर अनुसंधानकर्त्ता को अपराध से संबंधित भौतिक साक्ष्य (Physical evidence) एकत्रित करने में सहायता देता है।

इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके पर अपराध अन्वेषण करने के लिये जिलों की पुलिस को इस वर्ष ५०० क्राइम बाक्स वितरण किये जा रहे हैं, जिसमें गुप्त अंगुलि चिन्हों को उभारने वाले पाउडर, पद चिन्हों की कास्ट बनाने का सामान तथा अन्य भौतिक साक्ष्य को एकत्रित करने की उपकरण उपलब्ध हैं।

उत्तराखण्ड में संस्कृत विद्यालयों को सहायता

६५--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखंण्ड की विकास योजनाओं के अन्तर्गत संस्कृत विद्यालयों के विकास के लिये चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ इन तीन जिलों में प्रत्येक जिले में कितनी धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में निश्चित की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तराखंण्ड विकास योजनाओं के अन्तर्गत संस्कृत विद्यालयों के सहायतार्थ चालू वित्तीय वर्ष में ५०,००० रुपया की धनराशि निश्चित की गई है। जिलेवार कोई धनराशि निश्चित नहीं की गई है।

चमोली जिले में सेमी माइनर नहर योजना

६६--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि जिला चमोली में सेमी नहर पर बिजली उत्पादन की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बिजली उत्पादन की ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

६७--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि उपरोक्त सेमी नहर के टेंडर कई बार पड़ चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह कार्य अभी तक क्यों चालू नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सेमी माइनर बनाने के लिये टेंडर केवल एक बार मांगे गये थे। योजना के लिये शासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है और आशा है कि कार्य निकट भविष्य में ही आरम्भ हो जायेगा।

६८--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस स्कीम में कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है और कब तक चालू कर दी जायेगी और कितनी बिजली तैयार की जा सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस योजना पर अनुमानतः ७३,२८० रुपया व्यय होगा और शीघ्र ही उस पर कार्य आरम्भ हो जायेगा।

बिजली उत्पादन का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता। अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि इस योजना से कितनी बिजली तैयार की जा सकेगी।

अनुसूयादेवी--रुद्रनाथ--गोपेश्वर मार्ग

६९--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि जिला चमोली उत्तराखंड में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन मंडल से अनुसूयादेवी होते हुये रुद्रनाथ और वापिस गोपेश्वर तक एक पैदल सड़क स्वीकृत थी ? यदि हां, तो वह क्यों नहीं बनाई गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। मंडल से अनुसूयादेवी होते हुये रुद्रनाथ की पैदल सड़क की लम्बाई ७ मील दी थी। वास्तव में यह १४ मील निकली। इसके लिये अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध न होने से यह सड़क बनाई न जा सकी।

मंडल से गोपेश्वर तक पैदल सड़क पहिले से ही वर्तमान है।

७०--**श्री गंगाधर मैठाणी**--क्या सरकार इस अनुसयादेवी-रुद्रनाथ-गोपेश्वर पैदल सड़कों को, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन बनाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। क्योंकि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण तृतीय योजना काल में आवश्यक है।

७१--**श्री गंगाधर मैठाणी**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सड़क की कुल दूरी कितनी थी और कितना रुपया इस सड़क के लिये रखा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी अनुमानित ७ मील की लम्बाई के लिये २१,००० रुपया की मद का प्राविधान किया गया था।

मुहम्दाबाद के लिए बिजली व-फतेहगढ़ सदर अस्पताल में नर्स न होना

७२--**श्री दयाराम शाक्य**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्दाबाद, जिला फर्रुखाबाद, जहां ब्लाक टेनरी, अस्पताल, डाकखाना, शुगर फैक्टरी थाना आदि स्थित हैं वहां कब तक बिजली देने का वे विचार कर रहे हैं जबकि ब्लाक में बिजली पहुंच चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस नगर का विद्युतीकरण स्वीकृत किया जा चुका है और चालू द्वितीय वर्ष में इसके विद्युतन होने की सम्भावना है।

७३--**श्री दयाराम शाक्य**--क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि फतेहगढ़ सदर अस्पताल में पिछले लगभग एक साल से कोई महिला स्टाफ नर्स नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विषय में क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। फतेहगढ़ सदर अस्पताल में महिला स्टाफ नर्स नियुक्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सुल्तानपुर जिले की विद्युत योजना

७४--**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह** (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुल्तानपुर जिले के विकास खंड जामों, मुसाफिरखाना, जगदीशपुर, गौरीगंज तथा मेदुवा की किन-किन ग्राम सभाओं में विद्युत् पहुंच जायेगी और जिले के किस विकास खंड में विद्युत् पहुंचाने की योजना नहीं है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,५०० नगरों का विद्युतीकरण करने की योजना है। विद्युतीकरण हेतु नगरों को छांटने के लिये जांच पड़ताल की जा रही है और जिनका विद्युतन प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से संभव है बिद्युतीकरण किया जा रहा है। उन ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण जो विकास खंड जामों, मुसाफिरखाना, जगदीशपुर, गौरीगंज तथा मेदुवा में हैं प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से संभव होने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

७५--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त विकास खंड में विद्युत् के पहुंच जाने से विकास के कार्यों में अत्यन्त सहायता प्राप्त होगी ? यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के बजट में कितना कार्य योजनागत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । वर्तमान वर्ष में किया जाने वाला कार्य प्रश्न संख्या ७४ में उल्लिखित विकास खंड के ग्रामों पर निर्भर होगा जो कि विद्युतीकरण के लिये प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से संभव होने पर छांटे जायेंगे ।

७६--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् योजना में जो विद्युत् ग्रामों में पहुंचायी जाती है उसके व्यय की प्रति यूनिट क्या दर है ? क्या सरकार उस दर में कुछ कमी करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ईस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वाष्प विद्युत् गृहों से जहां बिजली दी जाती है बिजली की दर निम्न प्रकार है :

१--रोशनी और पंखे के लिये	..	७ आने प्रति यूनिट १ आना प्रति यूनिट छूट
२--घरेलू	.. ..	४ आने ६ पाई प्रति यूनिट ६ पाई प्रति यूनिट छूट
३--उद्योग धन्धे के लिये	..	३ आने ३ पाई प्रति यूनिट ३ पाई प्रति यूनिट छूट

इस समय इन दरों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौसिया थाने की स्थिति

७७--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत थाना चौसिया का स्थानान्तरण करके नवनिर्माण ऐसी जगह कराया जा रहा है जहां वर्षाकाल में नदी का पानी भर जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

७८--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--यदि हां, तो क्या प्रशासन की दृष्टि से थाने का वर्तमान स्थान अनुपयुक्त है और क्या उसके आस-पास परिवर्तन का स्थान नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । थाने का वर्तमान स्थान अनुपयुक्त है ।

बांदा जिला अस्पताल

७९--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिला अस्पताल में मार्च सन् १९६२ से ३१ मई, १९६२ तक कुल कितने प्रकार के रोगियों की भरती हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--४४ प्रकार के ।

८०--श्री बृजमोहनलाल गुप्त--क्या सरकार रोगियों की संख्या के अनुसार जगह की कमी को देखते हुये इस अस्पताल को अन्यत्र बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

८१--श्री ऊदल--[हटा दिया गया ।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की मशीनें कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र में रखने पर हर्जाना

८२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के दो बड़े यंत्र कलकत्ता बन्दरगाह पर बाहर से मंगाये गये थे ? क्या उन्हें बन्दरगाह के एरिया से ४ दिन के अन्दर न हटाने की वजह से सरकार को ४ लाख ७२ हजार दंड देना पड़ा ? यदि हां, तो किस अधिकारी की वजह से ऐसी गल्ती तथा नुकसान हुआ और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चुर्क फैक्टरी की विस्तार योजना हेतु केवल दो बड़े यंत्र ही नहीं बल्कि सीमेन्ट बनाने की एक पूरे कारखाने की मशीन बाहर से मंगाई गई थी। यह मशीन समय-समय पर आती रही। यह सही है कि इसमें से बहुत से मशीन के हिस्से बन्दरगाह एरिया से चार दिनों के अन्दर नहीं हटाये जा सके और इस कारण उन पर अतिरिक्त किराया आदि बन्दरगाह के अधिकारियों को देना पड़ा है। इस प्रकार कुल किराये की धनराशि लगभग ८ लाख ७० हजार रुपये है। इस धनराशि में से कुछ माफ करने के विषय में भी पत्र-व्यवहार चल रहा है और १ लाख ५२ हजार रूपये के माफ करने के आदेश भी जा चुके हैं और ४ लाख रुपये तक माफ हो जाने की आशा की जाती है। हरजाने का बहुत कुछ रुपया मशीनरी देने वालों से भी वसूल किया जावेगा जिसके लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है।

मशीनरी को बन्दरगाह एरिया से हटाने के लिये चार दिनों का समय पर्याप्त न था क्योंकि मशीनरी के कागज आने के बाद तथा फिर उस पर कार्यवाही करने के बाद ही मशीनों को हटाने की इजाजत मिल सकी थी। साथ-साथ बहुत सी मशीनरी "इन पेकिंग" रास्ते में टूट-फूट गई और उसको फिर से पैक करने के बाद ही बंदरगाह से हटाया जा सकता था। बिना ठीक प्रकार के पेकिंग किये हुये और मशीन की ठीक प्रकार से शिनाख्त किये हुये उनको हटाने से मशीनों के खो जाने का अंदेशा था।

इस विषय में किसी अधिकारी या अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, यह निश्चित करने के लिये सरकार ने एक समिति बना दी है जो इस विषय पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

उन्नाव जिले के लिए बिजली

८३—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उन्नाव जिले के किन-किन कस्बों या गांवों का विद्युतीकरण किया जावेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण होने वाले नगरों के अन्तर्गत खुरसत नगर का विद्युतीकरण हो चुका है। अन्य नगरों को छांटने के हेतु जांच की जा रही है।

सी० बी० रिपोर्ट सम्बन्धित डी० ओ०

८४—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या श्रम मंत्राणी बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि संराधन बोर्ड के चेयरमैन सी० बी० केस की रिपोर्ट के साथ कोई गोपनीय डी० ओ० असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर (इंडस्ट्रियल रिलेशन) के पास भेजते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सही है कि सी० बी० रिपोर्ट के साथ एक गोपनीय डी० ओ० असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (इंडस्ट्रियल रिलेशन) को भेजा जाता है। परन्तु उक्त डी० ओ० चेयरमैन, संराधन बोर्ड, की तरफ से नहीं, वरन् संराधन अधिकारी की तरफ से भेजा जाता है।

८५—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या यह सत्य है कि उक्त गोपनीय डी० ओ० में चेयरमैन केस को रेफर करने की सिफारिश के संबंध में अपनी राय भी देते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। संराधन अधिकारी द्वारा भेजें गये डी० ओ० में इसका उल्लेख रहता है।

८६—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या यह सच है कि यह रिपोर्ट (Report) जो कार्यवाही का भाग है गोपनीय कहा जाता है तथा जिसकी वजह से सरकार केस को रेफर करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, कथित डी० ओ० गोपनीय होता है। परन्तु प्रश्न के अन्तिम भाग में कही हुई बात सही नहीं है।

८७—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या कारण है कि किसी केस को एडजुडिकेशन के लिये रेफर न किये जाने के कारण श्रमिक को क्यों नहीं बताये जाते जब कि केन्द्रीय कानून की धारा १२(५) में इसकी विशेष व्यवस्था है तथा प्रादेशिक कानून में कोई रोक नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके अन्तर्गत श्रमिक को सूचित किया जाय कि किन-किन कारणों से उसका विवाद अभिनिर्णय के योग्य समझा गया।

प्रगति सहायकों का वेतन

८८—**श्री सहदेवसिंह**—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंडों में कार्य करने वाले "प्रगति सहायकों" का वेतन-क्रम क्या है और क्या सरकार उस वेतन-क्रम को परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रगति सहायकों का वेतन-क्रम ८०-६-११०-द० रो० ६—१४०—द० रो०-१०-२०० रुपया है। इस वेतन-क्रम को परिवर्तित करने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरियां

८९—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि फलों की सरकारी फैक्टरियों में किस-किस मात्रा में क्या पदार्थ मिलाकर यह फलों का रस तैयार किया जाता है ?

श्री फूलसिंह—विभागीय फ्रूट प्रोसेसिगं फैक्टरियों में जो भी फलों के रस बनते हैं वे केवल उन्ही फलों से बनाये जाते हैं जिनके लेबुल उन पर लगे रहते हैं। इन रसों में १० प्रतिशत फलों का गूदा तथा आवश्यक मात्रा में चीनी, पानी, खटास तथा खुशबू मिलाये जाते हैं।

९०—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार को मालूम है कि उनके संरक्षण में फ्रूट प्रोसेसिंग रामगढ़ फैक्टरी में कुछ लाख का माल सड़ गया है जो विक्री योग्य नहीं है और ४,००० बोतलें डालीगंज फैक्टरी, लखनऊ में बेकार हालत में फलों के रस से भरी पड़ी हैं ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

केदारनाथ मार्ग पर टूरिस्ट भवन

९१—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही है कि श्री केदारनाथ मार्ग यात्रा पर टूरिस्ट भवन रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटन, त्रियुगी नारायण और गौरीकुंड में स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो ये कब स्वीकृत हो चुके थे ?

९२—क्या यह सही है कि टरिस्ट भवन अभी तक तैयार नहीं किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुण्ड में कोई टूरिस्ट भवन बनाने का प्रस्ताव नहीं है। रुद्रप्रयाग में टूरिस्ट भवन बनवाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और कार्य आरम्भ करने का आयोजन किया जा रहा है। गुप्तकाशी, फाटन, त्रियुगी नारायण तथा केदारनाथ में टूरिस्ट रोठ बनाने का प्रस्ताव है और भारत सरकार से इनको बनाने के लिये अनुमति मांगी गई है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये इनके बनने की संभावना कम है।

सर्वश्री जे० पी० श्रीवास्तव एण्ड सन्स पर ऋण

९३––**श्री ऊदल**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व रामपुर रियासत ने रामपुर टिम्बर और टर्नरी कम्पनी को चलाने के लिये रामपुर के जे०पी० श्रीवास्तव को डेढ़ लाख रुपये से ऊपर का कर्ज सन् १९४९ में दिया था ? क्या यह रुपया वर्तमान सरकार ने वसूल कर लिया है ? यदि हां, तो कितना और नहीं हुआ तो वह रकम इस वक्त कितनी है और उसे वसूल करने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––भूतपूर्व रामपुर रियासत ने रामपुर के सर्वश्री जे० पी० श्रीवास्तव ऐण्ड सन्स को १,५२,००० रुपया ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया था जो अभी तक वसूल नहीं किया जा सका है। मूल तथा सूद (२७.२.१९६० तक) कुल मिलाकर २,१६,८९७.७५ रुपये की वसूलयाबी के लिये सरकार ने दिनांक ३० जुलाई, १९६० को मुकदमा दायर किया था जो जला जज, रामपुर की अदालत में विचाराधीन है।

दुनौली बांध की आर्म्ड पुलिस पर व्यय

९४––**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**––क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के खलीलाबाद तहसील के दुनौली बांध के आस-पास गोलीकांड के बाद से कितने आर्म्ड गार्ड किन-किन गांवों में पड़े हुये हैं और ३० अगस्त से आज तक कितना उन पर खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील के दुनौली बांध पर एक हेड कान्सटेबुल तथा ३ कान्सटेबुलों की एक सशस्त्र पुलिस गार्ड ३० अगस्त, १९६२ के ३ बजे दिन से तैनात की गई तथा वहां पर आस-पास के क्षेत्र में ४ सितम्बर, १९६२ तक बनी रही। उक्त गार्ड पर कुल व्यय १२२.०२ रुपये हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सशस्त्र पुलिस गार्ड वहां पर निकटवर्ती ग्रामों में नहीं तैनात की गई।

हरदोई जिले में थाने की इमारतें

९५––**श्री पूरनलाल** (जिला हरदोई)––क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में कितने थानों की इमारतें कच्ची बनी हैं और उनको पक्का करने के लिये सरकार ने क्या–क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हरदोई जिले में केवल अतरौली थाने की इमारत कच्ची है। इसके अतिरिक्त थाना बेनीगंज, हरपालपुर, व बहेटा गोकुल की इमारतें कच्ची पक्की मिलवां बनी हैं।

थाना अतरौली के लिये नई पक्की इमारत बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

९६––**श्री पूरनलाल**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह हरदोई जिले में विचित्र अपराधों की वृद्धि के कारण सीखे हुये कुत्तों को भेजने का प्रबंध क्यों नहीं कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सी०आई०डी० हेडक्वार्टर्स लखनऊ पर जो पांच सीखे हुये कुत्ते हैं, उनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर हरदोई जिले में भी किया जाता है।

मिर्जापुर में विद्युत् अव्यवस्था

९७—श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सच है कि मिर्जापुर के नागरिकों को बिजली कम्पनी की ओर से यह सूचना दी गयी थी कि रविवार, २३ सितम्बर, १९६२ को सुबह ५ बजे से रात नौ बजे तक बिजली बन्द रहेगी किन्तु उस दिन रात नौ बजे के बाद भी बिना किसी अन्य पूर्व सूचना के उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

९८—श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मिर्जापुर इलेक्ट्रिक-सप्लाई कम्पनी ने अगले दिन २४ सितम्बर, १९६२ सोमवार को भी बिना किसी पूर्व सूचना के दिनभर बिजली नहीं दी जिससे नागरिकों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

९९-१००—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

नियोजन कार्यालय, मैनपुरी, के लिपिक

१०१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से मैनपुरी नियोजन विभाग के लिपिक पदों के लिये कितने स्थान अभी तक स्वीकृत किये गये हैं और उन स्थानों में से नियोजन विभाग द्वारा कितने लिपिक स्थाई किये जा चुके हैं और कितने शेष हैं ? यदि शेष हैं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नियोजन कार्यालय, मैनपुरी, के लिये अब तक ३२ लिपिकों के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें ८ पद स्थायी हैं और २४ शेष हैं । प्रदेश के विभिन्न जिला नियोजन कार्यालयों में स्थायी पदों के विभाजन का प्रश्न अभी विकास आयुक्त के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही प्रसारित होने वाले हैं ।

१०२—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन कार्यालय, मैनपुरी में अप्रैल में होने वाले लिपिक पद के चुनाव में कितने अछूत वर्ग के चुने गये हैं और कितने अन्य वर्ग के चुने गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अप्रैल में होने वाले लिपिक पद के चुनाव में २ अछूत वर्ग के एवं २५ अन्य वर्ग के व्यक्ति स्वीकृत सूची में रखे गये ।

कर्णप्रयाग में सड़क व भवनों का निर्माण

१०३—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्णप्रयाग बाजार (सीमान्त जिला चमोली) और मोटर स्टेशन की बीच की पैदल सड़क की दुर्दशा का ज्ञान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री इस सड़क की सुव्यवस्था सुरक्षा, अच्छे निर्माण व देख-रेख करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इसके उचित देख-रेख व मरम्मत के लिये उचित आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

१०४—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्णप्रयाग में तहसील हेड क्वार्टर के भवनों का निर्माण कब तक होगा और उसमें देर क्यों हो रही है ? क्या सरकार को इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कर्णप्रयाग में तहसील हेडक्वार्टर के भवनों के निर्माण के लिये भूमि प्राप्त हो गई है। वर्तमान राष्ट्रीय संकट काल में भवन निर्माण सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण इनका निर्माण कठिन है। सुअवसर आने पर यह भवन बनाये जायेंगे।

पंच नगरी में कुत्तों के काटने से मृत्यु

१०५---**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)---क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष १९६१ में पागल व साधारण कुत्तों के काटने से कितने Cases kaval towns के अस्पतालों में आये और उनमें से कितने की मृत्यु हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वर्ष १९६१ में kaval शहरों के अस्पतालों में पागल व साधारण कुत्तों के काटने से २४,१९९ व्यक्ति आये तथा उनमें से २३ की मृत्यु हुई।

१०६---**श्री छत्रपति अम्बेश**---क्या मृत्यु होने का कारण Hydrophobia का devlop हो जाना था ? यदि हां, तो क्या इसका इलाज संभव नहीं है या मृत्यु का कारण समय पर इलाज न हो सकना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मृत्यु का कारण Hydrophobia का develop हो जाना था। इस बीमारी के पैदा हो जाने पर कोई उपचार सम्भव नहीं है।

सदर जनाना अस्पताल, बस्ती

१०७---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६१ तक की अवधि में बस्ती सदर स्थित जनाना अस्पताल में इलाज के लिये आने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---६,६९०।

१०८---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अस्पताल में इनडोर मरीजों के लिये कितने "बैड्स" की व्यवस्था इस समय उपलब्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---३७ बैड्स की।

१०९---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जनाना अस्पताल में दवाइयों के लिये प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पिछले तीन वर्षों में हुआ व्यय निम्न प्रकार है :---

वर्ष	व्यय
१९५९-६०	९,७१२
१९६०-६१	१३,४१६
१९६१-६२	१२,५२५

इस व्यय में सर्जीकल ड्रेसिंग पर हुआ व्यय भी सम्मिलित है।

अलीगढ़ जिले में अदालती पंचायत चुनाव

११०---**श्री बाबूसिंह**---क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में जो १५ सितम्बर, १९६२ को अदालती पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें जिलाधीश ने लिस्ट आउट होने के बाद ब्लाक बिजौली और अतरौली में पंचों में हेर-फेर किया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्दर ?

श्रीमती सुचेता कृपलायी---जी नहीं।

१११---श्री बाबू सिंह---क्या जिलाधीश ने वह पंच चुने हैं जो हिस्ट्री शीटर भी हैं जब कि एडवाइजरी कमेटी ने उन सदस्यों का नाम नहीं रखा था, ब्लाक अतरौली बिजौली में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अभी जांच की जा रही है ।

रुद्रप्रयाग-गुप्तकाशी मार्ग

११२---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुद्रप्रयाग-गुप्तकाशी मोटर रोड का निर्माण किस सन् में प्रारम्भ हो गया था ? उस सड़क पर अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है और वह बाकी काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रुद्रप्रयाग-गुप्तकाशी मोटर मार्ग का निर्माण १९४८-४९ में प्रारम्भ हुआ था और प्रायः पूरा हो चुका है ।

कटेहर क्षेत्र के लिए बिजली

११३---श्री रघुनाथ सिंह---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कटेहर विधान सभा क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बाजार वाली कुछ आबादियों को बिजली दी गई ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

११४---तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ बाजारों और बड़ी आबादी के गांवों को बिजली दी जाने की योजना है ? यदि हां, तो उन स्थानों का नाम क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक पता चल सका है, कटेहर विधान सभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड के विद्युत् क्षेत्र में आता है और बाकी भाग राज्य विद्युत् परिषद् के क्षेत्र में है । राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उस क्षेत्र की जांच पड़ताल की जा रही है और यदि व्यावसायिक तथा प्राविधिक दृष्टि से वहां बिजली देना उपयुक्त समझा गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । सप्लाई कम्पनी के क्षेत्र के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है परन्तु जहां तक पता चला है मंगारी बाजार का विद्युतिकरण उक्त कम्पनी ने कर दिया है ।

तेल उद्योग सहकारी समिति, सिधौरा

११५---श्री विजयपालसिंह, श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौरा तेल घानी सोसाइटी वाराणसी कब से स्थापित की गई है । इसको अब तक किन कार्यों के लिये कितने रुपये का कर्ज तथा अनुदान दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---सिधौरा तेल घानी सोसाइटी वाराणसी नाम की कोई भी संस्था उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत (register) नहीं की गई है बल्कि ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, सिधौरा वाराणसी नाम की संस्था २० मार्च, १९५८ ई० को पंजीकृत (register) की गई है । इस संस्था को अब तक उद्योग विभाग द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

११६---श्री विजयपालसिंह, श्री जमादारसिंह तथा श्री उदल---क्या जिन-जिन कार्यों के लिये इस सोसाइटी को रुपया दिया गया है वे सब कार्य स्थापित हो गये हैं ?

श्री फूलसिंह---इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

खुर्जा हाइडिल स्टोर से कथित चोरी

११७—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि इसी मास अक्तूबर, १९६२, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के हाइडिल स्टोर से ११ मन तांबे का तार चुरा लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। अक्तूबर, १९६२ में हाइडिल स्टोर्स, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर से कोई तांबे का तार चोरी नहीं गया।

डी० आई० जी०, कानपुर का फतेहपुर का दौरा

११८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर रेंज के पुलिस डी०आई०जी० सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष एवं चालू वर्ष में कितनी बार जिला फतेहपुर पधारे और फतेहपुर में पधारने तथा सरकारी डाक बंगले में उनके रुकने का माहवारी औसत क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, कानपुर रेंज वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में फतेहपुर दौरे पर ६ बार गये और १४ दिन रुके। वे ४ बार डाक बंगले में कुल १२ दिन के लिये रुके। पधारने का औसत महीने में आधा रहा और डाक बंगले में ठहरने का महीने में एक दिन।

११९—श्री कमलासिंह यादव—[५ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गाजीपुर जिले में कारखाने खोलने की प्रार्थना

१२०—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ब्लाक वाइज़ डेवलपमेन्ट तथा सड़कों को बनाने के लिये सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिलेवार कितना धन अन्तरिम जिला परिषदों को देने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

१२१—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार गाजीपुर जिले में उसकी गरीबी और बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई दीर्घ उद्योग वहां खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर में कागज बनाने का कारखाना खोलने के लिये, इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट ऐंड रेगूलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिनांक ७ अप्रैल, १९६१ को दे दिया गया है।

सरकारी बड़ा कारखाना गाजीपुर जिले में खोलने की कोई योजना नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र में कारखाना खोलने के लिये कार्यवाही तभी हो सकती है जबकि कोई व्यक्ति इसके लिये अपनी इच्छा प्रकट करे व लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दे। उपरोक्त कागज के कारखाने के अतिरिक्त और कोई दरख्वास्त सरकार के पास नहीं आई है।

१२२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में औरिहार रेलवे जंकशन के पास कोई चीनी मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर जिले में औरिहार रेलवे जंक्शन के पास सहकारी चीनी मिल लगाने का कोई प्रस्ताव न था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

१२३—**श्री हिम्मतसिंह**—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

डिवाई ब्लाक में ऋण वितरण

१२४—**श्री हिम्मतसिंह, श्री मन्नालाल तथा श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक डिवाई, जिला बुलन्दशहर में १९५९ से लेकर आज तक कितने कर्जा के प्रार्थना-पत्र और किस-किस के आये और आज तक कितने प्रार्थियों को कर्जा नहीं दिया गया और उनको न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—डिवाई विकास खंड १ जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९६० तक छाया क्षेत्र के रूप में या तदुपरान्त १–१०–१९६० के पूर्व प्रसार सेवा खंड के रूप में रहा और १–१०–१९६१ से विकास खंड प्रथम चरण में परिवर्तित हुआ जो कर्जा १–१–१९५९ से ६–१२–१९६१ तक की अवधि में बांटा गया, वह तहसील द्वारा ही बांटा गया और क्षेत्र समिति को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिस पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का प्रश्न हो। १–१–१९५९ से ६–१२–१९६१ तक जो कर्जा बांटा गया उसकी कुल रकम ३२,६५० रुपये थी और कर्जा प्राप्त करने वालों की संख्या ५३ थी। †सूची पताका "अ" पर संलग्न है।

(स्टेज प्रथम) होने के पश्चात् ३१–३–१९६२ तक विकास समिति का कुल १६८ प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित कार्य हेतु कर्जा के लिये प्राप्त हुये : †सूची पताका "अ" पर है।

१—अल्प सिंचाई	.. ..	८६
२—उन्नतिशील कृषि यंत्र	.. ..	७४
३—फसल सुरक्षा	.. ..	८
	योग ..	१६८

क्षेत्र विकास समिति ने अपने विभिन्न प्रस्तावों द्वारा १६२ प्रार्थनापत्र स्वीकार किये, जिन पर निम्नांकित कार्यों के लिये कर्जा दिया गया :—

१—अल्प सिंचाई	.. ..	८०
२—उन्नतिशील कृषि यन्त्र	.. ..	७४
३—फसल सुरक्षा	.. ..	८
	योग ..	१६२

केवल ६ प्रार्थना-पत्र अल्प सिंचाई सम्बन्धी स्वीकार नहीं किये गये। उनका रिकार्ड देखने से ज्ञात हुआ है कि कर्जा न देने का मुख्य कारण स्वीकृत ६०,००० रुपया (अल्प सिंचाई) की धनराशि का समाप्त हो जाना था, जैसा कि रिकार्ड पर है। समस्त प्रार्थना-पत्र क्रमांक के आधार पर क्षेत्र विकास समिति ने स्वीकार किये। १ से ८० प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने पर ही कुल धन पूर्ण हो गया। अतः आगे के प्रार्थना-पत्र क्रमांक ८१ से ८६ तक अस्वीकृत छोड़ दिये गये। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् १९६२–६३ में १–४–१९६२ से आज तक ८६ प्रार्थना-पत्र कर्जे के लिये प्राप्त हुये †सूची पताका "क" है, जिस पर आवश्यक जांच पूरी की जा रही है उसके उपरान्त वे यथाशीघ्र क्षेत्र विकास समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

†छापी नहीं गई।

१२५—श्री हिम्मतसिंह, श्री मन्नालाल तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सच है कि ब्लाक डिवाई का हेडक्वार्टर डिवाई में बनाया जा रहा है? यदि हां, तो उससे कितने किसान प्रभावित होंगे और उनके पास कितनी जमीन रह जायगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्षेत्र विकास समिति का नवीन प्रस्ताव दिनांक १-१०-१९६२ है कि अब क्षेत्र विकास समिति का हेड क्वार्टर डिवाई में नहीं बनाया जाय बल्कि कसेर कलां में बने। ऐसी अवस्था में डिवाई के किसानों की जमीन लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

१२६—श्री हिम्मतसिंह, श्री मन्नालाल तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सच है कि डिवाई और दानपुर में केवल सीधा एक मील का फासला है? यदि हां, तो क्या इन दोनों ब्लाकों का हेडक्वार्टर एक ही बनाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—डिवाई और दानपुर में सीधा १ मील का फासला नहीं है, वह लगभग ३ मील का फासला है और केवल पगडंडी का ही रास्ता है। पक्की सड़क से यह रास्ता ५-१/२ मील के लगभग है जिस पर मोटर यातायात है। दानपुर तथा डिवाई विकास क्षेत्र का एक ही हेड क्वार्टर रखने की कोई योजना नहीं है क्योंकि दो विकास खंडों का हेड क्वार्टर की स्थापना एक ही स्थान पर किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकती।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में हानि

१२७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्पादन क्षमता के पूर्ण सीमा तक बढ़ाये जाने के बावजूद भी १९५९-६० के नाममात्र के ०.०२ लाख रुपयों के लाभ के स्थान पर १९६०-६१ में चुर्क सीमेंट फैक्टरी चुर्क, मिर्जापुर में ५.१८ लाख रुपयों की हानि होने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६०-६१ में ११,००,८२२.०० रुपये का लाभ व्याज देने से पूर्व हुआ था। १६,१८,३४२ रुपये का व्याज देने के पश्चात् ५.१८ लाख रुपये की हानि हुई जिसके कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) फैक्टरी को टैरिफ कमीशन की सिफ़ारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कम विक्री मूल्य का दिया जाना।

(२) कोयला, स्टोर्स, स्पैयर्स, रेलगाड़ी भाड़ा इत्यादि की कीमतों का काफ़ी मात्रा में बढ़ना।

(३) सीमेंट भरने वाले बोरों की कीमतों का काफ़ी मात्रा में बढ़ना। बोरों के वास्तविक मूल्य की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये पैकिंग चार्जेज (Packing charges) बहुत ही कम थे जिसके कारण फैक्टरी को ३.९७ लाख रुपया का घाटा हुआ।

(४) इस वर्ष में पिछले वर्षों के रेलवे साईडिंग चार्जेज, जो १,१८,४९३ रुपये के थे, का दिया जाना।

(५) भट्टों (Kiln) की डिजाइन ठीक न होने के कारण उनका सुचारु रूप से न चलना।

(६) केन्द्रीय सरकार द्वारा फैक्टरी को घटिया कोयला, जिसमें राख की मात्रा अधिक होती है, का दिया जाना। इत्यादि, इत्यादि। उपर्युक्त तथ्यों के कारण ही जिनके ऊपर फैक्टरी के अधिकारियों का कोई बस नहीं था, फैक्टरी को सन् १९६०-६१ में पर्याप्त मात्रा में फ़ायदा नहीं हुआ।

१२८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त हानि के लिये उत्तरदायी तत्वों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि प्रश्न १२७ के उत्तर से स्पष्ट है कि हानि होने का उत्तरदायित्व किसी भी अधिकारी पर नहीं था, अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

१२९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर में वर्ष १९६१-६२ में कितने रुपयों की हानि या लाभ हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१-६२ में राजकीय सीमेंट फैक्टरी चुर्क, में २१.८० लाख रुपये का लाभ हुआ है। इसमें से व्याज एवं रिसर्च तथा विकास कोष (Research and developement fund) का रुपया निकालने के पश्चात् लाभ ५.३४ लाख रुपया हुआ है ।

रायबरेली नियोजन कार्यालय के लिपिक व हरिजन कल्याण विभाग से चपरासी हटाना

१३०—श्री रतीपाल—क्या सरकार बतलायेगी कि रायबरेली जिले में नियोजन कार्यालय में १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितने लिपिकों की नियुक्ति हुई है और उनमें से हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोग कितने प्रतिशत लिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वर्ष १९६०-६१ में जिला नियोजन कार्यालय, रायबरेली में कुल १४ नये लिपिकों की नियुक्ति हुई। इनमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का कोई नहीं था। वर्ष १९६१-६२ में कुल २३ नियुक्तियां हुईं जिनमें दो व्यक्ति हरिजन थे।

१३१—श्री रतीपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि नियोजन विभाग के अन्तर्गत हरिजन कल्याण कार्यालय, रायबरेली में किसी चपरासी को सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हरिजन कल्याण कार्यालय के एक चपरासी श्री शारदा की सेवायें ३० अप्रैल, १९६२ से समाप्त कर दी गयीं। क्योंकि उक्त कार्यालय में दिनांक १ तथा २ जनवरी, १९६२ को होने वाली चोरी में उसका हाथ था। पूरी जांच के बाद यह सिद्ध हो गया तथा साथ ही उसकी निष्ठा संदिग्ध पाई गयी।

चमोली में अलकनन्दा पर पुल निर्माण

१३२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन चमोली, ऊखीमठ, कुण्ड-मोटर मार्ग पर चमोली में अलकनन्दा नदी पर बनने वाले पुल का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली में अलकनन्दा नदी पर पुल के लिये पाये बन चुके हैं और पुल के लिए गार्डरें भी ढल चुकी हैं। अब पुल का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ होगा। इस कार्य में विलम्ब का कारण बेयरिंग का न मिलना है जो अब बनाये जा रहे हैं।

१३३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उक्त पुल के निर्माण के लिये कई बार टेन्डर दिये गये ? यदि हां, तो कितने बार और प्रत्येक बार कितने ठेकेदारों ने टेन्डर दिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस पुल के लिये दो बार टेण्डर मांगे गये। पहिली बार २ और दूसरी बार ३ टेण्डर आये ।

हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूमों में गोलमाल

१३४—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने प्रदेश में व देश में कितने हैंडीक्राफ्ट शो रूम हैं और कहां-कहां हैं और इनमें १९५७ से लेकर आज तक कितने का गबन पृथक-पृथक शो-रूम में हुआ है और दोषित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्री फूलसिंह—गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के ९ शो-रूम देश में व अपने प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

१—भोपाल
२—कलकत्ता
३—नई दिल्ली
४—नागपुर
५—हैदराबाद
६—हजरतगंज (लखनऊ)
७—अमीनाबाद (लखनऊ)
८—इलाहाबाद
९—आगरा।

१९५७ से लेकर आज तक पृथक शो रूम में निम्नलिखित गबन तथा दोषित व्यक्तियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

१—गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के अमीनाबाद शो रूम में सन् १९५७ ई० में ६९० रुपया ११ नये पैसे का गबन (Misappropriation) पाया गया। दोषी व्यक्ति को जुलाई, सन् १९५८ में नौकरी से अलग कर दिया गया।

२—(क) मार्च, १९५९ में हैदराबाद स्थित शो रूम में ११,९४४ रुपये ७१ नये पैसे का सामान कम पाया गया और १,६४७ रुपये ७६ नये पैसे का सामान अधिक पाया गया, दोषी व्यक्ति को नौकरी से अलग करके मामला पुलिस को दे दिया गया था। लेकिन सबूत न मिलने पर पुलिस किसी को दोषी न ठहरा पाई।

(ख) सितम्बर, १९६१ में हैदराबाद स्थित शो रूम में १,४०५ रुपये २० नये पैसे का सामान कम पाया गया। यह रकम वहां के कर्मचारियों से वसूल की जा रही है।

३—मार्च, १९६० में नागपुर स्थित शो रूम में १०,६०४ रुपये २९ नये पैसे का सामान कम पाया गया और ६,३३८ रुपये ८४ नये पैसे का सामान अधिक पाया गया। दोषी व्यक्तियों को निकाल कर मामला पुलिस को दे दिया गया। पुलिस जांच कर रही है।

४—सन् १९६१ में इलाहाबाद स्थित शो रूम में ४,००६ रुपये का समान कम पाया गया। मामले की जांच हो रही है।

१३५—श्री श्यामलाल—[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

गोंडा जिले में उद्योग ऋण

१३६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के कार्यकाल में जिला उद्योग विभाग, गोंडा से किन-किन लोगों ने किस प्रकार के उद्योग कार्य के लिये कितनी धनराशि किस तिथि को प्राप्त की है ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

१३७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री गंगाप्रसाद—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में उद्योग कार्य के लिये जो कर्ज दिये गये क्या उसी कार्य के लिये उसका उपयोग हुआ है ? यदि नहीं हुआ है, तो क्यों ? यदि हुआ है, तो सरकारी सहायता से चलने वाले उद्योग धंधों की प्रगति क्या है ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

टेक्निकल स्कूल, झांसी में फीस

१३८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के टेक्निकल स्कूल में वहां के विद्यार्थियों पर सन् १९६० व ६१ में कितनी फीस प्रति माह प्रति विद्यार्थी ली जाती थी व सन् १९६२ में कितनी प्रति माह प्रति विद्यार्थी ली जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

पशुपालन विभाग में सहायक विकास अधिकारी का वेतन

१३९—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रेंड लाइव स्टाक सुपरवाइजर जो आज कुल सहायक विकास अधिकारी (पशु) के पद पर कार्य कर रहे हैं उनका वेतनक्रम क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—लाइव स्टाक सुपरवाइजर जो सहायक विकास अधिकारी पशु पालन के पद पर कार्य कर रहे हैं उनका वेतन क्रम ७५–५–१२० रुपया प्रति माह है तथा उनमें से पदोन्नति पाये हुये सहायक विकास अधिकारियों का वेतन क्रम १२०–६–१६२–द० रो०–६–२१० – द० रो० १०–२५० रुपया है।

१४०—श्री मैनेजरसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त स० वि० अ० (पशुपालन) के दो वर्ष संतोषप्रद सेवा के पश्चात् उनका वेतन क्रम संशोधित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या अब तक दो वर्ष संतोषप्रद सेवा करने वाले सभी का संशोधित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

अन्य प्रश्न उठते ही नहीं।

१४१—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि प्रशिक्षित वेटेरीनरी कम्पाउन्डरों का वेतन क्रम संशोधित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कुछ प्रशिक्षित स० वि० अ० (पशु०) का भी वेतनक्रम वही है जब कि उनकी योग्यता तथा प्रशिक्षण में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

ऐसी दशा में अन्य प्रश्न उठते ही नहीं।

लोनार घाट पुल के निर्माण का स्थगन

१४२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील स्थित लोनारघाट के पुल में जितना कार्य हुआ है, उसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त पुल पर थोड़ा काम हुआ तथा बन्द कर दिया गया। इस कार्य में कुल १२,०६७ रुपये का व्यय हुआ था।

१४३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह महत्वपूर्ण कार्य किन कारणों से स्थगित कर दिया गया है ? उसमें कुल कितना धन और व्यय होगा ? क्या सरकार उस पुल को १९६३-६४ के बजट में अवश्य लेकर पूर्ण कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त पुल का कार्य धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था। पुल का कार्य पूरा करने में लगभग ७०,००० रुपये और व्यय होगा। चूंकि वह सड़क जिस पर पुल स्थित है अंतरिम जिला परिषद् की है, इसके निर्माण का उत्तरदायित्व परिषद् का है।

भदोही अस्पताल में लेडी डाक्टर न होना

१४४—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिला अन्तर्गत भदोही के सरकारी अस्पताल में एक लम्बे अर्से से कोई लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। भदोही के सरकारी अस्पताल में ६ फरवरी, १९६२ से लेडी डाक्टर नहीं है।

१४५—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार को यह भी पता है कि उक्त लेडी डाक्टर के साथ वहां के कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया जिसके कारण वह वहां से चली गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। उक्त लेडी डाक्टर किसी के दुर्व्यवहार के कारण नहीं गई।

१४६—श्री गयाप्रसाद—क्या यह सही है कि वहां से जाने के पहले उक्त महिला डाक्टर ने पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाई थी ? वह रिपोर्ट क्या है, कृपया सरकार बताने का कष्ट करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई।

बहजोई थाने में डकैतियां

१४७—श्री बिशनलाल यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख १ अगस्त, १९६२ से अब तक थाना बहजोई (जिला मुरादाबाद) मे कितनी डकैतियां तथा चोरियां हुई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना बहजोई के अन्तर्गत दिनांक १ अगस्त, १९६२ से ११ अक्तूबर, १९६२ तक डकैती की १ तथा चोरियों की १४ घटनाएं हुई।

१४८—श्री बिशनलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की थाना बहजोई (जिला मुरादाबाद) में ग्राम सकतपुर, ग्राम अहमदनगर, थरैसा और ग्राम जैतपुर की मड़इयों में हाल ही में जो डकैतियां हुई हैं उनमें कितना-कितना माल गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम सकतपुर की डकैती में ३४४ रुपया नगद, जेवर व कपड़ा जिसका मूल्य मालूम किया जा रहा है, लूटे जाने की सूचना है। ग्राम अहमदनगर थरोना तथा जैतपुर की मड़इयों में डकैती होने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई।

मेडिकल तथा हेल्थ विभाग में डाक्टरों के रिक्त स्थान

१४९—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में १९५६-५७ से १९६१-६२ तक राज्य में कुल कितने ऐसे मेडिकल और हेल्थ अफसर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त हैं जो इस राज्य के कालेजों के स्नातक नहीं हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य में पिछले पांच वर्षों में ऐसे ७५ मेडिकल अफसर तथा ११ हैल्थ अफसर नियुक्त हुए हैं जो इस राज्य के कालेजों के स्नातक नहीं हैं।

१५०—**श्री देवदत्त मिश्र**—पिछले पांच वर्षों से प्रति वर्ष राज्य में मेडिकल और हेल्थ विभाग के डाक्टरों के कितने स्थान खाली पड़े रहे? क्या सरकार इसकी तालिका दोनों विभाग की अलग.अलग प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले पांच वर्षों में मेडिकल तथा हेल्थ विभाग के डाक्टरों के जो स्थान खाली पड़े रहे, उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ३३४ पर)

१५१—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या मुख्य मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य में पहले से चल रहे तीन मेडिकल कालेजों और जो तीन नये खुले हैं उनमें निकले स्नातकों की संख्या आगामी दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले संभावित विस्तार की दृष्टिगत रख कर भी राज्य की मेडिकल और हेल्थ सेवाओं की आवश्यकताओं से कहीं अधिक होगी और आज भी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि राज्य में चल रहे तीन मेडिकल कालेजों और जो तीन नये खुले हैं उनसे पास होने वाले सभी स्नातक राज्य की नौकरी में आ जाते हैं तो ऐसी संभावना है कि आगामी दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले संभावित विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य की मेडिकल और हेल्थ सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। पर इस समय केवल २७५ स्नातक हर साल पास होते हैं जो उपर्युक्त सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुत कम हैं।

१५२—**श्री देवदत्त मिश्र**—यदि हां, तो क्या सरकार के पास विवरण सहित ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे हमारे मेडिकल कालेजों से निकले स्नातकों के अन्य राज्यों की सेवाओं में चले जाने पर प्रकाश पड़ता हो?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है।

१५३—**श्री देवदत्त मिश्र**—यदि ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो क्या सरकार मेडिकल कालेजों से पिछले दस वर्षों की इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने को कहेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि राजकीय चिकित्सालयों में तथा राजकीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों की कमी के कारणों की जांच करने तथा इस कमी को पूरा करने के लिये उपाय निश्चित करने के हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) नियुक्त की गई है।

रायबरेली जिले की पंचायती अदालतों में मुकदमे

१५४—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६१-६२ में रायबरेली जिले की अदालत पंचायतों में कुल कितने मुकदमे दर्ज हुये और कितने के फैसले हुये ? मुकदमों में न्याय पंचायत द्वारा किये गये जुर्माने से कितने रुपयों की आय सरकार को रायबरेली जिले से हुई ? अभी तक रायबरेली जिले में अदातल पंचायतों में कितने मुकदमें २ या ३ सालों से बिना फैसले के पड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वर्ष १९६१-६२ में जिला रायबरेली की न्याय पंचायतों में कुल २,३०३ मुकदमे दर्ज हुये जिनमें से १,७९७ मुकदमे के फैसले हुये। वर्ष १९६१-६२ में इस जिले की न्याय पंचायतों द्वारा कुल ४,५३८ रुपया ९३ नये पैसे जुर्माना लगाया गया जिसमें से कुल ४,७६२ रुपया १ नया पैसा की वसूली गतवर्ष के अवशेष जुर्माने के साथ हुई। पिछले वर्षों में ७२९ रुपया ३५ नये पैसे की धनराशि खजाने में अधिक जमा हो गई थी, उसका प्रतिशोधन न होने के कारण उक्त धनराशि का आधा भाग शासकीय कोष में अब तक जमा न हो सका। अभी तक जिले की न्याय पंचायतों में २ साल से अधिक की अवधि के कुल ३१ मुकदमे निर्णय हेतु शेष हैं। ३ साल से अधिक का कोई मुकदमा नहीं है।

कानपुर जिले में विकास व नियोजन कार्य के लिये धन

१५५—श्री शिवनाथसिंह—क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिवर्ष कितना रुपया कानपुर जिले में विकास एवं नियोजन कार्य के लिये स्वीकृत हुआ और उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिवर्ष कानपुर जिले में विकास एवं नियोजन कार्य के लिये स्वीकृत तथा खर्च हुये धन का ब्योरा संलग्न तालिकाओं में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ३३५-३३६ पर)

लखनऊ मेडिकल कालेज में श्रीमती पद्मावती राय के पेट में कैंची का मिलना

१५६—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि अभी लगभग एक माह के अन्दर लखनऊ मेडिकल कालेज में आपरेशन करके एक महिला के पेट से कैंची निकाली गई है जो लगभग साल भर पूर्व वाराणसी जनाना अस्पताल में बच्चा पैदा कराते समय उस महिला के पेट के भीतर छूट गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में श्रीमती पद्मावती राय के पेट के आपरेशन के समय एक कैंची (Artery Forceps) मिली थी किन्तु इस विषय पर जांच की जा रही है कि श्रीमती राय के पेट का दो पूर्व आपरेशन्स में से किस आपरेशन में कैंची पेट में रह गयी थी।

१५७—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या सरकार इस प्रकार मनुष्य की जिन्दगी के साथ होने वाले खिलवाड़ को बन्द करने का कोई स्थायी प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शासन के अन्तर्गत दोषियों को उचित दंड देने का पूर्व से ही प्रबन्ध है अतएव यदि जांच के उपरान्त कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे उचित दंड अवश्य दिया जाता है।

जालौन जिले में अल्प सिंचाई योजना

१५८—श्री विजयसिंह—क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत १९५९-६० से १९६१-६२ तक जिला जालौन में कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१४,७४,६०० रुपया तकावी (ऋण) के रूप में किसानों में वितरित किया गया।

डिवाई ब्लाक की न्याय पंचायत का चुनाव

१५९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला बुलन्दशहर में दानपुर डिवाई ब्लाक के न्याय पंचायत का चुनाव २६ अगस्त, १९६२ को किया गया ? यदि हां, तो—

(क) किस तारीख को घोषित किया गया और इसकी देरी का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सच है कि कलेक्टर ने यह तसलीम किया था कि सर्वसम्मति से जो नाम स्वीकार हो गये, चुने हुये माने जायेंगे ?

(ग) न्याय पंचायत केन्द्र खुशालाबाद ब्लाक डिवाई का ग्राम बुढानपुर कलां श्री राजपाल सिंह (२) श्री क्षत्रपाल सिंह सर्वसम्मति से चुने गये, फिर इनको किस आधार पर बदला गया ?

(ङ) क्या यह सच है कि S. D. O. की रिपोर्ट का विवाद ग्राम पंचायतों के निर्णय में उपयोग नहीं किया गया तो क्यों नहीं ? उन ग्रामों के नाम क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दिनांक १६ अगस्त, १९६२ को परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी और समिति के सदस्यों की अनुशंसा प्राप्त की गई थी।

(क) दिनांक १० सितम्बर, १९६२ ई० को पंचों की नियुक्ति संबंधी आदेश जिलाधीश द्वारा दिये गये तथा उसी दिन घोषित एवं प्रसारित कर दिये गये।

(ख) जी नहीं। जिलाधीश ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था।

(ग) परामर्शदात्री समिति ने सर्व श्री राज्यपालसिंह तथा छत्तरसिंह के मनोनयन की सिफारिश की थी परन्तु तत्कालीन जिलाधीश ने श्री बद्रीसिंह व श्री मानसिंह को नियुक्त किया, इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन जिलाधीश ने उन्हें अधिक उपयुक्त समझा।

(ई) जिलाधीश ने नियुक्ति के पूर्व सभी मामलों में समिति के सदस्यों की राय, क्षेत्राधिकारियों की अनुशंसायें तथा अन्य बातों पर भी विचार किया, केवल विवादग्रस्त पंचायतों का प्रश्न नहीं था, अतः ग्रामों के नामों की सूचना देने का भी प्रश्न नहीं आता। किन्तु नियुक्त किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी ने ऐसी रिपोर्ट नहीं की थी जिसके कारण ऐसे व्यक्ति किसी भी दशा में नहीं लिये जा सकते थे। आवश्यकतानुसार जिलाधीश ने योग्यता एवं आयु की छूट नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रदान की है।

सदर अस्पताल, मैनपुरी

१६०—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी सदर के एलोपैथिक अस्पताल में मरीजों को सन् १९६१ व १९६२ में औसतन कितने मरीजों को प्रतिदिन भोजन, दूध, फल दिये जाते थे और सन् १९६२ के माह जुलाई, अगस्त से अब तक कितने मरीजों को प्रति दिन भोजन, दूध, फल दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैनपुरी के सदर एलोपैथिक अस्पताल में मरीजों को दिये गये भोजन, दूध तथा फल का दैनिक औसत १९६१ तथा जनवरी से जून, १९६२ तक तथा जुलाई, से अगस्त, १९६२ तक निम्नलिखित रहा है :

	जनवरी, १९६१ से दिसम्बर, १९६१ तक	जनवरी, १९६२ से जून, १९६२ तक	जुलाई से अगस्त, १९६२
भोजन दूध आदि	१४.२८	१८.३८	२०.९१
केवल दूध	७.२०	६.५५	८.१
अतिरिक्त केवल दूध	८.९	१२.७	१२.२५
अतिरिक्त फल	५.३	९.८	१४.६५

जिला अस्पताल, बहराइच की इमारत

१६१––**श्री श्यामलाल**––दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के मेरे प्रश्न संख्या १२९ और १३० के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, बहराइच में कुल कितने कमरे थे और उनमें से कितने कमरे गिर गये हैं, बाकी कितने कमरों की छतें, फर्श और दीवालें फट गयी हैं और अनुमानतः वह नुकसान कितने लाख रुपये का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––कुल २५६ कमरे बने थे। इनमें से न तो कोई गिरा है और न हा किसी की छत, दीवाल और फर्श फटे हैं। केवल कुछ स्थानों पर छत के जोड़ों के नीचे बरामदे के खम्भों व दीवालों में दरारें पड़ गई हैं जिन्हें ठीक करने में लगभग २ हजार रुपये लगेंगे।

१६२––**श्री श्यामलाल**––जिसने इस अस्पताल के बनाने का ठेका लिया था क्या उस ठेकेदार (Contractor) से इस बिल्डिंग के लिये कुछ दिन के सुरक्षित के लिये Contract हुआ था ? यदि हां, तो कितने दिनों के लिये तथा इस नुकसान के लिये उस Contractor के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हां, अनुबन्ध हुआ था और उसके अनुसार यदि ६ माह के अन्दर बिल्डिंग में कोई नुकसान दिखाई दे तो ठेकेदार उसका जिम्मेदार है। ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय, यह अभी विचाराधीन है।

गेहुवांसागर–मालौनी बांध सड़क

१६३––**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर बेतिया हाते के पास से जो सड़क ग्राम गेहुंवांसागर से होकर मलौनी बंध में मिल जाती है उसको वह पक्का क्यों नहीं कराती और प्रति वर्ष क्या उस सड़क की मरम्मत में जिला परिषद् कुछ रुपया भी खर्च करती है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कितना, और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––यह सड़क जो बेतिया हाते के पास से गेहुंवांसागर होते हुये मालौनी बंध में मिल जाती है उसकी कुल लम्बाई २ मील १ फर्लांग ६२९ फीट है। उसमें से ४ फर्लांग ३१० फीट पक्की है। शेष भाग १ मील ५ फर्लांग ३१९ फीट अभी कच्ची है। धनाभाव के कारण अन्तरिम जिला परिषद् इस को पक्का कराने में असमर्थ है। इसके रख रखाव के लिये परिषद् लगभग २,००० रुपया प्रतिवर्ष व्यय करती है।

१६४—श्री नियामतुल्ला अन्सारी—क्या सरकार अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर को इस सड़क के महत्ता के समक्ष इसको शीघ्रातिशीघ्र पक्का करा देने का आदेश देगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है, अतः उसके रख रखाव का उत्तरदायित्व परिषद् का ही है।

घाटमपुर थानान्तर्गत जसवन्तसिंह की हत्या

१६५—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या मुख्य मंत्री प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ११५, दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जांच की कार्यवाही किस थाने की पुलिस द्वारा हो रही है तथा अब तक की जांच का क्या निष्कर्ष निकला और अब तक किसी की गिरफ्तारी न करने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना घाटमपुर, जिला कानपुर की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अब तक की जांच से संदेह के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ जिससे अभियुक्त और अपराध को सम्बद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिर भी इस दिशा में सफलता प्राप्ति के लिये पुलिस प्रयत्नशील है।

१६६—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या मुख्य मंत्री मृतक जसवन्तसिंह के पिता श्री छेदालाल के उन प्रार्थना पत्रों को जो उन्होंने जून, जुलाई में मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० एस० पी०, कानपुर तथा एस० पी०, फतेहपुर को दिये हैं, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनमें किन-किन बातों की प्रार्थना की गई है तथा उनमें कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। एस० एस० पी०, कानपुर तथा शासन को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। प्रार्थना पत्र में श्री छेदालाल ने मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराई जाने की प्रार्थना की थी। सर्किल अफसर ने घटनास्थल पर जा कर जांच की और जांच करने वाले अधिकारी को आवश्यक आदेश दिये।

सीमेन्ट वेज बोर्ड

१६७—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों ने तथा उनसे संबंधित यूनियनों ने अधिकांश मामलों में, सीमेंट वेज बोर्ड के फैसले को लागू करने के तरीकों का विरोध किया है ? क्या उन एतराजों के विषय में कोई सरकारी निर्णय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों से संबंधित यूनियन ने सीमेंट वेज बोर्ड के फैसले के लागू करने के तरीकों में कोई आपत्ति नहीं की। कुछ विशेष व्यक्तियों या categories के वेतन निधारण के बारे में कतिपय एतराज समय-समय पर अवश्य प्राप्त हुए हैं जिन पर उचित निर्णय सरकार ने दे दिया है।

कुरावली थाने में अपराध

१६८—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली के अन्तर्गत ग्राम डगऊ में माह अगस्त, १९६२ में श्री चन्द्रभान-सिंह के यहां कोई डकैती पड़ी है और क्या उस डकैती पर थाना इंचार्ज ने लूट-मार कायम की है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना कुरावली के अन्तर्गत ग्राम डगऊ में माह अगस्त, १९६२ में श्री चन्द्रभानसिंह के यहां किसी डकैती का होना नहीं पाया गया। उनके भाई श्री उदयवीरसिंह द्वारा दी गई लिखित सूचना पर एक मामला धारा ४५७ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। मामले में जांच जारी है।

१६९—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अगस्त, सन् १९६२ में इसी थाने के अन्तर्गत ग्राम रिवरिया में अहीरों के यहां डकती पड़ी और उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। थाना कुरावली के अन्तर्गत ग्राम खिरिया में माह अगस्त, सन् १९६२ में किसी के यहां डकैती का होना नहीं पाया गया।

१७०—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसी थाने के अन्तर्गत ग्राम बिशुनपुर कंचली में सूबेदारसिंह के यहां माह जुलाई, १९६२ में डकैती पड़ी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना कुरावली के अन्तर्गत विशुनपुर कंचली नाम का कोई ग्राम नहीं है। किन्तु ग्राम विरसिंहपुर के निवासी श्री सूबेदारसिंह द्वारा दी गई दिनांक २९/३०-७-१९६२ को हुई नकबजनी की सूचना पर एक मामला धारा ४५७ भा०दं० वि० का दर्ज होकर चालान हो चुका है।

१७१—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली में माह जून, सन् १९६२ में गंगा जमनी ग्राम में कोई डकैती पड़ी और उसमें कोई कत्ल हुआ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

१७२—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना कुरावली में ग्राम जरामई में ब्राह्मणों के यहां सन् १९६२ में कोई डकैती पड़ी और उसमें एक आदमी मारा गया? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। ग्राम जरामई में दिनांक २४/२५ जून, १९६२ की रात को पंडित द्वारिकाप्रसाद के यहां डकैती पड़ी। जिसमें वे डाकुओं द्वारा मारे गये।

इस संबंध में ५ अभियुक्त गिरफ्तार होकर चालान किये जा चुके हैं। ४ व्यक्ति अभी फरार हैं जिनके विरुद्ध धारा ८७/८८ जा० फौ० की कार्यवाही हो चुकी है।

१७३—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, १९६२ में मैनपुरी शहर में मु० सराउग्यान दरीबा में कोई मर्डर केस हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी, नहीं। ऐसी घटना की सूचना नहीं है, अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नैनी क्षेत्र में उद्योग ऋण

१७४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नैनी इंडस्ट्री एरिया में कितने लोगों को अब तक कारखाने चलाने हेतु प्रदेशीय सरकार द्वारा कितना-कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन को मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ३३७ पर)

१७५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनी इंडस्ट्री एरिया में जिन लोगों को ऋण दिया गया है उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लेने के उपरान्त भी कोई कारखाना नहीं चलाया ?

श्री फूलसिंह—कोई नहीं।

लेदियापुर निवासी बुद्धालाल की हत्या

१७६—श्री मन्नालाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ जून, १९६२ को दिन दहाड़े ही बुद्धालाल, सभापति, निवासी ग्राम लेदियापुर, थाना दिहानी, जिला हरदोई की निर्मम हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। थाना पसगवां, जिला खीरी की पुलिस द्वारा एक मुकदमा धारा ३७९/३०२/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित किया गया है।

१७७—श्री मन्नालाल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त व्यक्ति के कातिल कौन-कौन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक की जांच के आधार पर उक्त व्यक्ति की हत्या के संबंध में रग्घा, कल्लू, सधारी तथा छेदा निवासी ग्राम गुरथनिया, थाना पिहानी, जिला हरदोई, गिरफ्तार किये गये हैं। कौन कातिल है यह तो न्यायालय द्वारा निर्णय के बाद ही पता चलेगा।

१७८—श्री मन्नालाल—क्या सरकार को पता है कि लगभग ३ १/२ माह होने जा रहा है और पुलिस ने अभी तक चार्ज शीट नहीं दाखिल की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। अभियुक्त हरदोई कारागार में बन्द है। धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमे में उपरोक्त अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त बाकी है और बापरदा होने के कारण उनके बयान खीरी पुलिस द्वारा अभी-नहीं लिये जा सके हैं और खीरी के अभियुक्तों का स्थानान्तण भी नहीं हो सका है। कार्यवाही शिनाख्त होने के पश्चात् अभियुक्तगणों के बयान लेकर चार्जशीट प्रेषित की जायेगी।

औद्योगिक संस्थानों में यूनियनें

१७९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ७० चीनी करखाने में कितनी अलग-अलग औद्योगिक संस्थानों में यूनियनें हैं और उनका संबंध किन-किन फेडरेशनों से है तथा अलग-अलग कितनी सदस्यता हर यूनियनों की १९६०-६१ में रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—*सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव

१८०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में सरकार द्वारा किन-किन मदों में कितना अनुदान और कितना ऋण दिया गया ?

---

*छापी नहीं गई।

१८१—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि में अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव ने किन-किन मदों में कितना खर्च किया ?

१८२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९६१ से १५ अगस्त, १९६२ तक अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया था तथा इसमें कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शासन की कोशिशों के बावजूद भी, अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव से अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः ऐसी परिस्थिति में इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

चमोली जिले का मैठाणी ऊनी केन्द्र

१८३—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमांत जिला चमोली के अन्तर्गत मैठाणी ऊनी वस्त्र उत्पादन तथा ऊन संबंधी प्रशिक्षण केंद्र का विघटन कर दिया गया ह ? यदि ऐसा किया गया है, तो क्यों और किन कारणों से ?

श्री फूलसिंह—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

१८४—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमांत जिला चमोली के अन्तर्गत ऊनी वस्त्र उत्पादन तथा प्रशिक्षण केंद्र मैठाणी के १९४७ से और १९६२ तक के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं, केंद्र के ह्रास तथा अवनति के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं और इनमें उत्पादन घटने के क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह—केंद्र के १९४७ से १९५१ तक के उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९५१-५२ से १९६१-६२ तक का उत्पादन यों है :—

(अ) सूत—२९७ मन, २५ सेर १ १/४ छटांक

(ब) कपड़ा—२८,७६१ गज १० गिरह

(स) स्वीटर—१७९ अदद

(ख) कोई नहीं

(ग) प्रशिक्षण लेने के लिये कम शिक्षार्थी आये अतएव उत्पादन घटा।

१८५—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैठाणी (सीमांत जिला चमोली) में सरकार ऊन संबंधी उत्पादन तथा प्रशिक्षण का कार्य पूर्ववत् चालू करने का विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का रेलवे पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन

१८६—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ अक्तूबर, १९६२ ई० के सायंकाल आर०पी० एफ० के किसी इंस्पेक्टर ने किसी विद्यार्थी को जो फरेंदा-गोरखपुर ट्रेन से आ रहा था, उसे बुरी तरह से रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शे पर मारा था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। दो व्यक्ति रेलगाड़ी की जंजीर खींचने तथा आर०पी०एफ० कर्मचारियों के अधिकृत कार्य में हस्तक्षेप करने के आरोप में पकड़े गये थे जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

१८७—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कोई प्रदर्शन इस सिलसिले में जी० आर० पी० पुलिस स्टेशन, गोरखपुर के सामने किया था और वे इंस्पेक्टर के मुअत्तली की मांग कर रहे थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यह प्रदर्शन इस निराधार समाचार पर हुआ था कि गिरफ्तार व्यक्ति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं।

१८८—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रिक्शा वाला तथा विद्यार्थी दोनों गोरखपुर के सदर अस्पताल में भर्ती हैं? यदि हां, तो उनकी क्या दशा है और कहां कहां चोटें लगी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। चोटों की जांच करने के पश्चात् रिक्शा चालक को ९ सितम्बर तथा दूसरे व्यक्ति को १२ सितम्बर, १९६२ को गोरखपुर सदर अस्पताल से रिहा कर दिया गया। रिक्शा चालक के जांघ, कंधे, पीठ एवं कनपटी पर साधारण चोट अथवा खरास थे तथा अन्य व्यक्ति के भी साधारण चोटें अथवा खरास माथे पर, कंधे व पखुरे तथा सीने पर थे। डाक्टरी जांच से यह चोटें धारहीन (blunt) हथियार की बतायी गईं।

बोरिंग आपरेशन्स पर व्यय

१८९—**श्री विजयसिंह**—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट १९६०-६१ में Grant no. 48 Sub-head District 130 Boring Operations (iii) Improvement of wells by Boring में ३,८२,०५७ रुपया खर्च नहीं हो सका और ३१ मार्च, १९६२ तक सरेंडर भी नहीं किया गया, तो इसका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न में उल्लिखित धन के बचत के निम्न कारण हैं :—

(१) सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिला नियोजन अधिकारियों को भेजे गये सामान के मूल्य के १,५८,६०० रुपये के बिलों का महालेखापाल उत्तर प्रदेश के कार्यालय में वर्ष १९६०-६१ के अन्दर समायोजन (adjustment नहीं हो सका।

(२) इसके अतिरिक्त नल आदि के लिये बहुत से आदेश (order) उक्त वर्ष में भेजे गये थे लेकिन कुछ अलक्षित (unforeseen) कारणवश अधिकतर सामान उसी वर्ष के अन्दर प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे शेष धन की बचत हुई।

उक्त बचत की सूचना ३१ मार्च, १९६१ तक प्राप्त नहीं हो सकी अतः उस दिनांक तक सरेंडर नहीं किया जा सका।

१९०—**श्री विजयसिंह**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बोरिंग के स्टाफ पर तथा बोरिंग के काम व काम के खर्चे पर किस प्रकार कंट्रोल किया जा रहा है और एग्रीकल्चर इंजीनियर तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर का इस में क्या कंट्रोल और सुपरवीजन है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बोरिंग स्टाफ तथा बोरिंग के काम व खर्चे पर जिलास्तर पर जिला नियोजन अधिकारियों द्वारा, तथा प्रांतीय स्तर पर उप विकास आयुक्त (प्राविधिक) द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियंता (नियोजन अल्प सिंचाई) द्वारा तथा सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर और मैकेनिकल इन्स-पेक्टरों द्वारा भी बोरिंग स्टाफ पर नियंत्रण किया जाता है और उनको समय-समय पर प्राविधिक परामर्श दिया जाता है।

उक्त स्टाफ के कंट्रोल और सुपरविजन के संबंध में एग्रीकल्चर इंजीनियर तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर का कोई संबंध नहीं है।

१९१—**श्री विजयसिंह**—१९६१-६२ में इस उपरोक्त मद पर १५ लाख में से कितना खर्चा हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—५,४४,३०७ रुपये।

सरकारी कर्मचारियों की अवकाश-प्राप्ति की आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ वर्ष करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें मिली हैं उनमें एक माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी की है जो मैंने स्वीकार की है, वह इस प्रकार से है :—

"देश में संकट कालीन स्थिति को देखते हुये केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर दिया है और इस आशय की सूचना राज्य सरकारों को भेज कर इस निर्णय का अनुसरण करने की सलाह दी है।

ऐसी दशा में प्रदेशीय कर्मचारियों का ध्यान राज्य सरकार के निर्णय की ओर लगा है अतः इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा सरकार से यह जानकारी करना चाहता हूं कि ५५ वर्ष की आयु बढ़ाकर ५८ वर्ष कर देने के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है।"

यह मैंने मंत्री जी को भेज दिया है, इसी संबंध में एक अल्पसूचित प्रश्न भी आया है, दोनों एक साथ हो जायेंगे। मंत्री जी कब जवाब देंगे ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—सोमवार को जवाब देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—५५ वर्ष से ५८ वर्ष किया गया यह तो नियम ५२ का सवाल नहीं था। इस पर तो सरकार वैसे ही आदेश दे देती।

श्री अध्यक्ष—आप उनको सलाह दे दीजिये कि जवाब न दें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—जो मैंने आपकी इजाजत से प्रस्ताव दिया था उसके बारे में.....

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने कोई आदेश नहीं दिया। सबेरे आपने दिया, मैं उसको देखूंगा।

श्री श्यामलाल द्वारा प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्ति

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—आप मेरा एतराज सुन लें।

श्री अध्यक्ष—१२२ नम्बर तक हम पहुंचे नहीं।

श्री श्यामलाल---प्र०सं० १२२ का जवाब दिया कि ३,७६० ग्राम सभायें हैं और १२३ का उत्तर दिया है कि विकेंद्रीकरण के उपरान्त विविधि अधिकारियों के प्रति शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

४ महीने हुए इन प्रश्नों को दिये और अभी तक सूचना एकत्रित की जा रही है

श्री अध्यक्ष---जो उत्तर मिला है आप मेरे पास भेज दीजिये, मैं जवाब मंगा लूंगा।

देवरिया जिले के फतेह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, तमकुही के बन्द होने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)---स्वर्गीय इन्द्रजीतप्रताप-बहादुरसाही, राजा तमकुही, जिला देवरिया.....

श्री अध्यक्ष---जरा ऐसा पढ़िये जो समझ में आये।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)---स्वर्गीय इन्द्रजीतप्रतापबहादुरसाही, राजा तमकुही, जिला देवरिया ने तमकुही क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने के लिये १९४५ में तमकुही राज एजूकेशन सोसाइटी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया। इसके अन्तर्गत एक स्कूल संचालित किया गया, जिसका नाम फतेह मेमोरियल स्कूल रखा गया। ट्रस्ट के नियम के अनुसार तमकुही राज्य का मालिक ही इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है और स्वर्गीय राजाइन्द्रजीतप्रतापबहादुर-साही अपने स्वर्गवास (१९४७) तक इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। राजा साहब के कोई पुत्र नहीं था केवल एक पुत्री थी इसलिये, राजा साहब की मृत्यु के उपरान्त उनकी रानी जागेश्वरी कुमारी तमकुही राज की मालिका हुईं और ट्रस्ट की भी अध्यक्ष हुईं। रानी साहिबा की मृत्यु १९५० में हुई। उसके उपरान्त उनके दामाद श्री भगवतीप्रसादसिंह और स्वर्गीय राजा साहब के तीन भतीजों में तमकुही राज के लिये मुकदमेबाजी हुई। यह मुकदमा सर्वोच्च न्याया-लय तक गया और वहां जा कर आपस में सुलह हो गई और मई, १९५८ में इस सुलहनामे के अनुसार स्वर्गीय राजा साहब के दामाद श्री भगवतीप्रसादसिंह को जायदाद का ७ आना हिस्सा प्राप्त हुआ तथा उनके तीन भतीजों को ६ आना हिस्सा मिला। शेष ३ आना हिस्सा दूसरे व्यक्तियों को मिला। इस समझौते में ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था।

इस ट्रस्ट पर कब्जा पाने के लिये श्री भगवतीप्रसादसिंह ने स्टेट बैंक आफ इंडिया से ट्रस्ट की आमदनी मांगी। स्वर्गीय राजा साहब के भतीजों ने इसका विरोध किया। इस पर बैंक ने कोई धन किसी पार्टी को देने से इंकार कर दिया। २६ सितम्बर, १९६२ को श्री भगवतीप्रसाद-सिंह का भी देहान्त हो गया। इनके भी कोई पुत्र नहीं था। इसलिये इनकी विधवा पत्नी श्रीमती योगेश्वरी देवी अपने हिस्से की मालिका हुईं। इनके भी केवल एक पुत्री है। जिसके पति श्री उमाशंकरप्रसादसिंह हैं। इस समय श्रीमती योगेश्वरी देवी और उनकी पुत्री श्रीमती शशिप्रभासिंह एक तरफ हैं और स्वर्गीय राजा साहब के तीनों भतीजे दूसरी तरफ हो कर मुकदमे बाजी कर रहे हैं ताकि वे उपर्युक्त ट्रस्ट पर अधिकार पा सकें। अभी इस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है।

इन दोनों पार्टियों ने फतेह मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल की दो प्रबन्ध सिमितियां बना ली हैं। दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल नियुक्त कर लिये हैं जो उसी विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं। स्कूल पर अपना कब्जा करने के लिये दोनों प्रिंसिपलों ने जोरदार प्रयास किये, जिसके फल-स्वरूप ६ नवम्बर, १९६२ को दोनों दलों में मारपीट हुई जिसमें अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। उस दिन से विद्यालय बन्द हो गया और अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बन्द कर दिया।

[श्री केशभान]

स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा जिलाधीश ने पर्याप्त प्रयास किया कि स्कूल पुनःसंचालित हो जाय और उसमें किसी प्रकार का झगड़ा फसाद न हो । इन लोगों के प्रयास के फलस्वरूप शासन के पास दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर से दिनांक ५ दिसम्बर, १९६२ को यह प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि शासन इस विद्यालय के संचालन के लिये कोई प्रबन्धक नियुक्त कर दे और यह प्रबन्धक तब तक कार्य करता रहे जब तक इस सम्बन्ध में दाखिल मुकदमों का फैसला न हो जाय । और यह निश्चित नहीं होता कि ट्रस्ट किसके अधिकार में रहेगा । शासन को यह सूचना मिली है कि दोनों स्थानापन्न प्रधानाचार्य ४ दिसम्बर, १९६२ से स्कूल नहीं आ रहे हैं और उसी दिन से स्कूल खुल गया है तथा शिक्षा का कार्य आरम्भ हो गया है जिससे प्रतीत होता है कि स्थिति वहां अब शान्त है और चिन्ता की कोई बात नहीं है । शासन से जो प्रबन्धक नियुक्त करने की प्रार्थ की गयी है उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---अब एक सूचना देनी है ...

एक सदस्य---सप्लीमेंटरी नहीं होंगे ?

श्री अध्यक्ष---सिर्फ वक्तव्य के लिये मैंने रखा था ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---मैंने उसी दिन कहा था कि इस सवाल के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछना आवश्यक होगा और मैं कार्यवाही दिखा सकता हूं कि आपने कहा था कि यदि आवश्यक होगा तो मैं कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---क्या स्कूल खुल गया है और काम चल रहा है ? जिन परिस्थितियों में शिक्षा के कार्य में दिक्कतें हुई थीं वह मालूम हो गयीं । अब इस सम्बन्ध में, गेंदासिंह जी, आप और क्या जानना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं यह जानना चाहता हूं कि स्कूल ४ तारीख को खुला और इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि ५ तारीख को प्रबन्धक नियुक्त करने के लिये कागज आया । मेरी जानकारी यह है कि यह कागज नवम्बर में किसी वक्त भेज दिया गया था । उस पर अब तक प्रबन्धक नियुक्त करने में क्या कठिनाई रही जिसकी वजह से अभी तक स्कूल बन्द पड़ा रहा ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता । इस वक्त प्रबन्ध हो गया है । मुख्य उद्देश्य इस सूचना का यह था कि जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत हो रही है, मारे मारे फिर रहे हैं । उस सम्बन्ध में आज यह स्टेटमेंट आया है कि स्कूल खोल दिया गया है और अब लड़के पढ़ रहे हैं, तो अब और सवाल नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्धक नियुक्त न होने के अभाव में दोनों प्रिन्सिपल वहां नहीं जाते हैं और ऐसी हालत में नियमित रूप से शिक्षा देने का काम तो हो ही नहीं सकता, न उनकी फीस ली जा सकती है और न उनके पर्चे इम्तहान के लिये दाखिल हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---(मंत्री जी से) मतलब यह है कि यद्यपि स्कूल खुल गया है तो भी गेंदासिंह जी चाहते हैं कि आप यह देखें कि वह प्रधानाचार्य वहां जाते हैं, या क्या हो रहा है, इसको देख लिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आर्थिक दृष्टिकोण से स्कूल इसलिये गिर गया है कि इसकी कमेटी का कोई प्रबन्धक नहीं है और ४६ हजार रुपया बैंक में पड़ा हुआ है । बैंक यह कहता है कि कोई साधिकार व्यक्ति आये तो हम रुपया दे दें । तो क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध कर रही है कि वह ४६ हजार रुपया इस विद्यालय को दिला दिया जाय ताकि कम से कम कुर्सी मेज तो बन जाय ।

श्री अध्यक्ष---देखिये, अब दोनों पार्टीज ने दरख्वास्त दी है कि सरकार उसे अपने प्रबन्ध में ले ले। इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज राजी हैं। अब जो ४६ हजार रुपया स्कूल का है वह एक व्यक्ति तो ड्रा नहीं कर रहा है। दोनों ने सरकार को अधिकार दे दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार उसके अनुसार प्रबन्ध करेगी। अब इसमें कोई और दिक्कत हो सकती है तो अल्पसूचित प्रश्नों द्वारा पूछ सकते हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत जो मामला था उसका समाधान हो चुका।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, पहले प्रिंसिपल्स मारे गये हैं और अब भी डर है कि कहीं खुलकर मार न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। बहस नहीं हो सकती है।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उनको इस झगड़े की जानकारी है और प्रबन्धक को नियुक्त करने के लिये दोनों पार्टियों ने लिखकर भेज दिया है और एक सप्ताह पहले लिखकर भेज दिया है तो फिर सरकार को कौन-सी कठिनाई है जबकि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है। क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि वे जल्दी से कार्यवाही करेंगे जिससे पढ़ने का नुकसान न हो?

श्री केशभान---श्रीमन्, दोनों प्रबन्ध समितियों ने जो अधिकार सरकार को सौंप रखे हैं और इसके अलावा जो भी अधिकार इन समितियों द्वारा मिलेंगे उनके अनुसार जो कुछ किया जा सकेगा जरूर किया जायगा। असल में समस्या बहुत जटिल है और इस समय कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसमें बहुत से प्रश्न हैं और कानूनी अड़चनें भी हैं। स्कूल के संचालक के लिये जितना आवश्यक होगा और जितना किया जा सकेगा जरूर किया जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि दोनों समितियों ने प्रबन्धक नियुक्त करने के लिये लिखकर भेज दिया है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि जो प्रिन्सिपल्स बने थे उन्होंने अपने दल बना रखे हैं और गुन्डे रखे हुये हैं। इसीलिये अधिकांश छात्र पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सरकार जब तक प्रबन्धक नियुक्त नहीं करती है और इस आश्वासन के बावजूद भी अधिकांश छात्र पढ़ने के लिये नहीं आयेंगे। इस कठिनाई को देखते हुये कि छात्रों की पढ़ाई ठीक से चल सके इसके लिये सरकार क्या आश्वासन दे रही है?

श्री अध्यक्ष---माननीय शिक्षा मंत्री जी, पाठशाला खुल गयी है, शान्तिपूर्वक कार्य हो सके, इसके लिये कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं, यह बता दीजिये।

श्री केशभान---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले बता दिया गया है कि स्कूल को चलाने के लिये जितना आवश्यक है उसको पूरा करने के लिये प्रबन्धक की नियुक्ति के बाद प्रयास किया जायगा और यह देखा जायगा कि झगड़े का निबटारा होता रहे, लेकिन स्कूल का काम चलता रहे। हम प्रबन्धक समस्या का समाधान तो कर लें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, उनको जानकारी बिलकुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं आधा मिनट का समय लेना चाहता हूं। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी हो जाय तो उससे लाभ ही होगा। वह भले ही जवाब न दें। अदालत में जो मुकदमा है उसमें दोनों पार्टियों ने यह लिखकर दे दिया है जज को कि जो रिसीवर मुकर्रर होगा, वह प्रबंध करेगा। इसमें मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---इसको सूचना मानकर देख लीजिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—प्रबन्धक नियुक्त नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं जा रहे हैं तो स्कूल का काम कैसे चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा हो गया ।

श्री [कल्पनार्थसिंह—सूचना यह है कि सरकार झगड़ा करा रही है ।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल गलत बात है । मैं कह चुका हूं कि समाप्त हो । आप बठ जायं । जिसको जो पूछना हो, वह प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं ।

नेशनल हेराल्ड में श्री रामलखन शुक्ल के भाषण को गलत ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—माननीय राम लखन जी ने मुझे एक सूचना दी है । आज के नेशनल हेराल्ड में यह छपा है कि "Mr. Ram Lakhan (Congress) pleaded for the ample provision of direct election to the zila parishad and oprosed the bill." यह गलती से हो गया । उनका कहना है कि मैंने अपोज नहीं किया था । मैंने बिल को सपोर्ट किया था और कुछ सुझाव दिया था । कृपया इसको ठीक कर लीजिये ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और देनी है । कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी । उसमें जो निश्चय हुआ है वह मैं आपको बता दूं । विभिन्न दलों के सचेतकों के परामर्श से निश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन), विधेयक, १९६२ को आज सायंकाल ५बजे तक ही पारित कर दिया जायेगा और तदुपरान्त उत्तर प्रदेश स्टैम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर सायंकाल साढ़े पांच बजे तक विचार हो कर उसे पारित किया जायगा । इसके पश्चात् सदन का समय बढ़ा कर उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर सामान्य विवाद आरम्भ होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है । मैंने कल भी कहा था, जब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हु ई थी कि साढ़े पांच बजे के बाद समय बढ़ाने का जहां तक सवाल है आप हाउस से कृपा करके पर मीशन ले लें, तब आप बढ़ायें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने कुछ कहा नहीं है । मैंने यह कहा है कि तय हुआ है । वह सदन के सामने रख दिया गया ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ को वापस लेने की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक अपील सरकार से करना चाहता हूं । अगर कोई शब्द ऐसा मैं कह जाऊं जिससे किसी को कष्ट हो तो मैं उसके लिये करबद्ध प्रार्थना अभी से कर लेता हूं । मैं यह जानते हुये कि माननीय

मुख्य मंत्री भी नहीं हैं और सम्भवत मेरी बात का उत्तर आज उपनेता देने को सहमत न हो सकें, परन्तु मैं चाहता हूं कि कल जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायं उसका उत्तर अवश्य दें और सोचने का भी आप को समय मिल जाय ।

श्रीमन्, आज हम एक संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, यह सर्वमान्य है । इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमारी एकता बनी रहे । आज यह कहने से कि हमने गलती की, उन्होंने गलती की, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । आज हम लोगों को थोड़ा, जो स्वाभाविक टेम्पटेशन होता है पालिटिक्स का जिसको डिशिंग कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिये । यह सत्य है कि एक बड़ा कंट्रोवर्शल मेजर आ गया है, लैंड टैक्स । इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस की गलती है, किस की गलती नहीं है, आज इसका विश्लेषण न करें तो ज्यादा अच्छा है और यह भी सत्य है कि आपका बहुमत है । आप जो चाहेंगे वह पास होगा बहुमत से, परन्तु इस बिल के आने के बाद जो आज सदन दो हिस्से में बंटा दिखता है, हम चाहें न चाहें, फिर भी इस द्वैत का प्रतिविम्ब प्रान्त में भी पड़ेगा । ऐसा हो सकता है । ऐसी स्थिति में आप हम सबसे बड़े हैं । हमारी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा आपकी भी जिम्मेदारी है । आप भी मान प्रतिष्ठा का प्रश्न अब छोड़ दें और हम भी मान प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़ दें. . . .

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—This is a betrayal.

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे मित्र ने जो अंग्रेजी में वाक्य कहे मैं उस छोटी मनोवृत्ति के परिचायक वाक्य की ओर ध्यान नहीं देता । मैं भी चाहूं तो ईक्वल क्वायन्स में रिपे कर सकता था । लेकिन वह मैं करने को तैयार नहीं हूं और यह भी अर्ज कर दूं कि अपने देश प्रेम का सर्टिफिकेट आप महाशयों से मुझे नहीं चाहिये ।

श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम सब मान प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़ें । मैं जो बातें कह रहा हूं उनको बहुत सोच-समझ कर प्रकट कर रहा हूं और आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री मेरी बातों का अर्थ समझेंगे । इस कंट्रोवर्शियल मेजर के कारण कुछ अप्रिय घटनायें हुई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मान प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़कर हम आगे बढ़ें और मैं समझता हूं इसमें ही आपका बढ़प्पन भी है कि आज उस बिल को आप वापस कर लें और हम लोग बैठ कर फिर विचार करें कि कोई मार्ग है, कोई रास्ता है । इसमें मैं समझता हूं कि अगर आप आज उसको वापस करते हैं तो आपका बड़प्पन है और आप हमसे बड़े हो, सब तरह से मैं कहता हूं कि आप बड़े हो और आज उस बड़प्पन को आप प्रकट करें । आज हम लोग अपने अपने आवेश को छोड़कर एक दूसरे की नीयत के ऊपर जो अविश्वास हमको होता है उसको छोड़ दें । मैं यह सबके लिये कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं और इधर भी कह रहा हूं कि जो हमारे पोलिटिकल शेल्ब्ज हैं, उन शेल्ब्ज के ऊपर आज हम उठें । हो सकता है, कुछ गलतियां हुई होंगी । मैं गलतियों का विश्लेषण करने के लिये आज तैयार नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमसे बड़े हों, आप आज पहले पग बढ़ाओ, इसमें ही आपका बड़प्पन और सम्मान है । इन सब दृष्टियों से मैं पुनः आपके द्वारा सरकार से बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बिल को जिससे कंट्रोवर्सी फैलती है और जो घाव है, जिसके कारण विशेष मतभेद उत्पन्न हो जाता है उसको आप थोड़ा-सा शान्ति देने की दृष्टि से इसको सरकार वापस ले ले । इसी में आपकी विजय भी है, आपकी प्रतिष्ठा भी है, आपका सम्मान भी है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर आप शान्ति से विचार कर लें । उसके हर पहलू के कांसीक्वेंसेज पर विचार कर लें और जो आज समय की मांग है उस पर विचार कर लें और विचार करके तब निर्णय लें । यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और मुझे आशा और विश्वास है कि जो उचित निर्णय है कि इस कंट्रोवर्सी को न जगाया जाय, वही निर्णय आप लेंगे । इस विश्वास से मैंने निवेदन किया और मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न अभी उठा है मुझे मालूम नहीं था कि यह प्रश्न उठने वाला है वर्ना इसकी इस वक्त इजाजत नहीं देता । अभी हमारे पास बहुत-सा काम है । जब वह हो जायगा तब माननीय नेता सदन अगर मौजूद हुये तो वह या उपनेता सदन इसका उत्तर दे देंगे । (व्यवधान) आपकी बात सुन ली गयी और विचार करके उत्तर दे दिया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—जो प्रस्ताव इस समय पेश हुआ है वह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिये माननीय नेता विरोधीदल ने पेश किया है । समय का बटवारा करने के लिये यह हाउस सक्षम है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय विरोधी दल के नेता के प्रस्ताव पर नेता सदन या अन्य पार्टियों के नेता जो हैं वह भी अपना विचार रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । जहां तक इस हाउस के कार्य संचालन का विषय है उसके लिये आप और यह सदन दोनों सक्षम हैं । समय को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं । यह सारी बातें हो सकती हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या आप हमको भी मौका देंगे अपनी बातों को कहने का ?

श्री अध्यक्ष—इस समय मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

१३ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ से संबंधित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—अध्यक्ष महोदय दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ को श्री विजर्यासिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में सर्वश्री विजर्यासिंह, मैनेजरसिंह तथा नरसिंहनारायण ने नीचे दिये गये परिशिष्ट के स्तम्भ ३ में दिये गये अनुपूरक प्रश्न पूछे थे इनके उत्तर जो उस समय सदन में दिये गये थे वे स्तम्भ ४ में दर्शित हैं ये उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर स्तम्भ ५ में दिये जाते हैं जो इस प्रकार से हैं :—

क्रम सं०	प्रश्नकर्त्ता का नाम	अनुपूरक प्रश्न	अनुपूरक प्रश्नों का विधान सभा द्वारा लिखा हुआ उत्तर	अनुपूरक प्रश्नों का सही उत्तर
१	२	३	४	५
१	श्री विजर्यासिंह	श्रीमान्, प्रश्न यह था कि ब्लाक के बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों ने कितना दौरा किया, उसमें बी० डी० ओ० ने कितना दौरा किया, यह इसमें नहीं हैं और उत्तर भी अभी एक ही मिनट पहले मिला है ।	बी० डी० ओ० ने जो दौरा किया है उसकी तारीखें बता दी गयी हैं और ९ रात्रि वह रहे हैं । २१,२२,२३, और २४ को उन्होंने दौरा किया है इसमें उसका भी विवरण है ।	बी० डी० ओ० ने नहीं वी० एल० डब्लू० ने जो दौरा किया है उसकी तारीखें बता दी गयी हैं । ९ रात्रि बाहर वी० एल० डब्लू० रहे हैं । १९ जनवरी, १९६१, २० जनवरी, १९६१, १३ फरवरी, १९६१, १६ फरवरी, १९६१, १७ फरवरी, १९६१, २२ फरवरी, १९६१, २३ फरवरी. १९६१

क्रम-संख्या	प्रश्नकर्त्ता का नाम	अनुपूरक प्रश्न	अनुपूरक प्रश्नों का विधान सभा द्वारा लिखा हुआ उत्तर	अनुपूरक प्रश्नों का सही उत्तर
१	२	३	४	५
			२८ फरवरी, १९६१, १० मार्च, १९६१ तथा २५ मार्च, १९६१ को उन्होंने दौरा किया है इसमें उसका भी विवरण है	
२	श्री विजयसिंह ..	माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नदी गांव ब्लाक को खुले कितने दिन हो गये हैं ?	यह क्षेत्र १ अक्तूबर, सन् १९६० को खोला गया था।	यह क्षेत्र १ अक्तूबर, सन् १९६० से प्रथम चरण विकास खंड में प्रवेश किया ।
३	श्री मैनेजरसिंह ..	सम्बन्धित बी०डी०ओ० ने जो दौरा किया उसमें रात्रि हाल्ट कितने किये ?	९ रात्रि	बी० डी० ओ० ने नहीं वी० एल० डब्लू० ने दौरे में ९ रात्रि हाल्ट किया ।
४	श्री मैनेजरसिंह ..	क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक बी० डी० ओ० के लिये एक वर्ष में कितने नाइट हाल्ट करने चाहिए ?	१० दिन तक नाइट हाल्ट कर सकते हैं ।	१० दिन तक नाइट हाल्ट प्रति मास कर सकते हैं
५	श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय ।	क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा भी सरकुलर है सरकार की तरफ से कि एक बी०डी०ओ० इतने ही मील चल सकता है और उसको इतने मील चलने के बाद अलाउन्स नहीं दिया जायगा ?	नियमानुसार उनके लिये ९ दिन तक का ही सर-कुलर है क्योंकि उन को दूसरे काम भी रहते हैं । इसलिये ९ दिन का रक्खा गया है ।	परिपत्र के लिए तो सूचना आवश्यक है परन्तु उनके लिये १५ दिन तक के ही दौरे का आदेश है क्योंकि उनको दूसरे काम भी रहते हैं जिन्हें वे करते हैं । इसलिए १० दिन का रात्रि निवास मासिक निर्धारित है ।

(मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर देखिए नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—यह जो संशोधित उत्तर मिला है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि पूरे वर्ष में १० दिन के दौरे की बात जो पूछी गई थी उसको गलत समझकर यह संशोधित उत्तर दिया है। मैं उनका आभारी हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब उत्तर मिले तो उस पर एक दो प्रश्न करने की इजाजत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे सहमत हूं। किन्तु उसमें कठिनाई यह है कि हमारे नियम और हमारी रूलिंगस् जो है, वह यह है, कि संशोधित प्रश्नोत्तर पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। इस पर विचार करेंगे। अगर गलती हो गई तो फिर प्रश्न होने का उस पर मौका होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ को वापस लेने की मांग (क्रमागत)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—अभी माननीय नेता विरोधीदल ने बगैर आपकी इजाजत के जो अपील की है वह प्रोसीडिंग में न रखी जाय। उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ?

श्रीमन्, आपने स्वयं कहा था कि आपने उनको इसके लिये आज्ञा नहीं दी। तो जो मैंने आपसे निवेदन किया है उसको आपको स्वीकार करना चाहिये। उस समय आपने कहा था कि उन्होंने आपकी आज्ञा के बिना यह भाषण दिया है तो इसको प्रोसिडिंग से एक्सपंज होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रोसीडिंग से कोई अंश निकालने का अधिकार विशेष परिस्थिति में ही मुझे प्राप्त है। वह परिस्थितियां अगर होंगी तो मैं आदेश दे दूंगा। आपने एक सुझाव दे दिया। अब उस सुझाव को स्वीकार करना या न करना मेरे अधिकार की बात है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ खण्ड ३ (क्रमागत)*

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसिंह जी का जो संशोधन खंड ३ में ८ से १२ की संख्या बढ़ाने का है उसका मैं कल विरोध कर रहा था और उस संबंध में मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित संख्या निर्धारित कर देने से समस्या का कोई समाधान नहीं होता। मैंने कल भी इस तरफ इशारा किया था कि विकास खंडों में केवल प्रधान पदेन सदस्यों की संख्या में काफी अन्तर है और वह अंतर २६ से १००, १०५ और ११० तक है। यदि आप एक निश्चित संख्या निर्धारित करते हैं तो जिन विकास खंडों में २६, ३० या ३४ सदस्य हैं वहां का संतुलन बिगड़ जायगा। २६ में ८ या १२ यदि आप उनको कर दें तो महिला और सहकारिता और दूसरे सदस्य मिल कर आधे से अधिक बाहरी लोग आ जायेंगे। जो दलील बार-बार सरकारी पक्ष से दी जाती है कि चुने हुये लोगों की पर्याप्त संख्या क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में है वह बात निर्मूल हो जायगी और उस आशा पर कुठाराघात होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इसी खंड में मेरा भी एक संशोधन है यदि इसमें तरमीम हो तो उस हिसाब से होनी चाहिये। समय आने पर मैं उस संबंध में अपने सुझाव दूंगा।

---

† ३ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

* ५ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री रार्मासिह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मानने में सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिये, लेकिन परिस्थितियोंवश मुझे दुख के साथ इसे वापस लेना पड़ रहा है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १२ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, खंड ३ में दो संशोधन मैंने दिये थे वह छपे नहीं हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उनको पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता---उन के लिये व्यवस्था हो चुकी है। अब वह नहीं आ सकते।

श्री मैनेजरसिंह---माननीय अ,धिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (घ) में मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के प्रस्तावित खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से १५ प्रतिशत से कम हो, तो अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिन से उनकी संख्या कुल मिला कर कुल सदस्यों की संख्या का १५ प्रतिशत हो जाय।"

मान्यवर, मैं अभी माननीय रार्मासिह जी के संशोधन के बारे में निवेदन कर रहा था।

श्री अधिष्ठाता---जब पहले १२ संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया तो १५ तो आउट आफ आर्डर हो जाता है।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, मेरा १५ प्रतिशत से मतल है और वह १२ संख्या थी आप देखें कि दोनों में अन्तर है।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा आप बोलिये।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, आप गौर करें तो कहीं ५ हो सकता है और कहीं १८ भी हो सकता है। खैर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था और खासकर के माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब विधेयक प्रस्तुत हो जाता है.....

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपने एक व्यवस्था दे दी कि ८ ही रहेगा तो वह आउट आफ आर्डर हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता---तय यह हुआ कि १२ नहीं रहेगा और यह संशोधन प्रतिशत से संबंधित है इसलिये वह इस पर बोलेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, अभी माननीय सभा सचिव महोदय ने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया उसी से साफ प्रमाणित होता है कि हमारे माननीय सरकारी पक्ष के सदस्यगण कितनी गंभीरता से विधेयक को माननीय सदन में प्रस्तुत करते हैं। मुझे खेद है कि इस आदरणीय सदन के समय के साथ हमारे सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य खिलवाड़ करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अदूरदर्शिता और अविवेकपूर्ण ढंग से विधेयक यहां प्रस्तुत किये जाते हैं उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और उनका कोई प्रतिफल भी नहीं होगा। यही कारण है कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो हुआ और जिला परिषदों का गठन भी नये अधिनियम के अनुसार नहीं हुआ उसी बीच इसमें आपने संशोधन की बहुत आवश्यकता महसूस की और प्रत्यक्ष चुनाव के अतिरिक्त कई धाराओं में आपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस

[श्री मैनेजरसिंह]

पर अब विवेक से काम लें। उनको कुछ दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। यदि ८ संख्या रखते हैं तो इससे कोई हल नहीं निकलता है। अभी प्रदेश में ऐसे विकास खंड हैं जहां २६ गांव सभायें हैं। मैं बलिया की मुरली छपरा विकास खंड का उदाहरण दूं, वहां पर २६ सदस्य हैं और इसी प्रकार से बेलहरी में ४०। आपको बताऊं कि ऐसी २ गांव सभायें हैं जो ८ मील के क्षेत्र फल में हैं। शायद इसका आपको पता नहीं हैं। मानलीजिये मुरली छपरा विकास खंड जहां २६ चुने हुये प्रतिनिधि हैं वहां क्या अभाव पड़ेगा जैसा कि आप दोहाई प्रत्यक्ष चुनाव के विरोध में देते हैं कि चुने हुये व्यक्तियों की तादाद काफी है। आप देखें कि अनुसूचित जाति के ८, महिलायें ५ और ५ कोआपरेटिव के आयेंगे तो करीब यह १८ होंगे। कुछ एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० होंगे और इसके अलावा भी इधर उधर के छुट-फुट लोग आते हैं। इस प्रकार से आधे से अधिक तो यही हो जायेंगे। आप देखें कि चुने हुये लोगों का सन्तुलन खराब हो जाता है। मेरा संशोधन एक सीधा सा संशोधन है कि आप प्रतिशत तय कर दें। यदि आप १५ प्रतिशत कर दें तो कुल चुने हुये सदस्यों की संख्या का एक निश्चित प्रतिशत में अनुसूचित जातियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल जायगा। इससे मैं समझता हूं कि हल निकलेगा। ऐसे विकास खंड जहां चुने हुये सदयों की संख्या कम है उनका भी हल निकल जायेगा। उसमें कहीं ८ से अधिक भी हो सकते हैं और कहीं कम भी हो सकते हैं। आपके प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं और विकास खंडों की समस्या में अन्तर भी होता है। आप जो भी चाहें प्रतिशत तय कर दें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेनिक यह निश्चित संख्या का रखना ठीक नहीं होगा। अगर आप एक परसेन्टेज रख दें तो उससे मैं समझता हूं कि सभी विचारों का समन्वय हो जायेगा। इस लिये आप मेरे इस सीधे-साधे संशोधन को मान लीजिये। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—श्रीमन्, जैसा कि माननीय मैनेजरसिंह जी ने कहा कि ८ की वजाय १५ प्रतिशत रख दिया जाय यह ठीक नहीं होगा। मालूम होता है कि उन्होंने इसको गम्भीरता से विचार नहीं किया है। क्षेत्र समिति की रचना जो होती है, उसमें कौन-कौन लोग भाग लेते हैं, उनकी औसत संख्या कितनी होती है, यह सब विचार कर ही यह रखा है। पूरे प्रदेश में कही इनकी संख्या ६६ है, कहीं ८० है, कहीं ९० है और कहीं १०० तक है। आज अगर हम २० परसेंट कर दें तो भी कुछ कोआप्शन से लेकर वह ८ की संख्या करीब-करीब उसी के बराबर होती है। फिर प्रतिशत तो जहां डाइरेक्ट इलेक्शन की बात हो वहां कर सकते हैं। आप अगर ध्यान देकर सोचें तो यह ८ की संख्या करीब-करीब १५ प्रतिशत के बराबर ही होती है। इसलिये इसमें अगर प्रतिशत न रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह—आपने कहा कि यह ८ की संख्या उस प्रतिशत के बराबर ही है, मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह गलत है। यह हो ही नहीं सकता। मैंने तो कुछ उदाहरण भी दिये हैं। आप समझा दें कि यह कैसे है ?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने अपना उत्तर दे दिया है, आपने भी अपनी बात कह दी है।

श्री रक्षपालसिंह—यह जो इस समय प्रश्न विचाराधीन है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें अगर एक निश्चित प्रतिशत रहता है तो वह उचित रहेगा। मैं अपने फतेहपुर की बात बताता हूं। वहां एक ब्लाक तो ऐसा है जहां कि १०० गांव सभायें हैं और सब मिलाकर करीब १०८ संख्या हो जाती है। तो एक तरफ १०८ वाली क्षेत्र समिति और दूसरी तरफ ५६ वाली है, तो यह कैसे ठीक होगा ? इससे कहीं तो अधिक प्रतिशत हो जायगा कहीं कम प्रतिशत हो जायगा। इसलिये अगर प्रतिशत का आधार रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। इससे आसानी होगी। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो ८, ७, ६ और १२ का आधार रखा गया है यह नहीं होना चाहिये बल्कि इसके बजाय कोई निश्चित नियम बनाये जाने चाहिये। अगर आप प्रतिशत तय नहीं करेंगे तो उसमें बहुत लोगों को गड़बड़ी करने का मौका मिलेगा। आपके यहां भी कुछ नियम बने हुये हैं। अगर आप सारे प्रदेश के अनुपात को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह रिजर्वेशन करीब २५ प्रतिशत के है। मैं आजमगढ़ जिले की बात कहता हूं। पहले वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ६० मेम्बर थे जिसमें से १५ हरिजन थे। इसके अलावा पार्लियामेंट और असेम्बली की सीट सब मिलाकर १७ हैं जिनमें से ४ हरिजन हैं। लेकिन यहां आप अन्दाजे की बात कहते हैं। आप तो वहां होंगे नहीं, दूसरे लोग ही इनका इन्टर-प्रिटेशन करेंगे। जो लोग कमेटियों को बनायेंगे वे इन नियमों का अर्थ लगायेंगे। और वे इस चीज का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिये अगर आप प्रतिनिधत्व की बात कहते हैं तो आपको प्रतिशत मानना होगा या तो आप रिजर्वेशन की बात हो को छोड़ दीजिये। व्यक्तिगत रूप से मैं उसको पसंद करता हूं, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन रखते हैं तो आपको प्रतिशत रखना होगा, नहीं तो बीच में लोगों को घपला करने का मौका मिलेगा। लोगों को संदेह में रख कर यह कानून चलने वाला नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय यहां इतना महत्वपूर्ण बिल चल रहा है, फिर भी कोई केबीनेट मिनिस्टर अथवा स्टेट मिनिस्टर नहीं है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मिनिस्टर की परिभाषा में नहीं आता है। अगर आप अपने ही रूल्स को देखें तो उसमें दिया हुआ है —

"Minister means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, a Deputy Minister".

पार्लियामेंन्टरी सेक्रेटरी इस परिभाषा में नहीं आता है और वह भी आनरेरी। अगर मिनिस्टर ने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया होता तो दूसरी बात होती।

श्री अधिष्ठाता—आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में पहली सूचना तो मैं यह देना चाहता हूं कि माननीय सभा सचिव जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं, वे पहले से ही कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही उसको उपस्थित किया है। प्रक्रिया नियमावली में मिनिस्टर की जो डेफीनीशन दी हुई है, वह इस प्रकार है—

"Minister" means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, a Deputy Minister and any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules." इसमें अगर मिनिस्टर किसी मेंबरों को भी पावर डेलीगेट कर देगा तो वह भी उसको पायलेंट कर सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—लेकिन श्रीमन्, इस केस में पावर्स डेलीगेट नहीं हुई हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, नियमावली तो हिन्दी में भी है, उसको क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—हिन्दी में वह इस प्रकार से दिया हुआ है—

"मन्त्री" का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें।"

श्री नेकराम शर्मा--मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सही है कि मिनिस्टर अपना पावर सभा सचिव को डेलिगेट कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने लिखित रूप में अपनी पावर उनको डेलिगेट नहीं किया है और इस तरह से मैं समझता हूं कि यह नियमों का उल्लंघन है ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य ने देखा होगा कि माननीय मिनिस्टर ने स्वयं उनको सदन के समक्ष इस बिल के प्रस्तुत करने की आज्ञा दी और यह तथ्य स्वयं इस बात का प्रमाण है कि वे अधिकृत व्यक्ति थे । माननीय सदस्य उसी समय यह प्रश्न उठा सकते थे ।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--अधिष्ठाता महोदय आपकी अनुमति से मैं इतना बतला देना चाहती हूं कि म हाउस के बाहर नहीं थी । इस बिल के सिलसिले में ही कई अमेंडमेंट्स थे जिनके विषय में मेम्बर्स से discuss करने के लिये मैं लाबी में गयी थी ।

श्री अधिष्ठाता--अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय मंत्री ने इसको और उलझा दिया जो अभी उन्होंने कहा कि वे हाउस के बाहर नहीं थीं बल्कि कुछ संशोधनों से सम्बन्धित बातों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये लाबी में मौजूद थीं ।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, लाबी स्वयं सदन का एक हिस्सा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--यह सही है कि वह सदन का ही हिस्सा है, लेकिन जिस समय यहां मंडप में सदन की बैठक हो रही है तो उस समय यहां मिनिस्टर का होना आवश्यक है या नहीं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपकी बात समझ गया । जब यहां किसी प्रश्न पर विवाद होता रहता है तो हमने यह देखा है कि माननीय झारखन्डेराय, माननीय कल्पनार्थसिंह या दूसरे सदस्य अक्सर उस सम्बन्ध में कुछ परामर्श करने के लिये लाबी में जाया करते हैं और इस प्रयोजन के लिये लाबी को स्वयं सदन का अंग मानते हैं । इसलिये आपका यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मंगलदेव--अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय मैनेजर्सिंह जी ने प्रतिशत के बारे में जो संशोधन रखा है वह बहुत ही नरम है और बीच का रास्ता है । अगर सरकार ने इसको भी महत्व नहीं दिया और केवल अन्दाज से यह कह दिया कि माननीय मैने जर्सिंह ने जो प्रतिशत की बात कही है वह ८ की संख्या में आ जाती है तो लगभग की बात खत्म करके यदि प्रतिशत की बात सरकार मान जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी । माननीय मैने जर्सिंह जी ने तो १५ प्रतिशत का संशोधन ही रखा है, लेकिन नियमों के अनुसार जो कमेटीज आदि संगठित हों उनमें हरिजनों का प्रतिशत २५ प्रतिशत होना चाहिये । हमने देखा है कि जहां प्रतिशत की बात नहीं रखी गयी है वहां उनकी संख्या बहुत कम होती है । लेकिन असेम्बली या पार्लियामेन्ट में जहां हरिजनों के लिये संरक्षण है वहां उनको सीटस दी जाती है क्योंकि हर पार्टी इस बात की कोशिश करती है कि उस सीट से हरिजन आवे । अगर हरिजनों के लिये संरक्षण न हो तो किसी पार्टी को उसकी चिन्ता नहीं हो सकती । सीट्स के रिजर्वेशन हो जाने से तो हर पार्टी को इस बात की फिक्र हो जाती है कि चाहे कहीं से किसी किस्म का भी हरिजन मिले उसमें योग्यता हो या न हो उसे एलेक्शन लड़ाते हैं इसलिये कि उस स्थान से हरिजन को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार है । इसी आधार पर मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को आप ठीक समझते हैं, इसको मानते हैं और वापस नहीं लेते और इसके सिद्धांत को मानते हैं तो इसे बढ़ाकर २५ प्रतिशत करना उचित होगा और यदि इतना नहीं तो श्री मैनेजर्सिंह जी का जो संशोधन है कम से कम वह तो स्वीकार जरूर किया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय मैनेजरसिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने कल भी कहा था और आज फिर से मैं इस संशोधन पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि हरिजनों के संरक्षण की बात आप मानते हैं, आप चाहते हैं कि उन का अनुमेलन किया जाय और आप चाहते हैं कि वह भी इन समितियों में आयें तो उनकी मोरेलिटी और नैतिकता बढ़ाने के लिये जैसा कि अभी श्री मंगलदेव जी ने कहा है कि उन को राजनैतिक कार्यों में ऊंचा उटाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सही प्रतिनिधित्व दिया जाय। मैं समझता हूं कि जिस तरह से असेम्बली और पार्लियामेंट में भारत के संविधान की धाराओं के अन्तर्गत हरिजनों को संरक्षण प्राप्त है उसी प्रकार क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में भी उनको यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। यह सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि जितनी भी ऐसी समितियां हैं उनमें अगर निश्चित आंकड़े सामने रखे जायेंगे कि इतने लोग ही अनुमेलित किये जा सकेंगे तो यह उन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर कुठाराघात होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात से पूर्णतः अवगत हैं और इस बात को वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह समाज को समाजवादी सांचें में ढालना चाहते हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि समाजवादी समाज की तरह की इस देश की रचना करना होगी और समाजवादी समाज की रचना के लिये आवश्यक है कि उन के मनोबल को उठाया जाय। जो गिरे हैं उनको जगाने की आज जरूरत है जैसा कि श्री मंगलदेव जी ने कहा कि इससे हम हरिजनों में पढ़े लिखे नौजवान खोजेंगे, समझदार लोगों की दिलचस्पी राजनीति में पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह अनुसूचित जातियों की मुखालफत होगी और देश और समाज की मुखालफत होगी। उनको लेने से भेदभाव की परिधि घटेगी और सही मानों में संविधान की धाराओं के प्रति हम वफादार साबित होंगे जिन के चलते आज इस सदन में अनुसूचित जातियों के लोग विराजमान हैं। अतः इस संशोधन को यह सदन स्वीकार करे और इसको स्वीकार करने में मंत्री जी की प्रतिष्ठा है, उनके दल की, सदन की और सारे प्रदेश की प्रतिष्ठा है और आशा है कि वह इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन उस ओर से पेश किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह इसलिये कि अभी जो बातें कही गईं कि हरिजनों में इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से चेतना पैदा होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कानून में इस तरह का प्राविजन न हो उसके अलावा क्या आप ऐसा नहीं कर सकते जो चीज आप कह रहे हैं? अगर बगैर कानून के करें तो उससे मालूम होगा कि आपके दिल में हरिजनों में चेतना पैदा करने की एक लगन है। यदि कानून के द्वारा ही हर चीज होती तो वह चेतना नहीं है। कांग्रेस आन्दोलनों के समय गांधी जी कहा करते थे हर चीज कानून से नहीं हुआ करती है। अगर किसी के दिल को जीत कर उसके अन्दर भावना पैदा की जाय और फिर उस काम को करायें तो वह स्थायी होता है, हृदय परिवर्तन होता है। अतः अपने रोजमर्रा के कामों में जो आप कर रहे हैं उनमें इस तरह की चेतना दिखायें तो सचमुच हरिजनों का उद्धार हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि बिल में एक निश्चित संख्या दी हुई है ८ की। संशोधन है १५ प्रतिशत होना चाहिये। तो यदि आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं तो यह बतायें ८ कैसे हितकर है, १५ प्रतिशत कैसे अनावश्यक है। आप हरिजन कल्याण और उत्थान की बात इस समय न कहें तो ठीक होगा।

श्री मुरलीधर कुरील---जैसा आपने कहा १५ प्रतिशत रख देने में और जो कानून में प्राविजन है ८ या १० का उसमें १५ प्रतिशत कर देने में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता है। अगर यह संशोधन जनसंख्या के आधार पर रख दिया जाय तो कुछ अन्तर पड़ता। तो इस संख्या से और उस संख्या में कोई ऐसा विशेष अन्तर नहीं पड़ता जिससे मैं समझू कोई बहुत बड़ी चीज हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं यह संशोधन आवश्यक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बात कुरील जी ने लेक्चर के ढंग पर कही है मैं समझता हूं हरिजनों के मामले में पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिये, क्योंकि आज जो हालत है, जो हरिजनों की दुहाई देते हैं चुनाव के समय, आज कांग्रेस सरकार भी एक जाति का ढिंढोरा पीटती है कि हम हरिजनों के उत्थान में लगे हैं। क्या उत्थान खाली जबान से होता है ? अगर सरकार उनके लिये रिजर्वेशन न रखती तो एक भी हरिजन नहीं आता। कुरील जी ने कहा कि मनोबल होना चाहिये, मैं १२ साल तक जिला बोर्ड का सदस्य रहा, ६० मेम्बर चुनकर आये जिनमें से १६ हरिजन थे। लेकिन इस समय कितने हैं ? पार्टी की दुहाई लोग देते हैं। जो गरीबी को दूर करने के लिये ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन जहां हरिजनों के हित की बात आती है तो तरह-तरह के नारे लगा दिये जाते हैं। मैनेजरसिंह ने जो संशोधन रखा है उसे भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और वह ८ ही सदस्यों को रखना चाहती है। जहां १०९ गांव सभायें हैं वहां ८ हरिजन सदस्य क्या कर सकते हैं ? सरकार की तरफ से जो अनुदान दिये जाते हैं वे सवर्णों के द्वारा हरिजनों के नाम पर मंजूर करा कर अपने दरवाजे पर कुवें बनवा लिये जाते हैं, अपने घर की बैठक बनवा ली जाती है। केन्द्रीय सरकार ने जब नियम बना दिया है कि पापूलेशन के हिसाब से रिप्रेजेन्टेशन १/४ तक दिया जाय तब आप ८ स्थान उनके लिये रख रहे हैं। मैं मंत्राणी महोदया से निवेदन करूंगा कि वह तो गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली हैं और गांधी जी यह मानते थे कि हरिजनों के उत्थान के बगैर देश का कल्याण नहीं हो सकता लिहाजा हरिजनों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रीय समितियों में होना आवश्यक है। लेकिन क्षेत्रीय समिति में अगर सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा यह तो उचित नहीं होगा। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से, हरिजनों को बहकाने वाली बातों से हरिजनों का हित नहीं हो जायगा और हरिजनों के लिये यह जो केवल ८ जगहें रखी जा रही हैं यह सिर्फ धोखे की टट्टी है। अगर यही रवैया रहा तो इससे उनका अहित होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन है यह बिल्कुल साफ है, इसमें १५ प्रतिशत की मांग की गयी है। १० वर्ष के लिये रिजर्वेशन था। कांग्रेस पार्टी में इसके सम्बन्ध में लोगों के विरोध करने पर भी फिर से इस तरह की मांग की कि १० साल के लिये रिजर्वेशन और बढ़ा दिया जाय। संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने १० साल के लिये रिजर्वेशन और बढ़ा दिया। लिहाजा अब जो यह क्षेत्रीय समिति विधेयक आया है इसमें सरकार को क्या कठिनाई है कि वह १८ प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजनों को नहीं दे रही है। क्षेत्रीयसमिति में कहीं मेम्बर्स ४०, कहीं ८० और कहीं-कहीं तो १२५ होंगे। तो क्या मैं जान सकता हूं कि जहां ८० या १०० के ऊपर मेम्बर्स होंगे तो उनमें सभी में जब ८ सदस्य हरिजनों के रहेंगे तो वे हरिजनों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर सकेंगे ? यह ८ की संख्या फिर आपने किस सिद्धान्त के मुताबिक रख दी है ? अगर आपने इस सिद्धांत को माना होता कि जिस क्षेत्र समिति की जितनी मेम्बरशिप है उसके अनुपात के मुताबिक हम १८ परसेंट उनका रिजर्वेशन करेंगे तब तो बात न्याय संगत मालूम होती, लेकिन जैसे हमारे पिंडरा ब्लाक की क्षेत्र समिति की मेम्बरशिप १२५ के करीब है। उसमें अगर ८ हरिजन आपने रखे तो यह कैसे समझूं कि यह न्याय संगत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर फिर से विचार करे और संविधान के मुताबिक १८ परसेंट का रिजर्वेशन करे। माननीय मैनेजरसिंह ने अपने संशोधन में १८ परसेंट से भी कम रखा है तो उसको मानने में सरकार को क्या कठिनाई है ? मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस या कांग्रेस सरकार ने हरिजनों को अपना पिछलग्गू बना रखा है लेकिन संविधान के अनुसार अगर उनका रिजर्वेशन हो तो वह हरिजनों के साथ न्याय होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके इसको मानेगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय सभा सचिव की बात सुनी और माननीय सदस्यों की भी बात सुनी। यदि मैं इस पर कोई विचार प्रकट

करूं तो मैं माननीय सभा सचिव से यह कहूंगा कि हम इसको समझ नहीं पाये। पर हम उनको ही समझाना चाहते हैं कि वह एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। जब वह ८ की संख्या निश्चित कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको यह अमेंडमेंट करना चाहिये कि हर क्षेत्र समिति की एक निश्चित मेम्बरशिप की संख्या होगी। अगर एक समिति में ५० सदस्य होंगे, दूसरी में ७० और तीसरी में १०० और उन तीनों में ८ का रिजर्वेशन होगा तो उनका समानता का सिद्धांत कहां रह जाता है? तो यह बुनियादी गलती माननीय मन्त्री जी कर रहे हैं। इसलिये आप पहले संख्या निश्चित कर लीजिये कि हर क्षेत्र समिति में इतने मेम्बर रहेंगे। जबतक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक खुद ही महसूस करेंगे कि आप गलती कर रहे हैं।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है, १५ प्रतिशत की बात जो माननीय मैनेजर सिंह ने कही है वह शायद कुछ कम कही है। माननीय उग्रसेन जी ने कल संविधान के मुताबिक १८ परसेंट की बात कही थी जिसके मानने में माननीय मन्त्री जी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

जहां तक हरिजनों के रिजर्वेशन की बात है यह तो हम भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है और समझदार लोग भी कहते हैं। जो राजनीति को समझते हैं वह कहते हैं कि हरिजनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिये। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं मन्त्री जी को बुनियादी गलती की ओर ध्यान दिलाने के लिये खड़ा हुआ हूं। मन्त्री जी निश्चित संख्या मान लें फिर कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो ८ की संख्या इसमें कोई प्रतिशत नहीं रखा है। इस पर मैनेजर सिंह जी ने १५ प्रतिशत की मांग रखी है। यह उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उनका दृष्टिकोण है कि १५ प्रतिशत हरिजन लिये जायं और हमारे कांग्रेसी भाई जो ८ के कोआप्शन की बात करते हैं वे १८ प्रतिशत से ८ पर और गये हैं। लेकिन मैं जिस दल से सम्बन्ध रखता हूं उसका एक मौलिक दृष्टिकोण है और हमारा एक बुनियादी मतभेद है। हम चाहते हैं कि जितना भी रिजर्वेशन है वह सब खत्म कर दिया जाय। इसीलिये कि इस तरह से किसी को रिजर्वेशन देकर, या दया की भीख देकर या भीख देकर किसी को उठाना चाहें तो नहीं उठाया जा सकता है। उस समय तक वह नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि उसके दिल में तरक्की करने की भावना स्वयं उत्पन्न नहीं होगी। यह विधेयक उसका मनोबल बढ़ाने के लिये नहीं है, बल्कि उसका मनोबल घटाने के लिये है। इससे वह अपने दिमाग में एक गिरावट महसूस करता है। इसलिये देश और समाज में और गांवों में सब जगह आप देखते हैं ग्रामीण जीवन की जो पहली सीढ़ी है उसमें पिछले दिनों जब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत थे तो उस समय ग्राम सभाओं में रिजर्वेशन का सवाल आया था। उस समय कुछ लोगों ने और उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया था कि ग्राम सभायें गांधीवाद की प्रारम्भिक श्रेणी है, उसमें अगर हम लोग सही माने में हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो वे उठ नहीं पायेंगे और उसका नतीजा हमने देखा कि उन सीटों पर सरकार पक्ष में बैठे जितने भाई हैं वे सब रिजर्वेशन की बदौलत हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो वे लोग और उस दल की सरकार यहां पर नजर नहीं आती। इसके साथ ही जिन लोगों को लिया जाता है उनको कठपुतली बना कर लिया जाता है और ये आठों आदमी भी एक व्यक्ति के हंटर दिखाने पर जैसे सरकस का शेर डांस करता है उसी तरह से उन क्षेत्रों में इन साथ यही होगा और ये सही प्रतिनिधि नहीं होंगे, उन क्षेत्रों में अधिकारियों की दया पर रहेंगे। इसलिये मैं इस विधेयक का ही विरोध करता हूं और सुझाव देता हूं कि इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि ये लोग जनता के बीच में आयें, और अपनी कार्य क्षमता दिखायें तो जनता इनको सपोर्ट करेगी। अगर तादाद के लिहाज से देखा जाय तो बहुत से लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन इसका कारण यह है कि लोग साधनों से जनता के बीच में जाकर काम करते हैं इसलिये जनता उनको अपना प्रतिनिधि मानती है। इसलिये इस विधेयक का मैं मौलिक रूप से विरोध करता हूं।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, हमारे भाई ने जो अभी तकरीर की उसने एक मूलभूत प्रश्न पैदा कर दिया है कि पिछड़े हुए या हरिजनों को विशेष सुविधायें दी जायं अथवा नहीं। उनका ऐसा विचार है कि विशेष सुविधायें देने से उनके अन्दर हीनता का भाव पैदा होगा और उनके दिमाग में हीन भाव की ग्रन्थि बनी रह जायगी। सवाल बड़ा गम्भीर है। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जो हमारे भाई पिछड़े हुए हैं खास कर उसमें हरिजन भाई, उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें, बाहर से उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिये अगर कोई सहायता न दी जाय तो स्वतः अपने आप, वह उठ पायेंगे यह संदेहास्पद बात है और उठने की प्रक्रिया भी बहुत लम्बी, दूर और देर की हो जायगी। इस लिये मेरा अपना विचार है कि जो बाहरी सहायता उनके विकास और उत्थान में दी जा रही है वह कायम रखनी चाहिये।

जहां तक उनकी नुमाइंदगी के अनुपात का सवाल है जो भाई मैनेजर सिंह ने प्रस्ताव रखा है में उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसको मानने में सरकार को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब संसद में, विधान मंडल में, उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात पर है तो फिर नीचे की संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व उस अनुपात से न हो इसका कोई कारण नहीं मालूम होता सिवा इसके कि उसी तर्क और समझदारी को तर्कसंगत अन्त तक न ले जाने की भावना है। इस लिये अनुसूचित भाइयों का प्रतिनिधित्व इन समितियों में वही होना चाहिये जो जन संख्या में उनका अनुपात है। हमारे भाई ऊदल जी ने कहा है कि जब १८ फीसदी उनको सर्विसेज में स्थान देने की बात कही जा रही है, और सरकार बराबर इस सिद्धांत को मानती है और यह भी कहती है कि अमल में उसको लाने की चेष्टा कर रही है तो फिर इन जनतांत्रिक कमेटियों में या घटकों में उनको स्थान क्यों न दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इस लिये मैं चाहता हूं कि उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात में हो, जिस अनुपात में वह हमारी जन संख्या में हैं। १८ फीसदी हमारी कुल जन संख्या में उनका अनुपात है तो १५ फीसदी मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस आधार पर जरूर स्वीकृति प्रदान करे। कई देशों के अनुभव भी इस बात को बतलाते हैं कि पिछड़े हुए लोगों को उनकी संख्या से भी ज्यादा नुमाइंदगी दे कर उनके मनोबल को ऊंचा किया गया है। सोवियट यूनियन का अनुभव भी इस बात को बताता है कि पिछड़े हुए लोग खासकर बोखारा के नवाब की रियासत जो तुर्किस्तान में थी उसमें पांच कबायली जातियां थीं, उनके साथ विशेष रियायतें प्रदान की गयीं थीं, उनकी संस्कृति और भाषा के विकास के लिये, उनके चतुर्मुखी विकास के लिये, सभी प्रयास किये गये और अन्य इलाकों में जिनका पहले से विकास था, उतना उनका विकास किया गया, और इनका कार्यक्रम बहुत ऊंचा था। इस लिये हमारे पिछड़े हुए भाई जो हर प्रकार से पतित हैं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार से उनके साथ हमारी जो रियायत का क्रम है, हमें लगता है कि उस क्रम में धीमापन है। जितनी रियायत होनी चाहिये, जितना उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, जितना उनका मनोबल ऊंचा करने के लिये कदम उठाया जाना चाहिये उसमें धीमापन है। शिकायत हमें और हमारे ऐसे विचार वालों को यह है, न कि यह जो किया जा रहा है उसको खत्म करके उनको बिल्कुल उस अवस्था में छोड़ दिया जाय कि वह स्वतः अपने बल पर ऊंचा उठें। इन शब्दों के साथ मैं साग्रह अनुरोध करूंगा कि इस सुझाव को जो तरमीम के रूप में आया है अवश्य स्वीकार करें ताकि नीचे के घटकों और इकाइयों में भी वही अनुपात उनको मिल सके जो विधान सभा और संसद की संस्थाओं में है।

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिफ्ट के लिये दो घंटी होने के विषय में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष---कहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि अभी मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी भी है । वहां पर दो घंटियां लगी ई हैं। हमको उस लिफ्टमैन ने बतलाया कि एक घंटी मिनिस्टरों के लिये लगी हुई है और दूस घंटी मामूली सदस्यों के लिये लगी हुई है । तो मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या एक ी में कोई मामूली बात है और दूसरी में कोई विशेष बात है जो मिनिस्टरों के लिये विषेश-रूप लगी हुई है । सदस्यों के लिये अलग और मिनिस्टरों के लिये अलग घंटी लगी है ऐसा क्यों है ? यह आप कृपा कर बतलायें ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---आप इन अल्हड़ों की बात में न आयें । जो घंटी चाहे उसको बजा दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं राजस्व मंत्री की बात पर प्रोटेस्ट करता हूं । यह बहुत बड़ा प्रश्न है । अभी मैं आ रहा था तो मुझको बताया गया कि एक घंटी मिनिस्टरों के लिये लगी हुई है और एक मामूली सदस्यों के लिये लगी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी मुझे बताया गया कि एक अरजेन्ट काल के लिये है और एक आर्डिनरी काल के लिये लगी है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---यह अरजेन्ट काल के लिये नहीं है, बल्कि मिनिस्टरों के लिये है और दूसरी घंटी सदस्यों के लिये है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कतई नहीं मालूम था आज तक, अभी हमारे मित्र ने बताया कि वहां पर दो घंटी लगी हैं । हमारे सामने तो जो पड़ जाती है उसको ही बजा देते हैं । चाहे वह विशेष हो या मामूली हो । हम तो अभी तक यही समझते थे कि एक ऊपर के खंड के लिये है और दूसरी बीच के खंड के लिये है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मैं यह समझूं कि आज की तारीख से आप लिफ्टमैन को यह आदेश देंगे कि वह अब यह न कहे कि एक विशेष घंटी मिनिस्टरों के लिये है और एक मामूली सदस्यों के लिये है ।

श्री उपाध्यक्ष---केवल यह व्यवस्था है कि एक ही घंटी सब के लिये है । अरजेन्ट और आर्डिनरी की बात हो तो दूसरी बात है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---मैंने भी देखा है वहां पर दो घंटी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---घंटी दो हैं, लेकिन उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है । मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि एक मिनिस्टरों के लिये है और दूसरी सदस्यों के लिये है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां पर दो घंटी हैं । आप विशेष हिदायत देने का प्रबन्ध करें । इस सम्बन्ध में मैंने आपके सचिव से भी बात की थी । दूसरे समय यदि ऐसा व्यवहार मेरे साथ हुआ तो मैं इसको बरदाश्त नहीं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई ऐसी बात नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, यह बात जरूर है कि वहां पर दो घंटी हैं। एक तो वी०आइ० पी० के लिये है और वह उसी वक्त बजाई जाती है जब कोई विशेष व्यक्ति आता है। यह व्यवस्था रहनी चाहिये जिससे मालूम हो जाय कि कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। यह कोई बुरी बात नहीं है। तो यह व्यवस्था रहनी चाहिये। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक घंटी हम सब लोग स्तेमाल करते हैं और दूसरी घंटी वी० आई० पीज के लिये है ताकि लिफ्टमैन को पता हो जाय। तो उसको रहना चाहिये और उसे हम माननीय सदस्यों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सस्दयों में और माननीय मंत्रियों में कोई भेद नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---भेद है और रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---कोई भेद होना नहीं चाहिये।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२---(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---श्री रामसुन्दर जी, आप बोलिये, लेकिन इसे ५ बजे तक समाप्त होना है और इस से ज्यादा जरूरी संशोधन आगे आने वाले हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिजा आजमगढ़)---श्रीमन्, केवल दो या तीन संशोधन ऐसे हैं कि जिन पर सब की राय जरूरी है और मैं समझता हूं कि यह समय के अंदर समाप्त हो जायगा। मैं अधिक समय न लेकर दो-तीन बातों की जानकारी सभा सचिव महोदय से करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो संशोधन माननीय मैनेजर सिंह जी ने रखा है उसमें ८ की जगह १५ प्रतिशत करने की बात है और इसे मानने में उनको क्या दिक्कत है यह मैं समझ नहीं पाता। इससे कौन-सी गड़बड़ी पैदा हो जायगी या कौन सा नुकसान हो जायगा। दूसरे, यदि यह संशोधन न माना जाय तो उससे कितना नुकसान हो रहा है उसे मैं बतलाना चाहता हूं। अंतरिम जिला परिषदों के पहले जिला बोर्ड काम करते थे और मैं आजमगढ़ का एक उदाहरण देना चाहता हूं, सारे प्रदेश की बात नहीं जानता वहां ६० मेम्बर थे और उसमें से १५ हरिजन थे। १/४ हरिजनों की तादाद थी। आज इस संशोधन विधेयक के अनुसार ८ अनुसूचित जाति के लोग ब्लाक में लिये जाते हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि प्रदेश में कौन-कौन परिषदें ऐसी हैं--आजमगढ़ में तो १५ की जगह आज ४ मेम्बर हैं और वह भी ३ असेम्बली के सदस्य हैं और १ पार्लियामेंट के---जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लाक में कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं, परिषदों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं। १५ की जगह आज ४ आदमी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखें कि ब्लाक की हालत क्या है, परिषदों की हालत क्या है। आज परिषदों में कहीं भी हरिजनों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होता। मैं बतलाना चाहता हूं कि संविधान में आपने उनके लिये सुरक्षित स्थान इस दृष्टि से ही रखे थे कि वे सामाजिक, राजनीतिक और अन्य दृष्टियों से दूसरे वर्गों के बराबर आ सकें। इस विषय में बतलाने पर काफी समय लगेगा इसलिये मैं उसे छोड़ता हूं, लेकिन उनमें जो गिरावट थी उसे हटाने के लिये, और उनको आगे बढ़ाने के लिये ही आपने उनके लिये स्थान सुरक्षित किये।

अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने जिन समस्याओं को लेकर स्थान सुरक्षित किया था अगर वह पूरी हो गई तो इसे खत्म कर दिया जाय और यदि समस्यायें हैं तो इसे मान कर चलना पड़ेगा। परिषदों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह किस तरह से होगा यह जो माननीय मैनेजर सिंह जी का संशोधन है उस कमी को पूरा करने के लिये है। उसके द्वारा यह समस्या हल हो जायगी। आपका जो संशोधन विधेयक है उसका फल हम लोगों के सामने आ जायगा और परिषदों के सदस्यों में आज ८०, ८५ सदस्यों

में से आप देखें कि ४ हैं। प्रतिशत को यदि आप देखें तो वह कम हो गई है। पहले २५ थी और अब वह १०-१५-२० है। इसको आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। हमें यह जानकारी है कि मैं जहां से आता हूं वहां प्रधानों के चुनाव हुये पर प्रधानों के स्थान सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूं मैंने हरिजन के समर्थन में कोशिश की। मैंने समझा कि हरिजन भी जिम्मेदार हो जावें। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हरिजन नहीं बल्कि ब्राह्मण रहेगा। बड़ी कोशिशें की गईं पर आपको बताऊं कि वह हरिजन केवल ४ वोट से जीत गया। अब बताइये सारे प्रदेश में आप तखमीना लगाइये तो कितने आपको अनुसूचित जाति के लोग मिलेंगे। कितने प्रमुख हरिजन हैं आप इसको देखिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कितने पदेन मेम्बर हैं, और मेरा खयाल है कि आजमगढ़ में तो कोई नहीं है। तो फिर सारे प्रदेश में नहीं होगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि केवल कह देने से ही हरिजन चेयरमैन हो जायगा, परिषद् का सदस्य हो जायगा और प्रमुख हो जायगा। यह बिलकुल गलतफहमी है। मेरा तो कम से कम यही खयाल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को जरा गम्भीरता से सोचना चाहिये। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि आप माननीय मैनेजर सिंह जी के संशोधन को मानें।

एक बात यह भी है कि उसका कोई खास प्रभाव आपके विधेयक पर पड़ता भी नहीं है। सिर्फ एक बात है कि फिर क्षेत्र समिति का चुनाव कराना पड़ जायगा, शायद कुछ नामजदगी बढ़े। इस विधेयक में माननीय सभा सचिव जी को जानकारी होगी कि कोआप्शन हुआ है परिषद् के सदस्यों में। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपके हैं, सारे कायदे कानून आपके हैं। शायद आपको मालूम होगा कि जो कोआप्शन हुआ है परिषद् के सदस्यों के लिये उसमें कितना कोआप्शन हरिजनों का हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, आप देखें कि आजमगढ़ में कोई नहीं है। वहां पर सब ऊंची जाति के लोग हैं, वे कांग्रेसी हों या कोई भी हों। यह एक विचार करने योग्य बात है। मैं तो यही कहूंगा कि इस संशोधन विधेयक के जरिये आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं और जो भी नक्शा आपके सामने है उसको आपको साफ करना चाहिये, नहीं तो यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी गया गुजरा हो जायगा। मैं फिर आप से हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूंगा कि आप हरिजनों के सम्बन्ध में श्री मैनेजर-सिंह जी के प्रस्ताव को मानें। आप हरिजनों की अवस्था को देखिये उसकी पूर्ति यह नहीं करता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा ही सही पर कुछ तो आगे बढ़ें। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को आपसे स्वीकार करने को ही कहूंगा।

*श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजरसिंह जो ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि संख्या से हरिजनों का कल्याण नहीं हो सकता है।

चाहे जितनी संख्या आप हरिजनों की रख दीजिये, संसद में, विधान सभा में या जिल परिषों में, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तब हो सकता है जब सही रूप में वह कार्य रूप में आयें। जो सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं, विकास के कार्यों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, जब ऐसे लोग चुन कर आयेंगे तभी हरिजनों का भला होगा। मुझे अपने जिले का अनुभव है। वहां क्षेत्र समितियों में ऐसे लोग चुन कर आये हैं जो हलवाई या चरवाहे हैं और जिनको सार्वजनिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। उनको यह भी पता नहीं कि जीवन कैसे बिताया जाता है। यह मैं प्रतापगढ़ जिले की बात कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि वहां पढ़े-लिखे या राजनीतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की कमी है। यहां पर इस तरह का संशोधन लाकर जनता को या हरिजनों को भले ही आप प्रलोभन में डाल दें, किन्तु इससे कोई उनका कल्याण होने वाला नहीं है। यह चीज उन क्षेत्रों में होती है जहां कि विरोधी पार्टियों का बहुमत है। जहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप भारतीय]

उनका बहुमत है वहां पर उन्होंने अपने नौकर-चाकरों को चुनवा कर भेजने की कोशिश की है। लेकिन जहां पर कांग्रेस के लोगों का बहुमत था, उन्होंने इसके विपरीत ऐसे लोगों को भेजा जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से रहा है, भले ही वे विरोधी पार्टियों में रहे हों। वास्तविक भलाई जनता की तभी हो सकती है जब कि ऐसे लोगों को वहां भेजा जाय जो विकास के कार्यों में दिलचस्पी रखते हों और सार्वजनिक जीवन से उनका कुछ सम्बन्ध रहा हो।

इस प्रकार से यहां असेम्बली में बैठकर इस तरह की बातें कर देने से उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस संशोधन के जरिये आप एक दो हरिजनों को भले ही ज्यादा ले आयेंगे लेकिन जो अनुभव हुआ है, उससे यह जाहिर है कि उससे ऐसे ही लोग चुन कर जायेंगे जिनको कोई ज्ञान नहीं होगा, अपना स्वार्थ भले ही सिद्ध हो जाय। उससे हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मैनेजरसिंह जी से कि यह संशोधन हरिजनों का कल्याण करने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से जो ८ की संख्या रखी गयी है वह बहुत सोच-समझ कर रखी गयी है। अगर यह ८ आदमी ऐसे जाते हैं जो हरिजनों की समस्याओं को भली प्रकार से समझते हैं, विकास के कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो वे तो बहुत फायदा हरिजनों को पहुंचा सकते हैं। आपको यह चाहिये कि आप ऐसे लोगों को भेजें जो इन सब बातों का कुछ ज्ञान रखते हों। यह ८ आदमी पहुंचकर जनता का ज्यादा कल्याण कर सकते हैं, और अगर यह प्रतिशत रखा गया तो इससे उतना लाभ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, और मैनेजरसिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे हरिजनों का कल्याण चाहते हैं तो इसे वापस ले लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं पूछना चाहता हूं कि जबसे आप असेम्बली के मेम्बर हुये हैं, आपसे हरिजनों को कितना लाभ हुआ है?

श्री रामस्वरूप भारतीय--मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र का क्या कल्याण कर दिया असेम्बली के मेम्बर होकर?

श्री उपाध्यक्ष--इन बातों से कोई फायदा नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये। केवल माननीय सभासचिव जी ने और जो प्रतापगढ़ के साथी अभी बोले, उन्होंने इसका विरोध किया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि १८ प्रतिशत होना चाहिये, १५ किस आधार पर रख दिया गया। मैं उनकी बात को मानता हूं। मैंने जान बूझकर ३ प्रतिशत कम कर दिया, इसलिये कि जब कभी विरोध पक्ष से हरिजनों के कल्याण की कोई बात कही जाती है तो उस पक्ष के तीन योद्धा उस रूप में आते हैं जिसमें, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बुजुर्ग हैं, आप भी जानते होंगे कि महाभारत की कथा में एक योद्धा थे जिनके नाम के पहले श्री लगा हुआ था, वह युद्ध करने के लिये खड़े कर दिये गये थे। इसी प्रकार के ३ श्री उधर भी हैं। माननीय कुरील जी, हरिसिंह जी और रामप्यारे जी, ये ३ योद्धा हरिजनों के हित के खिलाफ खड़े कर दिये जाते हैं। इसलिये उनके लिये मैंने ३ परसेंट कम कर दिया। सभा सचिव जी कहते हैं कि ८ की संख्या पर्याप्त है। मैं तो दुख के साथ यही कहता हूं कि सरकार इसकी अहमियत को महसूस नहीं कर रही है। बदकिस्मती से हमारे प्रदेश में पंचायती राज्य की जो दुर्गति हो रही है और प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के अनुसार जो क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का गठन होने जा रहा है उसे सरकार ने हृदयंगम नहीं किया है। आपने केन्द्रीय मन्त्री माननीय एस० के० डे० के दबाव से, अपने प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के दबाव से, आदरणीय बलवन्तराय मेहता के प्रभाव से, विवश होकर अनिच्छापूर्वक इसे स्वीकार किया है। इसीलिये न आप इसकी भावना को समझ पाते हैं और न सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। आप

कहते हैं कि ८ रख दिया। इसका असर क्या होगा? एक तरफ तो माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां १००, १२५ सदस्यों की खंड समितियां हैं उनमें ८ अपर्याप्त हैं, उनका कोई असर नहीं। वहीं, दूसरी तरफ कुछ विकास खंडों में २६, ३०, और ४० गांव सभायें हैं, मैंने बतलाया कि बलिया में मुरली झपरा, बैरिया और बेलहरी में, ऐसे विकास खंडों में ८ कर देंगे तो यह अनुपात ठीक नहीं होगा। बलिया में कहीं-कहीं ११० या ११५ की संख्या है और कहीं वह संख्या १२५ से भी अधिक है जैसे सियर नगरा ब्लाक जहां चुने हुये लोगों की तादाद कम है वहां आप चुने हुये लोगों का सन्तुलन खराब कर रहे हैं। और वही बात आप कर रहे हैं जिसकी दुहाई आपने कल ही जनरल डिस्कशन के समय तर्क दिया कि चुने हुये लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिये प्रत्यक्ष चुनाव से आने में सन्तुलन खराब नहीं होगा वह तर्क व्यर्थ हो जायगा।

दलगत भावना से आप ऊपर उठें, यह न सोचें कि सारी बातों की जानकारी आपको ही है। बिलकुल सीधा संशोधन है। यदि आप विवेक और दूरदर्शिता से काम लें और आप इस संशोधन को स्वीकार करें। १५ प्रतिशत पर आप को एतराज हो तो यही तय कर लें कि जो प्रतिशत राज्य सरकार तय कर दे। लेकिन प्रतिशत आप स्वीकार करें।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मैनेजर्सिंह जी की भाषा में तो बोलने का आदी नहीं हूं कि सारी बातों का ज्ञान आपको ही है या सारा विवेक आपको ही है, और मैं मानता हूं कि इन सारी बातों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा। इस तरफ के लोग शायद उस बात को पहुंच भी न करते हों। अगर हम दायें चलें तो आप राइटिस्ट कहें और बायें चलें तो लेफ्टिस्ट कहें, फारवर्ड चलें तो फारवर्ड कहें और बैकवर्ड चलें तो बैकवर्ड कहें। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि किसी चीज की कोई मान्यता होती है। कोई चीज कहीं से ली जाती है। पंचायती परिषद् जयप्रकाश जी ने बनाया, उसे आप लें, जहां भी पंचायती राज की स्कीम चली उसमें कुछ न कुछ कहीं से अपनाया गया। इस विधेयक में माननीय सदस्य देखने कि कृपा करेंगे कि वर्तमान धारा ६ में जो ८ सदस्यों के कोआप्शन की बात अभी की गई थी, उस धारा ६ में यह था कि उपरोक्त धारा ६ के अन्तर्गत जितने सदस्य हरिजनों के आ जावेंगे वह, उसके अलावा धारा ६ के (२) के (१) और (२) में भी जितने आ जावेंगे उनको जोड़ कर अनुसूचित जाति की संख्या को हम कोआप्शन में रखते थे। अब हमने उसे सिम्पलीफाई करके यह कर दिया है कि धारा ६(१) में जितने सदस्य आ जावेंगे उसके बाद अगर (१) और (२) में अगर दोनों हरिजन आ गये, तो पहले ऐसा होता था उसके ८ आदमी माइनस किये जाते थे। लेकिन आज वह बात नहीं है। आज धारा ६ (१) में आये हुये आदमियों को ही जोड़कर जितने आदमी आवेंगे, और जो संख्या बाकी बचेगी उससे हम अनुसूचित जातियों के लोगों को बढ़ा देंगे। अगर प्लानिंग कमेटी के इंटेरेस्टेड सदस्यों में भी कोई हरिजन आ गये तो वह और बढ़ जावेंगे, एडीशन होगा। जहां प्रतिशत की बात आती है, विधान सभा और पार्लियामेंट के सदस्यों के प्रतिशत के अनुपात से आते हैं और जहां तक, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की और आम जनता के प्रतिनिधित्व की बात है, वे उस प्रतिशत से वहां उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

अभी रामसुन्दर जी ने कहा कि कितने हरिजन प्रमुख हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आफिस पर कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इतने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् और म्युनिसिपैलिटीज हैं, किसी में भी ऐसा रिर्जवेशन नहीं हुआ है। रामसुन्दर जी ने जैसा कहा कि यह जिला परिषद् का संशोधन विधेयक नहीं है, क्षेत्र समितियों का है। माना कि ८७५ ब्लाक्स में से आबादी के अनुसार किसी में ६० और किसी में ७० सदस्य होंगे। अब उनमें हमने जो यह ८ की संख्या रखी है वह पहले की संख्या से अधिक ही हो जायगी। मेरा ख्याल है कि वह २–३ बढ़ ही जायगी, घटने वाली नहीं है। अगर यह मूल अधिनियम होता तब तो आप की बात पर विचार किया जा सकता था कि हरिजनों को किसी प्रतिशत से लिया जाना चाहिये। इसमें तो केवल स्पेशल इंटरेस्ट की बात कही गयी है। जब क्षेत्र समितियां कांस्टीट्यूट होती हैं तो उनमें २ प्लानिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग लिये जायेंगे, ५ महिलायें ली जायंगी। आप

[श्री बंशीधर पांडेय]

के कहने के अनुसार कल को महिलायें भी कह सकती हैं कि हमारा भी ५१ प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिये। इससे तो एक बड़ा भारी विवाद खड़ा हो जायगा। ५ महिलायें आ जायंगी, ८ हरिजन आ जायेंगे, इस तरह से जो क्लास रिप्रेजेन्टेड न होगा वह इस तरह से आ जायगा।

इसके अलावा जहां तक विधान सभा के सदस्यों और लोक सभा के सदस्यों का सवाल है, उनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त है जो दूसरे प्रान्तों में नहीं है। ये सदस्य पूरे सदस्य होंगे जो आबादी के अनुसार अपने जिले में रिप्रेजेंट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैनेजरसिंह जी के संशोधन का मैं विरोध करता हूं तथा उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (घ) में मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के प्रस्तावित खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(३) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से १५ प्रतिशत से कम हो, तो अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या का १५ प्रतिशत हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४--७

धारा ८ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (४) के खंड (क) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खंड (१), (२) तथा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द कोष्ठक तथा अंक "खण्ड (१), (२), (४) तथा (५)" रख दिये जायें।

धारा १० का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में शब्द "खंड में स्थित किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेंट के पद की या किसी खंड से जिला परिषद के सदस्य के स्थान की" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किसी ऐसे टाऊन एरिया की कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया की कमेटी के प्रेसीडेंट के पद की, जिसे धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (२) के अधीन खंड से संस्पर्शी घोषित किया गया हो,"

धारा १३ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा १३ में--

(१) खंड (ङ) के अन्त में आया हुआ शब्द "या" निकाल दिया जाय; और

(२) खंड (च) में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन और शब्द "या" रख दिया जाये तथा तत्पश्चात् नये खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"(छ) धारा २३ के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्टाचार किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो।"

७—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खंड (१), (२) अथवा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खंड (१), (२), (४) तथा (५)" रख दिये जायें। धारा १४ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) और उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये— धारा १६ का संशोधन

"(१) यदि मंडल के आयुक्त की राय में किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या कोई उपप्रमुख अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों तथा त्यों का पालन जानबूझ कर नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है, अथवा अपने कर्त्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है, तो मंडल का आयुक्त, यथास्थिति, उस प्रमुख या उपप्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने, और यदि उसकी राय ऐसा परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, प्रमुख या उपप्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है, और ऐसा आदेश, उपधारा (१—क) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(१—क) ऐसे आदेश से क्षुब्ध प्रमुख या उपप्रमुख हटाये जाने के आदेश से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है। अपील न किये जाने की दशा में उक्त अवधि की समाप्ति पर, तथा अपील किये जाने की दशा में अपील के अस्वीकृत किये जाने की सूचना क्षेत्र समिति के कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक से वह, यथास्थिति, प्रमुख या उपप्रमुख के पद से हट गया समझा जायगा।"

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं अपना संशोधन पेश नहीं करता।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, यह जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है उसमें मैंने लिखा है कि मैं खंड ८ का विरोध करूंगा। मेरा मतलब यह है कि मैं समझता हूं कि इस सेक्शन को बिलकुल ही इसमें से निकाल दिया जाय। इसके तीन वजूहात हैं—पहली वजह यह है कि जो हमारा सन् ६१ का क्षेत्र समिति व जिला परिषद् ऐक्ट है, उसमें दफा १५ को जब आप देखेंगे तो प्रमुख और उप-प्रमुख को हटाने की व्यवस्था की गयी है। इस ऐक्ट की दफा १६ है और वही यहां खंड ८ है जिसमें यह अमेंडमेंट पेश किया गया है। इसका मकसद यही है कि प्रमुख और उप-प्रमुख को किस तरह से हटाया जाय। उसका तरीका इसमें लिखा हुआ है। दफा १५ में यह साफतौर से लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रमुख या उप-प्रमुख बेईमानी करेगा या अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा तो उसे वोट आफ नो कांफिडेंस के जरिये हटाया जा सकता है। बी० डी० सी० के जो मेम्बर्स हैं वे मेजारिटी से उनको अपने पद से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

हटा सकते हैं । जब दफा १५ में ये अख्तियारात मिले हुए हैं तो फिर द १ १६ में इस बात को लाने कीक्या जरूरत है कि कमिश्नर भी प्रमुख और उप-प्रमुख को किसी शिकायत पर हटा सकता है ? मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

दूसरी वजह यह है कि कमिश्नर साहब के लिये लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर साहब यह समझेंगे कि इस प्रमुख या उप-प्रमुख ने अपने अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया है या प्रमुख या उप-प्रमुख ने बेईमानी की है, तो वह उसे हटा सकता है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कमिश्नर साहब को यह बतलाने वाला कौन होगा कि प्रमुख ईमानदार है या बेईमान है और उसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, लिहाजा उसे हटा दिया जाय ।

तीसरी वजह यह है बड़े अफसोस की बात है कि प्रमुख, उप-प्रमुख को हटाने के लिये तो कमिश्नर साहब को अख्तियार हो गया है लेकिन उसे अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिये किसी अदालत या कोर्ट आफ ला में जाने का अधिकार नहीं मिला है, जहां जाकर वह कह सके कि उसके साथ ज्यादती हुई है । ये तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि यह सेक्शन १६ जो अमेंडेड की शक्ल में यहां आया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब कि ऐक्ट की दफा १५ के अन्दर ये सारी चीजें मौजूद हैं । दफा १६ का यहां होने से तो वही देहाती मिसाल हो गयी कि "माल टाल सब तुम्हारा, लेकिन कोठी कुटले को हाथ न लगाना" । वही नक्शा यहां भी है कि क्षेत्र समिति के अन्दर हमने तुम्हें पूरा अधिकार दे दिया है, तुम स्कूल के मास्टरों का तबादला कर सकते हो, सड़कें बनवा सकते हो, यहां डेवलपमेंट्स के जितने काम हैं सब बगैर तुम्हारी आज्ञा के न होंगे, लेकिन जो उसकी रूह है, जो उसकी जान है उसको बन्द करके रख दिया बी० डी० ओ० साहब के पास या डी० पी० ओ० साहब के पास । वे जब चाहें तो कमिश्नर साहब से वह शिकायत करके कि यह प्रमुख या उप-प्रमुख बेईमान है और इसने अपने अख्तियारात का नाजायज तौर से इस्तेमाल किया है, उसे अपने पद से हटवा सकते हैं । एक तरफ तो यह कहा गया है कि बी० डी० ओ० प्रमुख के सेक्रेटरी की जगह पर काम करेगा और प्रमुख उसके कैरेक्टर रोल में भी एंट्री कर सकेगा और दूसरी तरफ बी० डी० ओ०, डी० पी० ओ० या सरकारी अधिकारियों के हाथ में आप उसकी जान दे रहे हैं वह कमिश्नर से इस बात की रिपोर्ट कर सकेगा कि यह प्रमुख या उप-प्रमुख ईमानदारी से अपना काम नहीं करता है या बेईमान है, और उसकी सिफारिश पर कमिश्नर उसे अलग कर सकेगा । ऐसी हालत में क्या वह प्रमुख आजाद होंगे अपना कार्य करने में ? हरगिज नहीं होंगे । उसको पाबन्द होना पड़ेगा बी० डी० ओ० के, केवल कहने के लिये ही यह रहेगा कि वह केवल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रमुख मातहत होगा बी० डी० ओ० का । जब बी० डी० सी० एक ऐसा कम्बीनेशन है जिसमें सब प्रधान हल्कों के आ गये, कोआप्टेड मेम्बर भी आ गये, हरिजन साथी भी उसमें आ गये और वह सब दफा १५ के मातहत अगर देखेंगे कि प्रमुख ठीक काम नहीं करता और अपने हकूक का नाजायज प्रयोग करता है तो उनको पूरा अधिकार होगा कि वह मेजारिटी वोट से किसी भी दिन उसके खिलाफ वोट आफ नो-कांफिडेंस ले आयें और उसको हटा दें । बी० डी० सी० को पूर्ण अधिकार देने के बाद भी जब हम.....

श्री उपाध्यक्ष--आप समय का खयाल करें, जल्द खत्म करें क्योंकि अब केवल सवा दो घंटे ही बाकी हैं ।

श्री रियासत हुसैन--जब यह अधिकार दे दिया है बी० डी० सी० को तो इस प्रकार का अंकुश जो रखा गया है मुनासिब नहीं है । प्रमुख को अधिकार है कहीं-कहीं वोट देने का । उनका वोट भी शुमार होगा जिला परिषद् में और दूसरी जगह पर भी । तो क्या आप यह नहीं समझते कि जब उस प्रमुख को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार और शिकायत का अधिकार इन डी० पी० ओ० और बी० डी० ओ० को होगा तो वह कैसे आजादी के साथ अपने उस राइट आफ वोट का प्रयोग कर सकेगा । इस तरह से हर प्रमुख को पाबन्द होना पड़ेगा इन सरकारी अफसरों का, जो गलत चीज है ।

तीसरे आपने उसको हटाने के बाद कोर्ट आफ ला में जाने का भी अधिकार नहीं दिया है । पहले यह अधिकार दिया गया था, लेकिन इस संशोधन में यह साफ है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेगा, लेकिन वह कोर्ट आफ ला में नहीं जा सकता । अफसोस है कि जब सन् ६१ में ऐक्ट बना था तो उसमें प्रमुख और उपप्रमुख को अधिकार दिया गया था कि अगर उनके साथ ज्यादती हो, उनको बेजा तरीके से अलग किया जाय तो वह स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील करें और अगर वह वहां से कामयाब न हों तो वह कोर्ट आफ ला में जायं । लेकिन साल भर बाद ही उनका वह हक छीना जा रहा है । अब जिले के कलेक्टर, कमिश्नर और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में उसकी जान रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट में जिसका असर होगा उसकी जान बख्शी होगी वर्ना कोई सुनवाई नहीं होगी । यह बहुत अफसोस की बात है । ऐसी सूरत में हम देख रहे हैं कि मूल ऐक्ट में जो था उसको और बिगाड़ा जा रहा है । अगर कोई प्रमुख ऐसा है जिसे पब्लिक भी चाहती है और बी० डी० सी० के मेम्बर भी चाहते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब नाराज हो जायं या कांग्रेस पार्टी के लोग और लीडर, सत्ताधारी दल के नाराज हो जायं तो उसको अलग कराया जा सकता है, अपील खारिज स्टेट गवर्नमेंट से करा सकते हैं और अपील भी नहीं । इन दलीलों के होते हुए मंत्री जी इसको इसमें से हटा देंगे, क्योंकि अगर रिमूव करना है और वह बेईमानी करेगा तो हट जायगा । इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि इस खंड को हटा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला है । अब ज्यादा इस पर भाषण न हो ।

श्री उग्रसेन—हमको विरोध तो करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, दो मिनट ले लीजिये ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, खंड ८ से इस विधेयक की पूरी मंशा पर ही कुठाराघात हो रहा है । क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक जब पहले बना तो मुझे इसकी प्रवर समिति में रहने का सौभाग्य मिला था और विचित्रनारायण शर्मा जी उस विभाग के मंत्री थे, और काफी चर्चा हुई । जैसा अभी सभा सचिव महोदय को मैंने सुना एक संशोधन पर, उन्होंने बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट की बड़ी दुहाई दी । मैं बताना चाहता हूं कि उस कमेटी ने दो खास बातें कहीं । पहली यह कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । लेकिन इस खंड से तो केन्द्रीयकरण होता दिखलायी दे रहा है और उस कमेटी की रिपोर्ट का हनन हो रहा है ।

दूसरी राय कमेटी ने यह दी कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो । मैं यह देखता हूं कि जब खंड ८ आप जोड़ देंगे, कमिश्नर को पूरा अधिकार देंगे तो न तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और न जनता का सहयोग होगा । प्रश्न यह है कि वह गलती करता है तो लेखपाल तो नहीं है । अगर लेखपाल ब्लाक प्रमुख होता तो कमिश्नर को पावर है कि वह लेखपाल की अपील सुनता है । तो जो ड्राफ्टर हैं विधेयक के उनके दिमाग में यह बात रही कि लेखपाल को ठीक कर रहे हैं इसलिए कमिश्नर लेखपाल को डिसमिस करे । और यह हिमाकत देखिये जो आदेश वह देगा उसके खिलाफ कोर्ट आफ ला में प्रमुख नहीं जा सकता । तो बलवन्तराय मेहता कमेटी की दोनों बातें इस विधेयक में नहीं हैं । इसलिये इस खंड को निकाल दिया जाय तभी दोनों बातें हो सकती हैं । अतः मंत्री जी, इन बातों को ध्यान में रख कर, इस खंड ८ को निकालने की कृपा करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, मैं खंड ८ का विरोध करता हूं । मुझे दुख है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, बलवन्त राय मेहता और माननीय जयप्रकाश नारायण जी की दुहाई देते हैं । उन्होंने अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का भी जिक्र किया । मुझे अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, उसकी काउन्सिल और एग्जीक्यूटिव में रहने का मौका मिला है तथा बलवन्त राय मेहता के निकट बैठकर चर्चा करने का मौका मिला है । मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बलवन्त राय मेहता की निगाह में यह खंड जायगा तो उन्हें महान् कष्ट होगा । एक तरफ एक अधिकार देने की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ उस अधिकार को छीना जा रहा

[श्री मैनेजरसिंह]

है । इस प्रदेश में नौकरशाही का चक्कर चल रहा है और यही एक ऐसा बदकिस्मत प्रदेश है जहां नौकरशाही १६ आना सत्ता पर हावी है । सिविल सर्विसेज के अधिकारी सरकार के नित्य प्रति के कार्यों में ही हावी नहीं हैं, यहां तक कि जो विधेयक पास होते हैं वे भी १६ आने उन्हीं की राय से पेश होते हैं । बदकिस्मती से ऐसे सुलझे हुए लोगों का यहां अभाव है जिनका कोई असर यहां की नौकरशाही पर हो । नौकरशाही उनको खिलौना ऐसा नचाती है क्योंकि उनमें कोई ज्ञान नहीं है । आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा । आयुक्त होता कौन ? जो कलेक्टर था या बी० डी० ओ० था । आखिर किस की सूचना पर आयुक्त कार्यवाही करेगा ? बी० डी० ओ०, तहसीलदार और कानूनगो की ।

एक सुझाव यह है कि अगर आप पंचायत संस्थाओं को ठीक ढंग से कार्य करने देना चाहते हैं तो आप इसकी जगह किसी ऐसे बोर्ड का गठन करें जिसमें सरकारी व गैरसरकारी पक्ष के लोग हों। ऐसा बोर्ड मंत्रिमंडल स्तर पर, स्टेट स्तर पर हो । जहां इस प्रकार की अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों का निर्णय हो । उसी बोर्ड में विचार हो, वह बोर्ड सक्षम हो यह निर्णय करने के लिये कि कौन उचित कार्यवाही कर रहा है और कौन अनुचित । दूसरे अध्यक्ष से राय लेने की बात कही गयी है । अध्यक्ष की राय लेने का मतलब होगा कि आप प्रमुखों को दलबन्दी में फंसाना चाहते हैं । लिहाजा मैं इस खंड ८ का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसे आप समाप्त करें ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा ८ में जो यह संशोधन पेश किया गया है इसमें केवल अन्तर इतना है कि प्रमुख या उप-प्रमुख को हटाने का अन्तिम अधिकार आयुक्त को दे दिया गया है और प्रमुख या उप-प्रमुख को आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध किसी भी कोर्ट आफ ला में जाने की इजाजत न होगी । तो यह अधिकार छीनना लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है और इसके पीछे नीयत बड़ी खतरनाक है । मंत्री महोदय अपने उत्तर में साफ तौर से बतलायें कि क्यों आयुक्त को अन्तिम अथारिटी रखा गया है और कोर्ट आफ ला में जाने से प्रमुख इत्यादि को क्यों वंचित किया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---श्रीमन्, इस धारा में रखे गये संशोधन के बारे में जैसा कि हमारे उधर के साथियों ने कहा कि प्रमुख बी० डी० ओ० के मातहत होगा और फिर डी० पी० ओ० के मातहत होगा, ऐसी बात नहीं है । यह तो उस वक्त के लिये है जब कोई बड़ा भारी आरोप उस पर हो तो कमिश्नर फैसला करेंगे । सिविल कोर्ट में जाने से इसलिये प्रतिबंध है कि आप देखते ही हैं कि छोटी-छोटी बातों में भी वहां बहुत देर लगती है और कभी-कभी ऐसे लोग जो सही माने में गलत काम किये होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती । हम सब लोग इसको महसूस करते हैं । इसलिये सिविल कोर्ट में जाने से रोक दिया गया । लेकिन हाईकोर्ट में रिट करने का अधिकार ज्यों का त्यों बना है, वह खत्म नहीं हुआ । इसके अलावा कमिश्नर ही अन्तिम फैसला नहीं करेंगे । उनके फैसले के बाद भी प्रमुख ३० दिन के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं । ऐसी हालत में, मैं समझता हूं कि हमारे उधर के साथियों ने जो विरोध किया है वह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, जब आप 'हां', 'नहीं' करा रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि 'नहीं' की संख्या अधिक है और आपने सुना भी, लेकिन फिर भी आपने घंटी बजा कर हमें वोट का अधिकार नहीं दिया । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने बहुत देर में कहा, नहीं तो आपकी बात माननी पड़ती ।

श्री उग्रसेन---उस समय आप इधर मुखातिब भी हुये थे और जब आपको आवाज पहुंच जाय तो आपको नोटिस ले लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---देर में आपने कहा, तबतक वह हो गया । कृपया विराजिये ।

खंड ९

धारा १८ का संशोधन

९---मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

जिला परिषद् की रचना

"१८---(१) जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :---

(१) जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख;

(२) प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति जो निर्दिष्ट किये जायं;

(३) जिले में समस्त नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेंट;

(४) (क) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर, या, यदि किसी जिले में ऐसा एक से अधिक बैंक हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर, या, यदि किसी जिले में ऐसा बैंक न हो, तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का, उसके निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) द्वारा चुना गया, एक प्रतिनिधि :

(ख) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का, उसके निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) द्वारा अपने सदस्यों में से चुना गया, एक प्रतिनिधि :

(ग) ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों का, जो उसके या उनके जिले में कार्य की उपयोगिता को देखते हुये राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये निर्दिष्ट करे, नियत रीति से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(घ) ऐसे जिले में जहां कोई गन्ना समिति या गन्ना समितियां हों, उस समिति या उन समितियों का नियत रीति से चुना गया एक प्रतिनिधि;

(५) सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा चुने गये तीन से अनधिक उतनी संख्या में व्यक्ति जो निर्दिष्ट की जाय;

(६) लोक सभा तथा राज्य विधान-सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो; तथा

(७) राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास-स्थान जिले में स्थित हो :

प्रथम प्रतिबंध यह है कि जन-संख्या में अन्तर के आधार पर खंडों की विभिन्न क्षेत्र समितियों के लिये खंड (२) के अधीन भिन्न-भिन्न संख्याएं निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

द्वितीय प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की कुल संख्या बीस से कम न होगी;

तृतीय प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति, जो जिले से विधान-सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा जो धारा २६ अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनर्हित हो, उपधारा (१) के खंड (४) और (५) के अधीन सदस्य नहीं चुना जायगा और न उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किया जायेगा; और

अन्तिम प्रतिबंध यह है कि प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट के पद के रिक्त रहने की अवधि में, यथास्थिति, प्रमुख या प्रेसीडेंट के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति (यदि कोई हो) जिला परिषद् या उसकी समितियों (कमेटियों) की बैठकों में प्रमुख या प्रेसीडेंट के स्थान पर सम्मिलित होने का हकदार होगा और उसे मद देने का भी अधिकार होगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य, उक्त उपधारा के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, निम्नलिखित को जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे :—

(१) उतनी महिलाएं जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्याओं (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या ऐसे जिले के संबंध में जिसमें खंडों को संख्या सात से अधिक न हो, कुल मिलाकर तीन और किसी अन्य जिले के संबंध में कुल मिला कर पांच हो जाय; और

(२) अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में से अनुसूचित जातियों के सदस्यों (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या उतनी हो जाय जो निर्दिष्ट की जाय और यह संख्या ऐसे जिले के संबंध में, जिसमें खंडों की संख्या सात तक हो तीन से कम या दस से अधिक न होगी और किसी अन्य जिले के संबंध में पांच से कम या दस से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम जिले से विधान सभा को निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो, अनुमेलित नहीं किया जायेगा; और

प्रतिबंध यह भी है कि खंड (२) के अधीन उस दिनांक के पश्चात् कोई अनुमेलन नहीं किया जायगा, जब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३३४ के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण करने की व्यवस्था समाप्त हो जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "निर्दिष्ट" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के पूर्व, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट से है।"

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१८--(१) जिला परिषद् की सदस्य संख्या जिले के विकास क्षेत्रों के दूना के बराबर होगी जिसमें १० स्थान महिलाओं और उस जिले के हरिजन विधान सभा रिजर्व सीट के दूने के बराबर हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रहेंगे जिनका निर्वाचन ग्राम प्रधानों के साथ किया जावेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि उसका नाम विधान सभा और लोक सभा निर्वाचन नामावली में दर्ज हो और उम्र २३ वर्ष से कम न हो ।"

इस संशोधन के लाने का कारण यह है, जैसा कि कल मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव को खत्म करना जनतंत्र के साथ दुश्मनी है । वही अगर यह संशोधन यहां पर जोड़ा नहीं जाता है जैसा कि उद्देश्य और कारण में लिखा है कि खर्चा बढ़ेगा इसलिये प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को खत्म किया जा रहा है । तो अधिक खर्चे का डर समाप्त न होगा । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अगर माना जाय जैसा कि इसमें सुझाव है तो अब तक दो आम निर्वाचन अपने यहां होते हैं । एक तो लोक सभा और विधान सभा का निर्वाचन एक साथ होता है और दूसरा गांव प्रधान का, जब गांव प्रधान का निर्वाचन होता है उसी के साथ जिला परिषद् के सदस्य का भी बक्सा रखा रहे, एक ही खर्चे से उसका भी चुनाव हो जायगा । साथ ही साथ निर्वाचन हो जाने से जो अधिक खर्चा बढ़ जाने की शंका की गयी थी उसका बिल्कुल समाधान हो जाता है । इस नाते इस संशोधन को मंत्री जी मानें ताकि जनतंत्र पर जो एक कुठाराघात होने वाला है वह न हो । आज संकट का बहाना बनाकर कि देश पर संकट है इसलिये लोग संकट की भावुकता में रहेंगे ऐसे समय में यह विधेयक लाया गया है कि यह पास हो जायगा और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है वह खत्म हो जायगी । प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के खात्में की वजह से बाअसर जालिम लोग आ सकेंगे । उपाध्यक्ष जी, अभी भी जो ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हुए हैं उनमें आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्यादातर चुने गये हैं जो जालिम हैं । अपनी जालिमाना हरकतों के कारण, लाठी की बदौलत, गुन्डागिरी की बदौलत वोटरों को घर में बन्द कर लेते हैं क्योंकि उनको सिद्धान्त वगैरा कुछ समझाना नहीं होता है । उसका नतीजा यह होता है कि वोटर उनसे डरता रहता है और अपनी वोट का ठीक इस्तेमाल नहीं कर सकता है । इसलिये यदि सही माने में जनतंत्र को ४ या ५ खम्भों पर आधारित करना है तो उनकी इकाइयों का चुनाव बालिग मताधिकार पर होना चाहिये जैसे कि लोक सभा और विधान सभा तथा गांव सभा में होता है । लेकिन बीच के इन जिला परिषदों ने क्या गुनाह किया है कि जो इसको रेंड़ी का खम्भा बना रहे हैं । सेमरी का खम्भा मजबूत होता है । सेमरी साखू को कहते हैं । दिल्ली और लखनऊ को तो साखू का खम्भा बनाना चाहते हैं और गांवों को भी बनाना चाहते हैं लेकिन बीच में जिला परिषदों को क्यों रेंड़ी का खम्भा बनाना चाहते हैं । इससे नुकसान होगा ।

इसके साथ ही आप समझिये कि वोटर बड़ा गरीब है । वोट का जो हथियार उसके हाथ में है उसका प्रयोग अपने पीड़क के खिलाफ करता है, 'प्रभुता पाय काहि मद नाहीं', यानी प्रभुता पाकर मद आता ही है । जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी उस कुर्सी पर जा रहा है उसका एक ही रवैया हम देख रहे हैं । इसी तरह से जितनी ऊंची कुर्सी पर कोई जाता है उसको वैसा ही मद चढ़ता है । प्रभुता पाने पर मद आयेगा और उससे जनता को तकलीफ होगी । इसके परिमार्जन का एक ही तरीका है कि आम चुनाव हो । आम चुनाव में ही जनता बदला लेती है । अगर जनता को सताने वाले बालिग मताधिकार से नहीं आयेंगे तो जनता उनको नहीं हटा सकती है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

अब तक ५ औरतों के रखने का प्राविधान है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम १० औरतें रखी जायं । अगर अधिक रख सकें तो अच्छा है । उत्तर प्रदेश में औरतों

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

की अधिक संख्या है। यदि ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो ५ की कोई तुक नहीं है। उनको अधिक से अधिक मौका देना चाहिये। जब तक मौका नहीं दिया जायगा उसमें क्षमता नहीं आ सकती, जब तक उनको पानी में नहीं डाला जायगा तैरना नहीं आ सकता, जब तक उन्हें चूल्हे के पास नहीं भेजा जाता तब तक खाना बनाना नहीं आ सकता है। जब तक साइकिल नहीं पकड़ायी जायगी सायकिल चलाना नहीं आयेगा। उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये औरतों को अधिक मौका देना चाहिये। औरतों की संख्या कम से कम १० रखें। ज्यादा रखें तो अच्छा है। इसी तरह से हरिजनों की सीटें भी कम से कम २ के बजाय ४ रखें अधिक कर दें तो बुरा नहीं होगा लेकिन इससे कम न हो। मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें, तो नुकसान नहीं होगा। जनतंत्र और मजबूत होगा और आने वाली संतान उनकी तारीफ करेगी। जहां तक मंत्राणी जी का सवाल है उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस संशोधन को स्वीकार ही कर लें।

श्री मैनेजरसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने रखा है इसको यदि स्वीकार कर लिया जाय तो महान् अनर्थ हो जायगा। हमारे प्रदेश में ऐसे भी जिले हैं जहां सात विकास खन्ड हैं। यदि दस महिलाओं को रख दिया जाय, और हरिजन सीटें दूनी कर दी जायं, तो बारह वही हो जायंगे १४ में। फिर दो पुरुष क्यों रहें? [× × ×] मैं समझता हूं कि केवल विरोध करने के लिये उन्होंने रख दिया है। इसका असर उन्होंने महसूस नहीं किया। दूसरी बात यह हो सकती है जो उनके संबंध में हमारे साथी माननीय काशीनाथ जी ने कहा था कि कुछ यहां दिमाग में गड़बड़ी है।

[× × ×]

श्री बंशीधर पाण्डेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रबलीसिंह जी ने जो संशोधन रखा है इसका मैं विरोध करता हूं। दरअसल शायद चन्द्रबलीसिंह जी ने इसको समझा नहीं। उन्होंने एकदम रख दिया कि धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। लेकिन जैसा कि मैनेजरसिंह ने कहा, बिलकुल सही कहा, इसका अर्थ ही नहीं मालूम होता। अगर इसको मान लिया जाय तो कैसे जिला परिषद् काम करेगी? मैं इसको बिलकुल नामंजूर करता हूं। यह बिलकुल तथ्य-हीन है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"१८---(१) जिला परिषद् की सदस्य संख्या जिले के विकास क्षेत्रों के दूने के बराबर होगी जिसमें १० स्थान महिलाओं और उस जिले के हरिजन विधान सभा रिजर्व सीट के दूने के बराबर हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रहेंगे जिनका निर्वाचन ग्राम प्रधानों के साथ किया जावेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उसका नाम विधान सभा और लोक सभा निर्वाचन नामावली में दर्ज हो और उम्र २३ वर्ष से कम न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नोट---[× × ×]माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री राधेश्याम शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे :

"(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति के विस्तार को चुनाव क्षेत्र मान कर जिला परिषद के लिये दो-दो व्यक्ति सीधे ग्राम जनता से बालिगमताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब जनरल डिस्कशन हो रहा था उस वक्त भी मैंने वह बात कही थी, और आज पुनः उसको दोहराते हुए कुछ नयी बात कहना चाहता हूं । श्रीमन्, सवाल इस बात का है कि जिन बातों को हमको ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से कहना पड़ता था आज मुझे बड़ा खेद है कि उन्हीं बातों को अपनी सरकार से कहना पड़ता है। बार-बार सरकार कहती है कि जनतन्त्र के आधार पर सीधे चुनाव की योजना से अप्रत्यक्ष चुनाव में खर्चा कम होता है, समय की बचत होती है, साथ ही साथ रोज-रोज चुनाव होते हैं तो ठीक चुनाव भी हो जायगा, इन बातों के अलावा सरकार के पास कोई तर्क नहीं । यदि यह बात मान ली जाय सरकार की तो फिर मेरी समझ में बात नहीं आती है कि प्रत्यक्ष चुनाव की जो रूपरेखा आज सारे हिन्दुस्तान में और दूसरे जनतांत्रिक देशों में रखी गई है, जनतंत्र में वह खत्म हो जायगी । मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा थोड़े से व्यक्तियों को अपना अधिकार सब जगह बनाये रखने का मौका मिलता है । कानपुर के एक बहुत बड़े सेठ राज्य सभा के लिये चुन लिए गए । असेम्बली के मेम्बर तक बहक गए, तो फिर ग्राम सभा के प्रधान के बहकने में कितनी देर लगती है । मैंने अपने यहां के तजुर्बे की बात बतायी । मेरे असेम्बली के निर्वाचन क्षेत्र में जितना मेरे चुनाव पर खर्चा हुआ उससे ज्यादा ब्लाकों के प्रमुखों के चुनाव पर खर्चा हुआ और समय भी कम नहीं लगा । यदि वही बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव की बात होती तो इससे ज्यादा समय न लगता और पैसा भी इससे ज्यादा खर्च न होता ।

एक बात और मैं कह दूं कि वोटर सीमित हो सकते हैं परन्तु जिस क्षेत्र की क्षेत्र समिति से वह चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की सारी जनता का ध्यान उधर आकर्षित होता है । सारी जनता का ध्यान जब आकर्षित होता है तो वह लोग उसमें इन्टरेस्टेड होते हैं । तो फिर क्यों न उनको यह अधिकार दे दिया जाय ? कितनी बढ़िया बात होगी कि प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाय और क्षेत्र समिति के विस्तार को चुनाव क्षेत्र मानकर जिला परिषद् के लिये दो सदस्य चुन लिए जायं ? कोई ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और सबको सही जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । इसके न मानने में सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि सरकार यह सब सोचे कि अप्रत्यक्ष चुनाव से वह थोड़ा लाभ अपने लिए उठा ले । लेकिन किसी दिन यह अधिकार और आगे बढ़ा और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली असेम्बली और लोकसभा के लिये भी हो गई तो फिर उस दिन तो जनतंत्र बिलकुल ही खत्म हो जायगा । इसलिये अगर जनतंत्र को चलाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है । प्रत्येक जनतंत्र के अन्दर तीन चार चुनाव हो जाया करते हैं, कोई समय का अपव्यय या ज्यादा खर्च उसमें नहीं होता है । सही व्यक्ति इस तरह से चुनकर आयेंगे और काम अच्छा चलेगा । इन शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी बातों को मान लेंगे तो वह जनतंत्र के बहुत बड़े हामी होंगे और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मुझे यह कहने का अधिकार है कि यह सरकार जनता की सरकार नहीं है। फिर आप चिढ़ते क्यों हैं ? इसलिये मैं यह कहता हूं कि २१ साल के नागरिक द्वारा वोट के आधार को जो हमने मान लिया है, उसी को हमें मान लेना चाहिये ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं इस संबंध में तो जनरल डिस्कशन के समय और पहले भी बहुत कह चुका हूं। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे:—

"(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति के विस्तार को चुनाव क्षेत्र मानकर जिला परिषद के लिये दो-दो व्यक्ति सीधे आम जनता से बालिग मताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं—खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (२) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) प्रत्येक खण्ड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित २ व्यक्ति जिनके नाम उस क्षेत्र संबंधी विधान सभा की निर्वाचक सूची में दर्ज हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, कल से जब से विवाद शुरू हुआ इस विधेयक के ऊपर मूल विषय जो विवाद का और मुख्य विरोध का रहा, वह इसी धारा १८ के ऊपर रहा। पहले जो धारा १८ थी उसमें जो परिवर्तन करने की बात कही गई है वास्तव में वही सारे विरोध का विषय है। वयस्क मताधिकार के आधार पर, जैसा कि पुरानी धारा में था धारा १८ के सब सेक्शन (१) के सब-सेक्शन (६) में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक खन्ड से दो व्यक्ति चुने जायंगे, उसको समाप्त करने के लिये यह सारे का सारा कुचक्र है और उसे समाप्त करने के लिये ही सारे का सारा विधेयक पेश किया गया है। इस पूरे विधेयक के अन्दर जो सबसे महत्वपूर्ण और विरोध करने की बात है वह यही है जो सरकार इस खन्ड में करने जा रही है। सरकार ने यह किया है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर गांव सभा के हैं उनके ही चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर पहुंच जायं। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा १८ जो पुराने विधेयक की थी उसमें यह आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि उन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही ये दो प्रतिनिधि वहां पर पहुंच जायं। वह तो वहां पर रहेंगे ही, तो फिर उन सदस्यों के द्वारा ही दो प्रतिनिधि चुनने से क्या लाभ होगा। जितने वहां पर प्रतिनिधि हैं उनमें से इन दो को चुना जायगा। अगर इन दो प्रतिनिधियों को वहां पर भेजने की बात है तो उनको बाहर से चुना जाय और उनको बालिगमताधिकार के जरिये से चुना जाय तो यह समझ में आने वाली बात हो सकती थी। धारा १८ में जो यह कहा गया है कि उन प्रतिनिधियों के द्वारा दो व्यक्तियों को चुना जायगा तो यह समझ में नहीं आया और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके चुने हुए प्रतिनिधि तो वहां पर हैं ही फिर उनके अन्दर से चुनने से क्या लाभ होगा? इसके पीछे सरकार यह तर्क देती है कि निर्वाचन चार बार होगा और खर्चा बहुत होगा। असेम्बली और पार्लियामेन्ट का चुनाव भी तो साथ-साथ होता है तो फिर इसको क्यों दो बार गिना जाता है? इसको दो बार गिनना गलत बात है। इसके लिये मैंने कल भी सुझाव दिया था कि गांव सभा के और वह सदस्य, जो क्षेत्र समिति के सदस्य होंगे वे सब, वयस्क मताधिकार से आयेंगे तो फिर उनके द्वारा ही चुनने से क्या लाभ होगा। इसमें अधिक खर्च की बात नहीं है बल्कि सरकार जनतंत्र को समाप्त करना चाहती है इसलिये यह धारा बनाई जा रही है जिससे लोगों का प्रतिनिधित्व न हो सके। जो तर्क सरकार के द्वारा दिया जाता है, वह प्रजातन्त्र की हत्या के लिये है जिससे उनका प्रतिनिधित्व न होने पाये। अप्रत्यक्ष चुनाव में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो लोग गिनना शुरू कर देते हैं कि कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं। सब लोग यह पता लगाने लगते हैं कि

किस जाति के कितने लोग हैं। इस वास्ते तुरन्त लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। यह जातिवाद को भड़काने वाली बात है। इसके लिये कुछ प्रेशर भी प्रयोग में लाया जाता है। कई लोगों का अनुभव है। जहां पर कांग्रेस नहीं जीती और कांग्रेस के सदस्य हार गये तो वहां पर इस प्रकार से जातीयता के आधार पर लोग जीत गये है। इस प्रकार से अनुभव में देखने में आया है कि जाति के आधार पर और प्रेशर के आधार पर प्रतिनिधियों को लाने की बात सोची जा रही है। वहां पर एक आदमी २०० रुपये देखकर प्रलोभन में आ सकता है जिससे वह दूसरी तरफ मिल सकता है। इसलिये यह प्रजातन्त्र की हत्या करने वाला सेक्शन है। इस कारण से मैंने इसके अन्दर यह संशोधन रखा है कि वहां पर दूसरे प्रतिनिधि उन्हीं लोगों में से चुनकर भेजे जायं, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वे तो गांव सभा के वयस्क मताधिकार के चुने हुए लोग हैं ही। उस समय दो प्रतिनिधि बालिग मताधिकार से अलग से चुने जायं। इसके बाद ही सच्चा प्रतिनिधित्व हो सकता है। आप जानते हैं कि एम० एल० ए० का चुनाव डाइरेक्ट होता है और वह सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझको यह पता है कि क्षेत्र समितियों की बैठक उस समय होती है जब लखनऊ या दिल्ली में बैठक होती रहती है ताकि एम० एल० ए० या एम० पी० उनमें सम्मिलित न हो सकें। इसलिये सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वह निराधार है। इसलिये मैने यह संशोधन रखा है कि क्षेत्र समितियों में जो बालिग मताधिकार से प्रतिनिधि पहुंचते हैं उनके द्वारा ही दो और प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनके स्थान पर डाइरेक्ट चुनाव करके बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव करके कम से कम दो प्रतिनिधि चुनकर भेजें जायं।

एक बात और कामा और फुलस्टाप वाली है, उसे आशा है मंत्री जी ठीक कर लेंगे। इसके अतिरिक्त सेक्शन १८ को देखा जाय। पहले सेक्शन में भी ब्राइकेट लगा हुआ है और फिर उप खण्डों में भी ब्राइकेट लगा हुआ है। यह भ्रम पैदा करता है। मैं चाहूंगा कि एक के ऊपर वाले ब्राइकेट को बड़ा कर दिया जाय और दूसरों को छोटा ब्राइकेट कर दिया जाय। इससे पढ़ने में सुविधा हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को यह सदन स्वीकार करे।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन को जो संशोधन द्वारा बदलने का प्रयास किया गया है उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है। कांग्रेस सरकार जो बालिग मताधिकार का ढिंढोरा पीटती है आज उसके द्वारा मूल अधिनियम में जहां बालिग मताधिकार पर लोगों के लेने की बात थी उसे समाप्त किया जा रहा है। आज कांग्रेस देख रही है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रदेश की जनता कांग्रेस के विरुद्ध हो रही है और ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि अगर बालिग मताधिकार पर चुनाव हो तो कांग्रेस के लोग कम आ पायेंगे। इसलिये यह प्रयास किया गया है कि बालिग मताधिकार की बात समाप्त कर के ब्लाक्स के आधार पर व्यक्ति चुने जायं। एक बात और भी है। यह देखा गया कि एलेक्शन हो चुके हैं ब्लाक्स में और जो प्रमुख वहां आये हैं वे बहुमत में कांग्रेसजन हैं। एक तरफ तो यह डर कि अपने लोग वहां कम पहुंच पायेंगे और दूसरी तरफ यह प्रलोभन कि हमारे आदमी इस तरह ज्यादा पहुंच रहे हैं इन दोनों बातों की वजह से बालिग मताधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आज जब भारत में सारी बातों का निर्णय बालिग मताधिकार के बल पर ही होना चाहिये, इसको समाप्त करने की कोशिश किसी को भी आश्चर्य में डाल सकती है। दूसरों को यह कहना कि वे देश मनमानी करते हैं ठीक नहीं। आप भी तो उसी तरह की डिक्टेटरशाही लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संशोधन को वह मंजूर कर लें।

श्री बंशीधर पांडेय---श्रीमन्, यह कोई नया संशोधन नहीं है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं। प्रमुख जो है, क्षेत्र समिति का सदस्य जो हमने रखा है कि वह बाहरी आदमी होगा। इसलिये क्षेत्र समिति का मेम्बर जिला परिषद् में होना आवश्यक है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (२) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(२) प्रत्येक खण्ड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित २ व्यक्ति जिनके नाम उस क्षेत्र संबंधी विधान सभा की निर्वाचक सूची में दर्ज हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरा एक प्लाइन्ट आफ आर्डर है। यह हमारे कान्स्टीट्यूशन में है कि बालिग मताधिकार पर किसी प्रकार का ऐमेंडमेन्ट बिल नहीं ला सकते। चूंकि यह बिल आया है इसलिये यह क्लाज अन-कान्सटीट्यूशनल है। इसलिये इस बिल से यह क्लाज निकाल देना चाहिये। कृपया आप इस संबंध में अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा देर में कह रहे हैं, अब आप विराजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, यह कान्सटीट्यूशनल प्रश्न है, चाहे पहले आये और चाहे बाद में। इस पर तो आपको व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (२) को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।"

"(२) प्रत्येक खण्ड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित २ व्यक्ति जिनके नाम उस क्षेत्र संबंधी विधान सभा की निर्वाचक सूची में दर्ज हों।"

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६४,

विपक्ष में---११८।)

श्री श्यामलाल---श्रीमन् जो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी। यह जो वोटिंग हुई है, मैं तो यही कहूंगा कि वह भी अन-कान्सटीट्यूशनल है। यह विधान के आर्टिकल के विरोध की बात हुई है। जो उसमें फन्डामेन्टल आर्टिकल है उसके खिलाफ चोज है। आप उसके खिलाफ कैसे कर सकते हैं? पहले आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अमेन्डमेन्ट कराइये।

श्रीमन्, आप इस पर व्यस्वथा दें।

श्री उपाध्यक्ष---आप कान्स्टीट्यूशन को पढ़ कर बतायें कि किस धारा में ऐसा लिखा हुआ है। क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि परिषद् में नहीं होगा?

श्री श्यामलाल---श्रीमन्, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार कान्स्टीट्यूशन के द्वारा मिल चुका है। मैं अभी वह धारा बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह परिषद् के लिये भी है ?

श्री मैनेजर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको अपने कक्ष में बुला लें, वहां वे मान जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्यामलाल जी, मैनेजर सिंह जी ने जो राय दी है वह कर लीजिये। (कुछ ठहर कर) अब मैंने काशीनाथ जी को बुला लिया है, आप कृपया विराजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं—

खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (२) को हटा दिया जाय और भाग (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे—

"(२) समस्त नगरपालिका, बोर्डों और टाउन एरिया के प्रेसीडेंट के साथ एक अन्य प्रतिनिधि जिला परिषद् के लिये चुना जाय।"

श्रीमन्, इस संशोधन में यह रखा गया है कि जितने जिले के टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्डस् के प्रेसीडेन्ट्स होंगे, ये सब जिला परिषदों में रख लिये जायेंगे। कल ही मैंने कहा था कि अगर इस तरह का विधान रखा गया तो धीरे-धीरे सीधे चुनाव की पद्धति ही समाप्त हो जायगी और अलग-अलग कमेटियों के लोग जिले में आ जायेंगे। जिला परिषद् का तो एक ही मतलब है कि जिले में और जिले की तमाम संस्थाओं में उनका शासन चले। जिले के अन्दर म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरिया भी हैं। इसलिये उनके अन्दर किस प्रकार से काम होता है उस पर जिला परिषदों का नियन्त्रण होना चाहिये। इसलिये टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड्स के प्रेसीडेंट्स का भी उनमें होना बहुत आवश्यक है।

सीधे चुनाव की व्यवस्था के विरुद्ध सरकार की ओर से केवल एक दलील दी गयी कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि दुनियां के अन्दर हर प्रकार की हुकूमत चल रही है। चाहे वह तानाशाही हो, चाहे डिक्टटरशिप हो और चाहे प्रजातन्त्र हो, हर तरह की हुकूमत की एक खूबी होती है और जनतन्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पद्धति से शासन प्रबन्ध में खर्चा ज्यादा पड़ता है। अब आप इसे इस पद्धति का ऐब मानें या गुण, जो कुछ भी कहें लेकिन खर्च के डर से जनतन्त्र को खत्म कर दिया जाय यह कोई तर्क नहीं है और मेरी समझ से वह खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। जिस समय अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड या अध्यक्ष, टाउन एरियाज का चुनाव होता है उसी चुनाव के साथ अगर एक-एक और प्रतिनिधि का चुनाव हो जाय तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—माननीय काशीनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है, शायद उन्होंने इस चीज को गौर से देखा नहीं है कि हम नगरपालिकाओं के अध्यक्ष का कोई चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं बल्कि वह तो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट होने की हैसियत से जिला परिषद् का पदेन सदस्य होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरा कहना है कि उनको सदस्य की हैसियत से भी जिला परिषदों में न रखा जाय।

श्री बंशीधर पाण्डेय—टाउन एरिया व म्युनिसिपल बोर्ड्स से एक-एक सदस्य के होने की बात है, इसको हर तरह से कैटेगराइज तो किया नहीं जा सकता। इसलिये मुझे यह संशोधन अस्वीकार है।

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जरा स्पष्टीकरण कर दूं कि माननीय काशीनाथ जी के संशोधन को शायद आपने समझा नहीं है। माननीय काशीनाथ जी के संशोधन का मतलब तो साफ है कि हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स व टाउन एरियाज के प्रेसीडेन्ट्स को जिला परिषद् में न रखा जाय बल्कि जब उनका चुनाव हो उसी समय एक-एक सदस्य को चुन लिया जाय और जब जिला परिषद् उनसे अपने एक-एक- प्रतिनिधि को भेजने के लिये कहे तो उन्हीं को वहां भेज दिया जाय। इसमें कोई खर्चा भी विशेष नहीं पड़ेगा। उसी समय उनके लिये भी अलग से दूसरा बक्सा रखवा दिया जाय। इस तरह से वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और वे ही जिला परिषद् में जा सकेंगे। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण के बजाय केन्द्रीयकरण ही होगा जो पंचायती राज के मूल सिद्धान्त के विपरीत है। तो इधर भी आप गौर फर्मा लें।

श्री बंशीधर पाण्डेय---मुझे काशीनाथ जी समझ गये लेकिन आप उनके नेता हैं और आपको समझ में बात न आयी हो और उसे आप देर में समझें तो बात दूसरी है। लिहाज: मैं समझता हूं कि उनका चुनाव अप्रासंगिक है क्योंकि वे पदेन सदस्य होंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (२) को हटा दिया जाय और भाग (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) समस्त नगरपालिका, बोर्डों और टाउन एरिया के प्रेसीडेंट के साथ एक अन्य प्रतिनिधि जिला परिषद् के लिये चुना जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) का भाग (३) निकाल दिया जाय।

भाग (३) में नगरपालिका के अध्यक्ष को पदेन सदस्य बनाया गया है। यों तो मेरी निजी राय है और पंचायती व्यवस्था में जिनकी आस्था है उनकी भी राय है कि नगर पंचायतों के रूप में नगरपालिकाएं की जायं और जिले की बड़ी पंचायत से उनका सम्बन्ध भी होना चाहिये। क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि जिले में जितनी नगरपालिकायें हैं उनके अध्यक्ष जिला परिषद् के पदेन सदस्य होंगे। इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि मैं स्वयं ऐसा मानता हूं कि टाउन एरियाज व नगरपालिकाओं का रूप ऐसा है कि जिले की बड़ी पंचायत में उनके प्रतिनिधि होने चाहिये और मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल या परसों ऐसा रूप आयेगा, इसलिये मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं करता।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कल्पनार्थसिंह---आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मेरे ८ और १० नम्बर के संशोधन आपस में सम्बन्धित हैं इसलिये आप आज्ञा दें तो मैं एक साथ ही दोनों को पेश कर के बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (४), (क), (ख), (ग) एवं भाग (५) तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित वाक्य रख दिये जायं :---

"जिले में बालिग मताधिकार तथा आबादी की संख्या के अनुसार नियमित रूप से चुना हुआ अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि। ऐसे सदस्यों की संख्या एवं क्षेत्र

का निर्धारण उसी प्रकार होगा जिसे एलेक्शन कमीशन ने विधान सभा एवं लोक सभा के लिये निर्धारित किया है।"

श्रीमन्, मैं आप का ध्यान प्रथम संशोधन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस बिल के द्वारा प्रथम संशोधन में जो व्यवस्था की गई है उसमें यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर, या, यदि किसी जिले में ऐसा एक से अधिक बैंक हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर या, यदि किसी जिले में ऐसा बैंक न हो तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का उसके निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि।

श्रीमन्, मैं सिद्धान्ततः इस चीज को गलत समझता हूं और यह जनतन्त्र का गला घोटने का एक रास्ता मात्र निकाला गया है। मैं आप के द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो सरकार है और इस की कुर्सियों पर जो एक गुट विशेष के लोग आसीन हैं वह प्रजातन्त्र की हत्या करने पर तुली हुई है। इन संशोधनों के द्वारा यह सरकार ऐसी स्थिति सदन में पैदा करती है जिसके द्वारा मैं कहने को बाध्य हूं कि यह सारे संशोधन जनतन्त्र के खिलाफ काले कानून के रूप में हैं। इसमें वास्तविक मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नामजदगी कर के सारी बागडोर अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया है।

दूसरे कोआपरेटिव फेडरेशन के बारे में भी यह है और सहकारी समितियों के बारे में भी मैं कहूंगा कि अगर उनके प्रतिनिधियों को आप लेना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर हो कि आप डायरेक्ट चुनाव के आधार पर लोगों को जिला परिषद् का मेम्बर बनायें। मैं यह भी कहूंगा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के नाम पर जो नामजदगी की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले रही है यह अधिनायकशाही मनोवृत्ति का परिचायक है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि अगर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि चुनाव कराने में खर्च अधिक होता है तो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस सदन के आप सहायक सदस्य हैं उसके निर्वाचन में भी बहुत खर्च होता है और हमेशा वही तानाशाही के मानने वाले लोग प्रजातन्त्र प्रणाली के बारे में अधिक खर्च की मिसाल देते हैं। वह तानाशाही लोग जो उधर बैठे हैं वह सोचें और समझें, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं।

एक तरफ असेम्बली और पार्लियामेंट की आवश्यकता समझेंगे और दूसरी तरफ चुने हुए लोगों का गला घोंटेंगे। यह सरकार शैशवावस्था में जिला परिषद् की हत्या करना चाहती है। मैंने कल विभाग के मन्त्री जी से कहा था, जिसका जवाब नहीं दिया। वह बतायें क्या वह वायदा भूल गईं, यह व्यवस्था की जा रही है डाक्टर सम्पूर्णानन्द सरकार के बनाये हुए कायदे कानून में.....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—जरा विषय, मान्यवर, याद दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय कल्पनाथसिंह जी, जरा जल्दी कीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह—जब चोट लगती है तो लोग चिल्लाते हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। जब कि इस सरकार द्वारा प्रजातन्त्र की हत्या होती है। अतः आप बलवन्त राय कमेटी की दुहाई न दें, जयप्रकाश जी की दुहाई न दीजिये। सीधे-सीधे कहिये, हम इस स्तर पर प्रजातन्त्र चाहते हैं। मेरे संशोधन में स्पष्ट है कि हरिजनों को उनकी संख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व मिले, बालिग मताधिकार के आधार पर, जिस तरह से सदन में और पार्लियामेंट में हरिजनों का प्राप्त है। यों तो आप कहते हैं हरिजनों के कल्याण के लिये यह काम कर रहे हैं लेकिन जब उनके प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो, जैसा एक प्रतापगढ़ सदस्य कह रहे थे बड़े लोगों के चरवाहे, हलवाहे आते हैं, आप सुन लें मैं भी चाहता हूं कि वे हलवाहे

[श्री कल्पनाथसिंह]

न आवें। उनकी जगह सही प्रतिनिधि आवें। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। हलवाहे, चरवाहे कांग्रेसियों के आते हैं, दूसरी पार्टियों के नहीं आते। हरिजनों के नाम पर आये हुए सदस्य ऐसी बात करें यह शोभा नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी संख्या के अनुपात पर जिला बोर्डों में प्रतिनिधित्व न देने का क्या कारण है? इन शब्दों के साथ मैं दोनों संशोधन पेश करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय कल्पनाथसिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। पहले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को अगर देखें तो उसके सेक्शन ९ में एडल्ट फ्रेन्चाइज़ के जरिये पहले चुनाव होता था और यह हमारा राजनीतिक अधिकार है। गांव के जितने लोग हैं, अन्तरिम जिला परिषद् से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है और जितनी ऐक्टिविटीज हैं गांव की, उनका भी उससे सम्बन्ध है। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि गांव के चुने हुए लोग वहां डायरेक्टली जायं, लेकिन जैसा इस विधेयक में दिया हुआ है गवर्नमेंट के नामिनी लोग आयेंगे या इंडायरेक्ट चुनाव से लोग आयेंगे तो पोलिटिकल पार्टी, जो इन पावर है तो वह हमेशा अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश करेगी और इस प्रकार गांव वालों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर एडल्ट फ्रेन्चाइज़ का हमारा राजनीतिक अधिकार है और उसके मातहत हम अपने प्रतिनिधि को अन्तरिम जिला परिषद् में भेजते हैं और धारा १८ के उपखंड ६ में यह अधिकार रिकगनाइज किया गया है। इसी सरकार ने उस राइट को रिकगनाइज किया था जिसके जरिये से गांव वाले अपने प्रतिनिधि डायरेक्टली जिला अन्तरिम परिषद् में भेज सकते थे। आज इसको खत्म करने का मतलब यह है कि गांव वालों के राजनीतिक अधिकार को छीनना है। जब अंग्रेजी राज्य था तब कांग्रेस सरकार के ये लोग, हिन्दुस्तान के लोग इस बात के लिये लड़ा करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा अपने नामिनी को नगरपालिका में भेजती है, लेकिन जनता के लड़ने का नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे जनता के प्रतिनिधि असेम्बली तक में जाने लगे और हम लोग जनता के चुने हुए नुमाइन्दे इस सदन में विद्यमान हैं। उस प्रणाली के जरिये हम यहां आये जिसके लिये हम पहले से ही लड़ा करते थे, लेकिन उस चीज को आज फिर उलटा जा रहा है और जो गंगा पूर्व की तरफ बहा करती थी उसे पश्चिम की तरफ बहाना चाहते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित होगा। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जहां तक हमारे हरिजन भाइयों का सम्बन्ध है अन्तरिम जिला परिषद् में नामिनी ही रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के जितने प्रतिनिधि हैं उनमें गवर्नमेंट के नामिनी होते होते हैं। पूरी यू० पी० की लिस्ट मंगा कर देखें तो नतीजा यह होगा कि कांग्रेस के लोग जब और कहीं फिट इन नहीं हो सके, उनको यहां फिट इन करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा यह होगा कि कौंसिल के चुनावों में इंडायरेक्टली जिला परिषद् के लोग वोट देते हैं। तो कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आदमी जिला परिषद् में भेज कर अपनी मेजारिटी कायम करे और यह निहायत अनुचित है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उसके नीचे से जमीन खिसक रही है। कहीं मीटिंग वगैरह होती है तो ये देखते होंगे कि उसमें बहुत कम लोग आते हैं, केवल कुछ लाइसेन्सी या जो लोग कांग्रेस के द्वारा परवरिश पाते हैं, वे ही आते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष चुनाव करेंगे तो एक खास पार्टी का ही प्रतिनिधित्व होगा, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि कल्पनाथसिंह जी के संशोधन को सरकार मान ले।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय श्रम मन्त्री .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथसिंह---(श्री रामायणराय के खड़े होने पर) दो संशोधन हैं, कम से कम इनको तो और मौका दीजिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---माननीय कल्पनाथसिंह जी कितनी बार बगैर आपकी आज्ञा लिये हाउस में बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा, रामायणराय जी, आप जल्दी ही खत्म कीजियेगा।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे कल्पनाथसिंह जी के महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का मौका दिया। कल से ही एक प्रश्न के ऊपर बराबर विवाद हो रहा है। घुमा फिरा कर इधर से सरकार को यही समझाया जाता है कि इस अधिनियम में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही है वह जनतन्त्रीय विकास में भयावह होगी। मेरी भी यही राय है और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद मन्त्री जी ने जल्दी में इस महत्व के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। होता यह है कि जब कोई बिल सदन के सामने लाना होता है तो एक बिल बनाने वाला विभाग है जिसमें कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं। परिणाम यह होता है कि जब कभी कोई नया बिल आने वाला होता है तो उसमें सरकारी अधिकारियों का अधिकार अधिक सुरक्षित हो जाता है और चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के अधिकार धीमे-धीमे कम होते जाते हैं। पिछले कई साल से यह प्रक्रिया हमारे सामने आयी। आज कम से कम मन्त्री जी को इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं जिनकी यह व्यक्तिगत राय है कि आज जहां हमारे सामने देश की रक्षा का प्रश्न है ठीक वहीं पर यह प्रश्न भी है कि हमें जनतन्त्र की रक्षा कैसे करनी है। जब इतना बड़ा खतरा हमारे सामने हो उस समय हम दलबन्दी के झगड़े में पड़ कर कोई ऐसा काम न कर बैठे जिसका परिणाम हमारे लिये खुद ही भयावह हो जाय। पिछले दिनों जो असेम्बली समाप्त हो गयी थी मैं सरकारी अधिकारियों द्वारा सुनता था कि बड़ा अच्छा हुआ असेम्बली खत्म हुई, क्वेश्चन्स के मारे तो हमारा दम घुटा जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ ऐसे लोग, जो जनतन्त्र के शत्रु हैं, इस बात के लिये खुशियां मना रहे थे और आज इस तरह का प्राविजन करके हम ऐसे लोगों के हाथ और मजबूत करेंगे।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सम्बन्ध में रामायणराय कोई बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रोफेसर लास्की जैसे विद्वान की साफ राय है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन कुछ थोड़े से सुविधा प्राप्त लोगों के लिये ही लाभकारी हुआ करता है। अगर हमारी सरकार जैसा कि वह दावा करती है कि वह समाजवादी सरकार है, उसे जनतन्त्र के सिद्धान्त में विश्वास है तो उसे इस पर सोचना चाहिये। उस समय मान्यवर, आपने मुझे अवसर नहीं दिया। आज हमने इस सदन में एक ऐसा फैसला किया कि जिसके चलते जनतांत्रिक पद्धति के द्वारा चुने हुए आदमी को सरकारी आदमी द्वारा खारिज कर दिया जायगा, जब उसकी मर्जी होगी। अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे जनतन्त्र का भला नहीं हो पायेगा। तो ऐसे अवसर पर फिर से सरकार इस बिल पर, आज की परिस्थिति में, गौर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

कल्पनाथसिंह जी तथा मैनेजरसिंह जी जब कभी कोई संशोधन रखते हैं तो इनका इरादा बहस करने का नहीं होता है, बल्कि वे अव्यक्त रूप से अनुभव करते हैं कि आज हम अनजाने ऐसी दिशा की ओर जा रहे हैं जो हमारे निश्चय के अनुकूल नहीं है। यह जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम हमने पास किया उसके प्रारम्भ में देखेंगे कि इस सिद्धांत को स्वीकार किया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर हमारी यह मंशा है कि गांवों में भी शासन की एक इकाई बने, जिले में भी बने और आगे चलकर राज्य में और केन्द्र में भी एक इकाई हो। तो इन चारों स्थानों पर जैसा कि चन्द्रबली जी ने कहा कि एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन होना चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

था। मुझे ऐसा लगता है कि गांवों में दूसरा सिद्धांत अपना रहे हैं और जिला परिषद् में दूसरा अपना रहे हैं और यहां दूसरा अपना रहे हैं। इसके लिये आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान दिलाकर मैं आशा करूंगा कि इस पुनीत उद्देश्य को सामने रखते हुए कल्पनाथसिंह जी के मासूम संशोधन को जो देश को जनतन्त्र की ओर ले जाने वाला है, उसको मन्त्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय--श्रीमन्, जो संशोधन कल्पनाथसिंह जी ने रखा है और रामायण राय जी ने अपनी राय जाहिर की है, उसके सम्बन्ध में मैं कल बता चुका हूं कि पंचायती राज्य में बराबर यह कहा जाता है कि जनतन्त्र की हत्या हो रही है और कांग्रेस चुनाव से भागना चाहती है। मैं आपको बताऊं ? कांग्रेस चुनाव से भागने वाली नहीं है बल्कि वह तो चुनाव पैदा करती है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि कांग्रेस चुनाव से भागने वाली नहीं है बल्कि वह तो जनतन्त्र का निखार चाहती है। जिला परिषद् ऐसी संस्था है जिसमें से यदि कोआपरेटिव के सदस्यों को हटा दिया जाय तो उसका नुकसान हो जायगा क्योंकि सहकारिता समाज की आधार शिला है और वही उसका आधार होगी जिसके आधार पर डेवलपमेंट और सहकारिता के कार्य चलेंगे। इसलिये इनका रहना जरूरी है क्योंकि यह अनुभवी आदमी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सारी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने जो १८ (५) की बात कही तो राज्य सरकार की तरफ कभी-कभी ऐसे आइटम्स होते हैं, हाउस में होते हैं, केन्द्र में होते हैं कि २/३ साहित्यिक या सांस्कृतिक आदमियों को भी रखा जाता है जिनका सम्बन्ध नहीं होता है और उनके रखने से लाभ होता है। मैं कल्पनाथ जी के दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (४) (क) (ख) (ग) एवं भाग (५) तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित वाक्य रख दिये जायं :--

"जिले में बालिग मताधिकार तथा आबादी की संख्या के अनुसार नियमित रूप से चुना हुआ अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि। ऐसे सदस्यों की संख्या एवं क्षेत्र का निर्धारण उसी प्रकार होगा जिस इलेक्शन कमीशन ने विधान सभा एवं लोक सभा के लिये निर्धारित किया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मैनेजरसिंह, इसमें और तो तय हो गया, अब आप न पेश करें तो अच्छा है।

श्री मैनेजरसिंह--मैं आपका इशारा समझ गया, लेकिन मुझे अपने विचार तो व्यक्त कर लेने दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व जो माननीय कल्पनाथसिंह जी का संशोधन था उसमें हमारा भी कुछ संशोधन निहित था। ४(ग) और ५ था। (ख) का अवशेष है। वही मौका दे रहा है अपनी बात कहने का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं बहुत ही कष्ट है। पंचायती राज का जो चित्र हमारे प्रदेश में खड़ा किया जा रहा है वह बिलकुल ही पंचायती राज की भावनाओं के विपरीत है। मेरी स्वयं की यह मान्यता है कि इन संस्थाओं में राजनीति नहीं जानी चाहिये। राजनीति न जाने देने के लिये यह भी जरूरी है कि प्रत्यक्ष चुनाव भी बन्द होने चाहियें। जब आप प्रत्यक्ष चुनाव करवायेंगे तो दलगत आधार पर सदस्य चुने जायेंगे। इसलिये मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रत्यक्ष चुनाव से राजनीति घुसेगी इन पंचायत के सदस्यों में, इस लिये प्रत्यक्ष चुनाव न हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में

राजनीति को घुसेड़ने की हर पग पर सरकारी पक्ष से कोशिश की गयी है। क्षेत्र समितियों का गठन हुआ है, वहां आपने यह व्यवस्था कर दी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रमुख के पद के लिये खड़ा हो सकता है। राजस्थान में भी ऐसा नहीं है। आपके नेता माननीय बलवन्तराय मेहता और एस०के० डे० साहब की भी मान्यता है कि बाहर के लोगों को प्रमुख के लिये उम्मीदवार न बनने दिया जाय। आपने राजनीति को घुसेड़ दिया जिसका प्रतिफल हुआ है कि हमारे प्रदेश में ९० फीसदी से अधिक राजनीतिक गुटवाज लोगों ने प्रमुख का पद प्राप्त कर लिया है। यही नहीं ५(क) में आपने कहा कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यावसायिक तीन प्रतिनिधियों का निर्वाचन आप करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि जो नामिनेशन आपने किया है नियोजन समितियों में किन लोगों का हुआ है? कौन लोग हैं मनोनयन में? आपने लच्छेदार शब्दों में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी या आपके पहले के लोगों ने कही थी उसके अनुसार कार्य हुआ? भारत सेवक समाज ऐसी देखने में साधु संस्थान के संयोजक को आपने बना दिया। कौन संयोजक है उसके चुनाव में हारे हुए लोग और कांग्रेस के लोग उसके संयोजक हैं। गैर राजनीतिक संस्था भारत सेवक समाज और राजनीति में सोलहों आना रुजहान रखने वाले लोग उसके संयोजक, जैसे कुंवर गुरुनारायण जी हमारे जिले में माननीय काशीनाथ मिश्र से चुनाव लड़े थे, श्री बृजविहारीसिंह जी, वह संयोजक हैं और पदेन सदस्य हैं जिला परिषद् के। लोग हर जिले मे रखे जाते हैं और रखे जायेंगे। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर आदरणीय सुचेता बहन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुशकिस्मती या बदकिस्मती से उस बेंच पर आजकल हैं और थोड़ी आस्था आप पर विरोधी पक्ष के लोगों को भी है। आप इस विभाग की सर्वेसर्वा हैं और आपके मंत्रित्व काल में यह काला विधेयक आया है, यह कलंकी विधेयक आया है! इसमें सरकार नामिनेट करेगी, आपकी राय भी नहीं मानी जायगी। आप पर भी दबाव पड़ेगा माननीय गुप्ता जी का और एक जनरल अयूब साहब हैं, दूसरे ऐडीशनल मुख्य मंत्री, उनका, और आप भी कर देंगी, आप उसे स्वीकार कर लेंगी।

यह तो नामिनेशन की बात मैंने बतायी (घ) में आपने कहा कि चन्द संस्थाओं को आप रखेंगे। गन्ना समिति वगैरह को आप रखेंगे। जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर को आपने रख दिया है, बस उसी से उनका सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो गया है। तीन कड़ियों की बात आप कहते हैं, उन तीनों में एक दूसरे में सचमुच समन्वय हो तब तो ठीक है, लेकिन आप तो बाहरी तत्व इतना ज्यादा उसमें घुसेड़ने जा रहे हैं कि उससे जो मूल मंशा पंचायती राज का है उस पर कुठाराघात हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत जल्दी में हैं और सिर हिला रहे हैं तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप पेश नहीं कर रहे हैं?

श्री मैनेजरसिंह—नहीं, वह मैं पेश करूंगा। यह मैं जानता हूं कि उनकी हठधर्मी है, लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करूंगा और पेश करूंगा। मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव पर भी जो मेरे विचार थे उनको मैंने रखा, लेकिन उधर से कोई सूझबूझ लोग नहीं दिखला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैनेजर सिंह जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह तो सब रूल आउट हो जायगा। केवल (घ) रह जायगा। अगर उसे आप न करें तो जल्दी हो जायगी।

श्री मैनेजरसिंह—(घ) में है गन्ना समितियों का। गन्ना समितियों के बारे में निवेदन कर दूं कि गन्ना समिति का प्रतिनिधित्व एक सज्जन हमारे यहां जिला परिषद् में करते हैं। मैंने पूछा कि किस सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं तो लोगों ने बतलाया और

[श्री मैनेजरसिंह]

जिला धीश ने कहा कि उस जमाने में एक केन यूनियन सोसाइटी थी कीहाड़ापुर में, उसके प्रतिनिधि होकर के वह आये थे, चूंकि आ गए इसलिये बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे डिफंक्ट लोग आयेंगे जिनमें गन्ना समिति की कोई आस्था नहीं है और फर्जी सोसाइटी बनाकर हर जिले में एक एक मेम्बर बढ़ा दिया जायगा। इसलिये मैं इसे प्रेस करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आपका संशोधन तो यही रहा कि (घ) निकाल दिया जाय।

श्री मैनेजरसिंह---मैं तो सबको चाहता था। खैर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (४) (ग) तथा भाग (४) (घ) निकाल दिए जायं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैंने मैनेजर सिंह जी की बातों को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना। उनको अपने संशोधन का खयाल बाद में आया। पहले तो बराबर वह जनरल बोल रहे थे जिसमें वही नामिनेशन की बातें थीं। इस वक्त वह पेश नहीं था। मेरे लिए भी उन्होंने कहा। बहुत सी बातें कहीं मेरा नाम लेकर खास तौर से कि मेरे ऊपर गुप्ता जी का और कौन मंत्री का दबाव पड़ता है। मैं बहुत अदब से मैनेजर सिंह जी से कहना चाहती हूं कि पी० एस० पी० वालों का भी, पुराने मित्र होने के नाते मेरे ऊपर बहुत जोरदार दबाब पड़ा करता है। मेरे ऊपर सब का दबाव पड़ता है। मेरा बस चलेगा तो वहां पर इन्साफ से ही नामिनेशन होगा। यह मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूं। मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग ४ (ग) तथा (४) (घ) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन पेश करने से पहले मैं पांडेय जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इसको आप स्वीकार करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिले के अन्दर एक अच्छी व्यवस्था कायम हो। अभी जो मूल अधिनियम है उसमें कहा गया है कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक व्यवसाय के कार्य म लगे हुये हों उन में से राज्य सरकार द्वारा चुने गये तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जायगा। राज्य सरकार सब जगह अपना अधिकार रखना चाहती है। जहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है वहां भी चाहती है कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराके कार्य किया जाय। इससे अपना बहुमत सरकार रखना चाहती है। तीन आदिमियों का या उससे अधिक जो रखा जायगा उसका निर्णय सरकार ही करेगी। साहित्यिक या सामाजिक व्यवसाय में लगे हुये व्यक्तियों में से छांटने का अधिकार सरकार को होगा, उसका निर्णय करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहती है। मैं समझता हूं इस तरह से जनतन्त्र का गला नहीं घोटना चाहिये। जनतन्त्र की व्यवस्था को पुष्टि करने के लिये मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उप धारा (१) के भाग (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(५) जिला परिषद् के मातहत अध्यापकों में से दो प्रतिनिधि सीधे चुनाव के आधार पर चुने जायेंगे और जिले में मजदूर संगठनों के एक प्रतिनिधि मजदूर युनियनों से लिये जायेंगे।"

आप जानते हैं कि हर जिले में हजारों अध्यापक....

श्री मैनेजरसिंह---मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सिलसिले में माननीय कल्पनाथसिंह जो का संशोधन था वह इसी तरह का था और वह अस्वीकृत हो गया। यह ५ उसी

तरह से रह गया। तो उसी सिलसिले में यह काशीनाथ जी अपना संशोधन रख रहे हैं। इसमें यह संशोधन नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें और उसमें अन्तर है।

श्री काशीनाथ मिश्र--मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हर जिले में हजारों अध्यापक जिला परिषद् के अन्तर्गत ऐसे हैं जो जिला परिषद् के द्वारा नियुक्त होते हैं। जिला परिषद् के अन्दर हम चाहते हैं कि उनका भी प्रतिनिधित्व रहे। पांडेय जी ने जिला परिषद् में सब लोगों का प्रतिनिधित्व रखा है। सब ओर से लोगों को लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन अध्यापक और मजदूर हजारों की तादाद में हर जिले में काम करते है तो इसका कोई प्रतिनिधित्व उसके अन्दर नहीं है। इसलिये जनतन्त्र के नाम पर और सुन्दर व्यवस्था बनाने के नाम पर मैं पाण्डेय जी से अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रक्षपालसिंह--मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--समय बहुत कम है। कुल मिलाकर १५ मिनट बाकी हैं और १५ मिनट तो तीसरे वाचन के लिये दिये जायंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा--जो बोलने वाले सज्जन हैं उनके लिये आप समय निश्चित कर दें तो ठीक होगा।

श्री रक्षपालसिंह--मेरे जो अगले संशोधन हैं वे रूल आउट तो नहीं हो जायंगे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मेरे संशोधन ९-क और १०-क पर हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन पर दो मिनट में अपनी बात कह देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो सभी समाप्त हो गये। लेकिन आप बोल लीजिये।

श्री रक्षपालसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अभी काशीनाथ जी के प्रस्ताव द्वारा यह बात कही गयी कि दो प्रतिनिधि अध्यापकों के और एक मजदूर प्रतिनिधि वहां रख दिया जाय। मेरा संशोधन केवल दो अध्यापकों के प्रतिनिधियों को लाने तक ही सीमित था और उसी सम्बन्ध में मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

इसमें सरकार द्वारा जो नियुक्त करने की बात कही गयी है वह उचित नहीं मालूम होती। इसके द्वारा सरकार अपनी मनमानी करेगी। इसके लिये पहले भी कहा जा चुका है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। काशीनाथजी ने बतलाया कि कैसे कैसे लोग रखे जायंगे मेरा भी अनुमान है कि सामाजिक व्यक्तियों के लिये तो सरकार भारत सेवक समाज या महिला समाज में से लोगों को लेगी। सांस्कृतिक लोगों के लिये वह नचनिये गवैयों को ढूंढने की कोशिश करेगी और जो साहित्यिक लोगों की बात है, उसमें मुझे डर है कि ऐसे लोगों को न रखा जाय कि जिनके बल पर सरकार जिंदा रहने की कोशिश करती है उर्दू और कोई फारसी वाले लोग रखे जायंगे और व्यावसायिक लोगों में तो वही आ पायेंगे कि जिनकी थैली का मुंह चुनाव के लिये खुल जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात हमारी श्रम मंत्राणी जी से संबंधित है। यह मानी हुई बात है कि श्रमिक का प्रबन्ध और पूंजी में भाग होना चाहिये। हमारे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के कितने अध्यापक हैं जिनका जिला परिषदों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता और परिणाम इसका बुरा होता है। कितनों को ही समय से वेतन नहीं मिलता, समय से वेतन वृद्धि नहीं मिलती और उनका सारा प्रबन्ध जिला परिषद् द्वारा होता है। तो अगर उनके दो प्रतिनिधि वहां रहें तो जैसी सरकर की नीयत है, उनकी कठिनाइयां बराबर मालूम होती रहेंगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि संख्या अधिक नहीं होनी चाहिये, इसीलिये मैंने केवल दो प्रतिनिधियों की बात

[श्री रक्षपालसिंह]

कही है। और जैसा काशीनाथ जी ने कहा, अगर श्रमिकों का प्रतिनिधि भी वहां रहे तो उचित होगा। मुझे आशा है कि श्रमिकों और अध्यापकों से सम्बन्धित जो यह संशोधन है इसे माननीय मंत्री जी मानने की कृपा करेंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—श्रीमन् इस सिलसिले में मेरा एक ही निवेदन है कि जिला परिषद् में सभी प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यह किसी न किसी रूप में अन्य वर्ग के लोगों के लिए तो हो जाता है, परन्तु अध्यापकों को इस विधेयक में सही माने में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष प्रार्थना करूंगा और उनके सभासचिव महोदय से भी कि वे इस संशोधन को मान लें। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि जसे हमारे विधान परिषद् में उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसी प्रकार से जनतंत्र में यह जिला परिषद् भी जब एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है तो वहाँ से अध्यापकों का प्रतिनिधित्व आप स्वीकार कर लें।

श्री बंशीधर पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय काशीनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसका माननीय रक्षपाल सिंह जी ने समर्थन किया है उसके संबंध में यह बता देना चाहता हूं कि वह कोई ऐसा रिप्रेजेंनटेशन हो जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवसायिक आदि का तो उस पर विचार हो सकेगा। मजदूरों का जहां तक संबंध है, मैं यही कहूंगा कि .....

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैं यही कहूंगा कि आप जैसे समझदार आदमी इस सरकार के आगे बराबर पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री नहीं रहेंगे।

श्री बंशीधर पान्डेय—श्रीमन्, मैं आपके सम्मुख जो बातें माननीय काशीनाथ जी ने कहीं उनके संबंध में उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। इन सब चीजों का उसमें नामिनेशन करते वक्त खयाल किया जायगा। लेबर यूनियन जो कि ४—ग में रखा है और कोआपरेटिव सोसाइटीज और लेबर सोसाइटीज के भी प्रतिनिधित्व की बातें होंगी। इस तरह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के भाग (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(५) जिला परिषद् के मातहत अध्यापकों में से दो प्रतिनिधि सीधे चुनाव के आधार पर चुने जायेंगे और जिले में मजदूर संगठनों के एक प्रतिनिधि मजदूर यूनियनों से लिये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि लोक सभा, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद् राज्य सभा के पदेन सदस्य केवल सहयोगी सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

मान्यवर, यह एक बहुत ही सीधा-सीधा संशोधन है और पंचायती राज की कल्पना के अनुकूल है और जिनकी दोहाई आप पंचायती राज में देते हैं उन भावनाओं की भी अभिव्यक्ति इसमें होती है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सीधे साधे संशोधन को स्वीकार कर लें। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आज इस पंचायती राज पर दोतरफा मार है। एक तो नौकरशाही इसके विरुद्ध है और दूसरे राजनीतिक लोग भी इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार से २ तरफ से इस पर कुदृष्टि है। इसलिये जरूरी है कि लोकसभा और विधान सभा के माननीय सदस्य केवल सहयोगी सदस्य रहें। यहां तर्क

दिया जाता है कि इन लोगों की उपस्थित वहां आवश्यक है तो वहां ऐसे त्यागी लोग और अनुभवी लोग रहें। उनके अनुभव और उपयोगिता से पंचायती संस्थायें लाभ उठा सकेंगी। अपने अनुभव से ये लोग उनका मार्ग-दर्शन और सहायता करेंगे। लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था राजस्थान और अन्य प्रदेश में है। यही नहीं, गत वर्ष हैदराबाद में विकास मंत्रियों और विकास आयुक्तों की बैठक ने भी सर्वसम्मति से निश्चय किया था कि इस प्रकार का एक सुझाव या अनुरोध विभिन्न प्रदेशीय सरकारों से किया जाय कि पंचायती राज्य के बारे में कानून बनाते समय विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों को सहयोगी सदस्य के रूप में रखने की व्यवस्था हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस सीधे-सादे संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री राधेश्यामशर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने भाई की बात सुनी। अभी जो चन्द्रबली जी के लिये बात कही गई थी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह ठीक उनके लिये लागू होती है। शायद लम्बे आदमी को अकल कम होती है। अप्रत्यक्ष तो यह चुनाव होगा और उसके साथ-साथ अगर विधान सभा के और लोक के सभा सदस्य भी न रहें जो सीधे चुनकर आते हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह ऐसी बात है जैसी कि बिलकुल कोई बेदिमाग का आदमी करता है।

श्री मैनेजरसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा होकर भी कम अक्ल का हो सकता हूं। लेकिन माननीय जे० पी० मिश्रा जी और माननीय मिश्रजी सभा सचिव से तो कम ही हूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--इन बातों को छोड़िये।

श्री बंशीधर पान्डेय--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक की भावना को उलट देता है और बिलकुल असंगत है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय:--

"प्रतिबन्ध यह है कि लोक सभा, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद्, राज्य सभा के पदेन सदस्य केवल सहयोगी सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८ की उपधारा (२) में" वाक्यांश ऐसी रीति से जो नियत की जाय" के स्थान पर "एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के रखने में मैंने कल भी अपनी भावना व्यक्त की थी कि इस समय जितने भी कोआप्शन या चुनाव हुए जिनका इस धारा में उल्लेख है वे सब बहुमत के आधार पर हुए। अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो जिसके १५ लोग होंगे उनका भी एक प्रतिनिधि हो सकेगा। अगर मंत्री जी मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हैं तो नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें।

श्री बंशीधर पान्डेय--जैसा कि रक्षपालसिंह ने स्वयं कहा है, नियम बनाते समय हम इस बात को सामने रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--श्री रक्षपाल जी, क्या आप इसको वापस लेते हैं?

श्री रक्षपालसिंह--श्रीमन्, मंत्रीजी के आश्वासन पर मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड---१०-१७

धारा १९ का संशोधन

१०---मूल अधिनियम की धारा १९ में---

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(२) कोई व्यक्ति जिसका नाम जिला से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा जो धारा १३ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो अथवा जिसकी आयु निर्वाचन के दिनांक को ३० वर्ष की न हुई हो, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह न होगा।"; और

(२) उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

"(७) अध्यक्ष उस दशा में पद न रहेगा जब वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिये अनर्हित हो जाय।"

धारा २० का संशोधन

११---मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (४) में---

(१) खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खण्ड (७) (८)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "खण्ड (४), खण्ड (६) या खण्ड (७)" रख दिये जायं;

(२) खण्ड (ख) में कामा, कोष्ठक और अंक, "(४)" निकाल दिये जायं; और

(३) खण्ड (ग) निकाल दिया जाये।

धारा २२ का संशोधन

१२---मूल अधिनियम की धारा २२ में---

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:---

"(२) किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेन्ट के पद, या धारा १८ की उपधारा (१) के खण्ड (२) में निर्दिष्ट सदस्य, के स्थान की रिक्ति से, अथवा पूर्वोक्त उपधारा (१) के खण्ड (४) और (५) के अधीन सदस्य का चुनाव न होने से, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी।" और

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

धारा २३ का संशोधन

१३---मूल अधिनियम की धारा २३ तथा उसके पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"२३---(१) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वा-भ्रष्टाचार चन-विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम कोई प्राधिकारी के कारण किसी उम्मेदवार को जिसके संबंध में यह पाया जाये कि अनर्हता उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में क्षेत्र समिति या जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित

किये जाने या क्षेत्र समिति का प्रमुख या जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र समिति या जिला परिषद् दे सकती हो या जो उसके अधिकार में हो नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

(२) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा--

(१) किसी मतदाता को कपट, संशय मिथ्या-निरूपण, अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुंचाने की धमकी देकर, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत न देने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है;

(२) किसी मतदाता को, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने का या मत न देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन देता है ;

(३) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या दिलवाता है जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है ;

(४) खण्ड (१), (२) और (३) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिये (इंडियन पीनल कोड के अर्थ में) अभिप्रेरित (abet) करता है ;

(५) किसी उम्मेदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह, अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह अभिरुचि रखता है, दैवी कोप अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायगा ;

(६) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतार्थना करता है;

(७) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे ।

स्पष्टीकरण--"किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसमें वह अभिरुचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत क्षेत्र समिति या जिला परिषद् में किसी विशिष्ट बात के पक्ष या विरोध में मत देने का वचन नहीं है ।"

धारा २४ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खण्ड (२) तथा (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द कोष्ठक और अंक "खण्ड (२), (४) और (५) " रख दिये जायं ।

धारा २५ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा २५ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द, "निर्वाचित " तथा उसके पूर्व आने वाला कामा और शब्द "या निर्वाचित" निकाल दिये जायें; और

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाये :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, सदस्याओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पहले से ही धारा १८ की उपधारा (२) के, यथास्थिति, खण्ड (१) या खण्ड (२) के अधीन निर्दिष्ट संख्या से कम न हो तो अनुमेलन नहीं किया जायगा ।"

धारा २६ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २६ और उसके पार्श्वशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

सदस्य या अध्यक्ष होने के लिये अनर्हता

"२६—जो व्यक्ति धारा १३ में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा १८ की उपधारा (१) के खण्ड (४) और (५) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुने जाने या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन सदस्य के रूप में अनुमेलित किये जाने अथवा धारा १९ के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्हित होगा ।"

धारा २७ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा २७ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द, कोष्ठक और अंक "खण्ड (७) या खण्ड (८)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "खण्ड (६) या खण्ड (७)" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(ख) धारा २० के प्रयोजनों के लिये जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने का पात्र रह गया है या नहीं, या ।"

श्री मैनेजर सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—"खण्ड १० में मूल अधिनियम की धारा १९ की प्रस्तावित उपधारा (२) में शब्द "कोई व्यक्ति....रजिस्ट्रीकृत न हो" के स्थान पर "कोई व्यक्ति जो सदस्य निर्वाचित न हो" रख दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन भी बहुत सीधासादा है । इस संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि चुने हुए सदस्यों से ही अध्यक्ष चुना जाय । यदि इस प्रकार की छूट रख दी गयी तो उस कहावत के अनुसार हो जायगा कि किसी हौज में पानी इकठ्ठा किया गया, लेकिन उसके नीचे एक छिद्र छोड़ दिया गया ताकि सारा पानी निकाल दिया जाय। जब आप पंचायती राज्य को बल देना चाहते हैं तो आपको हर कदम पर यह सोचना होगा कि बाहर के ऐसे लोग, जो अपनी तिकड़म से, पैसे से और प्रभाव से आ जाते हैं, कहीं जिला परिषद् पर हावी न हो जायं । इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाना बहुत जरूरी है कि जिला परिषद् में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष चुना जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय––श्रीमन्, यह खण्ड तो इसलिये रखा गया था कि जिले में जो भी सबसे अच्छे व्यक्ति हों, जिनका नाम जिले की विधान सभा की सूची में हो, वे अध्यक्ष पद पर चुनकर आ सकें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मैनेजरसिंह जी तो अच्छे आदमी हैं, वे इसमें रुकावट नहीं डालेंगे।

श्री मैनेजरसिंह––मैं एक सफाई चाहता हूं कि क्या आपकी कल्पना से इसमें जितने सदस्यों की व्यवस्था है वे सब बुरे व्यक्ति हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय––मैंने तो "अच्छे से अच्छे" कहा था।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय––माननीय सभा सचिव जी ने कहा कि जिले की लिस्ट में जो प्रमुख लोग होंगे उनको लेने की जरूरत है, इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है। तो क्या जो हारे हुए कांग्रेस के मेम्बर होंगे उनको यहां रखा जायगा ? इसको साफ कर दिया जाय।

श्री वंशीधर पाण्डेय––मैं नहीं समझता कि माननीय नरसिंहनारायण जी वकालत क्या इसी को समझते हैं कि हर चीज को तोड़ मरोड़ कर कहा जाय। मैंने यह कहा कि जिले के अन्दर जिसका भी विधान सभा क्षेत्र की लिस्ट में नाम है, चाहे वह किसी वर्ग का हो, उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खण्ड १० में मूल अधिनियम की धारा १९ की प्रस्तावित उपधारा (२) में शब्द "कोई व्यक्ति . . . . रजिस्ट्रीकृत न हो" के स्थान पर "कोई व्यक्ति जो सदस्य निर्वाचित न हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खण्ड १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८––३०

धारा २९ का संशोधन

१८––मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) में शब्द "हटा सकती है" और तत्पश्चात आये हुए पूर्ण विराम के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें:––

"और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।"

धारा ३९ का संशोधन

१९––मूल अधिनियम की धारा ३९ में––

(१) उपधारा (१) में––

(क) खण्ड (८) के अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाये:

(ख) खण्ड (९) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी कोलन रखा दिया जाय, और तत्पश्चात् नये खण्डों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:––

(१०) पशुधन अधिकारी ;

(११) कृषि अधिकारी ; तथा

(१२) सहकारिता अधिकारी।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(३) राज्य सरकार के, यथास्थिति, अपर जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन अधिकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उपनिरीक्षक, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी ज्येष्ठ यन्त्र निरीक्षक (लघु सिंचाई कार्य), जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, तथा यथास्थिति, जिले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सहकारी समितियों के सहायक निबन्धक या जिला सहकारिता अधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, जिला परिषद् के अधीन क्रमशः मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, पंचायत राज अधिकारी, सिंचाई अधीक्षक, पशुधन अधिकारी, कृषि अधिकारी और सहकारिता अधिकारी के पद भी धारण करेंगे।" और

(३) उपधारा (३) के पश्चात् नयी उपधारा (३—क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये—

"(३) (क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला परिषद् के अधिकारी के किसी ऐसे अन्य पद का सृजन कर सकती है, जिसे राज्य सरकार का वह अधिकारी जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें, पदेन, धारण करेगा।

धारा ४६ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अन्त में आये हुए सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द तथा सेमीकोलन बढ़ा दिये जायं —

"ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जायगा ;"

धारा ८७ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ८७ की उपधारा (२) में शब्द "स्थापित कर सकती है" तथा शब्द "और ऐसी किसी समिति" के बीच में शब्द "और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो अवश्य स्थापित करेगी" रख दिये जायें।

धारा ९१ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा ९१ की उपधारा (४) के पश्चात् उसकी उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये—

"(५) राज्य सरकार किसी भी समय, यह निदेश दे सकती है कि उत्पादन समिति या कल्याण समिति का कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य धारा ८७ की उपधारा (२) के अधीन स्थापित किसी समिति को संक्रमित किया जाये।

धारा ९५ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा ९५ में—

(१) खण्ड (६), (७) और (११) निकाल दिये जाये;

(२) वर्तमान खण्ड (८), (९) और (१०) की संख्या बदल कर क्रमशः खण्ड (६), (७) और (८) कर दी जाये ;

(३) संख्या बदल कर हुए खण्ड (७) के अन्त में आये हुए सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "तथा" बढ़ा दिया जाये ;

(४) संख्या बदल कर हुए खण्ड (८) के अन्त में आये हुए सेमीकोलन और शब्द "तथा" के स्थान पर कोलन रख दिया जाये; और

(५) संख्या बदल कर हुए खण्ड (८) के पश्चात् प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा ३९ की उपधारा (३—क) के अधीन जिला परिषद् के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय तो यह न समझा जायगा कि उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं।"

धारा २३१ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा २३१ की उपधारा (५) में शब्द, "निर्वाचित तथा उसके पहले आया हुआ कामा निकाल दिये जायें।

धारा २३३ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २३३ में—

(१) खण्ड (क) में शब्द तथा कामा" उनके निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार पर, यदि वे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा पात्र हों," के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये उनकी पात्रता पर" रख दिये जायें; और

(२) खण्ड (ख) में शब्द "सदस्यों का तथा अध्यक्ष का निर्वाचन उसी प्रकार किया जायगा मानो धारा २२ के अधीन साधारण निर्वाचन करणीय (due) हो गया हो" के स्थान पर शब्द "परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनस्संघटित की जायगी" रख दिये जायें।

धारा २३४ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा २३४ में—

(१) खण्ड (क) में शब्द "खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "सदस्य के रूप में चुने जाने या अनुमेलित किये जाने या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये जाने" रख दिये जायें और

(२) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(ग) राज्य सरकार, परिषद् के अवक्रमण की अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व उसे पुनस्संघटित करने के लिये प्रबन्ध करेगी।"

धारा २३६ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा २३६ की उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (ग) में से शब्द, कोष्ठक, और अंक "या खण्ड (४)" तथा शब्द "या जिला परिषद् के सदस्य" निकाल दिये जायें; और

(२) खण्ड (ङ) में से शब्द "प्रमुख" और कामा तथा शब्द "गांव सभा के प्रधान" के बीच में आये हुए शब्द "अथवा सदस्य" तथा शब्द "अथवा जिला परिषद् के सदस्य" निकाल दिये जायं।

धारा २७१ का संशोधन

२८—मूल अधिनियम की धारा २७१ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) के प्रारम्भ में आये हुए कोष्ठक तथा अंक "(१)" निकाल दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाये।

धारा २७४ का संशोधन

२९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७४ की संख्या बदल कर उसे धारा २७४ की उपधारा (१) कर दिया जाये और उक्त धारा की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(२) उस दिनांक से जब [धारा १७ के अधीन किसी जिले में जिला परिषद् स्थापित हो जाये, उस जिले के संबंध में उत्तर प्रदेश अन्तिरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ निरस्त हो जायेगा और निरस्त रहेगा ।"

अनुसूची १ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की अनुसूची १ में—

(१) वर्तमान मद संख्या (३५) और (३६) के बीच में पृथक शीर्षक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाये—

"११—प्रशासन

(३६) कांजी हाउसों की स्थापना और उसका प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत जहां केटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ प्रचलित हो वहां कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ के अधीन राज्य सरकार और जिला मैजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र समितियों को हस्तान्तरित किये जायं ;

(३७) ऐसे किन्हीं सार्वजनिक या निजी पूर्ती या न्यासों का प्रबन्ध जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा या उसकी सहमति से क्षेत्र समिति के अधीन रखे जायें" और

(२) वर्तमान मद संख्या (३६) की संख्या बदल कर (३८) कर दी जाये ।

*श्री रियासत हुसैन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) हटा दी जाय ।"

इस खंड १८ में यह लिखा हुआ है कि किसी अध्यक्ष को कोर्ट आफ ला में जाने का अधिकार नहीं होगा । जैसा मैंने पहले संशोधन दिया था उसी तरह का यह भी है । फर्क सिर्फ यह है कि वहां तो हमारी कांग्रेसी सरकार प्रमुख व उपप्रमुख को खा गयी और अब यहां जिला परिषद् के अध्यक्षों का नम्बर है । जब हमारे ऐक्ट के सेक्शन २८ में बिलकुल साफ लिखा हुआ है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष, जिस तरीके से भी चुने जायेंगे, उनको बाद में मोशन आफ नो कांफिडेंस से अलग किया जा सकता है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्शन २८ के होने के साथ-साथ सेक्शन २९ में इस चीज को लाने की क्या जरूरत महसूस हुई कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें चाहेगी तो हटा देगी । दूसरी बात यह भी है कि प्रमुख व उप प्रमुख को कम से कम इतनी छूट तो दी ही गयी है कि अगर कमिश्नर उनको हटा दे तो वे स्टेट गवर्नमेंट के यहां अपनी अपील कर सकें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्षों के साथ तो यहां तक ज्यादती हुई है कि उनके लिये अपील की कोई गुंजायश ही नहीं रखी गयी है । अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको हटा दे तो वे किसी कोर्ट आफ ला में जाकर अपील नहीं कर सकेंगे । यह तो उनके साथ इसी तरह की ज्यादती है कि "जबरा मारे और रोने भी न दे ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी इस बात को जानते हैं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का जो पद है वह तमाम जिले की एक गवर्नमेंट के किस्म का है और उसके हाथ में मास्टरों की नियुक्ति, मुअत्तली की कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है और अपने पद का इस्तेमाल वह जिस पार्टी के हित में भी चाहे कर सकता है । ऐसी सूरत में स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश करने वाला, उसे बतलाने वाला कौन होगा कि इस अध्यक्ष ने बेईमानी की है या उसने नाजायज काम किया है ? जो सरकार के आदमी उस जिले में होंगे, चाहे वे एम० एल० ए० हों या एम० एल० सी० हों, उनके हाथ में अध्यक्ष की जान होगी । अगर वह उनका कोई भी काम नहीं करेगा तो वे स्टेट गवर्नमेंट से जाकर शिकायत कर देंगे कि फलां जिले का अध्यक्ष बहुत नालायक है लिहाजा उसे हटा दिया जाय और उसे हटा दिया जायगा । इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि मजबूरन उसे अपनी तमाम ताकतों का इस्तेमाल सरकारी पक्ष के आदमियों की ताकत को बढ़ाने में करना होगा, चाहे वह उसके मास्टरों के जरिये हो, चाहे जिला परिषद् के मुलाजिमों के जरिये हो । इस तरह से अध्यक्ष को अपने हाथ में रखने के लिये सरकारी पार्टी के लोग हर तरह के दबाव डालेंगे और किसी तरह से भी वह उनके खिलाफ नहीं जा सकेगा । इस तरह से वहां भी पार्टी पालिटिक्स घुस जायगी क्योंकि अगर अध्यक्ष उनका काम नहीं करेगा तो वे स्टेट गवर्नमेंट से शिकायत करके उसे हटवा देंगे । इसका डर उसे बराबर बना रहेगा । यहां पर इस बात को नहीं बतलाया गया है कि कोई अध्यक्ष बेईमान है या नहीं, इसकी जांच करने के लिये क्या मौके पर कमिश्नर साहब जायेंगे कि इसने कोई गलत काम किया है या नहीं ? मेरे खयाल से वहां कमिश्नर साहब नहीं जायेंगे, बल्कि उनको बतलाने वाले जिले के ही अधिकारी कलक्टर, बी० डी० ओ० और डी० पी० ओ० होंगे । इस तरह से यहां स्टेट गवर्नमेंट में आ कर कहेंगे कि फलां अध्यक्ष ईमानदारी से काम करता है और फला नालायक है और यहां स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी के सिलसिले के और कोई दूसरे लोगों का सिलसिला न होगा । इसलिये वह इसको अपना टल बनाना चाहते हैं, अभी मंत्री जी ने कहा था कि मैं पी० एस० पी० के दबाव में रहती हूं । पहले जरूर यह बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है । इसलिये मैं मशकूर हो जाऊंगा अगर वह इस छोटे से संशोधन को मान लें और हमें मौका दें कि हम आगे भी उनकी बात की ताईद करें ।

श्री रक्षपालसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बिलकुल प्रत्यक्ष है कि अभी तक के जो हमारे अनुभव हैं उनसे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सरकार अपने पक्ष के लोगों को ही बैक करती है और मिर्जापुर की नगरपालिका का मामला इसका एक उदाहरण है । हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन वह बने रहे और किसी प्रकार से भी उनको हटाया न जा सका । माननीय सचिव महोदय कहते हैं कि हाई कोर्ट, कोर्ट आफ ला में शामिल नहीं है, लेकिन वह कैसे होगा । यह कानून प्रजातंत्र को खत्म कर के अधिनायकवाद को लाने वाला है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---उपाध्यक्ष महोदय, जो शंका प्रमुखों को हटाने की इस संशोधन के द्वारा प्रकट की गई है वह बात नहीं है । मैं समझता हूं और पहले भी मैं कह चुका हूं कि उनको हटाना आसान काम नहीं है । यह नहीं है कि सरकार जिस का चाहे नाम काट कर हटा देगी और न सरकार कभी ऐसा काम जानबूझकर करेगी । उसके भी नियम हैं पहले नोटिस होगा उनका जवाब होगा और फिर उस पर गौर होगा और अगर उनका दोष न होगा तो उनको नहीं हटाया जायगा और अगर चार्जेज काफी होंगे तभी हटाया जायगा । फिर उसके बाद भी उनको कोर्ट आफ ला में रिट करने का अधिकार होगा । यहां तक कि वाकई जो गलत काम करते हैं उनको हटाना भी सरकार के लिये आसान नहीं होता, एक मुश्किल काम वह होता है, रिमूव होने के बाद भी वह हाईकोर्ट में जा ही सकते हैं । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) हटा दी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ से ३० तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२

[जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का संशोधन करने के लिए,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--यह अधिनयम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

इस समय मुझे इस पर अधिक कहना नहीं है, इस पर दो दिन से वादविवाद चल रहा है और तमाम बातों पर हमारे द्वारा प्रकाश डाला जा चुका है । इसके पारित होने के बाद जिला परिषदों का काम पूरा हो सकेगा और पंचायत राज के अन्तर्गत, जो तीनों हमारी इकाइयां हैं, उनका काम हम सुचारु रूप से चला सकेंगे जिससे हमारे कोआपरेटिव, पंचायती, विकास, खेती, उद्योग आदि के कायक्रम हो सकेंगे । जिला परिषदों का वह भी कार्यक्रम हो जायगा जो अभी हम अरिन्तम जिला परिषद् में रहते थे, जिला परिषदों का ऐक्ट भी लागू होता था, कभी कभी अंतरिम जिला परिषद् का सहारा लेना पड़ता था, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का सहारा लेना पड़ता था । तो इस बीच में तीन ऐक्टों का सहारा लेना पड़ता था । इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जिला परिषद् के संगठन में जो कुछ कमी शेष रह गई है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे रूप से जिला परिषद् की स्थापना जिलों में हो सके और पंचायती राज का काम आगे बढ़ सके । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे पारित किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--मैं जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा जल्द परिषद् का काम आरम्भ हो जायगा तो जरा बता दें आप परिषद् के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव कब करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--यह विधेयक जब ऐक्ट बन जायगा, राज्यपाल की स्वीकृति हो जायगी, उसके बाद यथाशीघ्र हो जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, जो विधेयक पेश किया गया है मैं इसका विरोध करता । इस विधेयक के द्वारा प्रजातंत्र प्रणाली का हनन किया गया है, सीधे निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त की गई, हरिजनों को प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात से जिला परिषद् और क्षेत्र समिति में नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक 'तिकड़मबाजी' के लिये एक अड्डा खोल दिया गया ।

(कुछ सदस्यों के 'तिकड़मबाजी' शब्द पर आपत्ति करने पर)

उच्छृन्खल शब्द अगर संसदीय हो सकता है तो 'तिकड़मबाजी' कैसे असंसदीय है ? यह सारी व्यवस्थायें इन धाराओं के द्वारा की गईं और इतना ही नहीं प्रमुख, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हटाने की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली, उनको कोर्ट आफ ला में जाने से रोका और सरकार केन्द्रीयकरण की नीति को चला रही है । अतः प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, उसकी सफलता के लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, वैसे तो काफी वाद-विवाद इस पर हुआ । इसमें सब बड़ी खामी यह है कि जहां प्रजातंत्र के हनन की बात की वहां यह भी है कि समाजवादी दृष्टिकोण से जनतंत्र का बिल्कुल गला घुटा है । अगर बालिग मताधिकार के आधार पर यह संशोधन विधेयक आता तो मुझे कोई एतराज न होता । माननीय सभा सचिव समाजवादी विचार-धाराओं के व्यक्ति हैं और फिर प्रजातंत्र का गला घोंटने की बात करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता । एक बात यह कही गई और माननीय बंशीधर पांडेय जी ने भी कही कि हम बालिग मताधिकार इसलिये नहीं करना चाहते कि देश के अन्दर ज्यादा चुनाव हो जाते हैं और जनता में क्लेश पैदा होता है, रुपया खर्च होता है । मैं तो बार-बार कहूंगा कि जो लोग समाजवाद की दुहाई देते हैं उन्होंने इस विधेयक का समर्थन करके जनतंत्र के प्रति हमला किया । मुझे पूरा तजुर्बा है कि ९० या १०० आदमियों के वोट देने में जितना खर्च होता है वही १५, २० हजार आदमियों के बीच में खर्च हो सकता है । एक बात मैं और कहूं कि यदि आपके दिमाग में यह बात है कि जिला और क्षेत्रीय परिषदों में कब्जा करके ६७ में आप बड़ी भारी संख्या में आ जायेंगे तो यह केवल भ्रम है । हमको एक प्रधान ने वोट नहीं दिया तो भी बहुत बड़े मंत्री को पराजित हमने किया है । अपोजीशन की तरफ आप होते तो आप किसी ब्लाक के प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर भी नहीं हो सकते थे वर्ना इधर आकर देख लीजिये ।

अध्यापकों तक के लिये भी संशोधन नहीं माना गया तो यह संख्यासुर नहीं तो फिर क्या है ? क्या अपोजीशन की तरफ से कोई अच्छा तर्क पेश नहीं किया गया, कोई भी अच्छा संशोधन पेश नहीं किया गया ? जनतंत्र में एक पार्टी राज्य ही बहुत बड़ा दोष है । अन्त में मैं यह कहूंगा कि जहां सामाजिक और सांस्कृतिक लोगों को आप कोआप्ट करायें तो माननीय अध्यापकों को भी कोआप्ट करा लें । इसके साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---मैं उन सभी भाइयों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिये । इसमें कोई जनतंत्र की हत्या नहीं है । जिला परिषद् का जो फार्मेशन हो रहा है उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस का समन्वय हो गया है । जिला परिषद् में डाइरेक्टली इलेक्टेड लोग अब भी प्रधानों से ले कर सदस्यों तक काफी अधिक संख्या में हैं और कुछ लोग आपकी अन्य संस्थाओं से आयेंगे । सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों में जैसा कहा गया सरकार जब किसी को नामिनेट करेगी तो अध्यापकों वाले सुझाव पर भी विचार करेगी । सही मानी में देखा जाय तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसके द्वारा होगा और सरकार के बहुत बड़े कार्यक्रम जनता के लेविल पर होंगे । इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह---मैं अन्त में यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस विधेयक को ला कर सरकार ने इस प्रदेश में, जो जन भावना चीनी आक्रमण के खिलाफ बनी हुई थी, उसको बिगाड़ा है । आपने चीनियों की मदद की है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अगर आप मेरा संशोधन जो अभी दिया गया है मान लें तब तो मैं अपना एतराज वापस ले लूंगा, नहीं तो वह रहेगा कि दो दिन का नोटिस नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्रणा समिति ने इसके लिये आधा घंटा तय किया है इसलिये मैं नोटिस वाली बात एलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान राष्ट्रीय आपत्ति का मुकाबला करने के लिये और नियोजन के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये जितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है उससे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। उक्त अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिये जिन-जिन सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें से एक सूत्र यह भी इष्टकर समझा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में समुचित संशोधन करके विभिन्न करणों पर वर्तमान स्टैम्प ड्यूटीज की दरों में कुछ वृद्धि की जाय । उसी वास्ते यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इसके द्वारा विभिन्न करणों पर वर्तमान देय स्टैम्प ड्यूटी में साधारणतया लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है । एक बात यह भी है कि पहले हाई कोर्ट में ऐडवोकेट, वकील और एटार्नी की हैसियत से एनरोलमेंट कराने हेतु स्टैम्प ड्यूटी द्वारा जो आमदनी होती थी और जो पार्लियामेंट में १९६१ में ऐडवोकेट ऐक्ट पास हो जाने से बन्द हो गयी थी उसे अनुसूची १—बी के आर्टिकिल ३० में संशोधन कर रिवाइज किया जा रहा है । इस प्रकार अनुमान यह है कि जहां खयाल यह था कि १९६२—६३ के बजट में नान-जुडिशल स्टैम्पस् से २ करोड़ ३ लाख की आमदनी होगी वहां अब १ करोड़ रुपये वार्षिक और ज्यादा की होगी ।

यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक है । मैं समझता हूं कि माननीय सदन इस पर इसी दृष्टि से विचार करेगा और इसे स्वीकार करेगा ।

***श्री कमलासिंह यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे ।'

अगर इसके उद्देश्य और कारण देखे जायं तो दो कारण हैं जिनकी वजह से यह संशोधन उपस्थित किया गया है । पहला कारण यह है कि आज जो हमारे देश के ऊपर चीनियों का हमला हुआ है उससे उत्पन्न राष्ट्रीय आपत्ति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि बड़े दायित्व को पूरा करने के लिये किसी तरीके पर हम धन इकट्ठा करें, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी रखा गया है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन इकट्ठा किया जाय । इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†५ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

को देखा जाय तो पहले जो स्टाम्प ड्यूटी थी वह अब ड्योढ़ी कर दी गई है और कहीं-कहीं तो और भी ज्यादा है । योजनाओं की जो बात इसमें रखी गई उससे मालूम होता है कि यह विधेयक टेम्पोरेरी नहीं है बल्कि बराबर जारी रहेगा । श्रीमन्, यह देखा गया है कि जब-जब स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है तो उसमें कमी नहीं हुई बल्कि और बढ़ोत्तरी होती रही है और योजनाओं के नाम रखने से साफ जाहिर है कि यह बढ़ोत्तरी हमेशा के लिये कायम रहेगी । आपत्तिकालीन समय का नाम लेकर सरकार को इतना फायदा नहीं उठाना चाहिये । जब तक संकट रहता तब तक के लिये अगर सरकार विधेयक लाती तो यह एक स्वर से पास हो जाता, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ोत्तरी करना मुनासिब नहीं है । इसलिये जिस रूप में यह विधेयक रखा गया है ठीक नहीं है ।

दूसरी चीज यह है कि जब हम इसके सिद्धान्त में जाते हैं तो देखते हैं कि सेल, मार्गेज और एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यटी ३ रुपये से साढ़े चार रुपये की गई है । हम देखेंगे कि मार्गेज ऐसी दशा में होता है जब कि किसान को या गरीब आदमी को रुपये की जरूरत होती है और उसको रुपया किसी और तरह से नहीं मिल पाता है तो वह अपनी जमीन या जायदाद गिरवी रखकर रुपया प्राप्त करता है । इसलिये जो आदमी रुपये के लिये परेशान है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा । उचित नहीं है । हालांकि सेल के लिये मैं मानता हूं कि जिसके पास रुपया होगा वही खरीदेगा । इसलिये सेल के लिये यह चीज मानी जा सकती है, लेकिन मार्गेज के लिये नहीं मानी जा सकती है ।

इसी के साथ-साथ यह भी रखा गया है कि इस ऐक्ट की धारा ६ जो पुरानी है उसके शिड्यूल १ (ए) और (बी) में (आई० बी०) की तरफ देखें तो ऐफीडेविट में ३ रुपये से बढ़ाकर स्टाम्प ड्यूटी साढ़े चार रुपये कर दी गई है । इसमें यह होता है कि विद्यार्थियों का सर्टीफिकेट जब खो जाता है तो वह ऐफीडेविट दाखिल करता है । अगर आप विद्यार्थी समाज को, जिस पर हमारे देश की नींव है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वह हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल करेगा, छोड़ दें जैसे कि हम सिपाही को छोड़ रहे हैं, उसी तरह से विद्यार्थियों से सर्टीफिकेट खोने या हासिल करने के लिये ऐफीडेविट पर स्टाम्प नहीं लेना चाहिये । मेरा निवेदन यह है कि विद्यार्थियों को, जो एफीडेविट दाखिल करते हैं, इससे एग्जेम्प्ट करना चाहिये । विद्यार्थी आज परेशान होता है कचहरियों में । मुझे इस बात का तजुर्बा है और माननीय मन्त्री जी भी जानते होंगे । कम से कम वह विद्यार्थी, जो अपना डिप्लोमा वगैरह लेने के लिये ऐफीडेविट देते हैं, उनको स्टैम्प ड्यूटी से बरी होना चाहिये ।

(इस समय ५ बजकर १२ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, पीठासीन हुये ।)

एक बात यह भी है कि जब किसी किस्म का मामला आर्बीट्रेटर को दिया जाता है, तो जो उस पर अवार्ड जाता है उस पर भी फीस बढ़ा दी गयी है । यह भी उचित नहीं है । इस भार से भी उनको बरी करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तो छोटा-सा संशोधन विधेयक था । कोई इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक इसके स्थायी और अस्थायी होने का सवाल है यह तो अच्छी तरह से विदित है कि वर्तमान राष्ट्रीय आपात का मुकाबला करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । एक यह कारण है और दूसरा कारण यह भी है कि प्लान के लिये रिसोर्सेज इकट्ठा करना है । प्लान के लिये पहले ही से रिसोर्सेज कम थे । इस आपात के कारण प्लान को खत्म नहीं करना है, उसको चलाना है । एक बात यह भी है कि जो राष्ट्रीय आपात है, चाहे आज समझौता हो जाय, लड़ाई बन्द भी हो जाय, तब भी इस बात की आवश्यकता है कि देश की सुरक्षा के लिये काफी पैसा खर्च किया जाय और आज के मुकाबले में देश को सुरक्षा के लिये ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा । इसलिये उसके लिये भी इन्तजाम करना जरूरी है ।

श्री कमलासिंह यादव---अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि जब मुझे वापस लेना है अपने संशोधन को, तो मन्त्री जी अपना वक्त क्यों जाया करें। मैंने यह जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव किया है, उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २-३

ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा २ का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में, खंड (२६) के पश्चात् नया खंड (२६-ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें---

Act no. XXV of 1961

"(26-A), The expressions 'common roll" and "State roll" shall have the meanings assigned to them in the Advocates Act, 1961."

ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा ४ का संशोधन।

३---मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २.....

श्री कमलासिंह यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन खंड १ में है।

श्री अधिष्ठाता---मैं आधा मिनट देख लूं।

(कुछ क्षण बाद)

देखिये, खंड १ तो मैं बाद में रखूंगा। खंड दो और खंड तीन में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४–८

४––मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड, में शब्द "th ee rupees" के स्थान पर शब्द "four rupees and fifty Naye Paise" रख दिये जायें। ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा ६ का संशोधन

५––मूल अधिनियम की धारा ११ के खण्ड (ए), में शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायें। ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ११ का संशोधन

६––मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (सी) में शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायें। ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा ३२ का संशोधन

७––मूल अधिनियम की धारा ४१ में, शब्द "ten naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty naye paise" रख दिये जायं। ऐक्ट संख्या २,१८९९ की धारा ४१ का संशोधन

८––मूल अधिनियम की अनुसूची १–बी में––

(१) अनुच्छेद (article) २ में शब्द "Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (No. 15)" के स्थान पर शब्द "Subject to a maxim m of one hundred and fifty rupees, the same duty as on a Bond (No. 15)" रख दिये जायें, ऐक्ट संख्या २,१८९९ की अनुसूची १–बी का संशोधन

(२) अनुच्छेद ३ में, शब्द "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायें, और,

(३) अनुच्छेद ४ में, शब्द "Three rup es" के स्थान पर शब्द "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(४) अनुच्छेद ५ में––

(क) खंड (ए) में, शब्द "Fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "Sixty naye paise" रख दिये जायें,

(ख) खंड (बी) में, शब्द "Subject to a maximum of forty rupees, twenty five naye paise for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the secu ity or share" के स्थान पर शब्द "Subject to a maximum of forty-five rupees, thrity naye paise for every rupees Rs.10,000 or part thereof of the value of the security or share" रख दिये जायें, और

(ग) खंड (सी) में, शब्द "Two rupees" के स्थान पर शब्द "Two rupees and twenty five naye paise" रख दिये जायें,

(५) अनुच्छेद ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये––

"6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE DEEDS, PAWN OR PLEDGE, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—

(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any

property whatever other than a marketable security) ; or

(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—

(*a*) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months form the date of the instrument evidencing the agreement—

	Rs. nP.
when the amount of the loan or debt does not exceed Rs.200	00.75
when it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.400	1.25
when it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.600	1.75
when it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.800	2.25
when it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.1,000	3.00
when it exceeds Rs.1,000 but doe not exceed Rs.1,200	3.50
when it exceeds Rs. 1,200 but does not exceed Rs.1,600	4.75
when it exceeds Rs.1,600 but does not exceed Rs.2,500	7.00
when it exceeds Rs.2,500 but does not exceed Rs.5,000	14.00
when it exceeds Rs.5,000 but does not exceed Rs.7,500	21.00
when it exceeds Rs.7,500 but does not exceed Rs.10,000	28.00
when it exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs.15,000	42.00
when it exceeds Rs.15,000 but does not exceed Rs.20,000	56.00
when it exceeds Rs.20,000 but does not exceed Rs.25,000	70.00
when it exceeds Rs.25,000 but does not exceed Rs.30,000	84.00
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs.30,000	28.00

(*b*) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable on a loan or debt under clause (*a*) for the amount secured.

Exemption

Instrument of pawn or pledge of agricultural produce, if unattested.

(६) अनुच्छेद ७ में, शब्द "Eighteen rupees and seventy-five naye paise" और "Thirty-seven rupees and fifty naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Twenty-eight rupees" और "Fifty-six rupees" रख दिये जायें,

(७) अनुच्छेद ८ में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(८) अनुच्छेद १० में, शब्द "One hundred and twenty-five rupees" के स्थान पर शब्द "One hundred and fifty rupees" रख दिये जायें,

(९) अनुच्छेद १२ में—

(क) खंड (बी) में, शब्द "One rupee" के स्थान पर, शब्द "One rupee and fifty naye paise" रख दिये जायें, और

(ख) खंड (सी) में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise", रख दिये जायें,

(१०) अनुच्छेद १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"15. BOND (as defined by section 2(5) not being a DEBENTURE (No. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870—

Where the amount or value secured does not exceed Rs.10.	Thirty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.50.	Seventy-five naye paise.
Where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100.	Two rupees twenty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200.	Four rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300.	Six rupees and sevenyt-five naye paise.
Where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400.	Nine-rupees.
Where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500.	Eleven rupees and twenty-five naye paise.

Where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600.	Thirteen rupees and fifty naye paise.
Where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700.	Fifteen rupees and seventy-five naye paise.
Where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs. 800.	Eighteen rupees.
Where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900.	Twenty rupees and twenty-five naye paise.
Where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Eleven rupees and twenty-five naye paise.

See ADMINISTRATION BOND (No. 2), BOTTOMRY BOND (No. 16), CUSTOMS BOND (No. 26), INDEMNITY BOND (No. 34), RESPONDENTIA BOND (No. 56), SECURITY BOND (No. 57).

Exemptions

Bonds, when executed by—

(*a*) headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;

(*b*) Any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem".

(११) अनुच्छेद १७ में, शब्द "Twelve rupees" के स्थान पर शब्द "Eighteen rupees" रख दिये जायें,

(१२) अनुच्छेद १८ में, शब्द "Twenty-five naye paise" और "Fifty naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Thirty-five naye paise" और "Seveny-five naye paise" रख दिये जायं,

(१३) अनुच्छेद १९ में, शब्द "Twenty-five naye paise" के स्थान पर शब्द "Thirty naye paise" रख दिये जायें,

(१४) अनुच्छेद २० में, शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(१५) अनुच्छेद २२ में, शब्द "Twenty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें,

(१६) अनुच्छेद २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:

"23. CONVEYANCE (as defined by section 2(10)) not being a TRANSFER charged or exempted under no. 62.	
where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50.	One rupee and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100.	Four rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200.	Nine rupees.
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300.	Thirteen rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400.	Eighteen rupees.
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600.	Twenty-seven rupees
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700.	Thirty-one rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800.	Thirty-six rupees.
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900.	Forty-rupees and fifty naye paise.
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000.	Forty-five rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Twenty-two rupees and fifty naye paise.

Exemption

Assignment of copyright in musical works by resident of, or first published in India".

(१७) अनुच्छेद २४ में—

(क) मद (१) के सामने, शब्द "One rupee and fifty naye paise" और "two rupees" के स्थान पर क्रमश : शब्द "Two rupees and twenty five naye paise" और "three rupees" रख दिये जायें, और

(ख) मद (२) के सामने शब्द, "Two rupees" और "three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Three Rupees" और "four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(१८) अनुच्छेद २५ में, शब्द "three rupees" और शब्द "Three rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "four rupees and fifty naye paise" और "Four rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(१९) अनुच्छेद ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—

"30. Entry as an advocate on the State roll of Uttar Pradesh under the Advocates Act, 1961.	Rupees five hundred.

Exemption

Entry as an advocate on the State roll of Uttar Pradesh when he has previously been enrolled as an advocate on a State roll or the common roll on payment of stamp duty or has previously been enrolled as an advocate, vakil or attorney in a High Court;;.!!

(२०) अनुच्छेद ३५ के प्रतिबंधात्मक खण्ड में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें,

(२१) अनुच्छेद ३६ में, शब्द "twenty-five naye paise" के स्थान पर शब्द "Thirty naye paise" रख दिये जायें,

(२२) अनुच्छेद ३८ में, शब्द "Twenty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें,]

(२३) अनुच्छेद ३९ में—

(क) खण्ड (ए) में, शब्द "Seventy five rupees" के स्थान पर शब्द "Nin'y rupees" रख दिये जायें, और

(ख) खण्ड (बी) में, शब्द "Two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "Two hundred and forty rupees" रख दिये जायें,

(२४) अनुच्छेद ४० में, जहां भी शब्द "Two rupees" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Two rupees and twenty five naye paise" रख दिये जायें,

(२५) अनुच्छेद ४१ में, जहां भी शब्द "Twenty five naye paise" और शब्द "Fifty naye paise" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "Thirty five naye paise" और शब्द "Sixty naye paise" रख दिये जायें,

(२६) अनुच्छेद ४२ में, शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Three rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(२७) अनुच्छेद ४३ में, जहां भी शब्द "Fifty naye paise" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Sixty naye paise" और शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "forty five rupees" रख दिये जायें,

(२८) अनुच्छेद ४५ में, जहां भी शब्द "two rupees" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "two rupees and twenty five naye paise" रख दिये जायें,

(२९) अनुच्छेद ४६ में, शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(३०) अनुच्छेद ४८ में—

(क) खण्ड (डी) के सामने शब्द "Twelve rupees" के स्थान पर शब्द "Seventeen rupees" रख दिये जायें,

(ख) खण्ड (ई) के सामने शब्द "Twenty four rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty-three rupees and seventyfive naye paise' रख दिये जायें, और

(ग) खण्ड (जी) के सामने शब्द "Two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "Three rupees and thirty-five naye paise" रख दिये जायें,

(३१) अनुच्छेद ५४ में शब्द, "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Forty-five rupees" रख दिये जायें,

(३२) अनुच्छेद ५७ में, शब्द "Eighteen rupees" के स्थान पर शब्द "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें,

(३३) अनुच्छेद ५८ में—

(क) खण्ड ('ए') के सामने शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायें; और

(ख) खण्ड ('बी') के सामने शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty-six rupees" रख दिये जायें;

(३४) अनुच्छेद ६१ में शब्द "fifteen rupees" तथा 'Fifteen Rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-two rupees and fifty naye paise" और "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(३५) अनुच्छेद ६२ में—

(क) खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(*b*) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8 ;

	Rs. nP.
when the value of the share of the face amount of the debenture does not exceed Rs.100.	1.50
where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200	3.00
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300	4.50
where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400	6.00
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500	7.50
where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600	9.00
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700	11.25
where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800	13.50
where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900	15.75
where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000	18.00
and for every Rs.500 or part thereof in excess Rs. 1,000.	9.00

(ख) खण्ड (सी) में "fifteen rupees" तथा "Fifteen rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-two rupees and fifty naye paise" और "Twenty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(ग) खंड (डी) में, शब्द "Thirty rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty-three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायें; और

(घ) खण्ड (ई) में शब्द "Fifteen rupees" के स्थान पर शब्द "Seventeen rupees" रख दिये जायें;

(३६) अनुच्छेद ६४ के खण्ड 'बी' में शब्द "thirty rupees" के स्थान पर शब्द "forty five rupees" रख दिये जायें; और

(३७) अनुच्छेद ६५ में, शब्द "one rupee" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifteen naye paise" रख दिये जायें;

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों से कोई स्टाम्प या फीस एफिडेविट के लिये नहीं ली जायगी यदि वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा या उम्र के सर्टिफिकेट के लिये कोई आवेदन-पत्र देंगे।"

इसमें मुझे कुछ ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। माननीय मन्त्री जी खुद ही जानते हैं, क्योंकि वह शिक्षा मन्त्री भी रह चुके हैं। उनका तजुर्बा है कि कितनी कठिनाई विद्यार्थियों के सम्मुख रहती है। फीस के लिये भी उनके पास पैसा नहीं होता है और आपत्ति भी आ पड़ी है तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी कम से कम विद्यार्थियों के लिये अवश्य इस बात को मान लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—यह स्वीकार नहीं है यह विद्यार्थियों की बात जो कही जाती है, कहीं उनकी फीस तो कम की नहीं गई। अगर उसको वह दे सकते हैं तो यह भी दे सकेंगे। इस तरह से कमी करने से कितनी उनके खर्चे में कमी हो जायगी। इसलिये एक महज थोड़ा सा खर्चा कम करने के लिये एक और एग्जेम्प्शन जोड़ा जाय, यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों से कोई स्टाम्प या फीस ऐफिडेविट के लिये नहीं ली जायगी, यदि वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा या उम्र का सर्टिफिकेट के लिये कोई आवेदनपत्र देंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, ७ व ८ इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२

ऐक्ट संख्या २, १८९९

इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में और संशोधन किया जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

श्री कमलासिंह यादव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"तथा राष्ट्रीय आपत्ति की समाप्ति से एक वर्ष बाद यह अधिनियम प्रचलित न रहेगा"।

जो संशोधन मैंने इस सदन के सामने रखा है उसका मंशा केवल यह है कि जो यह कर भार इस स्टैम्प विधेयक के जरिये बढ़ाया जा रहा है, एक रुपया फीस की जगह डेढ़ रुपया या दो रुपया जो हम बढ़ा रहे हैं वह सिर्फ आपत्ति काल के लिये रहेगा और जिस वक्त यह संकट हमारे देश का खत्म हो जायगा उस वक्त यह प्रचलित न रहेगा। इसका मंशा यही है, क्योंकि इस वक्त रुपये की कमी है, गवर्नमेंट को जरूरत है तो मेरा ख्याल है कि जब तक यह आपत्काल रहे तब तक के लिये तो हम लोग इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार चाहती है कि यह बढ़ोत्तरी बराबर कायम रहे तो इसका मैं विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को सदन मानेगा।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक के उद्देश्य के खिलाफ है। इसके उद्देश्य में ही यह साफ-साफ कह दिया गया है कि वर्तमान राष्ट्रीय आपत्ति का मुकाबला करने के लिये और नियोजन की सफलता के लिये और अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। जब यह इस उद्देश्य से लाया गया है तो एक वर्ष के बाद यह कैसे समाप्त हो सकता है। मैं समझता हूं यह आउट आफ आर्डर है और अगर यह आउट आफ आर्डर नहीं भी हो तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री कमलासिंह यादव---माननीय मंत्री जी ने जो राय दी है उससे मैं सहमत नहीं हूं इसलिये कि उसमें आपत्तिकालीन और नियोजन दोनों सम्मिलित हैं। जब आपत्ति काल समाप्त हो जायगा तो फिर इसकी क्या जरूरत रह जायगी। जब रुपये की बचत होगी तो उस समय उस रुपये का क्या होगा। हम चाहते हैं कि इस समय उसको समाप्त कर दिया जाय यह अतिरिक्त भार इसलिये डाला जा रहा है कि इस समय देश पर आपत्ति है और रुपये की बहुत जरूरत है। इस भार का असर सब लोगों पर पड़ेगा। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। वह भी जरूरत पड़ने पर अपनी सम्पत्ति को ट्रान्सफर करते रहते हैं। हर एक आदमी पर इसका असर पड़ेगा। कोई आदमी इसको अवाइड नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग आज इसको मन्जूर करते हैं तो वह इसी कारण से कि देश पर मुसीबत है। उसके बाद मैं समझता हूं कि जब आपत्ति न रहे तो इसको वापस होना चाहिये। उसके बाद भी इस बढ़ोत्तरी को जारी नहीं रहना चाहिये। स्टाम्प ऐक्ट के अन्दर पहले से काफी बढ़ोत्तरी की हुई है। अब इससे लोगों का भार और बढ़ जायगा, क्योंकि कोई आदमी इसको अवायड नहीं कर सकता है। इसलिये मैं मन्त्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात पर गौर करें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने कहा कि अगर इस संशोधन को मान लिया जायगा तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। इसके उद्देश्य में यह दिया हुआ है कि यह आपत्काल के लिये ही है। आपत्काल के एक वर्ष बाद यदि इसको समाप्त कर दिया जायगा तो इससे क्या उद्देश्य की समाप्ति होती है?

श्री अधिष्ठाता---हर एक आदमी अपने मत का प्रदर्शन अपने अनुसार करता है। जो जिस तरह से समझता है वह उसी प्रकार अपना मत उस सम्बन्ध में रखता है। उनका यह कहने का तरीका था कि इससे उद्देश्य समाप्त हो जायगा। आपने उसको वैसा समझा तो यह स्पष्टीकरण की बात नहीं है।

[श्री अधिष्ठाता]

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड ३ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"तथा राष्ट्रीय आपत्ति के समाप्ति के एक वर्ष बाद यह अधिनियम प्रचलित न रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड ४ के रूप में जोड़ दिया जाय—

"यह अधिनियम देश में आपत्तिकालीन स्थिति न रहने पर रद्द समझा जायगा।"

श्रीमन्, यह इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बतला दिया गया है कि आपत्कालीन स्थिति के रहने पर यह विधेयक लाया गया है और उसी के लिये रुपये की सरकार को आवश्यकता है। हम यह चाहते हैं कि जब वह आपत्कालीन स्थिति न रहे तो इस विधेयक को प्रचलित न रखा जाय। जब इसके उद्देश्य में यह बात कह दी गई है कि इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है तो फिर सरकार को बाद में वापस लेने में क्या दिक्कत है। जब यह बात उसके उद्देश्य में आ गई है तो यह काट दिया जाय। यह बात सरकार के हित में है। सरकार ने इस बात को स्वयं कहा है कि आपत्कालीन आवश्यकता के लिये यह लाया गया है। इसी कारण इसको पेश किया गया है। इस कारण मैं चाहता हूं कि सरकार इस को इस समय वापस ले ले और उस समय प्रचलित न समझा जाय। यह पैसा मनमाने ढंग से खर्च होगा। इसे सब लोग जानते हैं।

श्री जयराम वर्मा—नहीं, यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (४) के रूप में जोड़ दिया जाय :

"यह अधिनियम देश में आपत्तिकालीन स्थिति न रहने पर रद्द समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह बहुत सीधा सादा सा विधेयक है। इसके खंड ३ में यह दिया गया है कि हर काश्तकार पर लगान और मालगुजारी पर २५ फीसदी वृद्धि की जायगी। यही एक बेसिक बात इसमें रखी गयी है। इसके उद्देश्य और कारण को देखने से साफ पता चल जायगा कि इमर्जेंसी के लिये यह विधेयक लाया गया है और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह मौजूदा साल जो है उसके लिये ही है। इसकी जरूरत यूं पड़ी कि जो नेशनल डिफेंस फंड में रुपया आता है वह सेन्ट्रल फंड में चला जाता है और इसके अतिरिक्त हम को बहुत से सुरक्षा के कार्य करने हैं। उन कार्यों को करने के लिये रुपया होना जरूरी है। इस ध्येय से यह विधेयक सदन में लाया गया है। इस के पहले एक भूमि कर विधेयक लाया गया था, लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ तो हमारे मित्र जो उस तरफ बैठे हैं उन्होंने यह मुनासिब समझा कि उस विधेयक को स्थगित कर दिया जाय और हम सब आपस में परामर्श करके कोई न कोई तरीका अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिये निकालें। उनके उस फैसले के आधार पर वह विधेयक स्थगित किया गया और उस के बाद आपस में मुख्तलिफ लीडरान से बातचीत कर के यह निश्चय हुआ कि यह विधेयक इस शक्ल में लाया जाय। इसमें २५ फीसदी सरचार्ज लगाने का निश्चय हुआ और इस वास्ते यह विधेयक लाया गया है। मेरे भाई कमलापति जी ने इसकी अनुज्ञा मिलने के समय बहुत विस्तार से बातें बतलायी थीं कि यह विधेयक क्यों आया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता और उन सुन्दर अल्फाज में उन बातों को रख भी नहीं सकता। मैं अपने भोडे शब्दों में अगर उन बातों को कहूं तो उनका असर जायल हो सकता है, लेकिन जब वह कल साढ़े १२ बजे तक अनुज्ञा का प्रस्ताव करने वाले थे तो माननीय दुबे जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि बजाय १२।। बजे के वह २ बजे के बाद उपस्थित किया जाय ताकि इस बीच वह सोच विचार कर लें। मैं आशा यह कर रहा था कि सोच विचार के बाद वह सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन एक खत उन्होंने पढ़ा। पढ़कर के उन्होंने अपनी पार्टी की पोजीशन को देखा। मालूम ऐसा होता है कि वह खत साढ़े बारह बजे तक तैयार नहीं था। लिहाजा उसके लिये समय लिया गया। नतीजा यही निकलता है मुमकिन है कि मेरा ख्याल गलत हो। उसके बाद आज के लिये विधेयक है। मैंने इसे प्रस्तुत किया। आज भी माननीय दुबे जी ने एक अपील की थी और यह कहा कि आप इस विधेयक को वापस ले लीजिये और हम और आप आपस में मिल कर विचार कर लें, परन्तु यह बड़ी मुश्किल की बात है। तमाम लीडरान ने इत्तफाक राय होकर सलाह की और उसपर अमल किया गया, परन्तु माननीय दुबे जी के अनुसार वह नहीं होना चाहिये। अब मैं भला इस अपील को कैसे मान सकता हूं। आप स्वयं देख लीजिये कि सरकार की पोजीशन कैसी गड़बड़ है। यदि हम आप पर विश्वास करते हैं तो भी कहा जाता है और नहीं करते हैं तो भी कहा जाता है। इसलिये मैं माननीय दुबे जी से यह अपील करूंगा कि वह इस विधेयक को पास होने दें, उसके बाद हम और वह सलाह मश्विरा करते रहेंगे। यदि फिर ठीक समझेंगे तो उनकी बात मानने की कोशिश करेंगे। ऐसी हालत में तलखी की क्या जरूरत है। यह वापस ले लिया जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सस्पेन्स में रहें। मैं ज्यादा समय न लेकर श्री उग्रसेन जी, सिंह नहीं कहूगा, शायद मना है। जहांतक मेरी याददाश्त काम करती है वह कमजोर भी नहीं हैं। खैर आखिरी मर्तबा जब लीडरान की मीटिंग हो रही थी तो यह कहा था कि बार लेवी लगा दी जाय, परन्तु यह तो इमर्जेंसी की स्थिति है।

---

* ४ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

एक बात और कहूंगा कि माननीय नरसिंह नारायण जी जोकि सोशलिस्ट पार्टी के चीफ व्हिप हैं वह इस बैठक में शरीक हुए थे और उनको यह खत माननीय उग्रसेन जी ने दिया था और उनको अथाराइज किया था कि आप जाइये।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मैं जरा स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उग्रसेन जी ने मुझे क्या खत लिखा था।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी में इसके लिये कोई रजामन्दी नहीं थी। सरकार को ऐसी बात यहां पर नहीं कहनी चाहिये। यदि वह बात सत्य हो तो मैं अभी असेम्बली से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। जो वह सवाल था उस पर हमारे बीच अभी रजामन्दी नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता---आप जरा शांत हों। आपको अभी काफी समय मिलेगा।

श्री उग्रसेन---नहीं श्रीमन्, यह बात नहीं है। इस गलतफहमी को लेकर काफी भ्रम पैदा किया जायगा, इसलिये मैं कहता हूं कि इसको साबित किया जाय, नहीं तो ऐसी बात न कही जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---आप बैठें। देखिये उग्रसेनजी, वैधानिक तरीका यह है कि अगर माननीय मंत्री जी बैठें तो दूसरा सदस्य बोल सकता है। वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---इस तरीके से वह कहते हैं कि आवाजें आई। मेरी आप से अपील है कि आप इस प्रकार के भाषण बन्द कीजिये। (व्यवधान)

(इस समय ५ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उग्रसेन---जस्टिस मुल्ला की अदालत बना दी जाय और गुप्ता जी और....

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---माननीय राजस्व मंत्री ने मेरा नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष---उनका भाषण समाप्त होने पर मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था और मैं समझता हूं कि यही इम्प्रैशन था कि माननीय नरसिंहनारायण जी को पूरा अधिकार था कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बातचीत करते। उस सिलसिले में मैंने कहा था कि मैंने सुना है कि कोई ऐसा खत श्री उग्रसेनजी ने लिखकर उन्हें अथाराइज किया था।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---आप मेरे स्पष्टीकरण को सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष---मैं मौका दूंगा। स्पष्टीकरण का यह तरीका है कि जब माननीय सदस्य बोल लें तो उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उस जलसे में यही इम्प्रैशन था और माननीय नरसिंह नारायण जी ने भी कमिट किया था और उन्होंने भी इस विधेयक के उसूलों का समर्थन किया था। अब वह जो चाहें करें। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री उग्रसेन---ठाकुर साहेब, मेरा नाम न लीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप बिरादरी के हैं, तो नाम कैसे न लें ? मुझे दुख है कि ऐसे वाकयात हुए कि हमारे भाई, दिली दोस्त, पुराने, गेंदासिंहजी की लीडरशिप का जो लाभ हमें हुआ करता था उससे हम वंचित हो गये हैं ।

लेकिन फिर भी हमें सन्तोष है कि वह थोडे दिन के लिये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---राजस्व मंत्री जी इस सम्बन्ध में जब यह विधेयक पुर:स्थापित हुआ है तब २ घंटे बहस चलती रही और उधर से कहा गया कि कहा, जबकि इधर से कहा गया कि नहीं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---लीडरशिप से इस्तीफा दिया, उससे हमें तकलीफ हुई ।

श्री बलवानसिंह---गेंदासिंहजी अभी भी हमारी पार्टी के लीडर और स्पोक्समैन हैं। उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया कि किसानों पर टैक्स डाला जाय । मंत्रीजी का मंशा दूसरी पोलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज करने का है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह जी और झारखण्डेराय के बयानात इस बात के शाहिद हैं कि कौन रजामन्द थे और कौन नहीं थे । मैं यादवेन्द्रदत्त जी से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को पास कीजिये और फिर बातचीत करके हम और आप जिस निर्णय पर पहुंचेंगे और कोई तरीका निकालेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि ख्वाहमख्वाह के लिये यह टैक्स लगाया जाय । लेकिन देश की प्रतिष्ठा भी सर्वोपरि है और उसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है इसमें किसी हठधर्मी की बात नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुये मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---श्रीमन्, मुझे माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सुनकर और यह बात जानकर कि मुझे उग्रसेन जी ने कोई पत्र लिखा था, जिसका उन्होंने तजकिरा किया बहुत दुख हुआ । मान्यवर, हमारे पास पार्टी के लोगों की ओर से बहुत से पत्र आते हैं और सरकार भी अपनी पार्टी वालों को आदेश दिया करती है । अगर आपके नेता श्री चन्द्रभानु जी गुप्त आपको कोई पत्र लिखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस चीज को सदन में आना चाहिये या मैं यह जान लूं कि उन्होंने क्या पत्र लिखा है ?

श्री अध्यक्ष---आपको पत्र मिला या नहीं ? क्या उग्रसेन जी ने आपको कोई पत्र लिखा ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---उग्रसेन जी ने इस प्रकार का कोई पत्र मुझे नहीं लिखा जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिक्र किया । मेरा नाम इस प्रकार माननीय नेता सदन ने भी लिया, लेकिन मैं बहुत शान्ति के साथ उसको सुनकर बरदास्त करना चाहता था । मैं भी जानता हूं कि मुल्क के ऊपर आपत्ति है और उस आपत्ति का एक स्वर से सामना करना चाहिये, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आपत्ति के नाम पर इस तरह से तोड़ मरोड़ कर बातें करें, मैं उन चीजों को सुनने का भी आदी नहीं हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १२ तारीख की मीटिंग में मैं बुलाया गया था और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से माननीय उग्रसेन जी भी बुलाये गये थे । १२ तारीख को वित्त मंत्री जी कोई ब्ल्यू प्रिण्ट हमारे सामने न रख सके, इसलिये २१ तारीख के लिये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गयी । माननीय गेंदासिंह जी, मैंने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया था, लेकिन अगर इसी सदन में कोई

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

प्रस्ताव मेजोरिटी से पास किया जाय और हम शान्ति से बैठे रहें तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लिये हमारी मूक सम्पति हो गयी। यह संसदीय परम्परा है। जहां तक इस बात का संबंध है कि हमने अपनी बातों को और अपने दल की बातों को क्यों नहीं बताया ? वह इसलिये कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी के उस सीक्रेट सरक्यूलर से बंधे हुए थे कि जो बातें भी कमेटी में हुई हैं और जो डिसीज़न कमेटी ने लिया है वे प्रेस में न दिये जायेंगे न उनको बाहर व्यक्त ही किया जायगा, लेकिन आज उसी चीज को सरकार की ओर से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। फिर कैसे सद्भावना उत्पन्न हो पायेगी ? १२ और २१ तारीख की प्रोसीडिंग्स मंगा ली जायं और उनमें हम लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उनको देख लिया जाय। मैंने, माननीय गेंदासिंह जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसको देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप चाहते हैं तो माननीय उग्रसेन जी अपना संशोधन आज राख दें वरनकल रखें ।

श्री यादवेन्द्रदत (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, आपके सामने ही तो तय हुआ है ।

श्री उग्रसेन—मैं अपना संशोधन आज क्यों रखूं ? मैं उसे कल रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक हैं, आप कल ही रखें ।

अब हम उठते हैं कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
६ दिसम्बर ,१९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे १६१ पर]

"क"

ब्लाकवार गांवों की सूची जहां खरन्जे का निर्माण किया गया

ब्लाक का नाम	क्रमांक	गांव का नाम	ब्लाक का नाम	क्रमांक	गांव का नाम
सलोन ..	१	रेवहारा	नसीराबाद ..	३४	निगोहा
	२	सांडा सैदन		३५	केसरिया सलीमपुर
	३	विजवलिया		३६	काजीपुर तेलियानी
	४	सची		३७	जायस
	५	उमरी		३८	नगदइयापुर
	६	अतागंज उसरी		३९	लेहगां
	७	कन्डी	महाराजगंज ..	४०	संबली
	८	मोहम्मदाबाद		४१	कुम्हरांवा
	९	राजापुर चकबीबी		४२	नंरथवा
	१०	वरवलिया		४३	सकटपुर
	११	मटका		४४	अटरा
	१२	मोहनगंज		४५	केर
	१३	सलोन		४६	बैती
डीह ..	१४	रोखा		४७	गूढा
	१५	महानन्दपुर	तिलोई ..	४८	रोमरोता
नसीराबाद ..	१६	परइया नमकसार		४९	संग्रामपुर
	१७	डीघा		५०	तिलोई
	१८	बेहटा मुर्तजा		५१	मेलाईकलां
	१९	पीड़ी		५२	शाहमऊ
	२०	खालिसपुर	सिंहपुर ..	५३	इन्हौना
	२१	कोटवारमऊ		५४	आजादपुर
	२२	ब्रहमनी		५५	कठोरा
	२३	नसीराबाद		५६	मानीपुर
	२४	मोहम्मदपुर		५७	फतेहपुर
	२५	तेन्दुवा		५८	तेरूखा
	२६	बघेला	डलमऊ	५९	राधाबालमपुर
	२७	खरौली		६०	मीरागोविंदपुर
	२८	उदारी		६१	नरेन्द्रपुर
	२९	मोहइयाकेसरिया		६२	साड़बरा
	३०	तरोना		६३	मधुकरपुर
	३१	सेम्बसी		६४	कुरौली बमा
	३२	सरबन			
	३३	केबई			

"ख"

ब्लाकवार गांवों की सूची जहां पक्की नालियों का निर्माण किया गया

ब्लाक का नाम	क्रमांक	गांव का नाम	ब्लाक का नाम	क्रमांक	गांव का नाम
सिंहपर ..	१	इन्हौंना	हरचन्द्रपुर ..	२२	गुलूपुर
लालगंज ..	२	कोरिहरा		२३	अजमतउल्लागंज
खीरा ..	३	भानपर		२४	अड़ोबर
	४	बकुलिहा		२५	सारीपुर
सतांव ..	५	सतांव		२६	हरदासपुर
	६	मौरी सतांव		२७	मंझिगंवाकरन
हरचन्द्रपुर ..	७	हरचन्द्रपुर		२८	मदनटूसी
	८	कन्डोरा	राही ..	२९	रतनसीपुर
	९	टेरी		३०	रुस्तमपुर
	१०	लोधवामऊ		३१	भटपुरवा
	११	गढ़ीखास	बछरावां ..	३२	बिशनपुरा
	१२	पहाड़पुर	सरोनी ..	३३	रसूलपुर
	१३	जोहवाशकीं		३४	मंझिगंवा मुर्दीपुर
	१४	शेरी		३५	चन्द्रमणिखेरा
	१५	उसमानपुर		३६	मल्केगांव
	१६	धुलवासा			
	१७	रहवा			
	१८	खिजिरपुर करोदी			
	१९	शोरा			
	२०	खसपरी			
	२१	उफरामऊ			

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर]

सूची नं० १

औद्योगिक आस्थान कानपुर, आगरा, लोनी (मेरठ), देवबन्द (सहारनपुर), काशी (वाराणसी) में चालू किये गये उद्योगों के नाम

क्रम-सं०	औद्योगिक आस्थान का नाम	उद्योगों के नाम
१	कानपुर	१–शक्ति संचालित करघा (सूती कपड़ों का उद्योग) २–मोटर के हिस्से ३–चिकित्सालयों, दफ्तरों और गृह में उपभोग होने वाले स्टील लोहा, लकड़ी का फर्नीचर इत्यादि । ४–रंगाई, वारनिश और बिना तपाये रंगाई ५–अभियांत्रिक (इंजीनियरिंग) उद्योग ६–हर प्रकार के रेशेदार तार के कठोर ब्रुश ७–कृषि सम्बन्धी यंत्र ८–साइकिलों के हिस्स और अन्य मशीनों के पुर्जे ९–लोहे की आलमारी तथा फर्नीचर १०–साइकिल के पर्जे का उत्पादन उनकी रंगाई और विद्युत् रोपण ११–शकर मिल और सीमेन्ट फैक्ट्री के काम में लाए जाने योग्य कनवेयर तथा चैन । १२–फोरजिंग, स्टाम्पिंग तथा चेन का निर्माण १३–चिकित्सालयों के लिये फर्नीचर और चीरफाड़ के यंत्र १४–कागज के लिये पिने और पैड के लिये किलिप इत्यादि १५–खानों से निकली हुई धातुओं का शुद्धीकरण और दवाओं का उत्पादन । १६–रबर का सामान १७–मोटर ठेला, ट्रेक्टर और मोटरों के लिये स्टोरेज बैटरियां १८–साबुन और तेल १९–स्प्रिंग वाशर २०–तेल वाले इन्जन और शैंक शाफ्ट का औद्योगिक उत्पादन २१–यंत्र और फाउण्डरी यंत्रशाला २२–विद्युत् सम्बन्धी सामान २३–जिप्स और इंजेक्शन की सुइयां २४–मशीनों यंत्रशाला, फाउन्ड्री वर्कशाप और शक्ति संचालित करघा तथा अन्य सामान का उत्पादन । २५–जल सुरक्षित, कानवेस का कपड़ा, टाटपोलिन तम्बू, किलिपदार झोले आदि । २६–बनियाइन उद्योग २७–एल्यूमुनियम और तांबे के तारों का औद्योगिक उत्पादन २८–प्लास्टिक का सामान और थर्मस फ्लास्क उद्योग २९–तार की कीलें, पैनेल पिन, बोल्ट्स, नट और तावर बोल्ट का उत्पादन ।

क्रम-सं०	औद्योगिक आस्थान का नाम	उद्योगों के नाम
१	कानपुर	३०–फैलावदार धातुएं ३१–औद्योगिक नादें और नल पाइप ३२–जूतों की नालें और फीते ३३–पैंच बोल्ट और नट ३४–रंगाई और वारनिश ३५–जूतों का सामान फीते और लोहे की नालें आदि ३६–पैनल पिन, कन्डाइट पाइप और साइकिल के पुर्जे २७–चित्र लेने वाले यंत्र और स्वयं जलने वाले यंत्र आदि ३८–आर० सी० सी० भवनों के हिस्सों का उत्पादन ३९–बिजली की मुहरें ४०–सूती करघा सम्बन्धी मुख्य हिस्से ४१–प्रैस बटनों का उद्योग ४२–बिजली के औजारों की मशीनें ४३–टेलीफोन और उनके पाइप्स ४४–साइकिल मेडगार्ड और छोटे पुर्जे ४५–जूतों की नाले और कीलें ४६–रबर की मोहरों का औद्योगिक उत्पादन ४७–स्प्रिंग लायर और अन्य स्पेयर पार्ट्स
२	आगरा	१–छपाई की मशीन (ii) काटने वाली मशीन २–रबर के तले (ii) एम०आर० की चादरें (iii) एड़िया (iv) घोल । ३–खराद मशीन,पुलर,प्लाट की स्थापना ४–तार खींचना ५–आटा और चावल चक्कियों की मशीनें ६–रबर का सामान और रबर की चादरें ७–मशीनों के पुर्जे और मैट्रिक बाटों की ढलाई के कार्य ८–तेल के इंजनों के पिस्टन,स्लीव्ज और लाइनर ९––तेल के इंजनों के पुर्जे स्पेलर के सिलिन्डर और दूसरे हिस्से १०–कपड़ा सीने वाली मशीनों के पुर्जे बनाना और एक करना ११–मोटर के हिस्सों की फिनिशिंग १२–रेडियों के पुर्जे का औद्योगिक उत्पादन १३–साइकिल के हिस्से (मेडगार्ड, हब और कटोरी) १४–पुलियां की शिपिंटिग,पोसने के लिये १५–सूती धागों के गोले १६–प्लास्टिक का सामान (कुंजियों के छल्ले,नामांकित तख्तियां व कार्क) १७–नाली डालने वाले पाइप और सहायक १८–विद्युतीय स्विच और लोहे करने के स्विच १९–रासायनिक औषधियां २०–रबर के तले, एड़ियां तथा रबर के पैडिल २१–कृत्रिम मोती का निर्माण २२–विभिन्न हिस्सों के सांचे

क्रम-सं०	औद्योगिक आस्थान का नाम	उद्योगों के नाम
३	लोनी (मेरठ)	१–प्लास एवं रिन्च का निर्माण २–चीजेल्स रुखानी का निर्माण ३–नेल प्रलरस –(जम्बूर) का निर्माण ४–चिमिटे ५–बाइसेस और चिमटियां (बांक) ६–स्प्रिन्ग डाइडरस और नापने वाले यंत्र ७–नापने वाला हथकल । ८–स्क्रू (पेंच कसने वाला यंत्र) ९–मोटर के हिस्से १०–ढलाई वर्क शाप
४	देवबन्द (सहारनपुर)	१–ड्राइंग इन्सट्रूमेन्टस २–बल्टी और कृषि सम्बन्धी सामान ३—पैनल पिन्स और तार की कीलें ४–फेरस रहित धातुओं के तार ५–धातु से बनी टेप
५	काशी विद्यापीठ (वाराणसी)	१–विद्युत् प्रसारण तार २–विद्युत् सम्बन्धी वस्तु ३–बोतल स्पेयरर । ४–पोलीसीन पेकिंग मेटीरियल ५–पेन्टस तथा वार्निस ६–ब्रास स्पैर्यस ७–आटोमोबाइल स्प्रिंग तथा स्प्रिंग सीवर्स इत्यादि ८–एलेक्ट्रिक गुढ्स ९–आयरन स्वीचेज १०–स्टील फर्नीचर ११–बकेटस १२–स्टील वाक्सेज

सूची २

जिलेवार औद्योगिक आस्थानों में बनाए गए इकाइयों की संख्या तथा उनमें उपयोग होने वाली या उपयोग न होने वाली इकाइयों की संख्या

क्रम-सं०	जिला	औद्योगिक आस्थान का नाम	निर्मित कुल इकाइयों की सं०	उपयोग होने वाली इकाइयों की संख्या	उपयोग में होने वाली इकाइयों की सं० — इंकाइयां जिन-का अभी तक एलाटमेंट नहीं हुआ है	इकाइयां जिनका एलाटमेंट हो गया है परन्तु उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं किया है	कुल जोड़
१	२	३	४	५	६	७	८
१	कानपुर	औद्योगिक आस्थान, कानपुर।	९७	८६	शून्य	११	११
२	आगरा	औद्योगिक आस्थान, आगरा।	१२१	६९	३५	१७	५२
३	देवबन्द (सहारनपुर)	औद्योगिक आस्थान, देवबन्द।	३०	१९	११	शून्य	११
४	लोनी (मेरठ)	औद्योगिक आस्थान, लोनी।	१८	१६	२	,,	२
५	वाराणसी	औद्योगिक आस्थान, काशी विद्यापीठ (वाराणसी)।	१८	१७	१	,,	१
	योग		२८४	१९७	४९	२८	७७

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर]

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १७वें गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २७ से सम्बन्धित सूची ।

क्रम-संख्या	समिति का नाम	उद्योग	ऋण रु०	अनुदान रु०	स्वीकृति की तिथि
१	२	३	४	५	६
१	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लि०, सरसुएल ..	तेल	५,७५०	७५०	२२-१-६२
२	ग्रामीण तेल उद्योग कार्यकर्ता सहकारी समिति लि०, सचेंडी..	तेल	५,०००	१,०००	२२-१-६२
३	गांधी तेल घानी उद्योग सहकारी समिति लि०, कठारा..	तेल	३,७५०	७५०	२२-१-६२
४	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लि०, कुरियानी ..	तेल	४,०००	१,०००	२२-१-६२
५	मार्डन कोआपरेटिव फार्म शक्तियापुरवा मल्टीपरपजेज		..	१,२००	१२-३-६२
६	" " " "		५,०००	..	२२-१-६२
७	गांधी तेल घानी उद्योग सहकारी समिति लि०, कठारा..	तेल	१,२००	१,२००	१२-३-६२
८	विद्यार्थी तेल घानी उद्योग सहकारी समिति लि०, पोखरावां	तेल	३,०००	..	३०-३-६२
		योग	२७,७००	५,९००	..

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पष्ठ १६८ पर]

O R D E R

The selling rates of the Fruit Products of Government Fruit Processing Factory at Ramgarh (district Naini Tal), Phoolbagh (district Naini Tal) and Daliganj (Lucknow), are revised with effect from October 1, 1962 as below. All the Incharges of Government Community Canning Centres and other Sales Depot should, therefore, adopt the revised selling rates of the Fruit Products with immediate effect. The actual date from which the revised rates are adopted should please be intimated atonce.

Order for less than one dozen pieces of any item will be charged retailed sale-rates.

Products	Packing	Rates F. O.R. U. P., and Delhi	
		Whole sale Rates	Retail Sale Rates
Canned Fruit and Vegetable—		Per dozen	Per unit
Peaches in Syrup	A 2½ can ..	33.00	3.15
Litchee in Syrup	A 2½ can ..	32.00	3.05
Litchee in Syrup	1 lb. Tall can.	17.50	1.70
Mango Slices	A 2½ can ..	26.50	2.55
Green Peas	A 2½ can ..	13.00	1.35
Green Peas	1 lb. Tall can; ..	7.50	0.75
Jams and jellies			
Apple, apricot and Mixed Fruit Jam ..	1 lb. can	14.00	1.30
Strawberry Jam.	1 lb. can ..	16.50	1.60
Guava Jelly	1 lb. can ..	15.00	1.45
Guava Jelly	1 lb. jar ..	15.50	1.50
Juice]			
Apple Juice	A 2½ can ..	31.50	3.00
Apple Juice	1 lb. can ..	17.00	1.65
Apple Juice	10 oz. bottle ..	15.50	1.50 With bottle. 1.37 Without bottle.
Pear Juice	1 lb. Tall can..	11.00	1.05
Strawbery Juice	A 2½ can ..	57.00	5.50
Tomato Juice	1 ln. Tall can..	8.50	0.80
Sauces and Puree			
Tomato Sauce	10 oz. Sauce Bottle	10.00	1.00
Vinegar	24 oz. Bottle..	15.00	1.45

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३६(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर]

नत्थी 'क'

श्री मोहम्मद इब्राहीम पुत्र अमीर खां सा० गोइन टोला शहर लखनऊ

कायदा ४२६ रेवेन्यु मेनुअल इत्तिलानामा खास मुताबिक फिकरा १ और २ दफा ६, ऐक्ट १ सन् १८६४ ई०

वाजे हो कि गवर्नमेंट का इरादा है कि आराजी बन्किदार मुन्दर्जेल और वाके मौजा या कस्बा मुन्दर्जेल ली जाय, लिहाजा इश्तिहार दिया जाता है कि सब लोग जिनका कुछ हक इस आराजी में हो असालतन या बजरिये मुख्तार कचहरी कलक्टरी लखनऊ में बमुकाम लखनऊ, बतारीख ८-६-६० महीना सितम्बर, सन् १६६० ई० हाजिर हों और अपने अपने हकूक जो इस आराजी में हों और उन हकूक की बाबत तादाद मुआविजा और किस्म दावा ऐसे मुआविजा का जो उनकी हो और जो पैमायश की गई है उसके मुताल्लिक अपने उज्रात (अगर कोई हों) बयान करें।

जिला	परगना	मौजा या कस्बा	रकबा जमीन बहिसाब एकड़ और रूड़ और पोल	नम्बर खेत या खेतों का नक्शा देह में	नम्बर किता या कितात का नक्शा आबादी में
१	२	३	४	५	६
			रूड़ एकड़ पोल		
लखनऊ	लखनऊ	दुगावां	१०।)	—४	१२७ब ..
,,	,,	,,	।।।)	२—५	१६५ ..
,,	,,	,,	।।।)	१—१३	१६६ ..
,,	,,	,,		१	१६७ब ..
,,	,,			३—१५	१७७ब ..
			१२)	३—१७	मीजान

दस्तखत मनोहर लाल अमीन

१७—८—६२।

७.६२ एकड़

नाम गली या मुहल्ला	नाम मालिक मुंदरजे कागजात सरकारी	नाम मालिक अदना मुन्दरजे कागजात सरकारी	नाम उस शख्स का जो माल काना काबिज हो	नाम काश्त कार	गर्ज जिसके लिये जमीन सतलूब है
७	८	९	१०	११	१२
.. महाराजापारेश्वरी प्रसाद सिंह साहब	श्री मोहम्मद इब्राहीम	महाराजा पारेश्वरी प्रसाद सिंह साहब	बंजर दीगर		भूमि मुस्तकिल बगरज नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल लखनऊ के भवन आदि निर्माण हेतु हासिल की गई है जरिये नोटीफिकेशन नं० ३७४५(१) बी० एच०/५--२९०३-५८ ता० ११--८--६०--धारा ६ में धारा १७ लगा है।

IN THE COURT OF COLLECTOR, LUCKNOW

SIR,

IN reply to notice issued on August 18, 1960 with respect to plots no. 127-Ba, 165, 166, 167-Ba and 177-Ba, situate in village Dogawan, pargana, tahsil and district Lucknow, I most respectfully beg to submit my objections to the notice as under :

(1) That the predecessor of the objector Sri Haider Ali Shah was given considerable land by grant of the Nawabs of Oudh in the said village.

(2) That the predecessors of the objector remained in possession of the plots in question and the objector is now the owner having succeeded to them.

(3) That the objector had been granting grazing licence of the said plots to various persons every year till 1946 but as soon as the Government of India put into operation the merger scheme and vesting of all States of India into Indian dominion, the Maharaja Sri Pateshwari Prasad Singh with the help and assistance of his Ahalkars, finding the objector in a poor condition, became inquest of defeating the interest and title of the objector and filed various suits against the objector but none of them have been finally decided as appears have been admitted in the Hon'ble High Court of Allahabad and are waiting final hearing and decision. The objector also filed various suits and the appeals in respect of them are also pending in various courts.

(4) That the Maharaja Sri Pateshwari Prasad Singh has never been in possession of the plots in question for the last several decades.

(5) That since the litigation between the objector and Maharaja Sri Pateshwari Prasad Singh is pending for the last 14 years most of the documents like Sanad, grazing licence receipts and such other important documents have been submitted in the various courts and as the cases are still pending therefore those documents cannot be obtained.

(6) That Maharaja Pateshwari Prasad Singh is not entitled to any compensation, who had no interest in these plots and never been in possession. The objector is in exclusive possession of the plots in question.

(7) That it is not known whether the Government want to acquire the land compulsorily or ordinarily.

(8) That the area given in the notice is wrong. The area of the five plots should be 14 bighas, 7 biswas and 2 biswansi.

(9) That the plots are situated at a locality which is first class in all respects. The locality is thickly populated and is adjacent to Aishbagh Railway Station and is in the Corporation. There is every facility available. The compensation should be fixed at Rs.2 per sq. ft.

(10) That the rent and profit of the plots has been utilised by the objector since a very long time.

(11) That the objector is only entitled to compensation of the plots in question and there is none else who can claim compensation or may be entitled to it.

Wherefore it is prayed that the objection of the objector may be considered according to law and compensation may be awarded to the objector alone.

LUCKNOW :
Dated September 22, 1960.

MOHD. IBRAHIM KHAN,
Objector.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में प्रदेश के निम्नांकित ११ स्थानों पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है :—

स्थान का नाम	जिला
१—बहादुर गंज	गाजीपुर
२—रानीगंज	प्रतापगढ़
३—मछ्ली	बस्ती
४—पैकोली	फैजाबाद
५—तिरपट्टी बाजार	देवरिया
६—सुल्तानपुर, तहसील बांसडीह	बलिया
७—मंगलपुर, तहसील देहरापुर	कानपुर
८—गीपीगंज	गोरखपुर
९—सकरंडा	सहारनपुर
१०—सिमलना	गढ़वाल
११—बड़ौदा	बुलन्दशहर

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने का मास	वर्ष	
	१९६१	१९६२
जनवरी	०	२
फरवरी	०	३
मार्च	१	७
अप्रैल	१	१०
मई	०	८
जन	३	६
जुलाई	१	७
अगस्त	०	१३
सितम्बर	१	८
अक्तूबर	२	०
नवम्बर	४	०
दिसम्बर	४	०
योग ..	१७	६४
	८१	

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे १७३ पृष्ठ पर)

STATEMENT 'A'

LIST OF THE VARIOUS COTTAGE INDUSTRIES WHICH WERE RUNNING IN BULANDSHAHR DURING THE YEARS 1960 AND 1961.

1. Handloom Industry.
2. Leather Tanning Industry.
3. Glass Bangle Industry.
4. Pottery Industry.
5. Tailoring Industry.
6. Hand Pounding of paddy.
7. Village Oil Industry (Tel Ghani).
8. Palm Gur Industry.
9. Fibre Industry (Rope Making).
10. Gur and Khandsari Industry.
11. Soap Industry.
12. Black-smithy.
13. Carpentry.
14. Carpet Industry.
15. Mat, fan and basket Industry.
16. Dyeing and Printing.
17. Knife Making Industry.
18. Processing of cereals and pulses.

सत्यमेव जयते

STATEMENT 'B'

LIST OF COTTAGE INDUSTRIES OF BULANDSHAHR WHICH RECEIVED GRANTS DURING THE YEARS 1960 AND 1961

Name of Industry	Amount in rupees	
	1960	1961
	Rs.	Rs. nP.
1. Handloom Industry	1,090	5,928.00
2. Leather Tanning Industry	50,625	13,125.00
3. Glass Bangle Industry	1,200	..
4. Pottery Industry	4,040	4,246.00
5. Tailoring Industry	1,146	2,320.00
6. Hand Pounding of Paddy	..	83.25
7. Oil Industry	11,370	..
8. Processing of cereals and pulses	194	..
Total ..	69,665	25,702.25

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पष्ठ १७९ पर)

अवधि	अपराध का नाम	अपराधों की कुल संख्या	कितने मामले सजायाब हुये	कितने मामले रिहा हुये	कितनों में जांच के बाद चालान नहीं हुआ लापता रहे	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
		थाना सलोन				
१-१-६१ से	डकैती	१	१	०	०	—
३१-१२-६१	चोरी	१०	३	०	७	—
	राहजनी	०	०	०	०	—
	कत्ल	२	०	१	१	—
१-१-६२ से	डकैती	१	०	०	०	न्यायालय में विचाराधीन है।
१५-८-६२	चोरी	६	२	०	३	१ में जांच नहीं की गई।
	राहजनी	०	०	०	०	—
	कत्ल	१	०	०	०	न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त फरार है।
		थाना मुस्तफाबाद				
१-१-६१ से	डकैती	०	०	०	०	—
३१-१२-६१	चोरी	१५	४	१	९	१ में जांच नहीं की गई।
	राहजनी	०	०	०	०	—
	कत्ल	३	२	१	०	—
१-१-६२ से	डकैती	०	०	०	०	—
१५-८-६२	चोरी	१६	२	०	१०	३ न्यायालयों में विचाराधीन है
	राहजनी	०	०	०	०	१ में जांच नहीं की गई।
	कत्ल	३	२	०	०	१ में जांच हो रही है।

नत्थी 'ञ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

जनवरी, १९६० से १५ अगस्त, १९६२ तक उन थानों की कत्ल, डकैती और दंगों के अपराधों की प्रति वर्ष संख्या जो विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बढ़े हैं।

नाम थाना	१९६०	१९६१	१९६२ (१५ अगस्त, १९६२ तक)
कत्ल के अपराधों की संख्या			
१—अनवरगंज	शून्य	२	३
२—सज्येतो .. .	१	१	३
३—मूसानगर	२	२	३
४—ककवन	शून्य	१	२
५—मंगलपुर	शून्य	२	५
६—शिवली	४	३	५
७—नरबल	१	१	२
डकैती के अपराधों की संख्या			
१—मोगनीपुर	३	२	५
२—अकबरपुर	२	१	४
३—रसूलाबाद	३	३	४
४—महाराजपुर	१	१	२
५—कोतवाली	शून्य	शून्य	१
६—नरवल	शून्य	शून्य	५
दंगे के अपराधों की संख्या			
१—कोतवाली	४	७	११
२—कैंट	४	६	२४
३—सीसामऊ	शून्य	८	११
४—मूसानगर	४	६	७
५—डेरापुर	१	२	५
६—रसूलाबाद	२	५	६
७—मंगलपुर	६	६	७
८—शिवराजपुर	३	५	५
९—शिवली	६	२	८
१०—सचेडी	५	८	८
११—महाराजपुर	२	५	५
१२—नरवल	५	५	८
१३—बिल्हौर	४	३	५

नाम थाना	नाम थाना इंचार्ज	निवास स्थान	तिथि जब से कानपुर जिले में नियुक्त
१	२	३	४
१—कोतवाली ..	श्री कन्हैयालाल पांडे	जिला इलाहाबाद	२५-५-६२।
२—कैंट ..	श्री शिव विजय सिंह	जिला फतेहपुर	२७-५-५८।
३—अनवरगंज	श्री महीपति सिंह	जिला हमीरपुर	१०-१०-५९।
४—सीसामऊ ..	श्री राजेंद्रप्रताप भानु	जिला आगरा ..	६-१०-६१।
५—मोगनीपुर ..	श्री हरिभूषण सिंह ..	जिला इटावा ..	८-७-५९।
६—अकबरपुर ..	श्री राम प्रताप सिंह ..	जिला फतेहपुर ..	३०-१२-६०।
७—डेरापुर ..	श्री मोहर सिंह ..	जिला बुलन्दशहर	२५-६-६२ को कानपुर से इलाहाबाद का तबादिला हुआ नियुक्ति की तारीख उपलब्ध नहीं है।
८—रसूलाबाद	श्री छत्रपाल सिंह ..	जिला जालौन	८-४-६१
९—शिवली ..	श्री केशव चन्द ..	जिला जालौन	२-८-६०।
१०—नरवल ..	श्री के० के० त्रिपाठी ..	जिला झांसी	७-७-६२।
११—ककवन ..	श्री महात्मा राय ..	जिला अलीगढ़	१४-४-६१ को कानपुर से झांसी बदल गये। नियुक्ति की तारीख उपलब्ध नहीं है।
१२—सजेती ..	श्री मुनीर अहमद	जिला गोरखपुर	२२-३-६१।
१३—मूसानगर ..	श्री जुरवल सिंह ..	जिला आगरा ..	२-११-५६।
१४—मंगलपुर	श्री सदाकत हुसैन	जिला फतेहपुर ..	२-८-६०।
१५—शिवराजपुर	श्री वीरसिंह	जिला हमीरपुर	१७-५-५८।
१६—महाराजपुर	श्री फूलसिंह ..	जिला फर्रुखाबाद	२७-५-५८।
१७—सचेंडी ..	श्री शीतलचन्द ..	जिला फतेहपुर	१-१०-६०।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

सूची इमारत जो चरखारी स्टेट के विलीनीकरण के समय उत्तर प्रदेश शासन को हस्तांतरित हुई थी और जिसका उल्लेख प्रश्न ८४ के उत्तर में किया गया है ।

क्रम-संख्या	इमारत का विवरण	ग्राम	नाम विभाग या व्यक्ति जिसका कब्जा है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	डेरा	कुवां	माल विभाग	
२	,,	पहरे था	,,	
३	,,	पाठा	,,	
४	चौकी	मिटलेन गंज	,,	
५	डाक बंगला	रिवई	,,	
६	थाना	,,	,,	
७	दूकान चौक बाजार	महाराज नगर	,,	
८	,,	,,	,,	
९	,,	,,	,,	
१०	,,	,,	,,	
११	,,	,,	,,	
१२	,,	,,	,,	
१३	,,	,,	,,	
१४	दूकान जुल्लारगंज	,,	,,	
१५	नौबतखाना	,,	,,	
१६	डाकखाने के पीछे पुराने क्वार्टर	,,	,,	
१७	चौकी रामनगर	,,	,,	
१८	दूकान पुरानी आबकारी	,,	,,	
१९	सेन्टर रिकर्ड रूम	,,	,,	
२०	आरायज नवीसों के बैठने की जगह	,,	,,	
२१	कोर्ट व दफ्तर व तहसील	,,	,,	
२२	टाऊन हाल	,,	,,	
२३	पुराना एकाउन्ट आफिस	,,	,,	
२४	नई पुलिस लाईन	,,	पुलिस विभाग	
२५	पुरानी पुलिस लाईन	,,	,,	
२६	कोतवाली	,,	,,	
२७	किला	,,	,,	
२८	गंगासिंह हाई स्कूल	,,	शिक्षा विभाग	
२९	बोर्डिंग हाऊस	,,	,,	
३०	नार्मल स्कूल	,,	,,	

क्रम-संख्या	इमारत का विवरण	ग्राम	नाम विभाग या व्यक्ति जिसका कब्जा है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
३१	कृषि कार्यालय	,,	कृषि विभाग	
३२	चौकी सूपा	,,	,,	
३३	बिल्डिग टर्की	,,	,,	
३४	अस्पताल	,,	चिकित्सा विभाग	
३५	पशु चिकित्सालय	,,	विटेनरी विभाग	
३६	डाक बंगला	महराज नगर	सार्वजनिक निर्माण विभाग।	
३७	गोविन्द निवास	,,	,,	
३८	कमठाना	,,	,,	
३९	इन्डस्ट्रियल विभाग	रायनपुर	उद्योग विभाग	
४०	मवेशी खाना	गुढ़ा	जिला परिषद्	
४१	निवास स्थान पौंड मुहर्रिर	बम्होरी कला	,,	
४२	डेरा	रिवई	,,	
४३	जूनियर हाई स्कूल	राईनपुर	,,	
४४	बंगला तालाब रतन सागर	सुहरयांव	नगरपालिका चरखारी।	
४५	पीली कोठी	महराज नगर	जिला परिषद्	
४६	हरिजन स्कूल	,,	,,	
४७	मवेशी खाना	,,	नगरपालिका	
४८	कन्या पाठशाला	,,	जिला परिषद्	
४९	मकतब	,,	,,	
५०	प्राइमरी स्कूल	,,	,,	
५१	मवेशीखाना रामनगर ..	,,	नगरपालिका	
५२	कार्यालय नगरपालिका	,,	,,	
५३	मजवाखाना ..	,,	,,	
५४	मुसाफिरखाना ..	,,	नगरपालिका	
५५	थियेटर हाल ..	,,	,,	
५६	साई की तकिया ..	,,	,,	
५७	शिकार गाह इमलिया ..	इमलिया	श्रीमती अम्बा कुमारी सीनियर महारानी चरखारी।	सरकार ने मुकदमा अपना कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर दिया है, जो अभी दीवानी में चल रहा है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३५–१३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

डाक्टर रघुनाथसिंह, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये प्रश्न संख्या १३५–१३६ का उत्तर

१३५––वाराणसी जिले में चोलापुर, चिरईगांव और हरहुआ विकास खंडों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अन्त तक विकास कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की संख्यागत स्थिति उनके सम्मुख वर्णित है :––

	चोलापुर	चिरईगांव	हरहुआ	योग
(क) पंचायत घरों का निर्माण	३	६	५	१४
(ख) स्कूल भवन का निर्माण	११	८	१	२०
(ग) पेयजल के कुओं का निर्माण	५९	४४	५५	१५८

१३६––उपरोक्त विकास खंडों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्नलिखित विकास कार्यों की प्रगति उसके सम्मुख दी जा रही है ।

	चोलापुर	चिरईगांव	हरहुआ	योग
(क) श्रमदान द्वारा निर्माण पक्की सड़क (मीलों में)	..	२	..	२
(ख) श्रमदान द्वारा निर्मित कच्ची सड़कें (मीलों में) ..	४७	१७.५	२०	८४.५
(ग) गांवों की गलियों का पक्का किया जाना (मीलों में) ..	.१२	२	.५	२.६२

सुचेता कृपालानी,
विकास मंत्री ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF THE INDUSTRIAL ESTATES SET UP AND LIKELY TO BE SET UP DURING THE THIRD PLAN PERIOD

Serial number	Category of the estate with the estimated cost year of sanction		Name of district		Name of Estate
		Rs. in lacs			
1	Big Industrial Estate ..	50.00	Agra	..	Agra (Nunhai).
	Big Industrial Estate ..	50.00	Kanpur	..	Kanpur.
2	C.P. and C.D. Block estates	2,96,400	Kashividhyapith		Kashividhyapith
	Ditto ditto ..	8,25,000	(Varanasi)	..	(Varanasi).
		2,96,400	Loni (Meerut)		Loni (Meerut).
	Ditto ditto ..	10,45,000	Deoband	..	Deoband.
		9,70,000			
3	Industrial Estates in Backward District.	5.00 each.	Basti	..	Basti (Khalilabad).
			Deoria	..	Deoria.
			Bijnor	..	Bijnor.
			Jhansi	..	Jhansi.
			Etah	..	Etah.
4	Industrial Estates in Backward Area of Hill District	2.695	Naini Tal		Bhimtal.
		3.20	Almora	..	Almora.
		2.09	Pauri	..	Kotdwara.
		2.062	Pauri		Srinagar.
		3.098	Tehri	..	Tehri.
5	Harijan Industrial Estate	3.00 each.	Fatehpur	..	Fatehpur.
			Hardoi	..	Hardoi.
			Naini Tal	..	Naini Tal.
			Rampur	..	Rampur.
			Varanasi	..	Ramnagar.
			Deoria	..	Chhitauni
			Faizabad	..	Ranopali Ayodhya.
			Jalaun	..	Kalpi.
			Muzaffarnagar		Muzaffarnagar.
			Mathura		Mathura.

THIRD PLAN ESTATES SANCTIONED DURING 1960

		Rs in lacs			
1	Big Industrial Estate ..	26.31 each.	Aligarh	..	Aligarh.
			Meerut	..	Meerut.
			Varanasi	..	Varanasi.
			Lucknow	..	Lucknow.
2	Medium Industrial Estate	10.25 each.	Gorakhpur	..	Gorakhpur.
			Mirzapur	..	Mirzapur.
			Bareilly.	..	Bareilly.
			Saharanpur	..	Roorkee.
			Dehra Dun	..	Dehra Dun.
3	Small Industrial Estates ..	7.50 each.	Sitapur	..	Sitapur (Khairabad).
			Moradabad	..	Moradabad.
			Saharanpur	..	Jwalapur.
			Unnao	..	Unnao.
			Azamgarh	..	Azamgarh.
			Khurja	..	Khurja.
			Agra (Leather)		Agra (Leather).
			Farrukhabad	..	Farrukhabad.

Serial number	Category of the estate with the estimated cost year of sanction		Name of district	Name of Estate
		Rs. in lacs		
4	Developed Site for Industrial Estate.	4.00 each.	Jaunpur ..	Jaunpur.
			Bara Banki ..	Bara Banki.
			Faizabad ..	Faizabad.
			Rampur ..	Rampur.
			Shahjahanpur	Shahjahanpur.
			Mathura ..	Mathura.
			Aligarh ..	Aligarh.
			Agra ..	Firozabad.
		7.00	Mainpuri ..	Mainpuri.
			Lakhimpur-Kheri	Lakhimpur-Kheri.
			Muzaffarnagar	Muzaffarnagar.
5	Rural Industrial Estates ..	2.00 each.	Allahabad ..	Phulpur.
			Etawah ..	Jaswant Nagar.
			Jhansi ..	Lalitpur.
			Hamirpur ..	Mahoba.
			Jalaun ..	Orai.
			Banda ..	Banda.
			Dehra Dun ..	Chauharpur.
			Bulandshahr ..	Shyam Mandi.
			Aligarh ..	Atrauli.
			Gorakhpur ..	Bhathat.
			Azamgarh ..	Ghosi.
			Deoria ..	Salempur.
			Bijnor ..	Nagina.
			Moradabad ..	Joya.
			Pilibhit ..	Lakhimpur-Kheri.
			Naini Tal	Rudrapur.
			Lakhimpur ..	Golagokaran Nath.
			Faizabad ..	Bikapur.
			Sultanpur ..	Sultanpur.
			Bahraich ..	Bahraich.
			Mathura ..	Govardhan.
			Bareilly ..	Bhojipura.
			Lucknow ..	Chandrawal.
6	Harijan Industrial Estates	3.00 each.	Badaun ..	Badaun.
			Ballia ..	Ballia.
			Ghazipur ..	Ghazipur.
			Rai Bareli ..	Rai Bareli
			Gonda ..	Balrampur.
7	Co-operative Industrial Estates.		Meerut ..	The Central Industrial Co-operative Estate Ltd.,
			Meerut ..	Meerut Central Industrial Co-operative Society Ltd.,
			Meerut ..	Mukund Central Industrial Co-operative Society Ltd.,
			Saharanpur ..	The Saharanpur Industrial Co-operative Estate Ltd.,
			Dehra Dun ..	Dehra Dun Industrial Co-operative Estate Ltd.,

Serial number	Category of the estate with the estimated cost year of sanction	Name of district	Name of Estate
	Rs. in lacs		
		Aligarh ..	Hathras Industrial Estate Development Co-operative Estate Ltd., Mandu Road, Hathras.
		Muzaffarnagar	The shamali Co-operative Industrial Estate.
		Lucknow ..	Lucknow Industrial Co-operative Estate Ltd.,
		Muzaffarnagar	The Muzaffarnagar Industrial Co-operative Estate.
		Kanpur ..	Kanpur Industrial Development Co-operative Estate.
		Mathura ..	Mathura Industrial Co-operative Estate, Ltd.,
		Meerut ..	Hapur Central Industrial Co-operative.

इन औद्योगिक आस्थानों पर संबंधित सहकारी समितियां व्यय करेंगी ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर)

दिनांक ८-८-६२ के आदेश की प्रतिलिपि

प्रायः यह देखा गया है कि आप लोग बगैर पूर्व अनुमति के उच्च अधिकारियों एवं प्रमुख से जाकर सरकारी कार्य हेतु मिल लेते हैं जो कि प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से अवैधानिक है। भविष्य में नियम का पालन किया जाय जिससे कि कार्य में तथा नियम के विरुद्ध कोई कार्य न हो। आफिस रेकार्ड बिना मेरे आदेश के कहीं भी बाहर न ले जाया जाय और न किसी को दिखाया जाय। यदि कोई कर्मचारी उच्च अधिकारियों तथा प्रमुख से बात करता हुआ पाया जायगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

विधानसभा सचिवालय

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

१—डा० गोविन्द दास रिछारिया, अधीक्षक, ए० जेड० पी० .. सदस्य
२—डा० सुशीला नय्यर, एम० पी०, स्वास्थ्य मंत्राणी, भारत सरकार .. ,,
३—श्री लखपतराम शर्मा, एम० एल० ए० .. .. ,,
४—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, एम० एल० ए० .. .. ,,
५—श्री अयोध्याप्रसाद, एम० एल० ए० .. .. .. ,,
६—श्रीमती बेनी बाई, एम० एल० ए० .. .. .. ,,
७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, एम० एल० ए० .. .. ,,
८—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी, एम० एल० ए० .. .. ,,
९—श्री मैथलीशरण गुप्त, एम० पी०, चिरगांव .. .. ,,
१०—श्री रतन लाल गुप्ता, सेक्रेटरी, डी० सी० सी०, झांसी .. ,,
११—श्री डा० रघुवरदयाल कंचन, तालबेहट (झांसी) .. .. ,,
१२—श्री कामता प्रसाद सुडला, पो० आ०, ललितपुर .. .. ,,
१३—एजेंट, स्टेट बैंक आफ इंडिया, झांसी .. .. ,,
१४—जिला नियोजन अधिकारी, झांसी .. .. ,,
१५—डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, झांसी .. .. .. ,,
१६—जिला प्रसर्त अधिकारी, झांसी .. .. .. ,,
१७—जिला उद्योग अधिकारी, झांसी .. .. .. सदस्य, सचिव।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

मांगों की सूची

(१) मुरादाबाद पावर हाउस जो कि फैक्ट्री ऐक्ट है वहां के कर्मचारियों को रेस्ट दिया जावे और पिछले कार्य का ओवर टाइम मिले जैसा कि अधिकारीगण स्टैंडिंग आर्डर में मान चुके हैं ।

(२) डिवीजनल स्तर की तमाम जगहों पर उन्नति सीनियारिटी से हो और जो उन्नति अनुचित रूप से कर दी गई है तुरन्त रद्द कर दी जावे जैसा कि मुख्य अभियंता महोदय का लिखित समझौता हो चुका है ।

(३) कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डाल कर प्राइवेट काम करने को विवश न किया जावे ।

(४) राष्ट्रीय सम्पति का दुरुपयोग न किया जावे, जो मामले राष्ट्रीय क्षति के मामले हैं संगठन प्रस्तुत करे उनकी जांच हो और जो व्यक्ति दोषी पाये जावें उनको कठोर दंड दिया जावे।

(५) जिन कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता १९५८ से रुका पड़ा है उनका शीघ्र भुगतान किया जावे ।

(६) जो कर्मचारी जिस पद के लिये हैं उससे वही काम लिया जावे, जिन अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों को अपने प्राइवेट काम में लगाकर कार्य लेते हैं उनकी नाजायज हरकत रोकी जाय तुरन्त तबादला किया जाये ।

(७) तबादले केवल परेशान करने के लिये न किये जावें उसके लिये कोई नियम निर्धारित हो, पहिले उन लोगों को ही हटाया जावे जिन्हें एक ही स्थान पर बहुत साल हो गये हैं ।

बैठक की कार्यवाही

(१) पावर हाउस में रेस्ट का arrangement S. B. A., oiler व Turbine Driver वगैरह का कर दिया जावेगा। ओवर टाइम के पेमेंट के लिये S. E. साहब को लिखा गया है आदेश आने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

(२) रामकुमार जूनियर एलेक्ट्रीशियन , डूगरासिंह और रामप्रसाद पेट्रोलमेन का केस consider किया गया व इनका अप्वाइंटमेन्ट कर दिया जावेगा । महबूब आइलर का केस consider हुआ उसका reversion order हो रहा है व उसकी जगह भरने के लिये कमेटी ऐक्शन ले लेगी, लाखन और नन्हें को कमेटी के सामने approval के लिये भेजा जावेगा, वर्कचार्ज में पुराने आदमी जो रेगुलर पोस्ट पर अपने को हकदार समझते हैं उनको कमेटी के सामने approval के लिये भेजा जायेगा, वर्कचार्ज में दोनों टाउन इंचार्ज की जगह पुराने वर्कचार्ज के आदमियों में से जो पांच साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं और हाई स्कूल पास हैं उनका कन्सीडर किया जायेगा।

(३) कर्मचारियों पर अनुचित दवाव डालकर प्राइवेट काम नहीं लिया जावेगा।

(४) राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा , और अगर ऐसा कोई केस हो तो Ex. Engineer के नोटिस में लाया जाये ।

(५) पुराने एरियर कुछ तो ए० जी० के यहां गये हुए हैं। जिनका पेमेन्ट डिविजनल स्तर पर हो सकता है, उसका एक महीने में क्लेम किया जायेगा।

(६) जो आदमी जिस काम के लिये है उससे वही काम लिया जायेगा।

(७) जहां पर T. & P. की कमी है वहां T. & P. शीघ्र दे दी जायेगी।

(८) स्टाफ का तबादला परेशान करने के लिये न किया जाता है, न किया जायेगा।

(९) इस संघर्ष में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को आर्थिक व अन्य प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

विवरण-पत्र

थाना	घटनास्थल, किसके यहां छापा मारा गया	बरामद की गई वस्तु	की गई कार्यवाही
१	२	३	४
१—वज़ीरगंज	श्री सादिक अली उपनाम जिन्दे पुत्र श्री सैयद मेंहदी हुसैन, मुहल्ला रथखाना।	५ बोरे अश्लील पुस्तकें तथा ४ सेर आधा पाव अफीम ..	२ मुकदमें दर्ज किये गये तथा जांच हो रही है।
२—वज़ीरगंज	यूनाइटेट इंडिया प्रेस, वज़ीरगंज	६ अश्लील उपन्यास ..	प्रेस के मालिक श्री मलिक सद्दीक पुत्र श्री अब्दुल लतीफ तथा मैनेजर श्री अब्दुल हलीम पुत्र श्री मासूम अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और जांच हो रही है ।
३—कैसरबाग	श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल अजीज, मैनेजर फुटवीयर, नजीराबाद	सुनहरी दुनिया पुस्तक के १६० पृष्ठ तथा एक उर्दू की पुस्तक जिसमें १२ से २८६ पृष्ठ तक हैं।	मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच हो रही है ।
४—कैसरबाग	श्री सादिक अली उपनाम बिन्दारया पुत्र श्री मेंहदी हुसेन, नि०—मुहल्ला रस्सी वटान, थाना वजीरगंज ...घटनास्थल... परवाजडियो, नजीराबाद	पुस्तक जाने बशर ८ प्रतियां पुस्तक जहरीला हुस्न २प्रतियां ,, नागिन ३ प्रतियां ,, भाभीजान ३२ पन्ने ,, कच्चे अनार ७८ प्रतियां	मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच हो रही है।

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

तालिका

वर्ष	चिकित्सा विभाग में	जन-स्वास्थ विभाग में
१९५७ ..	.. *८	६८
१९५८ ..	.. *१६	१०३
१९५९ ..	.. *२४	१३२
१९६० ..	.. २६६	९१
१९६१ ..	.. ३१७	१०५

*चिकित्सा विभाग के प्रथम तीन वर्षों की दी गई संख्याओं में पी० एम० एस० द्वितीय (पुरुष) सेवा की संख्यायें सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवा निदेशक की इस विषय की पत्रावली १९६० की बाढ़ में नष्ट हो गई थी।

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

(A)

ZILA PARISHAD FUND (DISTRICT DEVELOPMENT FUND)

Year	Allotment	Expenditure
1	2	3
First Plan—	Rs.	Rs.
1951-52	29,127.00	44,522.00
1952-53	31.994.00	30,032.00
1953-54	1,75,382.00	43,262.00
1954-55	3,18,838.00	3,29,174.00
1955-56	4,46,984.00	1,54,413.00
Total ..	100,2325.00	6,01,403.00
Second Plan—		
1956-57	2,42,597.00	83,096.00
1957-58	3,69,489.00	91,851.00
1958-59	1,76,550.00	1,77,934.00
1959-60	2,35,850.00	2,50,004.00
1960-61	22,000.00	1,90,773.00
Total ..	10,46,486.00	7,93,658.00
GRAND TOTAL ..	20,48,811.00	13,95,061.00

(B)

BLOCK BUDGET

Year	Allotment	Expenditure
1	2	3
First Plan—		
1951-52	..	..
1952-53	..	..
1953-54	12,630.00	..
1954-55	1,17,500.00	26,085.00
1955-56	2,09,870.00	1,35,138.00
Total ..	3,40,000.00	1,61,223.00
Second Plan—		
1956-57	2,87,800.00	85,305.00
1957-58	1,53,800.00	1,24,307.00
1958-59	1,45,350.00	1,00,156.00
1959-60	3,98,440.00	2,71,866.00
1960-61	3,59,798.00	6,59,727.00
Total ..	13,45,188.00	12,41,361.00
GRAND TOTAL ..	16,85,188.00	14,02,584.00

(c)
BLOCK FUNDS

Year	Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure
1	2	3	4	5
First Plan—				
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs-
1951-52	..	..	42,000.00	42,000.00
1952-53	..	..	51,85.00	51,851.00
1953-54	5,500.00	5,500.00	1,10,900.00	1,10,900.00
1954-55	89,400.00	89,400.00	71,920.00	71,920.00
1955-56	30,000.00	30,000.00	89,300.00	89,300.00
Total ..	1,24,900.00	1,24,900.00	3,65,971.00	3,65,971.00
Second Plan—				
1956-57	53,425.00	53,425.00	40,000.00	40,000.00
1957-58	70,000.00	70,000.00	58,800.00	58,800.00
1958-59	61,440.00	61,440.00	25,490.00	25,490.00
1959-60	2,40,000.00	2,40,000.00	72,990.00	72,990.00
1960-61	2,00,000.00	2,00,000.00	2,50,000.00	2,50,000.00
Total ..	6,24,865.00	6,24,865.00	4,47,280.00	4,47,280.00
GRAND TOTAL ..	7,49,765.00	7,49,765.00	8,13,251.00	8,13,251.00

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४ में उल्लिखित सूचना ।

पार्टी का नाम		ऋण की धनराशि
पार्टी का नाम		
१—श्रीरामसरन दास, ४/९ अलोपीबाग, इलाहाबाद	..	१३,०००
२—श्री के० के० भार्गव ८३ बहादुरगंज, इलाहाबाद ..	..	६,५००
३—मेसर्स शिव इंजीनियरिंग वर्क्स नैनी, इलाहाबाद	..	१०,०००
४—चैमपियन साइकिल इन्डस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद	..	४०,०००
५—कुमार इन्डस्ट्रीज (पो०) लिमिटेड नैनी, इलाहाबाद	..	६०,०००
६—भारत इस्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स, नैनी, इलाहाबाद	..	८५,०००
७—स्वदेशी काटन मिल्स, इंडस्ट्रियल एरिया, नैनी, इलाहाबाद	..	२५,००,०००
८—किग्स एंड कम्पनी इन्डस्ट्रियल एरिया, नैनी, इलाहाबाद	..	५०,०००
योग	..	२७,६४,५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३९ पर)

मूल प्रश्न	उत्तर
क्या माननीय नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में नदीगांव ब्लाक के बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों ने ग्राम भेड़ में १९६०-६१ में कितना कार्य कराया तथा कब-कब दौरा किया या निरीक्षण किया और वहां जाने का कितना भत्ता बनाया?	सन् १९६०-६१ में विकास क्षेत्र नदीगांव (जालौन) के ग्राम सेवक तितरा खलीलपुर ने १९ जनवरी, १९६१, २० जनवरी, १९६१, १३ फरवरी, १९६१, १६ फरवरी, १९६१, १७ फरवरी, १९६१, २२ फरवरी, १९६१, २३ फरवरी, १९६१, २८ फरवरी, १९६१, १० मार्च, १९६१ तथा २५ मार्च १९६१ को ग्राम भेंड़ में दौरा किया और ९ रात्रि विश्राम किये। ग्राम सेवक ने उपरोक्त तिथियों में सभा की और ग्रामवासियों से कपास की खेती तथा सोख्ता बनाने के संबंध में बातें कीं। बाल बचत एवं अल्प बचत योजना में रुपया जमा करने हेतु गांव वालों से कहा तथा ३६७ रुपये पंचायत टैक्स वसूल किया। उपरोक्त दौरे का निश्चित भत्ते के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं दिया गया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २५७ एल० ए० १९६३—८३०।